लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

पहला सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 1, में अंक 1, से 11 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

प्राक्कथन

आठवीं लोक सभा के लोक सभा वाद-विवाद का यह पहला खण्ड है। सातवीं लोक सभा के अवसान तक, लोक सभा वाद-विवाद के दो संस्करण प्रकाशित किये जाते थे, अर्थात् (एक) मूल संस्करण, जिसमें सभा का कार्यवाही का विवरण उन्हीं भाषाओं में छापा जाता था, जिनमें वह सभा में सम्पन्न हुई हो, परन्तु जो भाषण क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते थे उनका अंग्रेजी/हिन्दी अनुवाद सम्मिलित किया जाता था और उर्दू में दिए गए भाषणों को देवनागरी लिपि में छापा जाता था, पर साथ ही उन भाषणों को प्रकोष्ठकों में फारसी लिपि में भी छापा जाता था, और (दो) हिन्दी संस्करण, जिसमें हिन्दी में सम्पन्न हुई कार्यवाही को मूल रूप में, उर्दू में दिए गए भाषणों को देवनागरी लिपि में तथा अंग्रेजी में हुई कार्यवाही का एवं क्षेत्रीय भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद छापा जाता था।

2. आठवीं लोक सभा के प्रथम सत्र से, लोक सभा के सामान्य प्रयोजन समिति के निर्णय के अनुसार, "लोक सभा वाद-विवाद" के दो संस्करण प्रकाशित किए जा रहे हैं, अर्थात् (एक) अंग्रेजी संस्करण, जिसमें अंग्रेजी में सम्पन्न हुई कार्यवाही मूल रूप में, और हिन्दी या किसी क्षेत्रीय भाषा में हुई कार्यवाही का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित होगा, और (दो) हिन्दी संस्करण अपने वर्तमान रूप में, परन्तु उर्दू भाषणों को देवनागरी लिपि में छापने के साथ-साथ फारसी लिपि में प्रकोष्ठकों में भी छापा, जायेगा।

3. इसके अतिरिक्त लोक सभा का कार्यवाही का मूल संस्करण भी केवल अभिलेख और सन्दर्भ के लिये तैयार किया जा रहा है, जिसकी सजिल्द प्रतियां संसद ग्रन्थालय में रखी जा रही हैं।

4. अंग्रेजी और हिन्दी दोनों संस्करणों में एक उपयुक्त संकेत दिया जा रहा है, जो यह दर्शायेगा कि कार्यवाही का कौन सा विशिष्ट अंश मूल रूप में अंग्रेजी/हिन्दी में हैं और कौन सा अनूदित है।

5. आशा है कि अंग्रेजी और हिन्दी के ये अलग-अलग संस्करण सदस्यों एवं रुचि रखने वाले अन्य लोगों के लिए उपयोग सिद्ध होंगे।

नई दिल्ली,

जनवरी, 1985

सुभाष काश्यप,

महासचिव।

1 LSS/85—1

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 31, पहला सत्र, 1985/1906 (शक)

अंक 8, गुरुवार, 24 जनवरी, 1985/4 माघ, 1906 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
	*तारांकित प्रश्न संख्या : 77 से 82	1—14
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
	तारांकित प्रश्न संख्या : 83 से 96	14—22
	अतारांकित प्रश्न संख्या : 244 से 289	22—49
सभा पटल पर रखे गए पत्र :		49—60
राष्ट्रपति से संदेश		60
राज्य सभा से संदेश		60
राज्य-सभा द्वारा यथापारित विधेयक		61
कार्य मंत्रणा समिति :		61
	पहला प्रतिवेदन	61
विधेयक —पुर : स्थापित :		
	संविधान (52 वां संशोधन) विधेयक	61—63
नियम 377 के अधीन मामले :		63—67
(एक)	राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर तथा श्री गंगानगर में उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों की स्थापना	63
	श्री वृद्धि चन्द्र जैन	63
(दो)	काकीनाडा पत्तन को महापत्तन में बदलना	64
	श्री थोटा गोपाल कृष्ण	64
(तीन)	उड़ीसा के सूखे से प्रभावित लोगों को तथा सिंचाई योजनाओं के लिए भी केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता	64
	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	64
(चार)	छोटे नोटों और सिक्कों की कमी	64
	श्रीमती रमाबेन रामजीभाई मावणि	64

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

		पृष्ठ
(पांच)	कपास उगाने वाले किसानों को सहायतार्थ नरमा कपास खरीदने के लिये भारतीय कपास निगम को निदेश दिये जाने की आवश्यकता	64
	श्री बीरबल	65
(छः)	सारे भारत में निषाद, मल्लाह, राजभर तथा बिन्द जातियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल करना	65
	श्री जैनुल बशर	65
(सात)	मिर्जापुर जिला (उत्तर प्रदेश) के ज्ञानपुर तहसील क्षेत्र में नलों द्वारा पेय जल की सप्लाई . . .	65
	श्री उमाकान्त मिश्र	65
(आठ)	भारतीय क्रिकेट दल में आंतरिक मतभेदों के समाचार. .	66
	श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	66
(नौ)	आगामी विधान सभा चुनावों में स्वतंत्र तथा भयमुक्त निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु आन्ध्र प्रदेश में हरिजनों के लिये सुरक्षा की व्यवस्था	66
	प्रो. एन. जी. रंगा	66
(दस)	राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम की सिंगरौली परियोजना से प्रभावित प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति के लिये नौकरी की व्यवस्था न करने के कारण लोगों में असंतोष .	66
	श्री राम प्यारे पनिका	66
(ग्यारह)	पश्चिम बंगाल राज्य में ग्रामीण विकास कार्य को तेज करने हेतु पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय सहायता . .	66
	श्री आनन्द पाठक	66
(बारह)	देश में बाल कल्याण परिषदें गठित करने की आवश्यकता	67
	श्रीमती माधुरी सिंह . . .	67
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 1982–83 और	. .	67—76 और
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 1984–85 :	.	77—106
श्री मालारेड्डी रघुमा रेड्डी	. . . .	69
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	. . . . .	70
श्री अजित कुमार साहा	. . . .	72
श्री बालकवि बैरागी	. . . . .	74
श्री एस. थगाराजू	. . . . .	77
प्रो. एन. जी. रंगा	. . . . .	78
श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर	. . . . .	79
श्री गिरधारी लाल डोगरा	. . . . .	81
श्री नारायण चौबे	. . . . .	82
श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक	. . . . .	84
श्री अब्दूल रशीद काबुली	. . . . .	85
श्री. आर. जे.वाराथिनम	. . . . .	89
श्री पलास बर्मन	. . . . .	90
श्री डूमर लाल बैठा	. . . . .	91
श्री अमर रायप्रधान	. . . . .	92

पृष्ठ

श्री राम प्यारे पनिका 93
श्री ईरासु अय्यापु रेड्डी 94
श्री राम भगत पासवान 95
श्रीमती वैजयन्ती माला बाली 96
श्री बोल्ला बल्ली रमैया 97
श्री सी. के. कुप्पु स्वामी 97
श्री वृद्धि चन्द्र जैन 98
श्री आर. अन्नानाम्बी 99
श्री सैफुद्दीन चौधरी 100
डा. टी. कल्पना देवी 101
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 101
श्रीमती एन. पी. आंसी लक्ष्मी 102
श्री बंसी लाल 102

विनियोग रेल विधेयक, 1985 . . . . . 106—107

पुरः स्थापित/विचार किये जाने के लिये प्रस्ताव 100
श्री बंसी लाल 106

खंड 2, 3 और 1 107
पास किये जाने के लिये प्रस्ताव 107
श्री बंसी लाल 107

विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1985 . . . . . 107—108

पुरःस्थापित/विचार किये जाने के लिये प्रस्ताव 107
श्री बंसी लाल 107

खंड 2, 3 और 1 108
पास किये जाने के लिये प्रस्ताव 108
श्री बंसी लाल 108

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1984-85
तथा
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1982-83 . . . . . 109—134

श्री बड्डे सोमानेद्रेश्वर राव 111
श्री ब्रह्म दत्त 112
श्री हन्नान मोल्लाह 113
श्रीमती ममता बनर्जी 115
श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर 117
श्री योगेश्वर प्रसाद 119
श्री नारायण चौबे 120
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही 123
प्रो. सैफुद्दीन सोज 125
श्री वी. तुलसी राम 127
श्री सी. एच. श्री हरि राव 128
श्री जनार्दन पुजारी 129

पृष्ठ

विनियोग विधेयक, 1985 . . . . . 134—135
पुर : स्थापित/विचार किये जाने के लिये प्रस्ताव 134
श्री जनार्दन पुजारी 134
खंड 2, 3 और 1 135
पास किये जाने के लिये प्रस्ताव . . . . 135—136
श्री जनार्दन पुजारी 135
विनियोग (संख्यांक-2) विधेयक, 1985 135
पुर : स्थापित/विचार किये जाने के लिये प्रस्ताव . . 136
श्री जनार्दन पुजारी 136
खंड 2, 3 और 1 136
पास किये जाने के लिये प्रस्ताव . 136—155
श्री जनादन पुजारी 138
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पंजाब), 1984-85 139
श्री के. डी. सुल्तानपुरी . 141
श्री गिराधारी लाल व्यास . . 143
श्री सत्यगोपाल मिश्र 144
श्रीमती कृष्णा साही 145
श्री एन. टोम्बी सिंह 147
श्री वड्डे सोभानेद्रेश्वर राव . . 148
प्रो. नारायण चन्द पराशर . . 150
प्रो. एन. जी. रंगा 151
प्रो. सैफुद्दीन सोज . . 152—155
श्री रामेश्वर नीखरा . . 152—156
श्री जनार्दन पुजारी
पंजाब विनियोग विधेयक, 1985
पुर : स्थापित/विचार किये जाने के लिये प्रस्ताव . 155
श्री जनार्दन पुजारी 155
खंड 2,3 और 1 . . . 156
पास किये जाने के लिये प्रस्ताव . . 156
श्री जनार्दन पुजारी 156
राज्य सभा से संदेश . . . 156—157
चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन विधेयक . . 157
राज्य सभा द्वारा यथापरित 157

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

लोक सभा

गुरुवार, 24 जनवरी, 1985/4 माघ, 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

रानीगंज-मेजिया रेल लाइन

*77. श्री बसुदेव आचार्य: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रानीगंज-मेजिया बरास्ता बांकुरा रेल लाइन के निर्माण के लिये अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) (क) और (ख) :—मेजिया के रास्ते रानीगंज से बांकुरा तक नयी बड़ी रेल लाइन के निर्माण की मांगें प्राप्त हुई हैं। प्रस्तावित सम्पर्क के लिए इंजीनियरी एवं-यातायात सर्वेक्षण किये गये हैं जिनसे पता चला है कि यह परियोजना अर्थक्षम नहीं होगी। भारी मांग को देखते हुए हाल में सर्वेक्षण को और आगे अद्यतन किया गया है तथापि, अद्यतन सर्वेक्षण के जो परिणाम निकले हैं, वे आशाजनक नहीं हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव उस समय किया गया था जबकि भारत के भू-सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में से एक क्षेत्र में कोयले के भंडार होने संबंधी रिपोर्ट दी थी। यह लाइन न केवल कालाघाट-हल्दिया अपितु वस्तुतः दक्षिण जाने वाली सभी गाड़ियों के लिये एक विकल्प होगा जिससे कम खर्च में शीघ्र पहुंचा जा सकेगा। इससे अनारा-चन्दील-टाटा-नीमपुरा खंड में विद्यमान कठिनाइयों दूर हो जाएंगी, काली पहाड़ी खंड में भीड़भाड़ कम हो जाएगी और तटीय नौवहन और कोयले तथा चीनी के निर्यात में सुविधा होगी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा तैयार की गई यातायात और इंजीनियरिंग सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इस परियोजना पर पूंजी निवेश से 14 प्रतिशत लाभ मिलेगा और इस तरह से यह लाभकारी सिद्ध होगी। यदि हां, तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर पुनः विचार करेगी।

श्री बंसी लाल: रेलवे सर्वेक्षण से पता चलता है कि लाभ केवल 6.02 प्रतिशत होगा।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, राष्ट्रीय यातायात नीति समिति ने सिफारिश की थी कि इस प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाइनों का निर्माण करने पर विचार किया जाना चाहिए। मैं मंत्री

महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बंकुरा जिले के, जो कि हमारे देश के 15 पिछड़े जिलों में से एक है, मूल ढांचे के विकास संबंधी प्रस्ताव पर विचार करेगी।

श्री बंसी लाल: इस समय हम इन लाइनों के निर्माण पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं।

श्री के० राममूर्ति: अध्यक्ष महोदय, सातवीं लोक सभा में तत्कालीन रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि चालू परियोजनाओं, जिन्हें काफी धन की आवश्यकता है, का काम जारी रहेगा और इसलिए रेल मंत्री नई लाइनों का निर्माण करने की स्थिति में नहीं थे। मैं माननीय रेल मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जहां कहीं भी नई रेल लाइनें बनाने की आवश्यकता है, उन्हें बनाया जाएगा अथवा क्या तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा घोषित नीति ही अपनाई जाएगी।

श्री बंसी लाल: यदि किसी रेल लाइन को महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो उस पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उसके लिए धन उपलब्ध हो और योजना आयोग उसकी अनुमति दे।

(हिन्दी) नई शिक्षा नीति

+

*78. श्री मूल चन्द डागा:

प्रो. पी. के. कुरियन:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री द्वारा शिक्षा सुधारों के बारे में क्या प्रमुख सुझाव दिये गये हैं,

(ख) इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने हैं, और

(ग) क्या सरकार इस मामले में राज्य सरकारों के विचार भी प्राप्त करेगी और क्या उसके लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है?

[अनुवाद]

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) प्रधान मंत्री ने 5 जनवरी, 1985 को अपने राष्ट्रीय प्रसारण में शिक्षा पद्धति में परिवर्तन के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये:--

--शिक्षा के जरिए राष्ट्रीय सम्बद्धता और कार्य नैतिकता की प्रोन्नति,

--भारत के स्वतंत्रता संग्राम के वैभव और राष्ट्रीय एकता के लिये इसके महत्व से छात्रों को अवगत कराना,

--छात्रों को भारत की प्राचीन विरासत और संस्कृति से परिचित कराना,

--भारत की मिश्रित संस्कृति का संकल्प और साम्प्रदायिक व्याख्याओं को रोकने के लिए पाठ्य-पुस्तकों का पुनः अनुस्थापन,

--हमारी स्कूल प्रणाली में नई संचार प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर उपयोग,

--सरकार के अधीन नौकरियों से डिग्रियों की अनिवार्यता को समाप्त करना,

--उच्च शिक्षा को सभी के लिए सर्वसुलभ बनाने के लिए ओपन विश्वविद्यालय की स्थापना,

--केन्द्रीय विद्यालय संगठन का विस्तार,

--व्यावसायिक शिक्षा को, उद्योग, कृषि, संचार और हमारी अर्थ व्यवस्था के अन्य उत्पादक क्षेत्रों के साथ जोड़ने के लिए, पुनर्गठित करना,

(ख) और (ग) : सरकार ने विद्यमान शिक्षा नीति की व्यापक और गहन समीक्षा पहले ही आरंभ कर दी है। चूंकि शिक्षा, राज्यों और केन्द्र की एक संयुक्त जिम्मेदारी है, अतः नई शिक्षा नीति पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा और राज्य सरकारों से भी परामर्श किया जाएगा।

परामर्श करने की प्रतिक्रिया जून, 1985 तक पूरी हो जाने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, 5 जनवरी, 1985 को भारत के प्रधान मंत्री ने शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के सुझाव दिये हैं जिसमें सबसे बड़ा सुझाव यह है कि शिक्षा रोजगार-मूलक हो और सरकार के अधीन जो नौकरियां हैं, उनमें डिग्री की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाये। मनुष्य को उजागर करने के लिये और उसमें देश-प्रेम की भावना भरने के लिये उन्होंने सुझाव दिये हैं। इन सब कामों को करने के लिये शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।

आज देश में शिक्षक की क्या दशा है? आज समाज में हरेक आदमी चाहता है कि शिक्षा में सुधार हो, मूलभूत सुधार हो।

परिवर्तन की बात आपने कही, लेकिन जिस आदमी को कहीं नौकरी नहीं मिलती है, वह जाकर शिक्षक बनता है। शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि इन शिक्षकों की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसमें सुधार करने के लिये, उनकी तनख्वाहों में वृद्धि करने के लिये, उनका समाज में महत्वपूर्ण स्थान बनाने के लिये, काबिल और योग्य शिक्षक बनाने के लिए उसके साथ-साथ पब्लिक और प्राइवेट स्कूलों का अन्तर मिटाने के लिये यह दोहरी शिक्षा नीति चलती है, शहर का पढ़ने वाला बाबू या आफिसर बनता है और गांव का पढ़ने वाला चपरासी बनता है, इसको दूर करने के लिये आप क्या उपाय करेंगे?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अध्यक्ष जी, मैं डागा जी से बिल्कुल सहमत हूं कि शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और जाहिर है कि अगर शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना है तो शिक्षक की जो भूमिका है उसको और अच्छा बनाना पड़ेगा। उसका जो वेतन है और अन्य सुविधायें हैं, उनको सुधारना पड़ेगा। इसके साथ-साथ समाज शिक्षक से अपेक्षा रखता है कि वह भी एक अच्छा उदाहरण पेश करेगा ताकि विद्यार्थी अच्छे नागरिक बन सकें। जो पढ़ाया जाता है, उससे ज्यादा असर उदाहरण का होता है, इस लिए शिक्षक के ऊपर जिम्मेदारी आती है। हम को और आपको यह देखना होगा कि उनके प्रति इन्साफ हो। अनेक योग्य शिक्षकों और शिक्षा शास्त्रियों ने इस सिलसिले में सुझाव दिये हैं कि कैसे प्रशिक्षण सुधारा जाये शिक्षकों का, उस पर तो विचार किया ही जायेगा और टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट में कोशिश की जाएगी कि शिक्षकों का स्तर सुधरे।

यह सब जितने आपने विचार दिये हैं, इन पर अवश्य आने वाले दिनों में कार्य करना पड़ेगा और जैसे-जैसे विचार यहां तक पहुंचेंगे कि वह आपके सामने लायें जा सकें तो मैं आपके सामने लाऊंगा।

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने योजना विभाग से काफी धन मांगने की कोशिश की है और आपने एक कमेटी का गठन किया है। क्या उस कमेटी के अंदर बड़े-बड़े शिक्षा शास्त्री और शिक्षक लिये जायेंगे? कृपया यह बतायें कि आर्टिकल 45 में यह था कि 10 साल के अन्दर 14 साल तक के बच्चे के लिये शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होगी। आर्टिकल 351 में यह था कि हिन्दी जो लिंग लैंग्वेज है, उसका सारे भारत में प्रचार और प्रसार होगा।

क्या इन दोनों आर्टिकलों को लागू करने के लिये, आपकी कमेटी उस पर विचार करेगी, यदि हां, तो वह रिपोर्ट कब देगी, क्या विचार करने के लिये आप उस रिपोर्ट को सदन में रखेंगे, यदि हां तो कब तक।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अध्यक्ष महोदय, एलिमेंट्री एजुकेशन अनिवार्य और मुफ्त हो, यह आर्टिकल 45 में दिया गया है। पिछले वर्षों में पहली योजना जब प्रारम्भ हुई थी तब से आज तक इस में प्रगति अवश्य हुई है, लेकिन सन् 60 के बाद वह टलता गया और अब 1990 इस का लक्ष्य है। अब इस वक्त करीब-करीब 11.6 करोड़ बच्चे इस उम्र के स्कूलों में हैं जो कि 76 प्रतिशत के करीब आता है और अभी भी काफी संख्या बाकी है। लेकिन जो पिछले सालों में लक्ष्य रखे गए, हर साल नये बच्चे उतने दाखिल होते गए हैं। प्रगति हुई है। लेकिन मैं डागा जी से सहमत हूं, जब तक अधिक धनराशि शिक्षा के कार्य के लिए विशेष तौर पर केन्द्रीय स्तर पर नहीं मिलेगी तब तक वे सारे कार्य नहीं किए जा सकते जो सदन चाहता है क्योंकि पहली योजना की जो मैंने चर्चा की उस वक्त 7.2 प्रतिशत योजना के धनराशि शिक्षा स्तर पर जाते थे, आज वह घट कर 2.6 प्रतिशत हो गई है और नेशनल एजूकेशन पालिसी में राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत कहा गया था। तो ये सब चीजें करना हैं तो इस धनराशि को बढ़ाना आवश्यक होगा ही।

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन :-महोदय, मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं कि उसने गहराई से इसका अध्ययन किया और नई शिक्षा नीति बनाने की घोषणा की है।

प्रो० मधु दण्डवते:-क्या सरकार के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना आवश्यक है? यह प्रश्न काल है।

प्रो. पी. जे. कुरियन: सरकार इस बात से अवगत है कि आज हमारे देश की शिक्षा प्रणाली ऐसी है जो दो तरह के नागरिक तैयार करती है। शहरी स्कूल, प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल अच्छी शिक्षा तथा बढ़िया सुविधाएं प्रदान करते हैं। दूसरी ओर ग्रामीण स्कूलों और विशेषकर सरकार ग्रामीण स्कूलों के पास सुविधाएं नहीं हैं। अतः हम अपने नागरिकों को दो तरह की शिक्षा प्रदान करते हैं। क्या इस पहलू पर अध्ययन किया जाएगा और क्या सरकार इस अंतर को कम करने का प्रयास करेगी? मैं एक बात और कहना चाहता हूं। शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिये जिससे छात्रों के मन में न केवल अपने देश के प्रति अनुराग पैदा हो उनमें भावनात्मक और राष्ट्रीय अखंडता की भावना बढ़े अपितु स्वः अनुशासन की भावना भी उभरे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और यौन शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार करेगी।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: महोदय, यह स्पष्ट है कि प्राइवेट स्कूलों के शिक्षा स्तर की तुलना में ग्रामीण स्कूलों और सरकारी स्कूलों का जो शिक्षा स्तर है उसके बारे में माननीय सदस्य बहुत चिंतित है। मैं अपने मित्र की बात से सहमत हूं कि इन दोनों तरह के स्कूलों के स्तरों का अंतर कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए और मैं समझता हूं कि सरकारी स्कूलों का स्तर ऊंचा उठाने पर बल दिया जाना चाहिए। केन्द्रीय विद्यालयों में अर्थात् सैन्ट्रल स्कूलों में शिक्षा स्तर अन्य सरकारी स्कूलों की अपेक्षा अच्छा है। डिफेन्स स्कूलों में भी, शिक्षा स्तर काफी अच्छा है। मैंने अपना पद ग्रहण करने के पश्चात् कुछ राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ, जिन्होंने कि पिछले कुछ हफ्तों में मुझसे भेंट की, इस मामले पर चर्चा की और मुझे यह कहते हुए प्रसन्ता हो रही है कि उनमें से कुछ मुख्यमंत्रियों ने यह सुझाव दिया कि केन्द्र को राज्यों में स्कूली शिक्षा के संबंध में और अधिक सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए और इस संदर्भ में हम राज्यों में केन्द्रीय स्कूल बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन हम सातवें योजना में क्या कुछ कर सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर होगा कि शिक्षा के लिए कितनी धनराशि और संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है।

जहां तक नैतिक शिक्षा, अथवा हमारी शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा का संबंध है, यह विचार समय-समय पर दिया जाता रहा है। किसी भी रूप में, इसे भी शामिल किया गया है। लेकिन यदि कोई विशिष्ट सुझाव दिए जाएं तो उन पर विचार करने में मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।

श्री अमल दत्त : प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए सुझाव, जिन्हें उत्तर के भाग (क) में उद्धृत किया गया है, गुणात्मक परिवहन लाने के संबंध में हैं ताकि वे लोग जो पहले ही साधारण शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा मिलेगी, जो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। लेकिन भारत में इस समय आवश्यकता केवल यह नहीं है कि जो लोग साधारण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसमें गुणात्मक अंतर लाया जाए अपितु शिक्षा का क्षेत्र भी बढ़ाना होगा ताकि वे लोग जो इस क्षेत्र से बाहर हैं, उन्हें भी इस क्षेत्र में लाया जाए। (जहां तक प्राथमिक और उच्चत्तर शिक्षा का संबंध है) उसके लिए, राज्य सरकारें, जिन पर यह जिम्मेदारी है, अपनी योग्यता से बढ़ कर कार्य कर रही हैं। केन्द्र सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए।

मुझे नहीं लगता कि उत्तर के भाग (क) अथवा (ख) और (ग) में कोई सुझाव दिया गया है। क्या केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड भाग (क) में बताए गए परिवर्तनों आदि पर ही विचार करने जा रहा है। तब यह एक साधारण सी बात होगी। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या भाग (क) में बताए गए परिवर्तन के अतिरिक्त वह प्राथमिक शिक्षा में विस्तार करने, तथा इस असंगति को समाप्त करने पर विचार कर रही है कि कुछ छात्र ग्रामीण क्षेत्रों में साधारण शिक्षा प्राप्त कर रहे है और कुछ छात्र शहरी स्कूलों में, जिन्हें सरकार बड़े पैमाने पर सहायता दे रही है। क्या इस सब के लिए, केन्द्र सरकार अथवा इसका विभाग यह सुझाव देगा कि इसके लिए अधिक धन का आबंटन किया जाए और कितना अधिक धन दिया जाएगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं इस प्रश्न का हिंदी में उत्तर दे चुका हूं लेकिन संभवतः मेरे दोस्त ने उस समय श्रवण-यंत्र नहीं लगा रखा था। वास्तव में मैंने आंकड़े बताएं थे। मैंने कहा था कि इस समय स्कूलों में 11.6 करोड़ बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यदि हम समान प्राथमिक शिक्षा देना चाहते हैं तो इसमें करीब 6 करोड़ बच्चों को और लाना होगा। हर तरह से यह एक बहुत बड़ा कार्य है। मैं समझता हूं कि हमें इस संबंध में स्पष्ट करना होगा कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली यह भार वहन नहीं कर पाएगी। हमें गैर पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना होगा ताकि शिक्षा प्राप्त न कर सकने वाले छात्रों तथा उन छात्रों को, जिन्हें बीच में शिक्षा छोड़नी पड़ती है, गैर पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में लाया जा सके; और इससे ही प्राथमिक शिक्षा को शत-प्रतिशत सर्वव्यापी बनाया जा सकता है। यह कार्य पूर्णकालिक पारंपरिक शिक्षा तथा आंशिकालिक गैर पारंपरिक शिक्षा द्वारा ही करना होगा। शिक्षा का प्रसार करने अथवा निरक्षरता समाप्त करने का तीसरा घटक है प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। यहां भी प्रौढ़ निरक्षरों की संख्या काफी है। 15 से 35 वर्ष तक के निरक्षरों की संख्या 11 करोड़ है। इस क्षेत्र में भी हमें काफी कुछ करना होगा। मैं स्वयं यह महसूस करता हूं कि जब तक यह जन आंदोलन नहीं बन जाता, जब तक युवा लोग इसमें नहीं आते और जब तक नियोजक, चाहे वे सरकारी क्षेत्र में हों या गैर सरकारी क्षेत्र में, कम से कम अपने कर्मचारियों में निरक्षरता समाप्त करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते, ऐसा करना कठिन होगा। यह एक बहुत बड़ा काम है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रयत्न करना होगा। तभी हम निरक्षरता की समस्या समाप्त कर सकते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामाजिक आर्थिक प्रयासों और सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों में हमारी शिक्षा को प्राथमिकता दी, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर विचार किया है। अब तक शिक्षा समवर्ती सूची में रही है। क्या समूचे देश में शिक्षा प्रतिमान में समानता लाने, शिक्षा को अधिक गतिशील बनाने तथा इसे हमारे बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिवेश के अनुरूप बनाने एवं देश के कुछ क्षेत्रों में शिक्षा नीति और कार्यक्रम व्याप्त विकृतियों को देखते हुए उनका विचार शिक्षा को केन्द्रीय सूची में लाने का है। भारत के कुछ भागों में भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है और विशेषकर पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को राजनीति प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में चलाया जा रहा है। (व्यवधान) यह वास्तविकता है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते (व्यवधान)

प्रो. के. के. तिवारी : जब कभी पश्चिम बंगाल का जिक्र किया जाता है, आप उछलने क्यों लगते हैं? (व्यवधान) क्या शिक्षा को समवर्ती सूची से केन्द्रीय सूची में लाने का कोई विचार है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : शिक्षा केन्द्र तथा राज्यों की संयुक्त जिम्मेदारी है। ऐसे मूल पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्याओं के संबंध में बहुत कुछ कहने की गुंजाइश है, जो राष्ट्रीय अखंडता, अपनी संस्कृति की विरासत पर गर्व, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से परिचय, हमारे राष्ट्रीय नेताओं की जीवनियों आदि विचारों पर बल देने वाले हों। हमें पाठ्यचर्या इन विषयों के बारे में भी कुछ कहना है। लेकिन मैं समझता हूं हमारे देश में शिक्षा में केवल राज्य स्तर पर ही नहीं अपितु जिलों आदि में प्राथमिक स्कूलों के स्थानीय स्तर से परे स्थानीय परिवर्तनों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। शिक्षा के प्रश्न पर विचार करते समय देश की विभिन्नताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। शिक्षा बच्चों के पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। अतः मैं समझता हूं कि राज्यों को इसमें अपनी भूमिका अदा करनी होगी। लेकिन मेरे माननीय मित्र ने कुछ विशिष्ट राज्यों में पथभ्रष्टता का जिक्र किया है। मैं केवल कुछ सप्ताह से यहां हूं। मुझे आशा है कि यदि इन आरोपों की गहराई से समीक्षा की जाए तो इनका कोई आधार सिद्ध नहीं होगा। (व्यवधान) मैंने आशा व्यक्त की है, विश्वास नहीं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सवाल काफी लम्बा चौड़ा है, एक प्रश्न के उत्तर में सारी बात नहीं दी जा सकती है, लेकिन पंत जी एक बात मेरे भी दिमाग में आ रही है। मैं समझता हूं 90 प्रतिशत लोग, जो बच्चे हैं, गांव और देहात के उन स्कूलों में पढ़ते हैं, जहां पैसे का अभाव है। दस प्रतिशत बच्चे वहां पढ़ते हैं, जहां मनीडे क्लास पढ़ते हैं और जब क्रीम बांटने का सवाल आता है, तो सारी की सारी दस परसेंट हजम कर जाता है। इस लिए इसके लिए हमको कुछ करना चाहिए। जहां कहीं पर भी सर्विस में या दूसरी जगहों में स्थान निकलते हैं, वही दस परसेंट कम्पटीशन वगैरह में छा जाते हैं। ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि 90 परसेंट में से नौ और दस परसेंट में से एक अच्छे से अच्छे होकर आ जायें।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : अध्यक्ष जी, जो प्राइवेट सकूल्स हैं, उनको सरकार मदद नहीं देती है। आपके बजट से पैसा नहीं जाता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं, पैसे वाले का और बगैर पैसे वाले का प्रश्न है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : केक का बड़ा हिस्सा उनको जाने का प्रश्न नहीं उठता है, गवर्नमेंट स्कूल्स और ऐडेड स्कूल्स को ही जाता है।

अध्यक्ष महोदय : पैसे की बात मैंने नहीं कही। यह एक लम्बी चौड़ी बात है, इसको आप देखिए।

[अनुवाद] इसे उचित परिपेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।

प्रो. मधु दंडवते : मेरा सुझाव है कि आप प्रत्येक प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछें।

(अनुवाद)

निर्जलीकरण (डीहाईड्रेशन) का सस्ता इलाज

***79. डा० कृपा सिन्धु भोई :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्जलीकरण का, जो आजकल बच्चों की सबसे बड़ी घातक बीमारी है, सस्ता और स्वयं करने योग्य" इलाज ढूंढ लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रस्तावित दवाई या फार्मूला बाजार में बिक्री के लिए कब तक उपलब्ध हो जाएगा तथा बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए इसके किस सीमा तक कारगर सिद्ध होने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) : जी, हां बच्चों में निर्जलीकरण को दूर करने के लिए ग्लूकोस-नमक का एक मिश्रण तैयार किया गया है जिसे ओरलरीहाइड्रेश साल्ट (ओ. आर. एस.) कहते हैं। यह मिश्रण निर्जलीकरण को दूर करने और मौत से बचाने के लिए बहुत प्रभावकारी पाया गया है। यह बाजार में पहले से ही उपलब्ध है । स्वास्थ्य गाइडों के जरिए वितरण के लिये प्राथमिक स्वास्थय केन्द्रों में केन्द्रीय सरकार द्वारा भी ओ. आर. एस. पैकेट सप्लाई किये जा रहे हैं।

डा. कृपासिन्ध भोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने इस विषय पर बहुत ही संक्षिप्त उत्तर दिया है, हालांकि कार्य बहुत ही विराट है। अल्पा एट ए, घोषणा के अनुसार जिस पर हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के हस्ताक्षर हैं और जिस पर घोषणा के अनुसार दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तथा विकसित देशों के विश्व स्वास्थय संगठन के प्रादेशिक निदेशक डा. कोको ने विचार किया था कि शिशु तथा बच्चों की मृत्यु का कारण दस्त, सांस की बीमारी तथा प्रति रक्षीकरण कार्यक्रम का अभाव है इसके आधार पर, हमारे देश में अतिसार से मरने वाले शिशुओं तथा बच्चों की संख्या कितनी कितनी है? क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को विषय की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है और किस प्रतिशतता से हम शिशु तथा बच्चों की मृत्यु दर को कम कर सकते हैं? दूसरे, हम विशेष बीमारी के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बताये गए घटक क्या हैं -- ओरलरीहाइड्रेशन किट' अथवा 6 ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट' इस पर मतभेद है। मेरा प्रश्न इसे "सस्ता और स्वयं करने योग्य" इलाज के विषय में था। जनसामान्य इसके बारे में कैसे जान सकता है और कैसे स्वास्थ्य प्रशिक्षण दिया जा सकता है? ऐसी कौन सी ऐजेन्सिया हैं जो जन सामान्य के घर जाकर उनके परिवारों और माताओं को इस बारे में बता सकें?

श्री योगेन्द्र मकवाना : आदरणीय डा. साहब से सहमत हूं कि यह कार्य विराट है और 'अल्मा एट ए' घोषणा के अनुसार जिस पर हमने हस्ताक्षर किये हैं डा. कोको के विचार थे कि इस बीमारी का सही ढंग से उपचार होना चाहिये क्योंकि शिशु मृत्युदर का मुख्य रूप से सबसे बड़ा कारण अतिसार है। शिशु मृत्युदर के बारे में पृथक आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। मेरे पास अतिसार, जिसमें हैजा तथा जठर-आंत्रशोध भी शामिल हैं, से होने वाली मृत्यु के आंकड़े हैं।

मेरे पास 1980 के बाद के आंकड़े हैं और अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं उन्हें दे सकता हूं। 1983 में 52,90,065 लोगों को यह बीमारी हुई थी और 4,954 की मृत्यु हुई। 1984 के अस्थायी आंकड़े 60,37,723 हैं और मृतकों की संख्या 4,888 है। इसके बहुत से कारण हैं यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में पानी की कमी हो जाती है। शरीर में नमक की मात्रा भी कम हो जाती है : अतः इसलिये इसका सबसे आसान हल है नमक तथा ग्लूकोज का मिश्रण मरीज को देना। घरेलू नुस्खा नमक और चीनी का मिश्रण है .।

प्रो. एन. जी. रंगा : चीनी और पानी।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जी हां, चीनी और पानी, क्योंकि बिना पानी के यह घुलेगी नहीं। मैं अपनी भूल के लिए क्षमा चाहता हूं। यह अतिसार के लिये घरेलू नुस्खा है।

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में ग्राम सेवक, ए. एन० एम० कार्यकर्ता तथा डाक्टर रहते हैं। ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का मार्गदर्शन कर सकें। समय समय पर सेमिनार और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किये जाते हैं जिनमें ग्राम स्वास्थ्य सेवक भाग लेते हैं जो कि बाद में गांव के लोगों को शिक्षित करते हैं। अतिसार में शिशुओं के लिये माता द्वारा स्तनपान कराना इसका सबसे अच्छा इलाज है। अतिसार के मामले में माता द्वारा स्तनपान करवाने से इस बीमारी में भी मदद मिलती है। इन बीमारियों में किसी भी तरह का तरल पदार्थ जैसे कि फलों का रस और चावल का मांड भी मदद करेंगे ।

डा. कृपासिन्धु भोई : मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों को जानना चाहता हूं । फार्मूला है सामान्य नमक, सोडियम बाईकार्बोनेट तथा पोटाशियम क्लोराइड को एक लिटर उबलते पानी में घोल दिया जाता है। तत्पश्चात 20 ग्राम चीनी अथवा ग्लूकोस मिलाते हैं। परन्तु इस समस्या का मूल यह है कि इस के अन्दर हम कोई रोगाणुरोधक चीज नहीं मिला रहे हैं जो कि पूरे देश में प्रचलित है। वे माताओं का देश में उपलब्ध वैकल्पिक सुझाव दे सकते हैं। घरेलू रोगाणुरोधक का नुस्खा है। एक गिलास दूध लिजिये, इसमें कुछ नींबू की बूंदे डालिये फिर उबालिये, ठोस (जमे हुए) हिस्से को फेंक दीजिये बचा हुआ पानी रोगाणुरोधक की तरह व्यवहार करेगा। घोल में मिश्रित किजिये। हमारे देश की भूभौतिकीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद हमारे देश की जलवायु की दृष्टि से कोई अनुसंधान कर रहा है। अल्पा एटा डिक्लेरेशन के के अनुसार क्या जनसंख्या नियंत्रण और बार-बार गर्भ धारण तथा बच्चों के जन्म में अन्तर रखने के बीच कुछ संबंध हैं जिसके कारण बच्चे अतिसार के प्रकोप का शिकार बनें।

श्री योगेन्द्र मकवाना: जी हां, इसमें संबध है । परिवार कल्याण कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य सुधार को ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि सिर्फ स्वास्थ्य माता व स्वस्थ पिता ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकते हैं। अगर स्वस्थ बच्चे होंगें तो लोग परिवार को नियन्त्रित करने की कोशिश करेंगें। अगर मृत्यु का डर होगा तो कोई भी व्यक्ति परिवार नियोजन में विश्वास नहीं करेगा।

व ओरल रिहाइड्रेशन का फार्मूला जानना चाहते हैं। वह इस प्रकार है :

सोडियम क्लोराइड 3.5 ग्राम, पोटाशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, सोडियम बाई कार्बोनेट 2.5 ग्राम, ग्लूकोस 20 ग्राम ।

ओ.आर.एस. पैकेट बाजार में उपलब्ध हैं। परन्तु घर में बनाई दवाई यानिकि नमक तथा चीनी का भी इन बीमारियों में उपयोग कर सकते है।

डा. टी. कल्पना देवी : एक वर्ष से कम आयु के लगभग 2500 बच्चे हर रोज मरते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिये रोकथाम के अभी क्या उपाय किये जा रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण, शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा शिक्षा के बारे में क्या उपाय किये जा रहे हैं?

श्री योगेन्द्र मकवाना : इस समस्या से निपटने के लिये इस पर दो तरफा प्रहार करने की जरुरत है। अल्पावधि तथा दीर्घकालीन उपाय करने की जरुरत है।

अल्पकालीन उपाय है: चिकित्सा एवं अर्ध-चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षिण देना उत्पादन की वृद्धि करना तथा ओ.आर. एस० का आवंटन माताओं को प्रशिक्षित करना और लोगों को ओरल रिहाइड्रेटिड थेरापी के उपयोग के बारे में बताना, लगातार स्तनपान की दशा में समुचित नीति निर्धारण करना और जहां संभव हो, 'वेनिगफडिंग' प्रथा को अपनाना तथा कार्यान्वयन हेतु समूची नीति विकसित करने के लिए कार्यात्मक/स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान करना। दीर्घकालीन उपाय इस प्रकार है: सुरक्षित पेयजल आपूर्ति का प्रावधान, मल व्ययन पद्धति में सुधार, पर्यावरण की स्थिति में सुधार तथा लोगों को स्वस्थ एवं पौष्टिकता के बारे में शिक्षित करना। ये दोनों तरह की नीतियां कार्य कर रही हैं और सरकार इन दोनों नीतियों से समस्या को हल करने की कोशिश कर रही है प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों उपकेन्द्रों तथा ग्राम कार्यकर्त्ताओं की एक श्रृखंला है जोकि स्वास्थ्य संवर्धन, बीमारियों की रोकथाम तथा उनके उपचार के लिये कार्य कर रहे है । प्रोत्साहक तथा रोकथाम के पहलुओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और 1000 आबादी वाले अथवा इससे कम की आबादी के क्षेत्रों में ग्राम चिकित्सा कार्यकर्त्ता, उप केन्द्र के अलावा एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र है। अतः ये सभी उपाय बीमारियां, जिनमें अतिसार भी सम्मिलित है, की रोकथाम के लिये है ।

गर्भवती और प्रसूता महिलाओं की सहायता के लिए योजनाएं

*80 **श्रीमती किशोरी सिन्हा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) गर्भवती और प्रसूता महिलाओं की सहायता के लिए वर्तमान और प्रस्तावित योजनाएं क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार द्वारा ऐसी योजनाओं के लिए अधिक वित्तीय आबंटन किया जाएगा ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम के अंतर्गत जन्म से पहले और जन्म के बाद की परिचर्या करने, अपूतिक प्रसवों के लिए सुप्रशिक्षित व्यक्तियों की व्यवस्था करने, पोषण की कमी से होने वाली खून की कमी से बचाव तथा टेटनस से गर्भवती महिलाओं का रोगप्रतिरक्षण करने संबंधी विभिन्न योजनाएं आरम्भ की गई हैं। एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए पूरक पोषण की भी व्यवस्था की गई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन योजनाओं के लिए अधिक वित्तीय परिव्यय की व्यवस्था करके इनका और विस्तार किया जाएगा।

श्रीमती किशोरी सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदय मैंने जवाब पढ़ लिया है और सुन लिया है परन्तु मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह सच नहीं है कि यह योजना सिर्फ कारखानों, दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिलाओं का लाभ पहुंचाती है; असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के लिये ये सुविधायें नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप पढने से ज्यादा प्रभावित हुई हैं अथवा सिर्फ सुनकर ही?

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय यह ठीक नहीं है। विरोधी पक्ष की माननीय महिला सदस्य के पिछले अनुपूरक प्रश्न का जवाब देते हुए मैंने बीमारियों की रोकथाम तथा चिकित्सा के लिये तथा स्वास्थ्य सुधार के लिये स्वास्थ्य केन्द्रों की श्रृंखला बनाई है। अतः यह पहलू भी इस योजना के तहत आ जाता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिये भारी बजट रखा गया है। छठी पंचवर्षीय योजना में यह 1,458 करोड़ रुपये था। यह सारा पैसा सिर्फ शहरी केन्द्रों को ही नहीं जा रहा, इसका एक काफी बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों को भी जाता है क्योंकि प्रत्येक गांव या 1000 की आबादी के पीछे एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक है फिर 5000 की आबादी के पीछे एक उप स्वास्थ्य केन्द्र है जिसमें एक ए० एन० एम० सेवक और एक सेविका होते हैं। गांव में भी मुख्य रूप में महिलाओं में से ही स्वास्थ्य सेविका चुनी जाती हैं।

एक माननीय सदस्य: हमने उन्हें कभी नहीं देखा।

श्री योगेन्द्र मकवाना : आपने नहीं देखा होगा परन्तु तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर तथा केरल के अलावा यह देश के सभी भागों में राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है ये उनकी योजनाएं पृथक है। परन्तु अधिकतर राज्य में कार्यक्रम स्वीकार कर लिये गये हैं और बहुत सी योजनाओं में सरकार सौ प्रतिशत धनराशि मुहैया करती है अतः यह योजना ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में लागू है।

श्रीमती किशोरी सिन्हा : मैं माननीय मंत्री जी का धन्यबाद करना चाहूंगी कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना का विस्तार किया जायेगा। परन्तु साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि क्या उन्होंने इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाली महिलाओं की प्रतिशतता ज्ञात करने की कोशिश की है। इस तरह की महिला कार्यकर्ताओं की संख्या जानने के लिये क्या कोई जनगणना की गई है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, जिन महिलाओं को लाभ मिला है उनकी संख्या बताना मेरे लिये बहुत ही कठिन है। मैं देश में इस समय विद्यमान केन्द्रों की संख्या दे सकता हूं। मैं इस पर हुए खर्च निर्धारित लक्ष्य तथा इसकी उपलब्धियों के बारे में आंकड़े दे सकता हूं। वर्ष 1981-82 में रोगप्रति

रक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य 79.6 लाख का और 71.1 लाख का लक्ष्य प्राप्त किया था। प्रतिशतवार उपलब्धि 39.5 थी। 1982-83 में उपलब्धि 76.4 लाख यानि कि 84.9 प्रतिशत; वर्ष 1983-84 में 81.9 लाख यानि कि 71.3 प्रतिशत और 1984-85 में 41.3 लाख यानि कि 13.7 प्रतिशत थी।

श्रीमती किशोरी सिन्हा : मंत्री जी ने मेरी बात का संतोषजनक जवाब नहीं दिया है।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभावती गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं क्या वे धरातल पर हैं। महिलाओं के बारे में बतलाया जाता है :—

"नारी देह शिखा है जो नवदेहों के नवदीप संजोती"।

क्या सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुंच रही हैं ? हमको इन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत सुदूर ग्रामीण अंचलों में कोई भी फीमेल वर्कर नजर नहीं आती और न ही कोई काम करती हैं। मंत्री महोदय एक्चुअल फिगर बताने का कष्ट करें कि पूरे राष्ट्र में कितनी महिलाएं इन योजनाओं से लाभान्वित हुई हैं और कितनी राशि आवंटित है इस योजना के लिए और कितनी बढोतरी आगे करेंगे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न एक्सपेक्टेंट मदर्स एण्ड नर्सिंग मदर्स के बारे में था। जो हैल्प इम्फ्रास्ट्रक्चर हैं और जो डिफरेंट स्कीम्स है, उनके डिफरेंट आंकड़े दिए गए हैं। एंटी टिटनेस इन्जेक्शन के आंकड़े हैं, एनिमिया से प्रभावित महिलाओं के आंकड़े हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी के आंकड़े हैं, ये सब मकवाना जी ने सही बताए हैं।

[अनुवाद]

टिटनेस से बचाव के लिए गर्भवती महिलाओं को टिटेनस टाक्साइड के टीके लगाए जाते हैं। यह टीके प्रसवोत्तर केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों में लगाए जाते हैं और जब महिला स्वास्थ्यकर्ता गांवों में जाती हैं तो वे भी यह टीके लगाती हैं।

गर्भवती महिलाओं तथा दूध पिलाने वाली माताओं में पोषक आहार की कमी के कारण होने वाली रक्त क्षीणता को रोकने के लिए एक प्रोफिलेक्सिस योजना है। इस योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाओं में आयरन और फोलिक ऐसिड की गोलियां बांटी जाती है।

अब मैं वर्षवार आंकड़ों को तथा उपलब्धियों को लेता हूं। 1981-82 में लक्ष्य 11.88 था और गर्भवती महिलाओं तथा दूध पिलाने वाली माताओं की कुल संख्या जिन्हें इस योजना से लाभ हुआ क्रमशः 12.04 तथा 6.38 थी। यह लक्ष्य की प्राप्ति 101 प्रतिशत थी। 1982-83 में लक्ष्य की प्राप्ति 103 प्रतिशत थी।

इस प्रकार विभिन्न योजनाओं के संबंध में लक्ष्यों और उपलब्धियों के भिन्न-भिन्न आंकड़े हैं।

[हिन्दी]

इस तरह से इम्फ्रास्ट्रक्चर बताया गया है उसमें ए०एन०एम० हर विलेज में जाते हैं और एक्सपेक्टेंट मदर्स को देखते हैं। आपको मालूम है कि फीमेल एजूकेशन की हमारे यहां कमी है, उसकी वजह से परेशानियां होती हैं। इन्फेंट मार्टेलिटी, एक्सपेक्टेंट मदर्स या एम०सी०एच० के प्रोग्राम्स हैं, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं।

उनको हम अलग-अलग नहीं देख सकते। इसी तरह से जो हमारे प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स हैं, उनमें भी डाक्टर्स जाते हैं। यह बात दुरूस्त है कि स्टेट गवर्नमेन्ट के द्वारा यह काम होता है। बहुत सी जगहों पर लेडी डाक्टर्स और डाक्टर्स नहीं जाते, यह सबसे बड़ी परेशानी है। उसके लिए हम नयी स्कीम लाए हैं। रूरल एरियाज में जो डाक्टर्स जा रहे हैं, उनके लिए फाइनेंस कमीशन ने रूरल अलाउंस

दो सौ पचास रुपए और एक सौ पचास रुपए रेज डेन्शियल क्वार्टर्स के लिए मंजूर किए हैं। जहां पहले कुछ नहीं मिलता था वहां पर डाक्टर्स को चार सौ रुपए दिए जाने की योजना है जो कि रूरल एरियाज में काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि डाक्टर्स वहां पर जाएं। यह बात दुरूस्त है कि डाक्टर्स के न जाने से और वहां के फक्शनरीज के काम न करने से लोगों को दिक्कत होती है। यह सारा इन्फास्ट्रक्चर रूरल हैल्थ के लिए है जिससे कि जहां पर लोगों को जरूरत है, उनक. मदद की जा सके।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा. वी. राजेश्वरन : अध्यक्ष महोदय, एक डाक्टर होने के नाते मुझे यह मालूम है कि गांवों में बड़ी संख्या में लोग खून क. कमी के शिकार हैं अतः मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उनक. कोई ऐसी योजना है जिस के अंतर्गत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों क. गर्भवती महिलाओं को 'आयरन फार्टीफाइड साल्ट' दिया जाएगा जिस प्रकार हमारी तमिलनाडु सरकार स्कूली बच्चों को दांत साफ करने का मंजन दे रही है। मेरा स्वास्थ्य मंत्रालय से विनम्र सुझाव है कि वह शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को 'आयरन फोर्टीफाइड साल्ट' निशुल्क दें।

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य के सुझाव को हमने नोट कर लिया है।

श्रीमती मोहसिना किदवई : हम दूध पिलाने वाली माताओं को आयरन फोलिक ऐसिड की गोलियां दे रहे है। रक्त की कमी को दूर करने के लिए आयरन और फोलिक ऐसिड की गोलियां दी जाती है। एक कृत बाल विकास योजना के अंतर्गत पूरक पोषाहार की भी व्यवस्था है।

राष्ट्रीय पुस्तक नीति

*81. **श्री चित्त महाटा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय पुस्तक नीति बनाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) (क) जी, हां।

(ख) इस मामले को राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद को भेज दिया गया है, जिसका सरकार द्वारा सितम्बर, 1983 में भारतीय पुस्तक उद्योग के विकास के लिए पुर्नगठन किया गया था। भारत सरकार के संकल्प के अनुसार परिषद का एक कार्य, एक राष्ट्रीय पुस्तक नीति तैयार करना है। परिषद ने, 17 दिसम्बर, 1984 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ इस विषय पर विस्तार से विचार किया और यह सिफारिश की कि विषय के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने और परिषद के विचारार्थ एक राष्ट्रीय पुस्तक नीति का सुझाव देने के लिए परिषद को अध्यक्ष पुस्तक के क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों का एक कार्य दल गठित कर सकते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चित्त महाटा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने उत्तर में कहा है कि सरकार द्वारा सितम्बर 1983 में राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद का पुनर्गठन किया गया था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इस परिषद् का पुनर्गठन क्यों किया गया। क्या पहला निकाय भारतीय उद्योग के विकास के संबंध में सिफारिशें देने में सक्षम नहीं था यदि नहीं था तो इस निकाय के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई।

दूसरे मंत्री महोदय ने उत्तर में यह भी कहा है सरकार ने विषय के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने और राष्ट्रीय पुस्तक नीति का सुझाव देने के लिए पुस्तक क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों का एक कार्य-दल गठित किया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस दल की सिफारिशें क्या हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने कहा है कि सरकार द्वारा परिषद का पुनर्गठन किया गया। इसका एक यह कारण था कि पहले इस संबंध में एक बोर्ड था जिसने 1967 से लेकर 1974 तक काम किया और 1974 में यह बोर्ड समाप्त कर दिया गया लेकिन बाद में फिर इसकी जरूरत महसूस की गई और इसलिए इसका पुनर्गठन किया गया और इसका नाम 'बोर्ड' से बदलकर 'परिषद' रख दिया। इसलिए मैंने कहा कि सरकार द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया।

जहां तक कार्यदल का संबंध है सरकार द्वारा निर्णय ले लिया गया है और अध्यक्ष द्वारा कार्यदल का गठन किया जाना है।

श्री चित्त महाटा : क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के नाम भी कार्यदल में सम्मिलित किए गए हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस परिषद में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष के अतिरिक्त कई अन्य लोग पदेन अधिकारी की हैसियत में भी हैं। इसमें पुस्तक उद्योग के, प्रकाशकों, पुस्तक विक्रेताओं, लेखकों, बाल साहित्य विशेषज्ञों, सम्पादकों और विश्वविद्यालय प्रकाशकों के प्रतिनिधि सम्मिलित है। साथ ही कुछ सहयोजित सदस्य भी हैं। उनके नाम मेरे सामने हैं इसमें किसी कुलपति का नाम नहीं है। जो भी हो उपकुलपति तो उपकुलपति होते हैं और मै नहीं कह सकता कि वह विभिन्न विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतियों को सम्मिलित करने के लिए सहमत होंगे या नहीं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद की आधारभूत नीति शायद सभी सम्बद्ध विषयों पर महत्वपूर्ण पुस्तकों को यथासम्भव कम मूल्य पर प्रकाशित करना है। क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि टैगोर की 'गीतांजलि' पिछले पांच वर्षों से देश के बाजारों में, किसी भी दुकान पर उपलब्ध नहीं है यहां तक कि इंगलैंड में भी उपलब्ध नहीं है।

क्या यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जायेंगे कि टैगोर की गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रति बाजार में उपलब्ध हो ?

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि चार वर्ष बाद हम लोग जवाहरलाल नेहरू की सौवीं जन्म तिथि मनाने वाले हैं। क्या माननीय मंत्री जी यह बात पर विशेष ध्यान देंगे कि जवाहरलाल नेहरू के कार्यों से संबंधित शताब्दी खण्ड सस्ते से सस्ते मूल्य पर बाजार में उपलब्ध हो और प्रकाशन का कार्य अभी से आरम्भ कर दिया जाए जिससे कि वह बाजार में समय पर उपलब्ध हो सकें।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैंने माननीय सदस्य के दोनों सुझाव नोट कर लिए हैं।

श्री पीयूष तिरकी : केन्द्रीय विद्यालय मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं दूसरे लोगों के बच्चों को उनमें प्रवेश नहीं मिलता है। इस समय हमारे देश की मिली जुली आबादी है और भिन्न क्षेत्रों के भिन्न-भिन्न भाषा बोलने वाले लोग यत्र-तत्र सर्वत्र रह रहे हैं। यह बहुत अच्छी प्रकृति है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के सुझाव के अनुरूप केन्द्रीय विद्यालयों में अन्य लोगों के बच्चों को भी प्रवेश मिल सकेगा और क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की जाएगी कि दूरस्थ क्षेत्रों में, विशेषकर जनजाति-क्षेत्रों में अधिक से अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोले जायें ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : महोदय, यदि आप अनुपूरक प्रश्न की अनुमति दे रहे हैं; तो मैं उत्तर भी दूंगा। वस्तुतः यह प्रश्न पिछले प्रश्न से सम्बद्ध है। किन्तु यदि आप पूछते हैं तो मैं उत्तर दूंगा। एक पहले प्रश्न के उत्तर में मैं कह चुका हूं कि कुछ मुख्य मंत्रियों ने राज्यों में केन्द्रीय स्कूलों की भूमिका

को और अधिक व्यापक बनाने का सुझाव दिया है । इसलिए, मेरे माननीय मित्र के इस सुझाव पर, इस संदर्भ में विचार किया जा सकता है ।

आप्ता-रोहा रेल लाइन का विस्तार

*82. **प्रो. मधु दंडवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र, गोआ और कर्नाटक के पश्चिमी तट को जोड़ने तथा केरल और तमिल नाडु के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से इस मार्ग पर आप्ता से रोहा के बीच पहले से ही निर्मित 61 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन का, सम्पूर्ण पश्चिमी तट रेल परियोजना को पूरा करने के लिए तेजी से विस्तार किया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक आरम्भ किया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) इस प्रस्तावित लाइन की लम्बाई और लागत को देखते हुए इसका निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में शुरू करना होगा । आप्ता-रोहा (61 कि. मी.) नयी बड़ी लाइन का निर्माण-कार्य पहले से ही अनुमोदित है । आप्ता- पेन खण्ड (20 कि. मी.) यातायात के लिए पहले ही खोला जा चुका है । पेन-नागोथाणे खंड (27 कि. मी.) मार्च, 1985 तक पूरा हो जाने की आशा है ।

मंगलूर से मडगांव तक (325 कि.मी.) इंजीनियरी-एवं-यातायात सवक्षण पहले से ही चल रहा है। इसमें मंगलूर-उदपा खंड (50 कि.मी.) को प्राथमिकता दी जा रही है ।

प्रस्तावित लाइन के अन्य खंडों पर निर्माण-कार्य शुरू करने के प्रश्न पर यथोचित विचार किया जाएगा जो संसाधनों की सुलभता तथा योजना आयोग की स्वीकृति पर निर्भर करेगा ।

प्रो. मधु दंडवते : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनको इस बात की जानकारी है कि सरकार द्वारा नियुक्त की गई राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने यह सिफारिश की थी कि नई लाइनों का निर्माण करते समय विभिन्न प्रकार के परिवहन साधनों के बारे में, वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में नहीं अपितु एक दूसरे के प्रतिपूरक रूप में, ध्यान रखा जाना चाहिए जिससे कि आपात-काल और युद्ध जैसी विषम परिस्थितियों में, रक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और यदि एक प्रकार का परिवहन साधन नष्ट भी हो जाए तो भी अन्य साधन कार्य करते रहें और उन साधनों का उपयोग मुख्य रूप से देश के प्रमुख मार्गों पर किया जाना चाहिए ?

इस पृष्ठभूमि के आधार पर क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर ध्यान देंगे कि सम्पूर्ण पश्चिमी तटवर्तीय रेलवे जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को जोड़ती है तथा जो तमिल नाडु और केरल को सीधा जोड़ती है, शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए । यदि उसे शीघ्र पूरा किया जाता है, तो उसके लिए अपेक्षित वित्तीय साधन उपलब्ध करने होंगे ।

इसलिए, क्या माननीय मंत्री इस विशेष मार्ग को प्राथमिकता दिए जाने के बारे में योजना आयोग पर दबाव डालेंगे जिससे यह मार्ग यथासंभव कम से कम समय में पूरा किया जाए ?

श्री बंसी लाल : मैं प्रो. मधु दंडवते के विचार से पूर्णतः सहमत हूं । किन्तु आप्ता से मंगलूर तक की लाइन की दूरी 910 किलोमीटर है और रोहा से मंगलूर तक लाइन बिछाने की लागत लगभग 700 करोड़ रुपए होगी । इस लाइन के बारे में स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी, सिद्धांत रूप से सहमत थी और उस समय इसे आरम्भ कर दिया गया था और अब हम उसे पूरा करने की चेष्टा करेंगे ।

प्रो. मधु दंडवते : ऐसी स्थिति में, इस लाइन का निर्माण करना, श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रति सर्वोत्तम श्रद्धांजलि होगी। कृपया इसे यथाशीघ्र पूरा कीजिए ।

श्री बंसी लाल : इस लाइन के लिए और अधिक धन देने के लिए हम लोग योजना आयोग पर दबाव डालेंगे ।

प्रो. मधु दण्डवते : प्रश्न के अंतिम भाग के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मंगलूर से मडगांव तक (325 कि० मी०) इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण पहले से ही चल रहा है । इसमें मंगलूर-उडीपी खंड (50 कि० मी०) को प्राथमिकता दी जा रही है "।

क्या यह सच है कि सम्पूर्ण पश्चिमी तटवर्ती रेलवे लाइन आप्ता से लेकर मंगलूर तक का सामान्य सर्वेक्षण पूरा हो गया है ?

श्री बंसी लाल : वह पूरा हो गया है ।

प्रो० मधु दण्डवते : सामान्य सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ही आप्ता से रोहा तक एक सैक्शन बनाने की अनुमति दी गई थी ।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण करने के बजाय, आप काम को सीधे ही पूरा क्यों नहीं करते हैं ? इस प्रसिद्ध कहावत पर कृपया ध्यान दीजिए :—

"जहां चाह है, वहां रेलवे है,
जहां चाह नहीं, वहां केवल सर्वेक्षण है ।"

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : क्या प्रोफेसर साहब आपना अनुभव बता रहे हैं ?

श्री बंसी लाल : मैंने इसको नोट कर लिया है । इसे मंजूर कर दिया गया था ।

प्रो० मधु दण्डवते : हमारे माननीय रेल मंत्री अपने पैनेपन और गतिशीलता के लिए प्रसिद्ध हैं । वह अफसरशाही औपचारिकताओं में नहीं पड़ते । उनके बारे में हमारा यही अनुभव है । यह कोरी बधाई नहीं है । यह सच्ची बात है ।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस तथ्य को ध्यान में रखें कि न केवल तीन संबंधित राज्यों ने बल्कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र सभी राज्यों तथा उनकी सरकारों ने इस पश्चिमी तटवर्ती रेलवे को पूरा करने के बारे में निर्विरोध सिफारिश की थी । क्या माननीय मंत्री जी इन सभी सरकारों में से प्रत्येक की सिफारिश को समुचित अधिमान देंगे ? इस सभा के सभी दलों के सदस्यों ने श्रीमती इंदिरा गांधी से बार-बार इस बात की वकालत की थी कि इस काम को प्राथमिकता दी जाए ।

क्या मंत्री जी इस बात पर ध्यान देंगे और इस कार्य को पूरा करेंगे ?

श्री बंसी लाल : हम इस पर ध्यान देंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

जखापुरा–बांसपानी रेल लाइन

*83 **श्रीमती अपंती पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी योजना में, उड़ीसा में जखापुरा-बांसपानी रेल लाइन के दूसरे और तीसरे चरणों का निर्माण कार्य हाथ में लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त रेल सम्पर्क के दूसरे और तीसरे चरण का निर्माण कार्य कब तक शुरु किए जाने की आशा है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जखापुरा-बांसपानी रेल सम्पर्क के दूसरे चरण, अर्थात् दैतारी और क्योंझरगढ़ के बीच लाइन का निर्माण करने के लिए यातायात एवं अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का काम चल रहा है। परियोजना का निष्पादन सर्वेक्षण के परिणामों पर निर्भर करेगा, बशर्ते कि इसे योजना आयोग की स्वीकृति मिल जाए और संसाधन उपलब्ध हों। इस परियोजना के दूसरे चरण के बारे में निर्णय ले लिए जाने के पश्चात् ही इसके तीसरे चरण के बारे में विचार किया जाएगा ।

[हिन्दी]

सातवीं योजना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोलने के लिए मानदंडों में छूट देने का प्रस्ताव

*84. **श्री हरीश रावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोलने के लिए निर्धारित वर्तमान मानदण्डों में छूट देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक लोगों को भौगोलिक कारणों से कम स्वास्थ्य केन्द्र होने के कारण अभी भी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों को खोलने के मानदण्डों में पहले ही छूट दे दी गई है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य परिचर्या भी करते हैं । वैसे, मानदण्डों में दी गई छूट के आधार पर अभी अपेक्षित संख्या में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले गये हैं । मानदण्डों में दी गई छूट के आधार पर सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने का प्रस्ताव है । इससे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिलने लगेंगी ।

[अनुवाद]

पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों की छंटनी

*85. **श्री सैफुदीन चौधरी** :

श्री नारायण चौबे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलों में, विशेषकर पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलवे में, नैमित्तिक श्रमिकों की छंटनी की जा रही है;

(ख) उनकी नियुक्ति के संबंध में क्या नीति और प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(ग) कितने नैमित्तिक श्रमिकों की छंटनी की गई है और उनकी मुसीबतों को किस प्रकार दूर करने का सरकार का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) तथा (ग) रेलवे पर नैमित्तिक श्रमिकों को मौसमी नैमित्तिक अथवा आवर्तक किस्म के कामों के लिए तथा रेल परियोजनाओं के निष्पादन के लिए भी रखा जाता है । उनको समय-समय पर उद्भूत काम की अपेक्षाओं के अनुसार काम पर लगाया और हटाया जाता है । इस प्रकार काम होने पर ऐसे श्रमिकों को रखना तथा काम न होने पर उनकी छंटनी करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है ।

पूर्व रेलवे के माल्दा मण्डल में वर्ष 1984 की अंतिम तिमाही में कुछ निर्माण कार्यों के लिए 392 नैमित्तिक श्रमिकों को काम पर लगाया गया था । काम की आवश्यकता की समीक्षा करने पर जनवरी, 1985 के प्रथम सप्ताह में उन्हें हटा दिया गया था । इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को देखते हुए तथा कार्य मौसम में काम की गति को बढाने के लिए पूर्व रेलवे को नैमित्तिक श्रमिक को पुनः काम पर लगाने के अनुदेश दिये गये थे । रेलवे ने तदनुसार कार्रवाई की है । इसके अतिरिक्त, वर्ष 1984 की अंतिम तिमाही के दौरान माल्दा क्षेत्र में कुछ निर्माण कार्यों के लिए पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर लगभग 140 नैमित्तिक श्रमिकों को भर्ती किया गया था । उन्हें जनवरी 1985 के प्रथम सप्ताह में हटा दिया गया था । इस मामले में भी कार्य मौसम होने तथा इस क्षेत्र व इसके आस-पास के क्षेत्र में तात्कालिक कार्यों को तेज करने की आवश्यकता को देखते हुए पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने उन्हें काम पर वापस ले लिया है ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे पर निकट भूतकाल में ऐसी कोई भारी छंटनी नहीं की गयी है ।

(ख) जैसा कि ऊपर बताया गया है, नैमित्तिक श्रमिकों को नैमित्तिक, आवर्तक अथवा मौसमी किस्म के कार्यों के लिए तथा रेल परियोजनाओं के निष्पादन के लिए भी रखा जाता है । सामान्यतः ऐसे श्रमिकों को स्थानीय तौर पर ही भर्ती किया जाता है, परन्तु परिस्थिति अनुसार ऐसे श्रमिकों को बाहर से भी भर्ती किया जाता है । रेल मंत्रालय ने नैमित्तिक श्रमिकों की भर्ती, रोजगार की शर्तें, छंटनी तथा नियमित नियोजन में उनको समाहित करने के संबंध में विस्तृत अनुदेश जारी किये हैं ।

नौकरियों के लिए डिग्रियों की अनिवार्यता का समाप्त किया जाना

*86. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौकरियों के लिए डिग्रियों की अनिवार्यता को समाप्त करने का है, यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) क्या इस प्रस्ताव में उच्च अध्ययनों के लिए चयन के आधार पर प्रवेश भी शामिल है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) उच्च शिक्षा में, विस्तार के लिए दबाव को कम करने और उत्कृष्टता को प्रोन्नत करने की दृष्टि से नौकरियों में भर्ती के लिए डिग्रियों की अनिवार्यता को समाप्त करने की संभावना और उच्च अध्ययनों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाएं आरम्भ करने की जांच की जा रही है । इन उपायों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

अनौपचारिक और प्राथमिक शिक्षा

*87. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा के बीच में ही छात्रों द्वारा स्कूल छोड़ने की समस्या के कारण विभिन्न राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा के प्रसार और प्राथमिक स्तर की शिक्षा का आरम्भ करने में कठिनाई पैदा हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) स्कूल छोड़ने वालों की उच्च दरें अनेक राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार में बाधक हैं । स्कूल छोड़ने वालों और गैर-दाखिल बच्चों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा को औपचारिक शिक्षा का एक वैकल्पिक सहायक पद्धति के रूप में विकसित किया जा रहा है ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

1. छठ पंचवर्षीय] योजना के अन्तर्गत "शिक्षा" में "प्रारंभिक शिक्षा" को उच्च प्राथमिकता दी गई है । इसे योजना के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल किया गया है । इसे सरकार के नए बीस-सूत्री कार्यक्रम में भी शामिल किया गया है । छठ पंचवर्षीय योजना के नीति ढांचे के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण 1990 तक प्राप्त करने का प्रस्ताव है ।

2. स्कूल शिक्षा, विशेषकर प्रारंभिक शिक्षा मूल रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है और अधिकतर इसकी व्यवस्था भी राज्यों द्वारा ही की जाती है । वर्ष 1979-80 के आंकड़ों से पता चलता है कि प्राथमिक स्तर के अन्त तक 59.8% बच्चे और मिडिल स्तर के अन्त तक 76.6% बच्चे स्कूल पद्धति को बीच में ही छोड़ देते हैं । स्कूल शिक्षा बीच में ही छोड़ने वालों की इतनी बड़ी दरों से व्यापक प्रारंभिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत से राज्यों में गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है । प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के संदर्भ में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने वालों की संख्या कम करने के लिये राज्यों को दिए गए सुझावों में ग्रेड रहित स्कूल पद्धति को लागू करना और जब तक बच्चे 8वीं कक्षा पूरी नहीं करते निरंतर मूल्यांकन पद्धति के साथ किसी को न रोकने की नीति और नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये समुदाय का समर्थन जुटाना शामिल है । वंचित वर्गों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के बच्चों के लिये राज्य भी प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाते हैं । ऐसे संदर्भ-उन्मुख शिक्षा प्रदान करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, जो देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में रह रहे बच्चों की आवश्यकताओं, जीवन-स्थितियों और वातावरणों के अनुरूप हों । आशा है कि इससे बच्चों की शिक्षा में रुचि पैदा होगी ।

3. जिन बच्चों ने स्कूल शिक्षा शुरु नहीं की है और जिन्होंने स्कूल शिक्षा बीच में ही छोड़ दी है, इन दोनों प्रकार के स्कूल बाह्य बच्चों को शामिल करने के लिए एक मुख्य नीति के तौर पर गैर-औपचारिक अंशकालिक शिक्षा पद्धति को बड़े पैमाने पर विकसित किया जा रहा है । प्रारंभिक आयु वर्ग के बच्चों के लिये गैर-औपचारिक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन के लिये 50 : 50 हिस्से के आधार पर शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को विशेष सहायता देता है। इस योजना को 1983-84 से उदार बना दिया गया है, जिसके अन्तर्गत इन राज्यों को केवल लड़कियों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए 90:10 हिस्से के आधार पर सहायता दी जाती है । शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों को गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों को चलाने के लिए शत-प्रतिशत आधार पर सहायता दी जाती है । गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पठन पाठन सामग्री के निर्माण के लिए, अधिकांश राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को कागज के रूप में वस्तु-सहायता दी गई है । प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के सन्दर्भ में, आशा है, गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सातवीं पंचवर्षीय योजना में, जो अभी तैयार की जा रही है, एक बड़ी भूमिका निभाएगा ।

अवर स्नातक विज्ञान छात्रों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेष छात्रवृत्तियां

*88. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :**

श्री चिन्तामणि जेना : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अवर स्नातक स्तर पर विज्ञान के विशेष रूप से प्रतिभाशाली छात्रों को 2000 रु. प्रतिमास की 1000 विशेष छात्रवृत्तियां देने की योजना का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विज्ञान शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने को प्रोत्साहन देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की क्या अन्य योजनाएं है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विज्ञान के विषयों में अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में छात्रों के लिए प्रति मास 200 रु. (दो सौ रुपये) की 100 छात्रवृत्तियों की योजना प्रारम्भ की है ।

(ख) और (ग) छात्रवृत्तियां उन छात्रों को दी जाती हैं जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् (रा. शै. अनु. प्र. परि.) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं । इन छात्रवृत्तियों के लिए केवल वे ही छात्र पात्र होते हैं जो शारीरिक विज्ञान, जैव-विज्ञान, भूमि विज्ञान अथवा गृह विज्ञान में अवर स्नातक पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं ।

कलकत्ता में मेट्रो और परिक्रमा रेल सेवा

*89. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में मेट्रो और परिक्रमा रेल के निर्माण संबंधी नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) उपर्युक्त परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार उक्त परियोजनाओं को द्रुत गति से पूरा करने हेतु पर्याप्त धनराशि मंजूर करने का विचार रखती है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) मेट्रो रेलवे के दो आंशिक खंड एक ऐस्प्लेनेड से भवानीपुर तक जिसकी लम्बाई 3.5 कि.मी. है तथा दूसरा दम-दम से बेलगछिया तक जिसकी लम्बाई 2.2 कि.मी. है, इकहरी लाइन खंड के रूप में वाणिज्यिक सेवाओं के लिए खोल दिये गये हैं । जहां तक सर्कुलर रेलवे का सम्बन्ध है, प्रिंसेप घाट से डल्टा डांगा तक के संरेखण के 10 कि.मी. लम्बे मार्ग को इकहरी लाइन के रूप में वाणिज्यिक सेवाओं के लिए खोल दिया गया है जिस पर डीजल इंजनों द्वारा गाड़ियां चलायी जाती हैं ।

(ख) दोनों परियोजनाओं पर कार्य की प्रगति अनुसूची के अनुसार हो रही है ।

(ग) योजना आयोग द्वारा धन का आबंटन किया जाता है जो सरकारी संसाधनों पर निर्भर करता है जिसका मूल्यांकन वर्षानुवर्ष किया जाता है ।

गुजरात में नमक के परिवहन के लिये वैगनों का आबंटन

*90. **श्री नवीन रावणी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में नमक का उत्पादन करने वाले विभिन्न केन्द्रों से, देश में विभिन्न स्थानों को नमक भिजवाने के लिये, वैगनों की सप्लाई बहुत ही अपर्याप्त तथा अनियमित

होने के कारण नमक उत्पादकों की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई है और इसके कारण इन जगहों पर भारी मात्रा में नमक जमा हो गया है;

(ख) सौराष्ट्र क्षेत्र में नमक निर्माताओं की वैगनों की मासिक आवश्यकता कितनी है;

(ग) उन्हें प्रतिमास कितने वैगन सप्लाई किये जाते हैं; और

(घ) गुजरात के नमक वाले क्षेत्रों से नमक स्थानान्तरित करने हेतु अधिक वैगन आबंटित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं । 1984 में सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों से नमक की सप्लाई/लदान पिछले दो वर्षों की तुलना में उच्च स्तर पर बनाये रखा गया, जैसा कि नीचे दिये आँकड़ों में दिखाया गया है :—

विवरण

वर्ष	लदान (चौपहिया माल डिब्बों के हिसाब से)		
	बड़ी लाइन	मीटर लाइन	कुल
1982	43918	33083	77001
1983	45614	29044	74658
1984	46353	31416	77769

(ख) और (ग) : बड़ी लाइन तथा मीटर लाइन दोनों प्रणालियों पर प्रस्तुत किये गये माँगपत्रों के अनुसार माल डिब्बों की औसतन मासिक माँग 5331 माल डिब्बे है, जबकि वास्तविक लदान 4471 माल डिब्बों का रहा । माल डिब्बों की आवश्यकताओं में जनवरी से अप्रैल तथा अक्तूबर से दिसम्बर तक के अधिकतम लदान वाले महीनों के दौरान के अनिश्चित माँग पत्रों का तत्व भी सम्मिलित है जबकि माल डिब्बों की प्रतियोगी माँग बनी रहती हैं । यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जायेगा कि अकेले सौराष्ट्र क्षेत्र में 3609 माल डिब्बों के माँग-पत्र उस समय रद्द कर दिये गये थे जब मई से सितम्बर, 1984 के मंदी के महीनों के दौरान माल डिब्बे सप्लाई करना आसान था ।

(घ) इस क्षेत्र से नमक के लदान में और सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं।

(1) रेल लदान तथा इसके बदले में माल डिब्बों की उपलब्धता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रियायती गाड़ी लदान माल भाड़ा दरें उद्धृत करना ।

(2) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, उत्तर बिहार, चितपुर आदि जैसे विशेष कठिन क्षेत्रों में प्रेषण बनाए रखने के लिए वाणिज्य एवं नमक आयुक्त के साथ निकट सम्पर्क बनाए रख कर नमक के लदान को निरन्तर मानिटरिंग करना ।

[हिन्दी]

स्वतन्त्रता सेनानियों को रेल पास जारी किया जाना

*91. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्रियाविधि को अंतिम रूप देने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को कार्ड पास जारी करना बंद कर दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो स्वतंत्रता सेनानियों को कब से पुनः कार्ड पास जारी करने का सरकार का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हाँ।

(ख) इस मामले की अभी गृह मंत्रालय द्वारा जाँच की जा रही है।

[अनुवाद]

भारत में बच्चों के लिए अपर्याप्त पोषाहार, स्वास्थ्य रक्षा और सीखने के अवसरों के संबंध में "यूनिसेफ" की रिपोर्ट

*92. **श्री बो. बो. देसाई** : क्या **समाज और महिला कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण शीर्षक संबंधी "यूनिसेफ" की रिपोर्ट के अनुसार देश में 27 करोड़ बच्चों में से आधे से कम को आवश्यक न्यूनतम पोषाहार, स्वास्थ्य रक्षा और सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत सरकार ने "यूनिसेफ" द्वारा दी गई उक्त रिपोर्ट की समीक्षा की है; और

(ग) क्या देश में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) कई कार्यक्रम शुरू किये गये हैं : गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं और छः वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य, पोषाहार और शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना, प्रतिरक्षण और रक्त की कमी को पोषाहार से दूर करने और विटामिन-ए की कमी के कारण अन्धेपन को दूर करने संबंधी रोग निरोधन जैसी मात्रिक एवं बाल स्वास्थ्य योजनाएं और प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने की योजनाएं।

कीटनाशकों, डी. डी. टी. और अन्य दवाइयों के अंधाधुंध प्रयोग तथा छिड़काव पर प्रतिबन्ध

*93. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश ने विभिन्न बाजारों से एकत्र किए गए नमूनों के विश्लेषण के बाद यह कहा है कि विभिन्न भारतीय बाजारों में उपलब्ध मछली, माँस, अण्डों में कीटनाशक और अन्य जहरीली दवाइयों के सुरक्षित सीमा से अधिक अंश होते हैं; जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और जन समुदाय के लिए घातक हैं ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल ही में हुई विज्ञान कांग्रेस ने कीटनाशकों, डी. डी. टी. और इस प्रकार की अन्य दवाइयों के अन्धाधुन्ध प्रयोग और छिड़काव पर प्रतिबन्ध लगाने की माँग की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) इस संस्थान ने बतलाया है कि कीटनाशी अंशों अथवा अन्य जहरीली दवाओं का पता लगाने के लिए इस संस्थान ने बाजार से मछली, गोश्त और अण्डों के नमूने एकत्र नहीं किये और न ही उनका विश्लेषण किया है । उस सस्थान ने ऐसा भी कुछ नहीं बतलाया है कि इन पदार्थों में ये अंश सुरक्षित सीमा से अधिक होते हैं ।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उपलब्ध की गयी सूचना के अनुसार भारतीय विज्ञान कांग्रेस की हाल ही में लखनऊ में हुई बैठक की सिफारिशों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आमवात (रूमेटिक) विभाग खोलना

*94. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक संसद् सदस्यों ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में एक आमवात विभाग खोलने के लिए स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) अनेक संसद् सदस्यों ने भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री को एक ज्ञापन दिया था जिसमें उन्होंने रोग लाक्षणिक प्रतिरक्षण और दैहिक आमवात रोगों का एक सम्पूर्ण विभाग खोलने का अनुरोध किया था ।

(ख) यह मामला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को भेजा गया है और वह संस्थान इसकी जाँच कर रहा है ।

हिमाचल प्रदेश में नांगल-तलवाड़ा रेल लाइन

*95. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश में नाँगल-तलवाड़ा रेल लाइन के निर्माण के संबंध में क्या प्रगति हुई है और हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में मेहतपुर तक रेल मार्ग बढ़ाने का कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित तिथि क्या है;

(ख) पिछली निर्धारित तिथि (30 जून, 1984) को आगे बढ़ाने के क्या कारण हैं और निर्धारित तिथि और आगे न बढ़ायी जाय इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या (एक) ऊना जिला मुख्यालय और (दो) अम्ब तक इस बड़ी रेल लाइन के निर्माण के लिए कोई निर्धारित तारीख निश्चित की गयी है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्धारित समय पर निर्माण-कार्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या ऊना और अम्ब तक उक्त रेल लाइन के निर्माण के लिए कोई तारीख निर्धारित की जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) नाँगल डैम - अम्ब अन्दौरा खंड पर निर्माण की समग्र प्रगति 8.90 प्रतिशत है । राय मेहतपुर खंड के कार्य पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है जिसके मार्च, 1985 तक पूरा हो जाने की आशा है ।

(ख) पंजाब में अशान्त परिस्थितियों तथा एक भूखण्ड को प्राप्त होने में विलम्ब के कारण जून 1984 के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य पूरा नहीं किया जा सका । इस कार्य की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और इसके मार्च, 1985 तक पूरा हो जाने की आशा है ।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ऊना और अम्ब तक लाइन पूरी होने की लक्ष्य तिथि राज्य सरकार द्वारा भूमि के हस्तान्तरण तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना में संसाधनों की सुलभता पर निर्भर करेगी।

नवादा-किउल तथा नवादा-गया रेलवे लाइन को दोहरा बनाना

*96. **श्री कुंवर राम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नवादा से किउल तथा नवादा से गया तक दोहरी रेलवे लाइन का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं। लक्खीसराय-नवादा-मानपुर खंड में दोहरी लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) लाइन क्षमता के वर्तमान उपयोग को देखते हुए इस खंड में दोहरी लाइन बिछाना औचित्य-पूर्ण नहीं है।

[अनुवाद]

रेल कर्मचारियों के लिये पास और सुविधा टिकट आदेश

244. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेल कर्मचारियों को कितने पास और सुविधा टिकट आदेश दिए जाते हैं ; और

(ख) अन्य देशों की तुलना में इस सुविधा की क्या स्थिति है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) रेल कर्मचारियों को अनुमेय सुविधा पासों/सुविधा टिकट आदेशों का वर्तमान मानदंड निम्नलिखित है :—

कर्मचारियों की कोटि	प्रतिवर्ष अनुमेय पास/सुविधा टिकट आदेश	
	पास	सुविधा टिकट आदेश
राजपत्रित अधिकारी	6 सैट	6 सैट
अराजपत्रित अधिकारी	(1) 5 वर्ष की सेवा तक—1 सैट	6 सैट
	(2) 5 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद—3 सैट	6 सैट

(ख) कुछ देशों में रेल कर्मचारियों को अनुमेय पास सुविधा टिकट आदेशों का मानदंड संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

देश का नाम	सेवारत रेल कर्मचारियों क. प्रतिवर्ष अनुमेय यात्रा रियायत	
1	2	3
ब्रिटिश रेलवें	पास संख्या	सुविधा टिकट आदेश संख्या दर
अधिकारी और प्रबंध कर्मचारी		
(1) 10 वर्ष या अधिक सेवा	पहले वर्जे में 9 सेट	चौथाई दर पर सु. टि. आ. की असमिति संख्या
(2) 10 वर्ष से कम सेवा	पहले दर्जे में 6 सेट	--उपर्युक्त--
कर्मचारी		
(1) 10 वर्ष या अधिक सेवा	दूसरे दर्जे में 7 सेट	--उपर्युक्त --
(2) 10 वर्ष से कम सेवा	दूसरे दर्जे में 4 सेट	--उपर्युक्त--
		(टिप्पणी : इसमें पत्नी और बच्चे शामिल हैं)
फ्रांस		
सभी रेल कर्मचारी	स्वयं के लिए असं.मित 8 सेट	10 प्रतिशत पर असमित
कर्मचारियों के परिवार	8 सेट	आधी दर पर असमित
जर्मन फेडरल रेलवे		
सभी स्तरों के अधिकारी और कर्मचारी।	स्वयं के लिए 8 सेट और परिवार के लिए 4 सेट ड्यूटी पासों का उपयोग गैर ड्यूटी और परिवार सहित निःशुल्क यात्रा के लिए नहीं किया जा सकता ।	--
पाकिस्तान रेलवे		
सीधी भर्ती वाले श्रेणी-I के अधिकारी	वातानुकूल दर्जे के 6 सेट	वातानुकूल दर्जे के 6 सेट
926 रु. से अधिक वेतन वाले ओहदे से पदोन्नत अधिकारी	--उपर्युक्त--	--उपर्युक्त --
926 रु. से कम वेतन पाने वाले ओहदे से पदोन्नत अधिकारी	पहले दर्जे के 6 सेट	पहले दर्जे के 6 सेट
अराजपत्रित		
एक वर्ष की सेवा तक	--	(टिप्पणी : पाकिस्तान रेलवे पर 480 रुपये से अधिक वेतन वाले 2 सेट अराजपत्रित कर्मचारी पहले दर्जे के 4 सेट पास और शेष दूसरे दर्जे के पास के 6 सेट पात्र हैं)
1 से 10 वर्ष की सेवा	1 सेट	
10 से 25 वर्ष की सेवा	2 सेट	
25 वर्ष से अधिक सेवा	3 सेट	
श्री लंका रेलवे		
सभी वेतनभोगी और पेंशन भोगी कर्मचारी	6 सेट	

रायगडा नगर में रेल फाटक पर ऊपरि पुल

245. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे प्राधिकारियों ने रायगडा नगर (दक्षिण-पूर्व-रेलवे) में रेल फाटक पर ऊपरि पुल के निर्माण का प्रस्तावित लागत में अंशदान के लिए उड़ीसा सरकार को धन-राशि उपलब्ध कराने के अपने विचार की सूचना दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो यह सूचना कब भेजी गई थी ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उड़ीसा सरकार लागत में अंशदान देने के लिए सहमत हो गई है और इस पुल के वर्ष 1984-85 में निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित करने के निर्णय की सूचना दक्षिण-पूर्व रेलवे प्राधिकारियों को भेजी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके मंत्रालय द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क से घ) : दक्षिण-पूर्व रेलवे के 17-12-83 के पत्र सं. ए डब्ल्यू/आर ओ बी/आर जी डी ए द्वारा उड़ीसा राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निष्पादित किये जाने वाले पहुंच मार्गों से सम्बन्धित कार्य के नक्शों को अन्तिम रूप दिया जाये और उनका अनुमान भेज दें । राज्य सरकार से इन ब्यौरों की प्रतीक्षा की जा रही है । इस चरण पर धन की व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

सीरमपुर रेलवे लेवल क्रासिंग पर फ्लाई ओवर

246. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जी. टी. रोड के ऊपर सीरमपुर सेल फाटक पर "फ्लाई ओवर" के निर्माण के संबंध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) यह परियोजना कब पूरी हो जाएगी ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) श्रीरामपुर फ्लाई ओवर पुल में पीलपाया लगाने संबंधी काम चल रहा है । सड़क यातायात को मोड़ने के लिए रेलों द्वारा अस्थायी समपार खोल दिया गया है ।

(ख) फ्लाई ओवर पुल की उप-संरचना संबंधी काम के दिसम्बर, 1985 तक पूरा होने जाने की संभावना है । राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों का कार्य पूरा कर लेने के बाद ही गर्डर लगाने का काम शुरू किया जा सकता है । पहुंच मार्गों पर राज्य सरकार की प्रगति का परियोजना का पूरा होना निर्भर करता है ।

आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, गंगापुर सिटी से ज्ञापन

247. श्री आनन्द पाठक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें चर्चगेट बम्बई में पश्चिम रेलवे के प्रशासन के बारे में आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, गंगापुर सिटी (पश्चिमी रेलवे) से दिनांक 18 दिसम्बर, 1984 का कोई ज्ञापन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां । अखिल भारतीय लोको रनिंग कर्मचारी एसोसिएशन, गंगापुर सिटी (पश्चिम रेलवे) का 18-12-84 का एक ज्ञापन, पश्चिम रेल प्रशासन, बम्बई को प्राप्त हुआ है ।

(ख) इस कथित ज्ञापन में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के चार मामलों में विलम्ब के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है । शिकायत का जांच का गया है । इनमें से दो मामलों में, सम्बन्धित कर्मचारियों की मृत्यु 14 वर्ष पहले हुई थी और नियमों के अधीन अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति काल-बाधित है और इस प्रकार इसमें नियुक्ति के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए नियमों में छूट देना अन्तर्निहित है। तीसरे मामले में, दिसम्बर, 1983 में वर्ग (घ) (चतुर्थ श्रेणी) में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया था क्योंकि उम्मीदवार वर्ग "ग" (तृतीय श्रेणी) के पद में नियुक्ति हेतु अपेक्षित अर्हताएं नहीं रखता था । चौथे मामले में, कर्मचारी की मृत्यु दिसम्बर, 1984 में हुई थी और अनुकम्पा के आधार पर उसकी विधवा की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है ।

यह भी उल्लेखनीय है कि लोको रनिंग कर्मचारी एसोसिएशन एक कोटिवार खंडीय एसोसिएशन है और रेलों पर मान्यता प्राप्त नहीं है । भारतीय रेलों में दो अखिल भारतीय श्रम फेडरेशनों अर्थात् आल इंडिया रेलवेमैन फैडरेशन और नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन को मान्यता दी गयी है। स्थायी वार्ता तंत्र तथा संयुक्त परामर्श तंत्र योजनाओं के अधीन आयोजित आवधिक बैठकों में इन दोनों मान्यता प्राप्त फेडरेशनों/यूनियनों के साथ सभी कोटियों के रेल कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है और उसके निकर्षों के आधार पर कार्रवाई की जाती है।

गुजरात में बाडीनार पत्तन का विकास

248. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान गुजरात में बाडीनार पत्तन का प्राकृतिक बन्दरगाह के रूप में विकास करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किये जाने की संभावना है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जिया उर रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में इलेक्ट्रोनिक गति नियंत्रक लगाना

249. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और इसके आस-पास के क्षेत्रों में दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई दर के बावजूद दिल्ली परिवहन निगम की बसों में अभी तक सामान्य गति नियंत्रक के स्थान पर इलेक्ट्रोनिक गति नियंत्रक नहीं लगाए गए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में कई राज्य परिवहन उपक्रमों को सामान्य नियंत्रकों के स्थान पर इलेक्ट्रोनिक गति नियंत्रकों के उपयोग के विभिन्न प्रकार के लाभ हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली परिवहन निगम की बसों में ऐसे इलेक्ट्रोनिक गति नियंत्रकों का उपयोग करने के लिए इलेक्ट्रोनिक गैजेट्स और उपकरणों का उपयुक्त रूप में तेजी से विकास करने की सरकार की घोषित नीति के अनुरूप क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जिया उर रहमान अन्सारी) : (क) दिल्ली परिवहन निगम ने संघ क्षेत्र में चलने वाली गाड़ियों में पुराने मेकेनिकल गवर्नरों के स्थान पर जो फ्यूल इंजेक्शन पम्प के साथ लगे होते हैं, वर्ष 1983 में प्रयोग के आधार पर 30 इलेक्ट्रानिक स्पीड गवर्नर लगवाये थे।

(ख) कुछ राज्यों से सूचना मिली है कि इलेक्ट्रानिक स्पीड गवर्नर अक्सर काम करना बन्द कर देते हैं व उन्हें ठीक करने के लिए प्रशिक्षित कारीगरों की सेवाएं आवश्यक होती हैं तथा ये प्रशिक्षित कारीगर हमेशा उपलब्ध नहीं होते हैं । अभी सभी राज्यों ने मेकेनिकल गवर्नरों की तुलना में इलेक्ट्रानिक गवर्नरों की उपयोगिता के बारे में पूरी जांच नहीं की है ।

(ग) इसके अलावा अन्तर्राज्यीय मार्गों पर दिल्ली परिवहन निगम की जो बसें चलती हैं उन पर 20 इलेक्ट्रानिक स्पीड गवर्नर लगाने का प्रस्ताव है । दिल्ली परिवहन निगम इन गवर्नरों की उपयोगिता के बारे में अभी जांच कर रहा है ।

अरूणाचल एक्सप्रेस का देरी से चलना

250. **श्री पी. के. थूंगन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरूणाचल एक्सप्रेस अक्सर देरी से चलती है जिससे न्यू बोंगाइगांव और मुरकोंग सलेक के बीच यात्रियों को असुविधा हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 में उक्त गाड़ी कितनी बार देरी से चली और उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) :(क) जी हां ।

(ख) 1984-85 में 5 जनवरी, 1985 तक 245 दिनों में से न्यू अलीपुरद्वार से मुरकांगसलेक तक 9 अप अरुणाचल एक्सप्रेस 103 दिन और विपरीत दिशा में 10 डाउन एक्सप्रेस 77 दिन प्रत्येक दिशा में विलम्ब से पहुंची । समय पाबन्दी में गिरावट के अनेक कारण हैं जैसे यांत्रिक उपस्कर की खराबी, दुर्घटनाएं तथा उनकी प्रतिक्रियाएं तदनुरूपी रेक का देर से पहुंचना, आन्दोलन, शरारती तत्वों की गतिविधियां, बाढ़ एवं दरारे, पटरी टूटना, सिगनल गियरों की खराबी आदि ।

ऊधमपुर--श्रीनगर रेल लाइन

251. **प्रो. सैफुद्दीन सोज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेल लाइन का ऊधमपुर से श्रीनगर तक विस्तार करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मार्ग सर्वेक्षण संबंधी कार्य कब आरम्भ किया जायेगा और उसके लिये धनराशि कब आबंटित की जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) अभी नहीं ।

(ख) ऊधमपुर तक नयी लाइन के निर्माण की पर्याप्त प्रगति हो जाने के पश्चात् ही इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों ।

बिहार में रेल डिब्बे बनाने के कारखानों की मांग

252. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पटना अथवा किसी अन्य स्थान पर रेल डिब्बे बनाने के कारखाने लगाने की मांग समय-समय पर की जाती रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार ने इस बारे में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) रेल इंडिया टेक्नीकल एंड इकानामिक सर्विसिज (राइट्स) को रेलवे क्षेत्र में नया सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का काम सौंपा गया था । राइट्स से उनकी रिपोर्ट में स्थान निर्धारण के लिए प्राप्त सिफारिशों

का अध्ययन किया जा रहा है और तकनीकी आर्थिक प्रतिफलों के आधार पर इस कारखाने के लिए अधिक लाभप्रद स्थान के सम्बन्ध में निर्णय किये जाने की संभावना है ।

हावड़ा स्टेशन पर फिल्टर किये गये पेयजल की सप्लाई

253. **श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) हावड़ा रेल स्टेशन पर फिल्टर किया गया पेयजल सप्लाई करने की योजना की स्थिति क्या है ;

(ख) क्या उक्त योजना से स्टेशन की दैनिक आवश्यकता पूरी हो जाएगी ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो वहां फिल्टर किये गये पेयजल की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (घ) : हावड़ा रेलवे स्टेशन सहित हावड़ा रेलवे काम्प-लेक्स में निस्पन्दित पेयजल की सप्लाई के लिए 76.63 लाख रु. की अनुमानित लागत पर एक योजना 1984-85 के बजट में स्वीकृत की गयी है । इस योजना में हुगली नदी से पानी लेने तथा निस्पन्दन संयंत्र से इसकी सफाई करने का प्रस्ताव है । इस योजना के विस्तृत नक्शों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । इस योजना के चालू होने पर इसमें प्रतिदिन लगभग 25 लाख गैलन निस्पन्दित पेयजल की सप्लाई होगी । इस समय हावड़ा रेलवे परिसर के लिए प्रतिदिन 22 लाख गैलन पेयजल की आवश्यकता है।

हावड़ा रेलवे स्टेशन के महत्वपूर्ण स्थलों जैसे प्रतीक्षालयों, विश्रामालयों, जल शीतकों और खान-पान यूनिटो आदि के लिए सितम्बर, 84 से सीमित घंटों के लिए पेयजल की सप्लाई की एक अन्तरिम व्यवस्था की गयी है ।

आसनसोल में चटा-पत्थर फ्लाई ओवर

254. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **आसनसोल में चटा-पत्थर फ्लाई ओवर** के निर्माण को पूरा करने में कितना समय लगेगा और उक्त फ्लाई ओवर की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) परियोजना को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) चटा-पत्थर फ्लाई ओवर का काम जून, 1985 तक पूरा हो जाने की संभावना है । दोनों सिरों पर पीलपायों का काम पूरा हो गया है । पर गर्डर बिछाने का काम चल रहा है ।

(ख) इस व्यस्त विद्युतीकृत मार्ग पर रेल यातायात की रूकोनी की रोकथाम के लिए कास्ट-इन-सिट् गर्डरों के स्थान पर प्री-कास्ट गर्डरों का प्रयोग करने से कुछ विलम्ब हुआ है ।

राऊरकेला तथा कलकत्ता के बीच रेलगाड़ी का चलाया जाना

255. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: :

(क) क्या काफी संख्या में लोग प्रतिदिन राऊरकेला से विशेषत : कलकत्ता की ओर यात्रा करते है और लोगों को राऊरकेला में आरक्षित तथा अनारक्षित डिब्बों में स्थान प्राप्त करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राउरकेला तथा कलकत्ता के बीच एक और रेलगाड़ी चलाने के लिये भारी मांग है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) राउरकेला और हावड़ा के बीच मौजूदा यातायात कमदूरी की दो जोड़ी एक्सप्रेस गड़ियो और लंबी दूरी की चार जोड़ी डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों द्वारा संतोषजनक रूप से पूरा किया जा रहा है । वास्तव में, 6 डाउन संबलपुल एक्सप्रेस और 12 डाउन इस्पात एक्सप्रेस द्वारा राउरकेला के लिए अबंटित आरक्षित स्थानों के कोटे का उपयोग दूसरे दर्जे में 100 प्रतिशत से कम है जबकि पहले दर्जे के लिए प्रतीक्षा सूची नाम मात्र होती है । अत: राउरकेला और हावड़ा के बीच होने वाले मौजूदा यातायात से किसी अतिरिक्त गाड़ी का औचित्य नहीं बनता है ।

लिलुआ रेलवे लेवल क्रासिंग पर ऊपरी पुल

256. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लिलुआ रेलवे लेवल क्रासिंग पर एक ऊपरी पुल के निर्माण पर विचार कर रही है, जिसके लिए विभिन्न क्षेत्रों से कई अभ्यावेदन दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो कब और संबंधित ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) लिलुआ मे वर्तमान समपार सं. 1/1-ए के स्थान पर एक ऊपरी सड़क पुल का निर्माण करने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार तथा रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से जांच की जा रही है । प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल तक पहुंच मार्गों के लिए उपयुक्त संरेखण नक्शों को राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अभी अन्तिम रूप दिया जाना है । इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दियेजाने पर ही इसे रेलवे के भावी निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा बशर्ते कि धन उपलब्ध हो ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बहरामपुर-बिलासपुर-मंडी रामपुर बड़ी रेल लाइन

257. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे द्वारा पंजाब में बहरामपुर और हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर मंडी रामपुर के बीच बड़ी रेल लाइन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के खर्च पर "डिपाजिट वर्क" के रूप में प्रारंभिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है और उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार हिमाचल के औद्योगिक विकास के लिए इस रेल लाइन के महत्व को ध्यान में रखकर इस कार्य को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करेगी ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) सर्वेक्षण प्रगति पर है ।

(ख) जी नहीं।

(ग) सर्वेक्षण पूरा होने और सर्वेक्षण रपट की संवीक्षा करने के पश्चात् योजना आयोग के परामर्श से इस काम को शुरू करने का विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों ।

सातवीं योजना के दौरान नये राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के प्रस्ताव

258. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है और जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है और प्रत्येक की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) क्या पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों में रेलों की अत्यधिक कमी को देखते हुए उन्हें कोई प्राथमिकता दी गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) : सातवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है । योजना को दिए जाने के तुरन्त बाद सभी राज्य सरकारों से राष्ट्रीय राजमार्ग सिस्टम में नई सड़कों को शामिल करने का प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया जाएगा । उन पर धन की उपलब्धता और सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग सिस्टम में शामिल करने के बारे में विचार करने के लिए निर्धारित मापदंड को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया जाएगा । इसमें अन्य बातों के साथ-साथ पिछड़े और पर्वतीय इलाकों के लिए सड़क का प्रावधान करना शामिल है ।

कुलपतियों और विश्वविद्यालय एवं कालेज शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु

259. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिद्धांत रूप से यह स्वीकार कर लिया है कि कुलपतियों और विश्वविद्यालय एवं कालेज शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होगी और कुछ समय के लिए तदर्थ व्यवस्था को छोड़कर इस नियम में कोई छूट नहीं हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय विश्वविद्यालयों में किसी विश्वविद्यालय में कोई ऐसे कुलपति हैं जो इस आयु सीमा को पार कर चुके हैं और अभी भी नियमित रूप से सेवा मे बने हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ;

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) सरकार ने यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया है कि कुलपतियों की सेवा निवृत्ति की आयु 65 वर्ष होनी चाहिए । इस आशय की व्यवस्था बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को छोड़ कर सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियमों/संविधियों में कर दी गई है । अध्यापकों के मामले में यह निर्णय किया गया था कि सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष होनी चाहिये और सेवा निवृत्ति की आयु से आगे सेवा में कोई वृद्धि नहीं की जानी चाहिये । तथापि, विश्वविद्यालयों को यह सुझाव दिया गया है कि वे यदि चाहें तो एक सीमित अवधि के लिये उन विशिष्ट अध्यापकों को फिर से नियुक्त कर सकते हैं जो सेवा निवृत्त हो गए हैं । परन्तु इस प्रकार की पुनः नियक्ति 65 वर्ष की आयु से आगे जारी नहीं रहनी चाहिए ।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में इस समय ऐसा कोई कुलपति नहीं है जिसने सेवा निवृत्ति की आयु पार कर ली हो । राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा कुलपतियों की सेवा निवृत्ति की आयु के लिये विश्वविद्यालयों के सम्बन्धित अधिनियमों/

संविधियों में व्यवस्था करनी होगी । सभी राज्य विश्वविद्यालयों के अधिनियमों और संविधियों में मौजूदा प्रावधान के बारे में या उन विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के पद पर इस समय कार्य कर रहे व्यक्तियों की आयु के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है । जहां तक विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं का सम्बन्ध है, उपलब्ध सूचना के अनुसार गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार और श्री सत्य साई उच्च अध्ययन संस्थान, प्रशान्ति निलयम के मौजूदा कुलपतियों की आयु 65 वर्ष से अधिक है ।

बाड़ीबार बन्दरगाह को रेल लाइन से जोड़ना

260. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाडीबार बन्दरगाह को रेल लाइन से जोड़ने की जोरदार मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां ।

(ख) गुजरात राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि यदि वाडीनगर में गहरे पानी के घाट का निर्माण करने के लिए उन्होंने कोई योजनाएं तैयार की है जिनमे पोर्ट को सेबिल करने के लिए सीधी बड़ी लाइन सम्पर्क अपेक्षित हो तो रेलवे कांडला पोर्ट ट्रस्ट की लागत पर बाडीनगर पोर्ट तक प्रस्तावित लाइन के लिए सर्वेक्षण करने के लिए तैयार है ।

शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए नौकरियों से डिग्रियों को अलग करना

261. **श्री चित्त महाटा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने क कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग के चेयरमैन ने केन्द्र य सरकार को देश में शैक्षिक स्तर को उठाने के उपायों के रूप में नौकरियों से डिग्रियों को अलग करने तथा ऐसे छात्रों के मामले में प्रादेशिक शुल्क लागू करने का सुझाव दिया था, जो उसका भुगतान करने में समर्थ हो;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) मार्च 1983 में आर्थिक प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष ने सुझाव दिया था कि उच्च शिक्षा पद्धति के दबाव को कम करने के लिये सरकार के अन्तर्गत विभिन्न संगठित सेवाओं में नियुक्ति की पद्धतियों को संशोधित करना चाहिये । उनके द्वारा यह विशेष सुझाव दिया गया था कि वर्ग—I की विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिये उम्मीदवारों का चयन करने के लिये + 2 स्तर के बाद एक परीक्षा आयोजित की जानी चाहिये। विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिये स्थापित किये गये कालेजों अथवा संस्थाओं में लोक सेवा की आवश्यकताओं के उचित विषयों में गहन प्रशिक्षण देना और प्रशिक्षण पूर्ण करने पर फाइनल परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सरकार के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं और पदों में नियुक्त करना । उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जिन उम्मीदवारों ने अन्तिम परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली है, उन्हें स्नातक की डिग्री प्रदान की जानी चाहिये ।

(ख) और (ग) : क्योंकि यह मामला विभिन्न एजेंसियों, विशेष रूप से भर्ती के लिये जिम्मेदार एजेन्सियों से सम्बन्धित है, ये सुझाव उनके विचार के लिये भेज दिये गये हैं । इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है ।

दक्षिण मध्य रेलवे कर्मचारी यूनियन, विजयवाड़ा से ज्ञापन

262. श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड को दक्षिण मध्य रेलवे कर्मचारी यूनियन, विजयवाड़ा से दिनांक 26 तथा 29 दिसम्बर, 1984 के दो ज्ञापन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) दिनांक 26-12-84 के ज्ञापन में यूनियन ने दक्षिण-मध्य रेलवे के विजयवाड़ा मंडल के इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत महिला नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित रूप से समाहित करने की मांग की है। 29-12-84 के दूसरे ज्ञापन में यूनियन ने मांग की है कि 1982 में बनाये गये पैनल के उम्मीदवारों को नियुक्त करने के बजाय विजयवाड़ा मंडल के आसपास के नैमित्तिक श्रमिकों, जिनकी संख्या 1600 है, को गुंतपल्ल के माल डिब्बा मरम्मत कारखाने में रिक्तियों पर सीधे नियुक्त किया जाये।

जहां तक पहली मांग का संबंध है यह उल्लेखनीय है कि महिला नैमित्तिक श्रमिकों को नैमित्तिक श्रमिकों में उनकी सेवा अवधि को देखते हुए नियमित नियोजन में और उन्हें जिन पदों के लिये उपयुक्त पाया जाता है ऐसे नियमित पदों पर समाहित किया जाता है।

जहां तक दूसरी मांग का संबंध है, कारखाने में वर्ग 'च' की रिक्तियों में नैमित्तिक श्रमिकों को स्क्रीनिंग द्वारा उन्हें सीधे समाहित करने की मौजूदा निर्देशों में कोई व्यवस्था नहीं है। बहरहाल, गुंतपल्ल कारखाना में वर्ग 'च' की रिक्तियों को भरने के लिये 500 उम्मीदवारों का पैनल बनाया गया है उसमें 1290 वे नैमित्तिक श्रमिक भी शामिल हैं जिन्होंने इस भर्ती के लिये निकाले गये रोजगार सूचना के संबंध में आवेदन किया था। जब कभी नियमित रिक्तियां होंगी पैनल की वैधता के दौरान पैनल में रखे गये उम्मीदवारों को समाहित कर लिया जायेगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि दक्षिण मध्य रेलवे इम्प्लाइज यूनियन को रेलों पर मान्यता नहीं दी गयी है। दो अखिल भारतीय श्रमिक फैडरेशनों को अर्थात् आल इंडिया रेलवे मैन्स फैडरेशन और नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन को मान्यता दी गयी है, जो रेलवे कर्मचारियों की सभी कोटियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रेलों पर नैमित्तिक श्रमिकों को समाहित करने से संबंधित मामले पर स्थायी वार्ता तंत्र और संयुक्त वार्ता तंत्र योजनाओं के अन्तर्गत इन दोनों मान्यताप्राप्त फैडरेशनों के साथ आयोजित आवधिक बैठकों में निरंतर विचार-विमर्श किया जाता है।

सातवीं योजना के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

263. श्री मूलचन्द डागा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2000 ईसवी तक प्रत्येक भारतीय को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है और देश में योजना में इस योजना के लिये कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है जिनमें कि इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके तथा दूरदराज के प्रत्येक गांव में सभी नागरिकों को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये क्या अन्य उपाय किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी, हां ।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सम्बन्धी स्टियरिंग ग्रुप ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 10,250 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की सिफारिश की है । खोले जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या और उन्हें आबंटित किये जाने वाले धन के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है ।

यात्रियों के लिये मुआवजा व्यवस्था

264. श्री मूलचन्द डागा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग उन यात्रियों को मुआवजा देता है, जो यात्रा करते समय रेलगाड़ी की शंटिंग आदि के दौरान धक्का लगने के कारण मर जाते हैं अथवा गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के मामलों में किस यात्री को मुआवजा देने का दायित्व स्वीकार करने का है जैसा कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम तथा मोटर यान अधिनियम में उपबंध है; और

(घ) क्या सरकार का विचार "दुर्घटना" शब्द को व्यापक बनाने हेतु इसे पुनः परिभाषित करने का है ताकि रेलवे के परिचालन के परिणामस्वरूप नुकसान उठाने वाले किस यात्री को मुआवजा देने का दायित्व स्वीकार किया जा सके ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यात्रियों को ले जाने वाली गाड़ी की दुर्घटना के सम्बन्ध में रेल प्रशासन की देयता भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 82-क में विनिर्दिष्ट है । मृत्यु, चोट और यात्रियों की सम्पत्ति की हानि के लिये क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की यह देयता या तो गाड़ियों के बीच टक्कर या पटरी से उतर जाने के कारण हुई दुर्घटना अथवा यात्रियों को ले जाने वाली किसी गाड़ी या गाड़ी के किसी भाग के साथ हुई किसी अन्य दुर्घटना के सम्बन्ध में है । यह देयता ऐसी दुर्घटना के लिये रेल प्रशासन की ओर से किसी त्रुटिपूर्ण कार्य, लापरवाही या दोष के प्रमाण के बिना निरपेक्ष है । निस्संदेह, अन्य मामलों में भी, जहां रेल प्रशासन की ओर से त्रुटिपूर्ण कार्य, लापरवाही या दोष सिद्ध हो जाये वहां, देश के कानून के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के लिये दावा करने पर कोई रोक नहीं है।

(ग) और (घ) जी, नहीं ।

जीवनयापन के साधनों से वंचित विधवाओं को सहायता

265. श्रीमती किशोरी सिन्हा :

क्या **समाज और महिला कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बड़ी संख्या में महिलायें अपने बच्चों के युवा होने से पूर्व ही विधवा हो जाती है और जीवनयापन के साधनों से वंचित रहती हैं ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने ऐसी विधवाओं की सहायता के लिये कोई योजना बनाई है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी अभागी और असहाय महिलाओं की सहायता के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारगयम चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां ।

(ख) विधवाओं के लिये ऐसी कोई पृथक योजनायें नहीं हैं । फिर भी, कुछ ऐसी योजनायें हैं जिनके अन्तर्गत निराश्रित महिलाओं को उनके आर्थिक पुनर्वास के लिये सहायता दी जाती है । विधवाओं को भी इन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है । मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही ऐसी योजनाओं का नीचे उल्लेख किया गया है :—

(i) महिलाओं के प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की लिये सहायता की योजना के अन्तर्गत निराश्रित महिलाओं को कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से पुनर्वासित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण दिया जाता है । ऐसी विधवाओं के आश्रित बच्चों के लिये भी सहायता दी जाती है।

(ii) सरकारी उपक्रमों, निगमों और स्वायत्त संगठनों द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं की सहायता देने की योजना के अन्तर्गत महिलाओं को दीर्घकालीन रोजगार प्रदान करने के प्रयोजन से प्रशिक्षण हेतु सहायता दी जाती है । इस कार्यक्रम के लिये लाभ-प्राप्तकर्ताओं का पता लगाने के लिये विधवाओं को समूह के रूप में प्राथमिकता दी जाती है ।

(iii) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं के लिये प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

समाज कल्याण के लिए दान देने के इच्छुक मान्यताप्राप्त स्वयं सेवी संगठनों की निर्देशिका

266. श्रीमती किशोरी सिन्हा :

क्या **समाज और कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उनके मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त स्वयंसेवी संगठनों की निर्देशिका जारी करने का है जिससे समाज कल्याण के लिये दान देने के इच्छुक व्यक्ति इन संगठनों के माध्यम से अपनी धनराशि सारणबद्ध कर सकें;

(ख) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय के पास इस प्रकार के स्वयंसेवी संगठनों की कोई सूची उपलब्ध है; और

(ग) यदि नहीं, तो समाज कल्याण में लगे स्वयंसेवी संगठनों का रिकार्ड रखने के लिये अन्य क्या उपाय किये जायेंगे ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मरगथम चन्द्रशेखर) : (क) जी, नहीं।

(ख) मंत्रालय के पास उन स्वयंसेवी संगठनों का एक रिकार्ड है जो इस मंत्रालय से सहायक अनुदान प्राप्त कर रहे हैं । मंत्रालय के पास उन भारतीय स्वयंसेवी संगठनों की सूची भी है जो की देशों के साथ द्विपक्षीय करारों के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं जो इन देशों में विदेशी संगठनों से सप्लाई प्राप्त करते हैं । केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने उन स्वयंसेवी संगठनों की पहले निर्देशिकायें निकाली हैं जो विभिन्न राज्यों में समाज कल्याण कार्यों से सम्बन्धित हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(तांम्बलुक-दीघाबड़ी रेल लाइन परियोजना)

267. श्री चित्त महाटो :

श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ताम्बलुक-दीघा बड़ लाइन रेल परियोजना को योजना आयोग और रेलवे बोर्ड द्वारा मंजूर दे द गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंध ब्यौरा क्या है और यह परियोजना कब तक पूर हो जायेग ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ह नहीं उठते । इस लाईन के निर्माण के लिये योजना आयोग सहमत नहीं हुआ है ।

वर्ष 1984 और 1985 के दौरान हुई रेल दुर्घटनाएं

268. **श्री चित्त महाटा :**
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :
श्री बो. बी. देसाई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 और 1985 में अब तक रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने और उनके दुर्घटना-ग्रस्त होने की कितनी घटनाएं हुई ;

(ख) इन घटनाओं के कारणों का ब्यौरा क्या है तथा इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या उक्त उपायों में रेलगाड़ियों की टक्कर न होने देने के लिए विद्युत उपकरण लगाना भी शामिल है ; और

(घ) क्या हाल ही के दिनों में रेलों में तकनीकी गड़बड़ी की घटनाओं में भी वृद्धि हुई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) 1984 और 1985 के दौरान भारतीय रेलों पर हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है : —

वर्ष	टक्कर	पटरी से उतरना	समपार दुर्घटनाएं	गाड़ी में आग
1	3	4	5	6
1984	38	652	61	21
1985 (15 जनवरी तक)	3	29	4	. .

इन दुर्घटनाओं के विस्तृत कारण नीचे दिये गये हैं :-

I. मानवीय चूक

(1) रेलवे कर्मचारियों की गलती	396
(2) रेलवे कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य लोगों की गलती	75
जोड़	471

1	2	3	4	5	6
	II. उपस्कर की खराबी				
	(1) यांत्रिक	86			
	(2) रेलपथ	28			
	(3) विद्युत	2			
	जोड़	116			
	(3) तोड़फोड़	10			
	(4) मिश्रित कारण	9			
	(5) आनुषंगिक	35			
	(6) वे कारण जिसका पता नहीं चल सका	14			
	(7) वे कारण जिसकी छानबीन की जा रही है	153			

गाड़ी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए किये गए उपायों में से कुछ इस प्रकार हैं :--

(1) गहन और अर्थपूर्ण निरीक्षण द्वारा सभी स्तरों पर कर्मचारियों में संरक्षा संबंधी चेतन पैदा करना। हाल ही में रेलों पर संरक्षा में सुधार करने के लिये एक आपातिक कारवाई योजना प्रारंभ की गयी है।

(2) दुर्घटनाओं के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई।

(3) मानवीय सतर्कता बढ़ाने के लिए प्राद्योगिकीय उपकरणों जैसे रेलपथ परिपथन, गाड़ी के गुजर जाने के बाद स्वचल विपर्ययी सिगनल आदि की चरणबद्ध रूप में व्यवस्था,

(4) सहायक चेतावनी प्रणाली का संस्थापन जो पहले ड्राइवर को श्रव्य-दृश्य चेतावनी देता है और यदि वह खतरे पर सिगनल की ओर ध्यान नहीं देता है तो इस प्रणाली से गाड़ी अपने आप ही रुक जाती है।

(5) उपलब्ध संसाधनों के अन्दर चल स्टाक और रेलपथ का पुनस्थापन,

(6) जहां आवश्यकता हो, वहां बिना चौकीदार वाले समपारों पर उत्तरोत्तर चौकीदारों की व्यवस्था और चौकीदारों वाले व्यस्त समपार फाटकों पर अन्तर्पाशन, उठने वाले अवरोधकों आदि की व्यवस्था।

(ग) जी, हां।

(घ) यांत्रिक खराबी के कारण हुई दुर्घटनाओं की घटनाएं कमोवेश विगत की भांति ही हैं।

केरल में नई रेलवे लाइनें

269. प्रो. पी. जे. कुरियन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल के पहाड़ी जिलों का विकास करने के लिये राज्य में कतिपय नई रेलवे लाइनों का निर्माण करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित रेलवे लाइनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित नयी लाइनों के निर्माण की मांग की गयी है :—

(1) कोचिन—मदुरै

(2) कोट्टयम— बोदिनायक्कनूर

(3) चेंगन्नुर—तिरुवनन्तपुरम

(4) कुट्टिप्पुरम—गुरुवायूर—त्रिचूर

(5) तेल्लिचेरी—मैसूर

(ग) कोचिन—मदुरै और कोट्टयम- - बोदिनायक्कनूर :

मदुरै--बोदिनायक्कनुर--कोचिन के बीच बड़ी लाइन के आमान परिवर्तन/निर्माण के लिए सर्वेक्षण कार्य में पर्याप्त प्रगति हो चुकी है।

चेंगन्नूर--तिरुवनन्तपुरम :

चेंगन्नूर--कायमकुलम से तिरुवनन्तपुरम सेंट्रल के बीच बड़े आमान की दोहरी लाइन बिछाने के लिए इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। पंडालम, अदूर, कोट्टारकरा, अयूर, किलिमन्नूर, वेमवायम और नेडुभनगाडु के रास्ते चेंगन्नूर और तिरुवनन्तपुरम के बीच एक लाइन के निर्माण संबंधी अनुरोध को भी ध्यान में रखा जायेगा।

कुट्टिप्पुरम-गुरुवायूर-त्रिचूर और तेल्लिचेरी-मैसूर :

संसाधनों की अत्यधिक तंगी को देखते हुए, इस समय इन लाइनों का निर्माण शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास और प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय योजनाएं

270. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **समाज और महिला कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास और प्रशिक्षण के लिए विभिन्न राज्यों में कौन सी केन्द्रीय योजनाएं क्रियान्वित हो रही है; और

(ख) आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों में उन केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत कौन से कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए महिला प्रशिक्षण केन्द्र/संस्थान स्थापित करने के लिए सहायता की योजना नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चलाई जा रही है।

योजना के अन्तर्गत केन्द्र शासित क्षेत्र/राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता। स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर अनुदान दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में क्रियान्वित किये गए कार्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है :--

क्र. सं.	वर्ष	स्वीकृत किये गए परियोजना	प्रशिक्षित की जाने वाली महिलाओं की संख्या	केन्द्रीय सरकार के 45% अंश के रूप में उड़ीसा राज्य सरकार को दी गई धनराशि (रुपये)
1.	1981-82	2	60	40,535
2.	1982-83	4	120	66,420
3.	1983-84			-

अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश) में केन्द्रीय विद्यालय

271. **श्री हरीश रावत** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : --

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा शहर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनको इस तथ्य की जानकारी है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा इसके लिए भूमि और भवन प्रदान करने की पेशकश किए जाने के बावजूद भी केन्द्रीय विद्यालय संगठन वहां केन्द्रीय विद्यालय खोलने में देरी कर रहा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव जब उपयुक्त प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा प्रायोजित किए जाते है तब केन्द्रीय विद्यालय संगठन निर्धारित मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार उन पर विचार करता है । तथापि, एक नया केन्द्रीय विद्यालय तभी खोला जा सकता है जब प्रायोजक प्राधिकारी संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार कक्षाएं आदि लगाने के लिए भूमि, अस्थायी आवास जैसी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करने के योग्य हो ।

अल्मोड़ा में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जून, 1974 में केन्द्रीय विद्यालय संगठन को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । तथापि, इस प्रस्ताव में इस लिए कोई प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि कक्षाएं लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अस्थायी आवास उपलब्ध करने की आवश्यकता पूरी नहीं की गई थी ।

टनकपुर-घाट बागेश्वर लाइन के लिए सर्वेक्षण

272. **श्री हरीश रावत** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टनकपुर से घाट बागेश्वर के लिए नई रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण कार्य के कब तक आरम्भ होने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां ।

(ख) चालू सर्वेक्षणों के पूरा होते ही पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा इस लाइन का सर्वेक्षण शुरू किया जायेगा ।

नाडियाड कपाडगंज रेल लाइन को बदलना

273. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार नाडियाड-कपाडगंज छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने और इसे गुजरात में मोडासा तक बढाने की परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो यह स्वीकृति कब प्रदान की गई थी ; और

(ग) उक्त परियोजना को पूरा करने संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां ।

(ख) परियोजना को 1977-78 के बजट में अनुमोदित किया गया था ।

(ग) अद्यतन प्रगति लगभग 8 प्रतिशत है । धनराशि की कम उपलब्धता के कारण इसकी प्रगति को बढाना सम्भव नहीं हो पाया है । संसाधनों की भारी तंगी को देखते हुए इस कार्य के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गयी है ।

वृद्धावस्था में गरीब और असहाय विधवाओं के कल्याणार्थ योजना

274. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **समाज और महिला कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज की उपेक्षा के कारण गरीब और असहाय विधवाएं कष्ट उठा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो देश में वयोवृद्ध विधवाओं के कल्याण और आराम के लिये सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मारगयम चन्द्रशेखर) : (क) सामान्यतः वृद्ध लोगों की देखभाल परिवार द्वारा की जाती है जिनमें वृद्ध विधवाएं भी शामिल हैं। निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों के लिए लगभग सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन देते हैं। राज्य सरकारें और स्वयंसेवी संगठन उन वृद्ध व्यक्तियों को कुछ सेवाएं प्रदान करता हैं। जिनके पास सहायता के लिए परिवार का कोई भी सदस्य नहीं होता।

(ख) निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई योजना नहीं है।

पारादीप बन्दरगाह की गोदियों पर कार्य

275. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदी श्रमिकों के पिछले मंजूरी समझौते के बाद प्रमुख बन्दरगाहों पर कार्यकरण में सुधार हुआ है,

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है,

(ग) क्या पारादीप बंदरगाह की गोदियों में कार्य ठप्प पड़ा है, और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख): वेतन समझौते पर 11 अप्रैल, 1984 को हस्ताक्षर हुए थे। महापत्तनों पर हैंडल किए गए कुल ट्रैफिक में उत्तरोत्तर वृद्धि की गति अप्रैल से दिसंबर 1984 की अवधि में भी कायम रही। वर्ष 1983 की इस अवधि में हैंडल किए गए ट्रैफिक अर्थात् 73.9 मिलियन टन की तुलना में यह बढ़कर 76.9 मिलियन टन हो गया।

(ग) अब पारादीप पोर्ट पर प्रचालन सामान्य है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अहमदाबाद शहर में परिक्रमा रेल

276. **नवीन रावणी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या अहमदाबाद शहर में परिक्रमा रेल के निर्माण का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इसके कब तक चालू होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) : जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

पटना में राजेन्द्र नगर, यारपुर और चितकोहरा में ऊपरी पुल

277. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने यातायात के भीड़भाड़ के गंभीर समस्या को हल करने के लिए पटना में राजेन्द्र नगर, यारपुर और चितकोहरा में चार लेन वाले पक्के ऊपर पुलों का निर्माण करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन पुलों के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उनके निर्माण में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) उनका निर्माण कब तक पूरा करने का सरकार का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) यातायात समस्या के समाधान के लिए, मौजूदा समपारों के बदले पटना में राजेन्द्र नगर पर चार लेन वाले ऊपर सड़क पुल, यारपुर में दो लेन वाले पुल तथा चितकोहरा में दो लेन वाले पुल के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है।

(ख) रेलवे रेल पथों पर मुख्य पुल का निर्माण कर रहा है और पहुंच मार्गों का निर्माण राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है। रेलवे के हिस्से के कार्य की वर्तमान प्रगति इस प्रकार है :—

राजेन्द्र नगर ऊपर सड़क पुल	53%
यारपुर ऊपर सड़क पुल	33%
चितकोहरा ऊपर सड़क पुल	25%

राजकीय लोक निर्माण विभाग ने अभी तक केवल राजेन्द्र नगर ऊपर सड़क पुल के पहुंच मार्गों पर ही कार्य शुरू किया है।

(ग) शुरू में राजेन्द्र नगर तथा यारपुर ऊपरी सड़क पुलों पर कार्य शुरू करने में कुछ विलम्ब हुआ क्योंकि इसमें केबुलों, डाक-तार लाइनों, उच्च दाब वाली लाइनों आदि का हटाया जाना निहित था। चितकोहरा ऊपरी सड़क पुल पर, सड़क यातायात का दिग्परिवर्तन करने के निकटवर्ती लिए समपार को चौड़ा करने के बाद मौजूदा समपारों को बन्द करना पड़ा।

(घ) इन ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण में रेलवे के हिस्से के कार्य के पूरा होने की सम्भावित तारीख इस प्रकार है

राजेन्द्र नगर ऊपरी सड़क पुल	31-3-1986
यारपुर ऊपरी सड़क पुल	30-6-1986
चितकोहरा ऊपरी सड़क पुल	31-12-1986

[अनुवाद]

शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े राज्य

278. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा की दृष्टि से कौन-कौन से राज्य बहुत ही पिछड़े हुए हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा राज्य इन राज्यों में से एक है; और

(ग) यदि हाँ, तो इन राज्यों में, विशेषकर उड़ीसा में, उक्त स्थिति में सुधार करने हेतु क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जिन नौ राज्यों में 6-14 वर्ष की आयु-वर्ग के देश में लगभग 70% से भी अधिक गैर-दाखिल बच्चे हैं, उनको शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों के रूप में

समझा गया है। ये राज्य हैं आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। स्कूलों में भौतिक सुविधाओं का अभाव, निर्धनता तथा अन्य सामाजार्थिक कारक इन राज्यों के शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन के मुख्य कारण हैं।

(ख) जी हां।

(ग) प्रारम्भिक शिक्षा मुख्य रूप से राज्यों द्वारा चलाई जा रही है, अतः इस सम्बन्ध में कारवाई करने की जिम्मेवारी राज्यों की ही है। तथापि केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सहित पिछड़े राज्यों में प्रारम्भिक शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।

उपायों में निम्नलिखित शामिल है :-

(1) प्रारम्भिक आयु-वर्ग के बच्चों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना जहाँ शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों को अनुदान 50:50 की साझेदारी के आधार पर दिए जाते हैं।

(2) लड़कियों के दाखिले के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा की योजना को उदार बना दिया गया है, केन्द्रीय सरकार 90:10 की साझेदारी के आधार पर अनुदान दे रही है।

(3) प्राथमिक स्कूलों में अध्यापिकाओं की नियुक्ति के लिए भारत सरकार 80:20 की साझेदारी के आधार पर वित्तीय सहायता दे रही है।

(4) गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों में लड़कियों के दाखिला में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार योजना भारत सरकार द्वारा उड़ीसा सहित शैक्षिक रूप से पिछड़े सभी नौ राज्यों में बनाई गई है।

(5) राज्यों में औपचारिक तथा गैर-औपचारिक शिक्षा में सुधार करने के लिए इन्सेट-1 का प्रयोग करने वाले शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना अवधि के दौरान चुने गए छः राज्यों में से उड़ीसा भी एक है।

(6) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों प्रारम्भिक शिक्षा पर एक कार्य बल शिक्षा के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए गठित किया है।

राज्यों में समाज कल्याण कार्यों के लिए अधिक धनराशि का आबंटन

279. **श्री बी० वी० देसाई : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में राज्यों के समाज कल्याण मंत्रियों और सचिवों के दो दिन का सम्मेलन आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सम्मेलन ने समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए आबंटन में तिगुनी वृद्धि और उन्हें लागू करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने के उपायों की सिफारिश की थी ;

(ग) यदि हाँ, तो सम्मेलन में कितने मंत्रियों और सचिवों ने भाग लिया था और चालू वर्ष के दौरान राज्यों द्वारा शुरु किए जाने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) संघ सरकार राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित करेगी ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मारगथम चन्द्रशेखर)　(क) जी हाँ ।

(ख) सम्मेलन में यह सिफारिश की गई है कि सातवीं योजना में सरकारी क्षेत्र के परिव्यय का कम से कम एक प्रतिशत समाज कल्याण के लिए निर्धारित किया जाए। समाज कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक मशीनरी को मजबूत करने की भी सिफारिश की गई है।

(ग) विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 30 मंत्रियों और 21 सचिवों ने सम्मेलन में भाग लिया। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश अपने-अपने समाज कल्याण कार्यक्रम स्वयं बनाते हैं। मोटे तौर पर कार्यक्रम बच्चों, महिलाओं, विकलांगों और वृद्धों के कल्याण से संबंधित होती हैं।

(घ) यह, संसद द्वारा प्रति वर्ष स्वीकृत किए गए बजट पर निर्भर करता है।

दरवहा-भोकर बड़ी रेल लाइन का सर्वेक्षण

280. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दरवहा-पुसाड भोकर बड़ी रेल लाइन का सर्वेक्षण प्रारम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसमें क्या प्रगति हुई है और यह कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हाँ।

(ख) वर्तमान प्रगति 38.41 प्रतिशत है। वर्तमान संकेतों के अनुसार, सर्वेक्षण कार्य दिसम्बर, 1985 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

रेल सुधार समिति की सिफारिशें

281. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सुधार समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है और कार्यों एवं नई परियोजनाओं के लिए संसाधनों को जुटाने के साथ-साथ रेल व्यवस्था के विस्तार सहित रेल प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर विशिष्ट सिफारिशें की हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो आगामी पंचवर्षीय योजना में नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए मंजूरी और वित्त प्रदान करने के मानदंडों के साथ-साथ नए जोन और प्रभागों के बनाए जाने के संबंध में सिफारिशों का सार क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने कोई सिफारिशें स्वीकार की हैं और उन पर कार्यान्वित कर दी हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) से (घ) : अभी तक रेल सुधार समिति ने 24 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं, जिनमें रेल कार्य क्षेत्र का विस्तार, परिचालन तथा नयी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए संसाधन जुटाने और नये क्षेत्रों तथा मण्डलों के सृजन सहित रेल संचालन के विभिन्न पहलू सम्मिलित हैं। इन रिपोर्टों की पाँच-पाँच प्रतियाँ माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए संसद भवन पुस्तकालय में रख दी गयी हैं। अब तक 750 सिफारिशें स्वीकार की जा चुकी हैं जिनमें से 314 को कार्यान्वित किया गया है। सिफारिशों में रेल संचालन के परिचालनिक, तकनीकी, प्रबन्धकीय, आर्थिक और संगठनात्मक पहलू शामिल हैं।

[हिन्दी]

तूफान एक्सप्रैस को सप्ताह में दो बार बरास्ता नवादा चलाना

282. श्री **कुंवर राम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवादा से दिल्ली और हावड़ा की यात्रा करने वाले मुसाफिरों की सुविधा के लिए पूर्व रेलवे के नवादा-गया-कियूल सेक्शन पर कोई एक्सप्रेस गाड़ी उपलब्ध नहीं है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या पटना होकर दिल्ली और हावड़ा के बीच प्रतिदिन चलने वाली गाड़ी तूफान एक्सप्रेस को सप्ताह में कम से कम दो दिन बरास्ता नवादा चलाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हाँ। कयूल-गया शाखा लाइन खंड पर स्थित नवादा स्टेशन से दिल्ली और हावड़ा के लिये कोई सीधी एक्सप्रेस गाड़ी नहीं है।

(ख) और (ग) : लम्बी दूरी की एक्सप्रेस गाड़ियाँ लम्बी दूरी के सीधे यातायात, उच्च रेलपथ गति आदि जैसे कुछ कारकों, को ध्यान में रखकर चलायी जाती है । चूंकि नवादा कयूल-गया शाखा इकहरी लाइन खंड पर स्थित है जहाँ रेलपथ गति अपेक्षाकृत कम है और पूरी गाड़ी का औचित्य सिद्ध करने के लिए सीधे यातायात की मात्रा पर्याप्त नहीं है, इसलिए 7/8 तूफान एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तन करने अथवा नवादा को हावड़ा और दिल्ली से मिलाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गया से नवादा तथा कियूल से हावड़ा जाने वाली गाड़ियों में और अधिक शयिकाओं की व्यवस्था

283. श्री **कुंवर राम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 191 अप मगध एक्सप्रेस गाड़ी में नवादा के लोगों हेतु मुगलसराय स्टेशन से दिल्ली के लिये द्वितीय श्रेणी की दो शायिकाएं आरक्षित हैं तथा कियूल से हावड़ा के लिये दो शायिकाओं का आरक्षण होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नवादा वाले क्षेत्र के लिये यह व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है ;

(ग) किसी एक्सप्रेस गाड़ी में गया से दिल्ली के लिये दो शायिकाओं की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं क्योंकि नवादा से मुगलसराय की दूरी काफी अधिक है; और

(घ) क्या उनका विचार किसी एक्सप्रेस गाड़ी में गया से नवादा के लिए तथा कियूल से हावड़ा के लिये द्वितीय श्रेणी की कम से कम 10 शायिकाओं तथा प्रथम श्रेणी की कम से कम चार शायिकाओं की व्यवस्था करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) : जी हां दिल्ली के लिये मगध एक्सप्रेस में मुगलसराय से दूसरे दर्जे की 2 शायिकाओं और हावड़ा के लिये दानापुर–हावड़ा एक्सप्रेस में कियूल से दूसरे दर्जे की 2 शायिकाओं के अतिरिक्त, गया से हावड़ा के लिये 10 डाउन देहरादून हावड़ा एक्सप्रेस में नवादा के यात्रियों के लिये कोटे के रूप में दूसरे दर्जे की 2 शायिकाओं की व्यवस्था की गयी है।

(ग) नवादा स्टेशन कियूल-गया शाखा लाइन के मध्य में स्थित है और हावड़ा तथा दिल्ली की ओर यात्राओं के लिये कियूल और गया मुख्य लाइन के स्टेशनों से सेवित है। गया के

रास्ते दिल्ली की ओर केवल दो दैनिक तेज गाड़ियां अर्थात् 1 अप हवड़ा कालका मेल और 175 पुरी– नयी दिल्ली एक्सप्रेस हैं जो यात्रियों में बहुत लोकप्रिय हैं और थ्रू यात्रियों द्वारा इनका पूरा पूरा उपयोग किया जाता है।

(घ) नवादा के यात्रियों के लिये ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर में दिया गया कोटा संबंधित गाड़ियों में स्थान की समग्र उपलब्धता और प्रारम्भिक तथा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती स्टेशनों में यातायात की मांग को ध्यान में रखकर आबंटित किया गया है। बहरहाल, मध्यवर्ती स्टेशनों के लिये कोटों की आवधिक (अर्धवार्षिक) समीक्षा की जाती है जब इस प्रकार के कोटों को ऊपरलिखित कारकों को ध्यान में रखकर समायोजित किया जाता है।

[अनुवाद]

पुरी में रेलवे होटल में घटिया किस्म का भोजन दिया जाना

284. **श्री चिन्ता मणि जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में पुरी स्थित रेलवे होटल में सेवाओं के स्तर में तेजी से गिरावट आई है ;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो वहां भोजन के स्तर में सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) :

(क) जी नहीं।

(ख) पिछले चार वर्षों में केवल एक ही शिकायत प्राप्त हुई थी जो भोजन क्राकरी और लिनेन के स्तर से संबंधित थी।

(ग) होटल में सर्विस के स्तर की निरन्तर समीक्षा की जाती रही है। भोजन और साथ ही क्राकरी तथा लिनेन के स्तर में सुधार हुआ है। सर्विस का उच्च स्तर सुनिश्चित करने के लिये एक वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारी को होटल में प्रबंधक के रूप में तैनात किया गया है। पिछले 6 महीनों के दौरान, संसद सदस्यों, विधायकों और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से प्रशंसा के 32 पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें विशेष रूप से भोजन और सर्विस के स्तर के संबंध में सराहना की गयी है।

छठी योजना के दौरान नई रेल लाइनें

285. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजनावधि के दौरान किन–किन नई रेल लाइनों का निर्माण प्रारम्भ किया गया है और उन लाइनों पर कितना व्यय किया गया है ;

(ख) छठी योजना के दौरान सरकार के विचारार्थ जिन रेल लाइनों के लिये तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर ली गई है उनमें से कौन सी लाइनों का सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया है ; और

(ग) देश में दुहरी लाइनों के लिये उनके मंत्रालय के पास कौन-कौन से प्रस्ताव मंजूरी के लिये लंबित हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) अपेक्षित जानकारी विवरण-एक में दी गई है।

(ख) अपेक्षित जानकारी विवरण–दो में दी गई है विवरण संलग्न है।

(ग) रेलों द्वारा प्रति वर्ष अपने संबंधित निर्माण कार्यक्रम में दोहरी लाइन बिछाने के प्रस्ताव भेजे जाते हैं जिनको रेल मंत्रालय द्वारा जांच की जाती है और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव से संबंधित निर्णय की सूचना दे दी जाती है। अनुमोदित निर्माण-कार्य बजट में शामिल किये जाते और धन के आबंटन के अनुसार शुरू किये जायेंगे। निर्णय लेने के लिये कोई भी प्रस्ताव शेष नहीं है।

विवरण--एक

छठी योजना के दौरान शुरु की गयी नई रेल लाइनें

क्र. सं.	परियोजना का नाम	1-4-80 से 31-3-85 तक संभावित निवेश
		(करोड़ रुपयों में)
1.	मोटुमारी—जगय्यापेटा	5.43
2.	ओल्ड माधवनगर को मुख्य लाइन पर लाना (पुनर्स्थापन)	कुछ नहीं
3.	मिरज—सांगली (पुर्नस्थापन)	कुछ नहीं
4.	कोटा—चित्तौड़गढ़—नीमच	20.39
5.	लक्ष्मीकांतपुर—कुल्पी सहित बजबज—नमखाना	कुछ नहीं
6.	नंगल डैम—तलवाड़ा और मुकैरियां से तलवाड़ा तक साइडिंग का अधिग्रहण	4.25
7.	जम्मू-तवी-ऊधमपुर	5.05
8.	चित्रदुर्ग—रायदुर्ग	2.82
9.	करुर—डिंडिगुल—मनियाची—तूतीकोरिन/तिरुनेलवेली	16.12
10.	तेलापुर—पाटनचेरु	2.87
11.	कोरापुट—रायगडा	32.20
12.	भुज-नालिया	10.23
13.	भटिंडा बाईपास	1.50
14.	कालका- परवानू	0.26
15.	अलेप्पी—कायन कुलम	0.51
16.	मथुरा—अलवर	0.97
17.	जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र पर रेल एवं सड़क पुल के निर्माण के साथ साथ जोगीघोपा से गुवाहाटी तक बड़ी लाइन	1.69
18.	आदिलाबाद—पिंपलकुट्टी	2.51
19.	एक लाखी—बलूरघाट	3.01
20.	तालचेर—संबलपुर	1.00
21.	तामलुक—कोथा	0.30
	जोड़	111.84

विवरण--दो

सर्वेक्षण के लिये प्रारंभ की गयी नयी लाइनों की सूची जिनकी रिपोर्ट छठी योजना के दौरान तैयार की गयी थी।

सर्वेक्षण के ब्यौरे

क्र. सं.

मध्य रेलवे

1. धुले से अमलनेर तक एक नयी बड़ी लाइन के निर्माण के लिये प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।

2. मथुरा से अलवर तक एक नयी बड़ी लाइन के निर्माण के लिये प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।

3. गुना-शिवपुरी से ग्वालियर और भिंड से इटावा तक नयी बडी लाइन के निर्माण के लिये प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।

पूर्व रेलवे

1. आरा से सासाराम तक एक बड़ी लाइन के निर्माण के लिये प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।

2. डेहरी-आन सोन से अजमेर/बंजारी/पिपरादीह तक बड़ी लाइन के लिये पहले किये गये यातायात सर्वेक्षण का पुर्नमूल्यांकन।

3. बापु का नाथ के रास्ते देवगढ़ से दुमका तक एक बड़ी लाइन के लिये प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात का सर्वेक्षण।

4. लालमटिया से काहलगांव तक एक नयी बड़ी लाइन के लिये प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।

5. मधुपुर से दुमका तक नयी बड़ी लाइन के रेल संपर्क के लिये प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।

उत्तर रेलवे

1. शाहगंज—सुलतानपुर—अमेठी—गढ़ी मानिकपुर (गोटनी) के लिये नयी बडी लाइन के रेल संपर्क के लिय प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।

2. बिलाडा से बार तक एक नयी मीटर लाइन के निर्माण के लिये प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।

3. नागंल डैम से तलवाडा तक बड़ी लाइन के रेल सपर्क के लिये यातायात सर्वेक्षण का पुर्नमूल्यांकन और इंजीनियरी लागत को अद्यतन करना।

4. कालका से परवानू तक इंजीनियरी एव यातायात सर्वेक्षण का पुर्नमूल्यांकन।

सर्वेक्षण का ब्यौरा

उत्तर रेलवे जारी

5. ब्यास रेलवे स्टेशन और गोइंदवाल साहिब के बीच एक नयी रेलवे लाइन के लिऐ प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।

6. बाबतपुर से बडोही तक एक नयी बड़ी लाइन के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण ।

पूर्वोत्तर रेलवे

1. हाजीपुर और बछवाड़ा के बीच एक समानान्तर बड़ी लाइन के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण ।

2. देवरिया से पढ़रौना तक एक बड़ी लाइन के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण ।

3 दौराम माधेपुरा से शीगेश्वर तक एक नयी लाइन के लिए इंजीनियर एवं यातायात सर्वेक्षण ।

4. मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी तक एक बड़ी लाइन के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण ।

5. आलमनगर-ऐशबाग—मल्हौर बड़ी लाइन के साथ चारबाग पर बड़ी लाइन के दूसरे टर्मिनल के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण ।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

1. जागी रोड/गुवाहाटी से बदरपुर तक एक वैकल्पिक बड़ी लाइन सम्पर्क के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण ।

2. टिपलिंग से इटानगर तक एक मीटर लाइन के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का पुनः मूल्यांकन ।

3. एकलाखी से बालुरघाट तक एक बड़ी लाइन के लिये इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण

4. जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र पर एक रेल एवं सड़क पुल के लिये प्रारम्भिक जांच पड़ताल तथा आर्थिक अध्ययन सर्वेक्षण ।

5. लालाबाजार से बैरगंटे तक मीटर आमान की रेल लाइन के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण ।

6. लेखपानी से खारसोंग तक मीटर आमान की एक रेल लाइन के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण ।

क्र. सं.	सर्वेक्षण का ब्यौरा

दक्षिण मध्य रेलवे

1. सांगारेड्डी, मेडक, अकनपेट, सिद्दीपेट और करीमनगर के रास्ते पाटनचेरु से पोद्दापल्लि तक एक बड़ी लाईन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी-एवं यातायात सर्वेक्षण ।

2. नन्दयाल से येरगुंटला तक एक बड़ी लाइन के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण ।

3. आदिलाबाद से पिम्पलकुट्टी तक एक बड़ी लाइन के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण ।

दक्षिण पूर्व रेलवे

1. मेजिया के रास्ते बांकुरा और रानीगंज के बीच रेल अवसंरचना तथा दामोदर नदी पर एक पुल की व्यवस्था के लिये सर्वेक्षण ।

2. बरवाडीह–करोंजी रेल संपर्क के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।

3. सम्बलपुर से तालचेर तक एक नयी रेल लाइन के निर्माण के लिये सर्वेक्षण।

4. तामलुक से दीघा तक एक नयी रेल लाइन के निर्माण के लिये सर्वेक्षण।

5. कोरापुट से रायगड़ा तक प्रस्तावित बड़ी लाइन के लिये अंतिम स्थान निर्धारण एवं इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।

दक्षिण रेलवे

1. गुरवायूर के रास्ते कुटिटपुरम से त्रिचूर तक एक बड़ी लाइन रेल सम्पर्क के लिए सर्वेक्षण को अद्यतन करना।

2. एर्णाकुलम–अलेप्पी से कायनकुलम अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण तक बड़ी लाइन के विस्तार के लिये इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।

3. चित्रदुर्ग और रायदुर्ग के बीच एक मीटर लाइन के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।

वीरमगांव–ओखा–पोरबन्दर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

286. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वीरमगांव–ओखा–पोरबन्दर रेल लाइन को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस कार्य के कब तक पूरा होने की आशा है ;

(ग) उक्त परियोजना को पूरा करने के लिये निर्धारित समय सीमा क्या थी ;

(घ) इसमें विलम्ब होने के मुख्य कारण क्या है ; और

(ङ०) इस पर आयी अतिरिक्त लागत का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) से (ङ०) कुछ छोटे-मोटे अवशिष्ट कार्यों को छोड़कर जिन पर काम चल रहा है, वीरमगाम–ओखा–पोरबन्दर के बीच आमान परिवर्तन का संपूर्ण कार्य पूरा किया जा चुका है और खंड को यातायात के लिये खोल दिया गया है। वीरमगाम हापा के बीच आमान–परिवर्तन का पहला चरण जून, 80 में और दूसरा तथा अंतिम चरण अप्रैल 84 में खोल दिया गया था। इस निर्माण कार्य पर संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्रगति हुई। धनराशि की अनिश्चित उपलब्धता के कारण इसके खोले जाने का कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सका है।

खाड़ी क्षेत्र में भारतीय तेल वाहक जहाज पर प्रक्षेपास्त्रों द्वारा हमला

287. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या नौवहन और **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में खाड़ी क्षेत्र के किसी स्थान में भारत के एक तेलवाहक जहाज पर प्रक्षेपास्त्रों से हमला किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उस देश का पता लग गया है जिसने तेलवाहक जहाज पर हमला किया था और क्या मामले को संबंधित सरकार के साथ उठाया गया है, और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) (क) जी हां।

(ख) एम० टी० कंचनजंगा पर शाह आलम बालूचर से लगभग 15 मील दक्षिण की ओर 25.12.1984 को हमला हुआ था। यह जहाज रास तनूरा (सउदी अरब) से बाडीनगर तेल टर्मिनल (कच्छ की खाड़ी) को जा रहा था इस जहाज को कुछ नुकसान हुआ।

(ग) और (घ) इस बारे में हमने ईरान में स्थित अपने राजदूत और नई दिल्ली में स्थित ईरानी राजदूत के माध्यम से ईरान सरकार से तुरन्त संपर्क किया और फारस की खाड़ी में भारतीय समुद्री जहाजों पर सेना के जहाजों द्वारा हमला किये जाने के विरोध में गहरी चिन्ता व्यक्त की ।

भारतीय और विदेशी समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आरोप के बारे में जिसमें हमारे समुद्री जहाजों पर सेना के जहाजों द्वारा हमला किये जाने का समाचार मिला है, ईरानी अधिकारी चुप है।

आशा है कि फारस की खाड़ी में हमारे समुद्री जहाजों पर इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना हमले अब भविष्य में नहीं होंगे।

स्कूली पाठ्यचर्या में यौन शिक्षा

288. **डा० कृपासिन्धु भोई :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूली पाठ्यचर्या में यौन शिक्षा को स्थान देने की वांछनीयता पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां तो इस प्रस्ताव के पक्ष में और इसके विपरीत पहलू क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इससे छात्रों और छात्राओं में चरित्र निर्माण की भावना पैदा करने में कहां तक सहायता मिलेगी ; और

(घ) कोचीन में हाल ही में आयोजित भारतीय त्वचा विज्ञानी, रतिरोग विज्ञानी और कुष्ठ रोग विज्ञानी संघ के 13 वें वार्षिक सम्मेलन में क्या सिफारिशें की गई थी और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) स्कूली पाठ्यचर्या के सभी पहलुओं में यौन शिक्षा शुरु करने के प्रश्न पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। तथापि, रा. शै. अ. प्र. परिषद की दस वर्षीय पाठ्यचर्या के ढांचे के अंदर जीव– विज्ञान पाठ्यचर्या में मानव पुनरुत्पादक जीव–विज्ञान शुरु किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) इस सम्मेलन की कार्यवाही से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है। उनकी सिफारिशें तथा उस पर सरकार का दृष्टिकोण सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

खड़गपुर तथा भद्रक के बीच एक नई शटल चलाना

289. **श्री चिन्तामणि जैना :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे प्राधिकारी, उड़ीसा में खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) से भद्रक तक एक नई शटल एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने को सहमत हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसे अब तक न चलाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) इस क्षेत्र के लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए इसको तुरन्त चलाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे है; और

(घ) इसे कब तक चलाया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) से (घ) : खड़गपुर और भद्रक के बीच 1.10.84 से पहले ही एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ी अर्थात 467 अप/468 डाउन चलाई जा रही है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिलिप्याधिकार (संशोधन) नियम, 1984 तथा बाल भवन सोसाइटी (इंडिया) नई दिल्ली के वर्ष 1983-84, मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल के वर्ष 1983-84, केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं उनके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।)

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) प्रतिलिप्याधिकार, अधिनियम, 1957 की धारा 78 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, प्रतिलिप्याधिकार (संशोधन) नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 10 अगस्त, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 602(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 173/85]

(2) (एक) बाल भवन सोसाइटी (इण्डिया), नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) बाल भवन सोसाइटी (इण्डिया), नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल टी० 174/85]

(4) (एक) मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 175/85]

(5) (एक) केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 176/85]

(7) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति ।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 177/85]

(9) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1983—84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 178/85]

केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81

स्नातकोत्तर अध्यापन तथा अनुसंधान संस्थान (गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर के वर्ष 1983-84, केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एवं इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वालों का एक विवरण

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं श्रीमती मोहिसिना किदवई की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे ।

(दो) केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 179/85]

(3) (एक) स्नातकोत्तर अध्यापन तथा अनुसंधान संस्थान (गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय) जामनगर के वर्ष 1983—84 के वार्षिक प्रतिवेदनकी एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) स्नातकोत्तर अध्यापन तथा अनुसंधान संस्थान (गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय) जामनगर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 180/85]

(5) (एक) केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी. 181/85]

(7) (एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी. 182/85]

(8) कम्पनी अधिनियम, 1856 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) इंडियन मैडिसंज फार्मास्यूटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड, मोहन, जिला अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मैडिसंज फार्मास्यूटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड, मोहन, जिला अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी. 183/85]

अमृतसर आयल वर्क्स (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) नियम, 1984, केन्द्रीय भांडागारण निगम अधिनियम, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 संबंधी, माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन और उनके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): मैं राव वीरेन्द्र सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अमृतसर आयल वर्क्स (उपक्रमों के अन्तर्गत तथा अन्तरण) अधिनियम, 1982 की धारा 27 अंतर्गत अमृतसर आयल वर्क्स (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) नियम, 1984, जो

22 नवम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 878(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 184/85]

(2) केन्द्रीय भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1982 की धारा 31 की उपधारा (11) के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(3) केन्द्रीय भाण्डागारण निगम, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी. 185/85]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ·

(दो) माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी. 186/85]

स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन (अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह) (संशोधन) नियम, 1984, बालक अधिनियम 1960 के अंतर्गत अधिसूचनाएं, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के 1983-84 नेशनल इंस्टीट्यूट फार दी ओरथोपोडिकली हैंडीकेप्ड, कलकत्ता के वर्ष 1982-83 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन एवं उनके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा, आदि ।

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्यमंत्री (श्रीमती मारगाथम चन्द्रशेखर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन (अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह) (संशोधन) नियम, 1984 की एक प्रति जो 28 अगस्त, 1984 को अन्दमान और निकोबार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 526/84/एफ संख्या 48-22/81-टी डब्ल्यू. (एस डब्ल्यू.) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी० 187/85]

(2) बालक अधिनियम, 1960 की धारा 59 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह बालक (संशोधन) नियम, 1984 जो 27 अगस्त 1984 को अन्दमान तथा निकोबार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 525/84/एफ. संख्या 48-38/83-टी. डब्ल्यू. में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह बालक (विशेष स्कूलों का प्रबन्ध, कृत्य और उत्तरदायित्व, बालकगृह, संप्रेषण गृह तथा पश्चात्वर्ती देख रेख गृह) (संशोधन)

नियम, 1984, जो 27 अगस्त, 1984 को अन्दमान तथा निकोबार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 524/84/एफ. एस. 48-38-टी. डब्ल्यू में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गए/ देखिए संख्या एल.टी.-188/85]

(3) (एक) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी.-189/85]

(4) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फार दी ओरथोपैडिकली हैंडीकैप्ड, कलकत्ता के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फार दी ओरथोपैडिकली हैंडीकैप्ड, कलकत्ता के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी.-190/85]

(6) (एक) इंस्टीट्यूट फार दि फीजिकली हैंडीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) इंस्टीट्यूट फार दि फीजिकली हैंडीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी.-191/85]

(7) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फार दि विज्युअली हैंडीकैप्ड (राष्ट्रीय दृष्टि-अपंग संस्थान), देहरादून, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फार दि विज्युअली हैंडीकैप्ड (राष्ट्रीय दृष्टि-अपंग संस्थान), देहरादून, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी.-192/85]

(8) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ दि पब्लिक कोआपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट (राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकार तथा बाल विकास संस्थान), नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ दि पब्लिक कोआपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट (राष्ट्रीय सार्वजनिक सहकार तथा बाल विकास संस्थान), नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी.-193/85]

(10) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फार दि ओरथोपैडिकली हैंडिकैप्ड (राष्ट्रीय विकलांग संस्थान), कलकत्ता के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फार दि ओरथोपैडिकली हेंडिकैप्ड, (राष्ट्रीय विकलांग संस्थान), कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल.टी.-194/85]

(12) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फार दि हीयरिंग हैंडिकैप्ड (अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण-अपंग संस्थान), बम्बई, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फार दी हीयरिंग हैंडिकैप्ड (अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण-अपंग संस्थान), बम्बई के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी.-195/85]

(13) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :--

(एक) आर्टीफिशियल लिम्ब्स मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम), कानपुर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) आर्टीफिशयल लिम्ब्स मैन्यफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया (भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम) कानपुर, का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी.-196/85]

लुबरीजोल इंडिया लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1983-84 आई.बी.पी. कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता तथा उसकी सहायक कंपनी मैसर्स बालमेर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1983-84, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 और बीको लारी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एवं उनके वार्षिक प्रतिवेदना ।

पैट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :--

(क) (एक) लुबरीजोल इंडिया लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) लुबरीजोल इंडिया लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी.-197/85]

(ख)(एक) आई० बी. पी. कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता तथा उसकी सहायक कम्पनी मैसर्स बालमेर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) आई. बी. पी. कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता तथा उसकी सहायक कम्पनी मैसर्स बालमेर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी.-198 /85]

(ग) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी.-199/85]

(घ) (एक) बीको लारी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) बीको लारी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी.-200/85]

भारतीय टेलीफोन उद्योग, बंगलौर के वर्ष 1983-84 और हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1983-84 के वार्षिक कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एवं उनके वार्षिक प्रतिवेदन

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :

(क) (एक) भारतीय टेलीफोन उद्योग बंगलौर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय टेलीफोन उद्योग बंगलौर का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी.-201/85]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड मद्रास के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी. 202/85]

नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन स्कंध) विकास सलाहकार भर्ती नियम, 1984 और कलकत्ता पत्तन (संशोधन) नियम, 1984, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अंतर्गत अधिसूचना आदि ।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय राज्य के मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत जारी नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन स्कंध) विकास सलाहकार भर्ती नियम, 1984 जो 8 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 1230 में प्रकाशित हुए थे । की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई/देखिए संख्या एल.टी.-203/85]

(2) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा (2ख) के अंतर्गत कलकत्ता पत्तन (संशोधन) नियम, 1984, जो 29 सितम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 1039 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई/देखिए संख्या एल० टी०-204/85]

(3) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 793(अ) जो 26 नवम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो मद्रास पत्तन न्यास (पत्तन न्यास प्रतिभूतिओं के निर्गमन तथा प्रबन्ध) विनियम, 1978 में संशोधनों के अनुमोदन के बारे में है, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-205/85]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड कलकत्ता का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी.-206/85]

(ख) (एक) ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया (भारतीय निकर्षण निगम) लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया (भारतीय निकर्षण निगम) लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी.-207/85]

(5) महा-पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा 2 के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) मरमुगाओ पत्तन न्यास के वर्ष 1983-84 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी.-208/85]

(दो) बम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1983-84 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल.टी.-209/85]

(तीन) न्हावा सेवा पत्तन न्यास के वर्ष 1983-84 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए : देखिए संख्या एल.टी.-210/85]

(चार) तुतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1983-84 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-211/85]

(पांच) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1983-84 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल.टी.-212/85]

(छः) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1983-84 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-213/85]

(सात) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1983-84 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-214/85]

(6) बम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-215/85]

(7) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-216/86]

(8) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-217/85]

(9) तुतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-218/85]

(10) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-219/85]

(11) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-220/85]

(12) मरमागाओं पत्तन न्यास के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-221/85]

(13) (एक) कांडला गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) कांडला गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-222/85]

(14) (एक) मरमुगाओ गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) मरमुगाओ गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई/देखिए संख्या एल० टी०- 223/85]

(15) (एक) पैप्सू सड़क परिवहन निगम, पटियाला के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखे की (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन ।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए/देखिए संख्या एल. टी.-224/85]

(17) भारतीय सड़क निमाण निगम लिमिटेड के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीनों की निर्धारित अवधि के अन्दर सभा पटल पर न रखने के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी.-225/85]

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1954 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1954 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 24(अ) से 26(अ) तक की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), सभा पटल पर रखता हूं जो 16 जनवरी, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 13 नवम्बर, 1976 की अधिसूचना संख्या 274/76-के. उ. शु. तथा अधिसूचना संख्या 275/76 के. उ. शु., और 1 मार्च, 1981 की अधिसूचना संख्या 30/81-के. उ. शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि, ऊनी कपड़ों के लिये "इंडीपेंडन्ट प्रोसेसर" शब्द को परिभाषित किया जा सके ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 226/85]

भारतीय रेल अधिनियम, 1890, के अंतर्गत अधिसूचना, भारतीय रेल निर्माण कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के और रेल इंडिया टेक्निकल और इकानामिक सर्विस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की समीक्षा एवं वार्षिक प्रतिवेदन ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 82ञ की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) अधिसूचना संख्या का.आ. 690(अ), जो 11 सितम्बर 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा रेल दुर्घटना (प्रतिकर) (संशोधन) नियम, 1984 के बारे में है ।

(दो) रेल दुर्घटना (प्रतिकर) (दूसरा संशोधन) नियम, 1984, जो 27 नवम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 900(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(2) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) रेल पर्यटक एजेंटों का नियुक्ति संशोधन नियम, 1984, जो 22 अगस्त, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 611(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) रेल (भण्डारण और घाटमुल्क) (संशोधन) नियम, 1984, जो 14 सितम्बर, 1984 को भारत के राज़पत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 711(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-227/85]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) भारतीय रेल निर्माण कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय रेल निर्माण कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-228/85]

(ख) (एक) रेल इंडिया टैक्निकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसिज लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकोनौमिक सर्विसिज लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी.-229/85] ।

खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 1984, इंडियन नर्सिंग काउंसिल (भारतीय उपचारण परिषद्) के वर्ष 1983-84 और भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 1984, जो 27 अक्टूबर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 744 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल. टी.-230/85]

(2) (एक) इंडियन नर्सिंग काउन्सिल (भारतीय उपचारण परिषद्) के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) इंडियन नर्सिंग काउन्सिल भारतीय उपचारण परिषद् के वर्ष 1983-84 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी.-231/85]

(3) (एक) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी.-232/85]

[12.02 म.प.]

[अनुवाद]

राष्ट्रपति से सन्देश

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे राष्ट्रपति से दिनांक 23 जनवरी, 1985 का निम्नलिखित सन्देश प्राप्त हुआ है :

"मैंने 17 जनवरी, 1985 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष जो अभिभाषण दिया था, उसके प्रति लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ।"

[अनुवाद]

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देशों की सूचना सभा को देनी है:

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 23 जनवरी, 1985 को हुई अपनी बैठक में पारित साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 1985 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 23 जनवरी, 1985 को हुई अपनी बैठक में पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड विधेयक, 1985 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है ।"

[अनुवाद]

राज्यसभा द्वारा यथापारित विधेयक

महा सचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में निम्नलिखित विधेयक सभा पटल पर रखता हूँ।

(एक) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1985;

(दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड विधेयक, 1985 है ।

12.03 म. प.

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति

प्रथम प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ ।

"कि यह सभा 23 जनवरी, 1985 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय: : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 23 जनवरी, 1985 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

12.04 म.प.

[अनुवाद]

संविधान (52 वां संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय: : श्री ए० के० सेन।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर)--महोदय, मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठाता हूँ। मेरा व्यवस्था का प्रश्न इस विधेयक को सभा में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के संबंध में है। मैं इस मामले के गुणावगुणों में नहीं जा रहा हूँ। इस विधेयक को पुरःस्थापित करने से पहले प्रधान मंत्री ने विरोधी दलों के सदस्यों और शासक दल के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी। हमने इस विधेयक की उस व्यापक रूप रेखा पर चर्चा की है जिसके आधार पर यह विधेयक बनाया जाना था। एक आम सहमति हो गई है और हमने उस आम सहमति की एक प्रति प्रधान मंत्री जी को भेज दी थी। परन्तु आज हम देख रहे हैं कि जिस विधेयक को सभा में पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगी जा रही है। उसमें उस विधेयक से, जिस पर उपस्थित सभी सदस्य सहमत हुए थे, एक बुनियादी अन्तर है। उदाहरण के लिए यह सहमति हुई थी कि जहां तक.....

एक माननीय सदस्य : क्या वह गुणावगुणों पर चर्चा कर सकते हैं ।

प्रो. मधु दण्डवते : मैं गुणावगुणों में नहीं जा रहा हूं। इसका संबंध केवल प्रक्रिया से है। अध्यक्ष महोदय को अपना काम करने दीजिए। हमें अध्यक्ष महोदय से सहयोग करना चाहिए।

---

*दिनांक 24-1-1985 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3 में प्रकाशित

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, एक बात है····

प्रो. मधु दण्डवते : महोदय मुझे अपना व्यवस्था का प्रश्न पूरा करने दीजिए। विनिर्णय व्यवस्था का प्रश्न पूरा होने के बाद ही दिया जाता है। मैं एक विशिष्ट बात बताना चाहता हूं। यह निर्णय हुआ था कि यदि सचेतक के किसी आदेश का उल्लंघन किया जाता है और दल द्वारा सभा में की गई हरकत के बारे में कार्यवाही की जाती है तो यह अयोग्यता होगी। परन्तु वे इस विधेयक को, बाहर जो कुछ होता है, उस पर लागू कर रहे हैं। कुछ ऐसे तानाशाह दल हैं जो सदस्यों से विद्वेष होने के कारण कार्यवाही करते हैं इस प्रकार वे भी इस विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत आ जाएंगे। मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को, उस आम सहमति के आधार पर बनाया जाना चाहिए जो इस संबंध में हुई थी। बाद में इसे सभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप चर्चा कर सकते हैं। परन्तु सभा के बाहर जो कुछ हुआ है, मैं उससे बंधा हुआ नहीं····

प्रो. मधु दण्डवते : यह संसद भवन में हुआ है, संसद भवन में प्रधान मंत्री के कमरे में।

श्री ईरासु अय्यापू रेड्डी (कुनूल) : महोदय, मैं 'लोक सभा अध्यक्ष के निदेश' के निदेश संख्या 19 (ख), जो निम्नलिखित हैं, के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं:

> "कोई विधेयक पुरः स्थापित करने के लिए किसी दिन की कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसकी प्रतियां उस दिन से जब कि विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने का विचार हो, कम से कम दो दिन पूर्व सदस्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध न की गई हो।"

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे इससे छूट दी है। मैंने अनुमति दी है। विधेयक की प्रतियां उपलब्ध करा दी गई हैं।

श्री ईरासु अय्यापू रेड्डी : मेरे विचार में मैं अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाया हूं। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है। संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का अभिभाषण 17 तारीख को हुआ था····

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह रद्द किया जाता है।

श्री ईरासु अय्यापु रेड्डी : आप हमें आश्चर्यचकित करना चाहते हैं···

अध्यक्ष महोदय : कोई आश्चर्य नहीं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : मेरे राज्य ने भी दल-बदल विरोधी विधेयक पारित किया है·····

अध्यक्ष महोदय : उसका यहां कोई संबंध नहीं है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : प्रश्न यह है कि यह कानून न्यायालय में विचाराधीन है···

अध्यक्ष महोदय : नहीं। अनुमति नहीं दी जाती है रद्द किया जाता है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : यदि संसद द्वारा पारित कानून को हमारे राज्य में लागू किया जाता है तो हमारे कानून का क्या होगा।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना मुद्दा बाद में उठा सकते हैं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : महोदय, आप हमारा मार्ग-दर्शन करें।

अध्यक्ष महोदय : किया जाएगा।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : यह हमारे राज्य में निर्णयाधीन है। मैं चाहता हूं कि मेरा मार्ग-दर्शन किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: आप जिद्द क्यों करते हैं ?.....कृपया बैठ जाइये।

श्री अब्दुल रशीद काबुली: मैं विधेयक के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे राज्य द्वारा पारित दल बदल विरोधी विधेयक का क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये। इस समय हमारा उससे कोई संबंध नहीं है।

विधि और न्याय मंत्री (श्री अशोक सेन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अशोक सेन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

12.07 म० प०

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्ष महोदय : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमर, जोधपुर, बीकानेर तथा श्रीगंगानगर में उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों की स्थापना

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : यह संतोषजनक बात है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश में दूरदर्शन केन्द्रों का जाल बिछाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं है, जिससे कि 1984-85 के अन्त तक 70 प्रतिशत जनसंख्या इसका लाभ उठा सके।

यह वास्तव में एक प्रचार माध्यम क्रान्ति है, जो न केवल जनता को शिक्षित करने, जानकारी देने और उनका मनोरंजन करने में सहायक होगी अपितु इसमें राष्ट्रीय अखण्डता को भी बल मिलेगा। मंत्रालय ने कम शक्ति के ट्रांसमीटरों द्वारा राजस्थान के सीमावर्ती नगरों अर्थात् बाडमेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में दूरदर्शन का विस्तार किया है। ये जिले आकार में बहुत बड़े है और कम आबादी वाले हैं। कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों से केवल 25 कि. मी. की सीमा में ही दूरदर्शन के कार्यक्रम देखे जा सकते हैं। देश में 70 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन का लाभ मिलने के मुकाबले इन जिलों की केवल 5 से 10 प्रतिशत जनसंख्या को ही लाभ मिलेगा। लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या को तो पहले ही इसके अंतर्गत लाया जा चुका है।

ये सभी जिले पाकिस्तानी दूरदर्शन सिगनल ग्रहण करते हैं जो कि बहुत शक्तिशाली हैं। हम पाकिस्तानी प्रचार का तभी प्रतिकार कर सकते हैं यदि हम इन क्षेत्रों में अपने प्रचार माध्यमों को पर्याप्त शक्तिशाली बना सकें।

अतः, यह निवेदन है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय बाडमेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में उच्च शक्ति के ट्रान्समीटर लगाने का तुरंत निर्णय ले।

(दो) काकीनाडा पत्तन को महापतन में बदलना

श्री घोटा गोपाल कृष्ण (काकीनाडा): काकीनाडा बन्दरगाह को विश्व बैंक सहायता से एक बड़े मुख्य बन्दरगाह में बदलने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन था। प्रधान मंत्री महोदय ने काकीनाडा की जनता को शीघ्र ही इस परियोजना को प्रारंभ करने का आश्वासन दिया है ।

यह एक ऐसी परियोजना है जो न केवल नगर के लिए उपयोगी रहेगी बल्कि समस्त आन्ध्र प्रदेश के लिए भी उपयोगी रहेगी । उस क्षेत्र के लोग इस परियोजना को आरंभ करने में हुए विलम्ब के कारण बहुत क्षुब्ध हैं । इस सम्बन्ध में की जाने वाली शीघ्र कार्यवाही से ही उस क्षेत्र के लोग सन्तुष्ट होंगे ।

(तीन) उड़ीसा के सूखे से प्रभावित लोगों को तथा सिंचाई योजनाओं के लिए भी केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर): नियम 377 के अधीन, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले को उठाना चाहता हूं ।

उड़ीसा में सितम्बर, 1984 से चली आ रही बहुत ही गंभीर सूखे की स्थिति से भुवनेश्वर खुर्दा और नयागढ़ सबडिविजनों सहित राज्य के 138 खण्डों के 7.83 लाख हेक्टेयर भूमि में फसलों को हानि पहुंची है जिससे 55 लाख से अधिक जनसंख्या प्रभावित हुई है और उनको बहुत कठिनाई हुई है । इससे पहले 4.19 लाख हेक्टैयर में खड़ी फसलों को बाढ़ों से हानि हुई थी ।

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि उसे 200 करोड़ रुपये से उनकी सहायता करके राज्य की सूखा-प्रभावित जनता के सहायतार्थ आगे आना चाहियें, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके और जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उनको भविष्य में सूखे की स्थिति से बचाने के लिए सिंचाई योजनाएं शुरू की जा सके ।

[हिन्दी]

(चार) छोटे नोटों और सिक्कों की कमी

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि (राजकोट) : अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ महीनों से देश में सिक्के (रेजगारी) तथा एक-एक रुपयों के नोट की उपलब्धि नहीं हो रही है । जहां भी जाते हैं, चाहे छोटे व्यापारी हों या बड़े व्यापारी हों, कोई भी व्यक्ति फुटकर या रेजगारी देने को तैयार नहीं। सब यही बोलते हैं कि रेजगारी नहीं है। सरकार देती नहीं । जब शहरों में यह हालत है तो सबसे बुरी हालत तो छोटे-मोटे गांव एवं देहातों में हैं--जहां रेजगारी की बात पर झगड़े एवं मारपीट तक हो जाती है और वे गरीबों को लूटते हैं । खासतौर से महिलाओं को ज्यादा परेशानी होती है।

जब बैंक में जाते हैं तो बोलते हैं कि हैड आफिस से आते नहीं। रिजर्व बैंक देता नहीं । हमारे संसद भवन में भी बैंक में जाते हैं तो न रेजगारी मिलती है और न ही एक-एक के नोट उपलब्ध होते हैं । जब सांसदों की ही यह हालत है तो आम जनता की क्या हालत होगी ।

यह इसलिए हो रहा है कि जमाखोर और पैसे वाले छोटे नोट और रेजगारी इक्ट्ठे करके बैठ गए हैं और वे एक रुपए के सिक्के में साठ पैसे देते हैं। इस तरह वे इतना नाजायज फायदा गरीबों व जरूरतमंद लोगों से उठाते हैं ।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि सरकार को बड़ी मात्रा में सिक्के एवं एक रुपए के नोटों को कोआपरेटिव स्टोर, राष्ट्रीयकृत बैंक, सुपरबाजार तथा सरकारी ट्रेजरी के मारफत वितरण

करना चाहिए और ऐसे काला बाजारियों एवं जमाखोरों को पकड़कर बन्द करना चाहिए और इस को लक्ष्य में रखकर सरकार को अध्यादेश निकालना चाहिए कि सौ रुपए से ज्यादा जिसके पास फुटकर होगा, उसका जब्त किया जाएगा और सख्त सजा दी जाएगी।

(पांच) कपास उगाने वाले किसानों को सहायतार्थ नरमा कपास खरीदने के लिए भारतीय कपास निगम को निदेश दिये जाने की आवश्यकता

श्री बोरवल (गंगानगर): अध्यक्ष महोदय, नवम्बर, 84 में नरमा का भाव 675 रु. के करीब था, जो कि माह दिसम्बर, 1984 एवं जनवरी, 1985 में 530 रु. प्रति क्विंटल रह गया है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि सी सी आई को कपास नरमा की खरीद के लिए बाजार में उतार कर किसान को अपनी पैदावार का उचित मूल्य दिलवाया जाए।

अध्यक्ष महोदय : कृषि मंत्री जी भी दूसरे मंत्री जी को बोलेंगे।

12.14 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(छः) सारे भारत में निषाद मल्लाह, राजभर तथा बिन्द जातियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल करना

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, निशाद मल्लाह, राजभर और बिन्द जाति के लोग देश के प्रायः सभी प्रदेशों में बड़ी संख्या में रहते हैं। ये लोग आर्थिक एवं सामाजिक तौर से उतने ही पिछड़े और गरीब हैं, जितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। देश के कुछ प्रदेशों में ये लोग अनुसूचित जाति की सूची में शामिल हैं तथा उत्तर प्रदेश और बिहार सहित देश के कुछ अन्य भागों में ये लोग अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। इन जातियों के लोग जहां अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं हैं, बहुत दिनों से यह मांग करते आ रहे हैं कि उन्हें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए। संभवतः ये मामला गृह मंत्रालय के विचाराधीन है।

अनुसूचित जाति की सूची में शामिल हो जाने से समाज के बहुत ही कमजोर वर्गों में शामिल इन लोगों को काफी सुविधा प्राप्त हो जाएगी और इनको भी अन्य अनुसूचित जाति के लोगों की तरह आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त हो सकेंगे। मेरा गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि वे शीघ्रातिशीघ्र ऐसी कार्यवाही करने का कष्ट करें कि इन जातियों को भी अनुसूचित जाति की सूची में देश के सभी भागों में शामिल कर लिया जाए।

(सात) मिर्जापुर जिला (उत्तर प्रदेश) के ज्ञानपुर तहसील क्षेत्र में नलों द्वारा पेय जल की सप्लाई

श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर (उ. प्र.) के ज्ञानपुर तहसील क्षेत्र में तथा आस पास कुओं के पानी का स्तर तेजी से नीचे जा रहा है और कुएं सूख रहे हैं। अभी जनवरी से ही इस क्षेत्र के गांवों और कस्बों में पेय जल का संकट उत्पन्न हो रहा है। मैंने गत सप्ताह अपने दौरे के समय अनुभव किया कि इन क्षेत्रों में प्रति वर्ष जनवरी-फरवरी से ही पेय-जल की कठिनाई होने लगती है। इस क्षेत्र में घनी आबादी है। बड़े-बड़े गांव हैं और आसपास में हैं और कस्बे भी हैं। इसलिये यहां पर हैण्ड पम्प कामयाब नहीं हो रहा है। इसलिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि तात्कालिक संकट के समाधान के साथ-साथ इस पूरे क्षेत्र के लिये पाइपलाइन द्वारा पेय-जल की आपूर्ति करने की योजना बनाई जावे और उसे कार्यान्वित किया जावे।

[अनुवाद]

(आठ) भारतीय क्रिकेट दल में आंतरिक मतभेदों के समाचार

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (हावड़ा) : महोदय, चालू टेस्ट श्रृंखला में भारतीय क्रिकेट टीम का इंग्लैंड के विरुद्ध प्रदर्शन, टीम में कथित मतभेद के कारण अच्छा नहीं रहा है। खेल मंत्री महोदय से मामले पर ध्यान देने और उन समस्याओं को सुलझाने का निवेदन किया जा रहा है जो देश की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुन्शी, आपने स्वीकृत पाठ को बदल दिया है। आपको कृपया यह पता होना चाहिये कि केवल स्वीकृत पाठ को ही कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जायेगा।

(नौ) आगामी विधान सभा चुनावों में स्वतंत्र तथा भयमुक्त निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु आन्ध्र प्रदेश में हरिजनों के लिए सुरक्षा

प्रो. एन. जी. रंगा (गुन्टूर) : संसद के हाल ही में हुए आम चुनावों के दिन और इसके दो-तीन दिन बाद तक स्थानीय सवर्णों ने स्थानीय हरिजनों पर आक्रमण करके बहुत से लोगों को घायल कर दिया, निर्दयता से महिलाओं पर हमला किया। हरिजनों के घरों और अन्य सम्पत्ति को नष्ट कर दिया और यह सब आन्ध्र प्रदेश के गांव विशेष कर बन्दरूपलेम, टककेल्लापडु, इलूरू, पेडापुडी, दवुलुरू अनन्तावरापडु, विजाडला, डोन्डापडु, गारिकापडु तम्भावेरम, नीरूकोन्डा और वेंकटापलेम गांवों में हुआ जो कि गुन्टूर और तेनाली चुनाव क्षेत्रों में पड़ते हैं। इन बहुत से हरिजनों को मदतान करने से रोका गया और उनके वोटों में हेराफेरी की गयी। एक हरिजन महिला को इतनी बुरी तरह चोट पहुंचाई गई कि उसका गर्भ गिर गया। एक हरिजन को सिर में गंभीर चोटें आईं, दूसरे का हाथ तोड़ दिया गया और बहुत से लोगों को अस्पताल में दाखिल किया गया। इसके बाद खेत के काम से निकाल दिए जाने की धमकियां दी जा रही हैं। हरिजनों के घरों में या उनके निकट मतदान केन्द्र स्थापित करने के लिए विशेष कदम उठाने की भारी और तुरंत आवश्यकता है और आन्ध्र प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनावों में स्वतन्त्र और निर्भीक मतदान सुनिश्चित करने के लिए हरिजनों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय करने होंगे। इस प्रकार की सभी ज्यादतियों की तुरंत जांच किये जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

(दस) राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम को सिंगरौली परियोजना के प्रभावित प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति के लिए नौकरी की सुव्यवस्था न करने के कारण लोगों में असंतोष

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक एन. टी. पी. सी. के अन्तर्गत सिंगरौली शक्तिनगर परियोजना से विस्थापित जनता को प्रति परिवार से एक आदमी को नौकरी न मिलने से लोगों में गहरी चिन्ता व्याप्त हो गई है और विस्थापितों के समक्ष उनकी रोजी रोटी की समस्या खड़ी है। अतः भारत सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित करते हुए विस्थापितों के प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति के नौकरी देने की मांग करता हूं।

[अनुवाद]

(ग्यारह) पश्चिम बंगाल राज्य में ग्रामीण विकास कार्य को तेज करने हेतु पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय सहायता

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास कार्यों को जारी रखने और उन्हें गति प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति न मिलने के कारण गत

चार मास से ऐसे सभी कार्य ठप्प पड़ गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी गतिविधियों को गति प्रदान करने का यही सही समय है। स्वीकृत योजनाओं के आधार पर लाभ ग्राहियों को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और अन्य परियोजनाओं के अधीन बैंकों से पैसा मिला करता था। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा भारत सरकार के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री को लिखे गये पत्र के अनुसार राज्य सरकार ने अपने हिस्से के अंशदान को पहले ही बैंकों में जमा कर दिया है जिससे इन योजनाओं के अधीन राज सहायता का हिस्सा पूरा किया जा सके. परन्तु केन्द्र सरकार से बराबर का अनुदान न मिलने के कारण बैंक धन देने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं।

अत: केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि बराबर का अनुदान शीघ्र स्वीकृत किया जाए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य को गति प्रदान की जा सके।

[हिन्दी]

(बारह) देश में बाल कल्याण परिषदें गठित करने की आवश्यकता

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत का विकास एवं इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिये हमें देश के शिशुओं पर ध्यान देना होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत में छोटी उम्र के बच्चे बीमारी से, समय-समय पर स्वास्थय लाभ के अभाव में तथा पालन-पोषण सही रूप में न होने की वजह से हर साल सैकड़ों बच्चों की मृत्यु हो जाती है। शिशुओं के संबंध में केन्द्रीय और राज्य सरकारों को सलाह देने के लिये केन्द्रीय शिशु कल्याण परिषद और प्रांतीय तथा राज्य शिशु कल्याण परिषदें बनाई जायें। ये परिषदें शिशु कल्याण सेवाओं की समीक्षा करें और सम्बद्ध सरकारों को अपनी सिफारिशें दें। शिशु परामर्श केन्द्रों में परामर्शदाता, डाक्टर, मनोवैज्ञानिक और अन्य विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाये, इसके लिये भारत के स्वयंसेवी सामाजिक कार्यकर्ताओं को शिशु सेवा कार्यक्रमों में सहयोग देना चाहिये। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार इस क्षेत्र में शीघ्र ही कारगर एवं प्रभावशाली कार्यक्रम शुरु करें और देश की अनेक गम्भीर समस्याओं में इसे भी सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाये। इन शिशु कल्याण परिषदों के अधीन कम आमदनी वाले परिवारों की आसन्नप्रसवा स्त्रियों और शिशुओं को मुफ्त चिकित्सा दी जाये। आजकल युवती माताओं में नौकरियां करने की बढ़ती प्रवृति को देखते हुए इस की आवश्यकता बहुत अधिक हो गई है। इसी के द्वारा हम भावी देश की सीढ़ी को मजबूत कर सकेंगे।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : उपाध्यक्ष महोदय** ......

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं कृपया बैठ जाइये। आप इसे लिखित में दे सकते हैं। आप जो कुछ भी कह रहे हैं, उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

12.24 म.प.

[अनुवाद]

*अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 1982-83 और *अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 1984-85

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 15 और 16 को एक साथ लेगी। इसके लिये एक घंटे का समय आवंटित किया गया।

जिन सदस्यों ने कटौती प्रस्तावों की सूचना दी है, वे उन्हें प्रस्तुत करें।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोरबन्दर) : महोदय, आपने प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया है। इससे पहले पीठाध्यक्ष यह घोषणा कर रहे हैं कि यदि सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं तो वे इसके लिये 15 मिनट के अन्दर पर्चियां सभा पटल पर भेज दें। अब आप सदस्यों के समय में कमी कर रहे हैं। इसलिये प्रक्रिया में अचानक परिवर्तन हुआ है। इससे सदस्यों को नुकसान होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों की संख्या अधिक होने पर हम ऐसा करते हैं। यदि सदस्यों की संख्या कम है तो यह प्रथा नहीं हैं।

श्री जी. एस. बनातवाला : प्रक्रिया में परिवर्तन करना सदस्यों के साथ अन्याय होगा। आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो आम परिपाटी है।

श्री जी. एम. बनातवाला : यह आम परिपाटी नहीं है

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों की अतिरिक्त राशि को पूरा करने के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :–
मांग संख्या 4, 5, 6, 10, 13 और 15।"

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांग के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्च को पूरा करने के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक सम्बंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।

मांग संख्या 16।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत 1982-83 के लिए अनुदान की अतिरिक्त मांगें (रेलवे)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत मांग की रकम
1	2	3
		रु.
4	रेलपथ और निर्माणों की मरम्मत और अनुरक्षण	2,92,26,650
5	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	5,21,94,902
6	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	1,41,17,922
10	परिचालन व्यय-ईंधन	12,02,72,800
13	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	22,56,85,397
15	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण की अदायगी और अति–पूंजीकरण का परिशोधन	20,90,33,732

लोक सभा क. स्व कृति के लिये प्रस्तुत 1984–85 के लिये अनुदान क. अनुपूरक मांग (रेलवे)

मांग क. संख्या	मांग का नाम	सदन क स्व कृति के लिए प्रस्तुत अनुदान क. मांग क राशि
1	2	3
		रु०
16	परिसम्पत्तियां – खर द निर्माण और बदलाव	अन्य व्यय 91,00,000

श्री सैफुद्दीन चौधरी : (कटवा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि परिसम्पत्तियां– अधिग्रहण निर्माण और बदलाव के संबंध में 91,00,000 रुपये से अनधिक राशि के अनुदान क पूरक मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वी रेलवे क. बर्दवान– कटवा रेल लाइन को दोहर लाइन में बदलने क. आवश्यकता] (2)

"कि परिसम्पत्तियां अधिग्रहण निर्माण और बदलाव के संबंध में 91,00,000 रुपये से अनधिक राशि के अनुदान क. पूरक मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[पूर्वी रेलवे क बर्दवान– कटवा रेल लाइन को बड़. लाइन में बदलने क आवश्यकता] (3)

श्री अजीत कुमार साहा (विष्णुपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :–

"कि परिसम्पत्तियां– अधिग्रहण निर्माण और बदलाव के संबंध में 91,00,000 रुपये से अनधिक राशि के अनुदान क. पूरक मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[ब . ड . आर. रेल को बड़. लाइन में बदलने क. आवश्यकता] (4)

श्री मालारेड्डी रघुमा रेड्डी (नलगोंडा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेल बजट क अनुदान की मांगों का समर्थन नहीं कर रहा हूं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् आन्ध्र प्रदेश में केवल एक नई रेल लाइन अर्थात नडीकुडा--ब.ब. नगर लाइन पर ह कार्य आरम्भ किया गया है। सरकार ने पर्याप्त धनराशि नहीं द. है। जनता सरकार ने काफ धनराशि द. थ.। यह लाईन केवल नलगोंडा तक ह बन सक, उसके बाद धनाभाव के कारण कार्य रुका पड़ा है। नलगोंडा से मिर यालागुडा लाइन का कार्य निर्माणध न था। स्वर्गीय प्रधान मंत्र ने अपने उद्घाटन भाषण में यह वचन दिया था कि छठ योजना क समाप्ति से पहले ह यह कार्य समाप्त हो जायेगा। कृष्णा नद. पर एक उपरि पुल तथा नड गुडा तक लाइन का निर्माण होना है। यदि सरकार आज ह पर्याप्त धनराशि दे देत है तो इसको पूरा होने में भी लगभग चार वर्ष लगेगें। राज्य में कोई भ. सरकार क्यों न हों, मैं रेल मंत्र. से अनुरोध करता हूं कि वे इस कार्य को पूरा करने के लिये कम से कम अब तो पर्याप्त धनराशि दें, इस लाइन के निर्माण से मद्रास से हैदराबाद जाने क. दूर कम हो जायेगी और इससे पिछड़ा जिला नलगोंडा को भ. सहायता मिलेग। अतः मैं मंत्र. महोदय तथा सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस लाइन के निर्माण के लिये श घ्र ह पर्याप्त धन-राशि दें।

उपाध्यक्ष महोदय: एक घंटे का समय आवंटित किया गया है। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने भाषण संक्षेप में दें ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर): महोदय, हम आप से समय बढ़ाने के लिये अनुरोध करते हैं। अनेक सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय द्वारा सभा में प्रस्तुत रेल की अनुपूरक मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। महोदय, रक्षा के बाद देश में सरकारी क्षेत्र में रेलवे अत्यन्त अनुशासित एवं सुगठित संगठन है और रेलवे बोर्ड तथा मंत्रालय के अनेक निष्ठावान कर्मचारी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हमारे देश के विकास की गति तीव्र करने में सहायता के कार्य का दायित्व उठा रहे हैं। महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि रेल का कार्यभार बन्सी लाल तथा श्री सिंधिया जी के योग्य हाथों में सौंपा गया है। हम आशा करते है कि जो भी कमियां तथा कठिनाईयां हैं उन पर रेलवे द्वारा ध्यान दिया जायेगा और वे अपना कार्य सुधारेगें।

महोदय, संसाधन कम होने के बावजूद भी रेलवे ने आम तौर पर एक ऐसी प्रणाली विकसित कर ली है कि वह इस देश की परिवहन व्यवस्था में सहायता कर रही हैं क्योंकि जहां तक माल एवं यात्री यातायात का संबंध है, रेलवे का इस क्षेत्र में एकाधिकार है।

1983-84 के पहले नौ महीने में रेलवे ने 97 नई गाड़ियां चलाई हैं, नये सर्वेक्षण कार्य हाथ में लिये हैं, नये डिवीजन स्थापित किये हैं, नई रेलवे लाइने बिछाई हैं तथा विभिन्न विकास कार्य हाथ में लिये हैं। विभिन्न राज्यों में लोगों की आंकाक्षाओं को पूरा करने के लिये और माल की ढुलाई तथा यात्रियों के परिवहन में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस विषय में जो समस्यायें सामने आई हैं, उन्हें दूर करने के प्रयास किये गये ।

प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में नई सरकार ने सभी दिशाओं में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।

मैं रेलवे के समक्ष पिछले कई वर्षों से जो बुनियादी समस्याएं रही हैं उनको मंत्री महोदय के विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहता हूं।

आज यदि आप हमारे समक्ष अनुदानों की मांगों को देखें और उनका विश्लेषण करें तो आप पायेंगे कि 378 करोड़ रुपये का घाटा है तथा रेलों की आय में 100 करोड़ की कमी हुई है तथा 1984-85 के दौरान रेलवे द्वारा की जाने वाली ढुलाई में 80 लाख की कमी आने की उम्मीद थी।

जैसा कि आप जानते हैं योजना आयोग ने आरम्भ में 30.5 करोड़ टन ढुलाई का अनुमान लगाया था। बाद में उसे घटा कर 25 करोड़ टन कर दिया गया। फिर रेलवे ने योजना आयोग के अनुमान को अधिक आशावाद मानकर क्योंकि वह अधिक वस्तु परक नहीं था – उसमें और कमी की अर्थात उसे 24.5 करोड़ टन कर दिया। आज आप पायेंगे कि अब वह घटकर 23 करोड़ टन ही रह गया है।

रेलवे हमारी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण क्षेत्र है परन्तु उसमें पिछले 8 अथवा 9 वर्षों में वृद्धि शून्य ही रही है। इस समस्या पर विचार किया जाना चाहिये तथा हमें पता लगाना है कि ऐसा क्यों हुआ। भाड़े के रूप में जो राजस्व प्राप्त होता है उसके तहत 1976-77 में 21.2 करोड़ टन माल ढोया गया था। 1983-84 में यह बढ़ कर केवल 22.9 करोड़ टन हुआ। 1984-85 में उसके 23.5 करोड़ टन होने की संभावना है।

यात्री परिवहन भी लगभग स्थिर ही रहा है। 1977-78 में यह 350.5 करोड़ था और 1983-84 में बढ़कर 365 करोड़ हुआ है। उसी प्रकार यदि आप यात्री किलोमीटर पर भी विचार

करें तो उसमें भी कोई सुधार दिखाई नहीं देता। यात्रियों द्वारा किलोमीटर यात्रा जोकि 1982–83 में 22678.7 करोड़ थी उस वर्ष घटकर 21493.4 करोड़ रह गई। 1984–85 के लिये इसका अनुमान 22196.4 करोड़ है।

छठी योजना में विद्युतीकरण के कार्यक्रम का लक्ष्य 2800 किलोमीटर था, परन्तु उपलब्धि केवल 1800 किलोमीटर ही रही है।

अब रेलपथ के बदले जाने की योजना के बारे में यह अत्यन्त आवश्यक है कि रेल पटरियों को बदला जाये। छठी योजना के दौरान 14000 किलोमीटर लाइन को बदलने का लक्ष्य था, परन्तु उपलब्धि लगभग 9000 किलोमीटर है। यदि आप भारतीय रेलों के परिचालन औसत पर ध्यान दें –

मैं पृथक पृथक क्षेत्रों को नहीं लेता क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है तो यह औसत बढ़कर 94% हो गया है जो कि 1982–83 में 88.3% थी। यदि आप हमारे समक्ष जो समस्या है उस पर थोड़ा और गम्भीरता से विचार करेंगे तो आप पायेंगे कि हम भारतीय रेलों में आत्म-निर्भरता लाने की चेष्टा कर रहे है। आयोजना के माध्यम से हम इसे क्रियान्वित करने की चेष्टा कर रहे हैं। यदि आप भारतीय रेलों द्वारा आयात पर विचार करें तो आप पायेंगे कि स्थिति इस प्रकार रह; 1970–71 में हमने 14 करोड़ रु. के मूल्य का आयात किया, 1973–74 के माल एवं उपकरणों में यह 25 करोड़ था, 1975–76 में 17 करोड़, 1977–78 में 18 करोड़ और 1978–79 में 13 करोड़ था।

1979-80 में यह बढ़ कर 30 करोड़ रुपये हो गया था। नियमित असंतुलनों को दूर करना एक राष्ट्रीय उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये रेल विभाग को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। परन्तु यदि हम रेलों के सम्पूर्ण व्ययों का विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि रेलों को विकास कार्यों के लिये आवंटित राशि का 45 प्रतिशत भाग कलकत्ता-मद्रास-बंबई, कलकत्ता-मद्रास-दिल्ली, कलकत्ता दिल्ली जैसे मुख्य पथों पर ही व्यय कर दिया जाता है। तो अन्य क्षेत्रों का विकास कैसे होगा प्रत्येक राज्य विकास के लिये माँग कर रहा है परन्तु 45 प्रतिशत भाग मुख्य पथों पर ही व्यय हो जाता है। जितना अधिक आय व्यय करेंगे उतना अधिक गतिरोध पैदा होगा। यदि किसी जगह तीन लाइने हैं तो वह चार लाइने चाहते हैं इत्यादि। प्रो. मधु दण्डवते ने कहा है कि मंत्री महोदय नौकरशाही तरीकों का अनुसरण नहीं करेंगे। वह जनता के प्रतिनिधि हैं। उसी प्रकार श्री माधव राव सिन्धिया भी लोक प्रिय व्यक्ति है। वे क्यों नहीं इस पर ध्यान देते और देखें कि कम विकसित क्षेत्रों में भी पैसा खर्च किया गया है। इतना अधिक धन लगा कर भी ऐसा क्यों नहीं कर पाये, अपनी अधिशेष निधि क्यों, नहीं तैयार कर पाये जिससे कि वे अपने खर्चों को पूरा कर सकते, फालतू राशि उन राज्यों में लगा सकते जहाँ विकास कार्य पिछड़ा हुआ है।

छठी योजना के आरम्भ में 13000 किलोमीटर रेल पथ के नवीकरण का कार्य अपेक्षित था। वह कम होने के स्थान पर बढ़ कर 20,000 किलोमीटर हो गया है। अधिक व्यय करने स्रोतों पर अधिक दबाव के कारण रेल पथ सुधार के कार्य का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया।

यदि आप प्रभारित पूंजी पर ध्यान दे तो आप पायेंगे कि 1950-51 में यह केवल 827 करोड़ थी। अब आप इस पर योजना बार ध्यान। 31-3-83 को यह 7251.09 करोड़ रुपये थी। इस वजह से रेलों पर अधिक पूंजी लगी हुई है क्योंकि प्रभारित पूंजी बढ़ती जा रही है। जब तक हम अपनी अधिशेष निधि तैयार नहीं करते तब तक यह बढ़ती जायेगी। इस पर अधिक भार डाला जा रहा है। दूसरे रेलें सामान्य राजस्व से उधार बढ़ाती जायेगी। आज यह ऋण संभवतः 500 करोड़ रुपये हैं; जब उन्होंने शुरू किया था तो यह रकम 100 करोड़ रुपये थी। अतः इस पूरे मामले पर गम्भीरता से पुन-विचार किये जाने की आवश्यकता है।

हमारे देश में बिना टिकट यात्रा बढ़ती जा रही है। 1982 में बिना टिकट यात्रियों की संख्या 2.84 लाख थी; अब यह 3.27 लाख हो गयी है।

पश्चिम बंगाल में पूर्वी रेलवे के कई हजार कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई। मंत्री महोदय तथा प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप से उन्हें पुनः ले लिया गया है। उसी तरह जखपुरा दैतरी रेल लिंक के मामले पर मैं पिछले 3 वर्ष से रेलवे बोर्ड का ध्यान दिलाता रहा हूं। लगभग 374 कार्मिक 3 वर्ष से कार्य कर रहे थे। उन्हें निकाल दिया गया है उनमें से अधिकांश आदिम जातिय गृह-विहीन और गरीब हैं। जब आप छंटनी किये गये हजारों कर्मचारियों को पूर्वी रेलवे में बहाल कर रहे हैं, मेरी मंत्री महोदय से अपील है कि इन आदिम जातीय 374 छंटनी किये गये कर्मचारियों को भी बहाल किया जाये। क्योंकि वहां नई लाईन का निर्माण हो रहा है। जिस पर उन्हें खपाया जा सकता है। भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने घोषणा की थी कि रेलवे को प्रमुख क्षेत्र की सूची में सम्मिलित किया जायेगा। उक्त घोषणा अभी भी पूरी नहीं हुई है। मैं मंत्री महोदय से पुनः निवेदन करता हूं कि इन बातों पर ध्यान दें क्योंकि रेल संसाधनों के अभाव के कारण रेलें रोगग्रस्त हो गई हैं। बहुत-सी बातें रेलों के सुधार पर निर्भर हैं।

खुर्दा मार्ग, फुलामी-बोलनगीर बड़ी लाईन जोड़ने के सर्वेक्षण के कार्य को 1983 में स्वीकृति दी गई थी। परन्तु कार्य की प्रगति बहुत ही धीमी है। इसमें तीव्रता लायी जानी चाहिये और रेल लाइन का निर्माण किया जाना चाहिये ताकि इससे जनजातीय आबादी वाले तीन जिलों को मदद मिलेगी।

अब मैं एक अन्य बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। 1983 में रेल मंत्री तथा भूतपूर्व प्रधान मंत्री इस सभा में खुदरा रोड–फूलबती बोलांगीर लिंक का सर्वेक्षण करने की बात कही थी, क्योंकि यह पूर्णतः आदिम जातीय क्षेत्र है। इसके लिए धन की स्वीकृति 1983 में दी गई थी परन्तु अभी तक कार्य में प्रगति नहीं हुई। सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जाना चाहिए तथा कार्य को तुरन्त हाथ में लिया जाना चाहिए क्योंकि यह लाईन उड़ीसा राज्य के छः जिलों को जोड़ती है। जिनकी अधिकांश जन संख्या आदिम जातीय है।

श्रीमान हाल ही में नीलांचल एक्सप्रेस, जोकि राजधानी से उड़ीसा के लिए एक प्रतिष्ठित अति तीव्र गति की गाड़ी है। के रख रखाव का कार्य पुरी से स्थानांतरित किया गया था। पहले यह अनुरक्षण कार्य पुरी में होता था। दक्षिण-पूर्व रेलवे के महा प्रबंध के आदेश से इस प्रतिष्ठित गाड़ी के रख-रखाव का कार्य सन्तारा गाछी में हावड़ा-पुरी रेल लिंक के साथ जोड़ दिया गया है। परिणाम यह हुआ है कि नीलांचल एक्सप्रेस के रख-रखाव में उपेक्षा बरती जा रही है। उचित सफाई नहीं होती, बत्तियों की मरम्मत नहीं होती तथा रख-रखाव का स्तर गिर रहा है। मैं तुरन्त यथा-स्थिति बहाल करने के लिए निवेदन करता हूं।

इन शब्दो के साथ रेलों के कार्यकरण के सुधार में जो दिलचस्पी मंत्री महोदय दिखा रहे हैं उसके लिए मैं उनका पुनः धन्यवाद करता हूं। उड़ीसा में खुर्दा रोड डिवीजन में यात्रियों के सुविधा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। खुर्दा रोड तथा बालूगांव के बीच रुकने वाले स्टेशनों से यात्रियों के होने वाली परेशानी की वजन से पुरी-तिरुपति एक्सप्रेस को यहां नहीं रोका जाता था। इस स्थान पर कोई उपयुक्त यात्री गाड़ी का इंतजाम नही किया गया है। हमने रेल मंत्री तथा अन्य उच्च अधिकारियों से निवेदन किया था। कि इस पर ध्यान दें। हमने निवेदन किया था कि कुछ नई गाड़ियां चालू की जाय। इस सैक्सन में समय 7 बजे प्रातः से 7 बजे सायं तक कोई गाड़ी नही है। जिस से यात्रियों को भारी असुविधा होती है। मैं रेल मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस पर ध्यान दें तथा कटक और बरहमपुर के बीच एक शटल चलवायें और खुर्दा रोड मंडल में भूसान्दपुर रेलवे स्टेशन पर 37 अप तथा 38 डाउन को रोका जाये।

श्री अजीत कुमार साहा : (विष्णुपुर) : मेरे पास बहुत कम समय है परन्तु मैं कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं। मेरी पहली बात यह है कि 1980 में सत्ता में आने के समय उन्होंने आश्वासन दिया था कि रेलवे के नैमित्तिक मजदूरों को नियमित किया जायेगा। परन्तु अभी भी 22000 नैमित्तिक कर्मचारी

नियमित नहीं किये गये हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस पर ध्यान दें। यह एक अत्यन्त गंभीर मसला है। अतः उन्हें अधिक रुचि लेनी चाहिए।

नई रेलवे लाइनों के निर्माण के संबंध में मैं रानी गंज से बांकुरा बरास्ता मिझिया के निर्माण के बारे मे उल्लेख करना चाहता हूं। यह प्रस्ताव उस समय शुरू किया गया था जब भारत के भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रतिवेदन में बताया गया था कि पश्चिम बंगाल के पिछड़े जिलों में कोयले के असीम भंडार विद्यमान हैं। दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा परिवहन तथा इंजीनियरिंग सर्वेक्षण किया गया था तथा राज्य सरकार ने धन भी दे दिया था। यह प्रतिवेदन नये रेलवे संपर्क की स्थापना के पक्ष में था। क्योंकि यह लाइन न केवल लाभप्रद रहेगी। अपितु यहां से कोलाघाट ताप बिजली परियोजना तथा दक्षिण भारत के कुछ भागों को कोयला भेजे जाने के कारण भी इससे लाभ होगा।

वहां पर कुछ मीटर गेज तथा कुछ छोटी लाइनें हैं जिन्हें बडी लाइनों में बदलने की आवश्यकता है इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे जिले में एक बाकुरा-दामोदर रेलवे लाइन है। इस लाइन का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस लाइन का राष्ट्रीयकरण करें तथा इसे बड़ी लाइन में बदलें। इस लाइन को बर्दवान तक बढ़ाया जा सकता है। यदि ऐसा किया जाता है तो इस क्षेत्र की जनता को बहुत लाभ पहुंचेगा।

लगभग 20,000 किलोमीटर रेल-पथ अत्यन्त खराब हालत में है। इसी के कारण बार-बार दुर्घटनाएं होती हैं तथा गाड़ियां विलम्ब से चलती है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस पर ध्यान दें तथा पुराने रेल पथों को शीघ्र बदलने के लिए कार्यवाही करें।

हमारे भूतपूर्व रेल मंत्री श्री गनी खान चौधरी ने निर्वाचन से पूर्व तमलुक डिगा रेलवे लाइन की चुनाव प्रचार के रूप में आधार शिला रखी। परन्तु वास्तविकता यह है कि योजना आयोग ने उस रेलवे लाइन को अभी तक मंजूरी नहीं दी है। मैं रेल मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस लाइन को शीघ्र हाथ में ले।

हमारे कामरेड दिवंगत श्री ज्योतिर्मय बसु अपने पूरे जीवन बज बज से नमखाना रेलवे लाइन के निर्माण के लिए संघर्ष करते रहे। परन्तु उस पर विचार नहीं किया गया। इस रेलवे लाइन के निर्माण के प्रस्ताव सुन्दर बन के पिछड़े क्षेत्र के लिए है। फरवरी 1982 में योजना मंत्री ने इस बारे में हमें आश्वासन दिया था। परन्तु अभी तक योजना आयोग ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। इसके विपरीत उन्होंने इस परियोजना को छोड़ दिया है। यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को हाथ में लें।

पुलिया के पिछड़े जिले में पुलिया-कोटशिला रेलवे लाइन है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 6 करोड़ रुपए है। तत्कालीन रेल मंत्री श्री केदार पांडे ने हमें सभा में आश्वासन दिया था कि छः महीने के भीतर इसका निर्माण किया जायेगा। परन्तु योजना आयोग ने अभी तक कुछ नहीं किया है। मैं मंत्री महोदय से इसे शीघ्र हाथ में लेने का निवेदन करूंगा।

पूर्वी रेलवे के बन्डेल कटवा सेक्शन के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाये। इस क्षेत्र से बहुत से यात्री कलकत्ता जाते हैं। परन्तु इस क्षेत्र में चलने वाली गाड़ियों की संख्या बहुत कम है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यात्रियों को सुविधा पहुंचाने के लिए अधिक गाड़ियां चलाई जाय।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1972 में हावड़ा-जनता रेलवे लाइन की आधार-शिला रखी थी। इसे बहुत वर्ष हो चुके हैं। परन्तु केवल 8-10 किलोमीटर रेलवे लाइन का निर्माण हुआ है। मेरा रेल मंत्री से निवेदन है कि इसे प्राथमिकता के आधार पर लिया जाये। मेरा उनसे यह भी निवेदन है कि आगामी बजट में कुछ और राशि दी जाये।

भूतपूर्व रेल मंत्री ने हमारे क्षेत्र में एक गाड़ी नीलचल एक्सप्रेस चालू की। परन्तु श्रीमान् मिदनापुर और अद्रा सेक्शन के बीच कुछ ही किलोमीटर के क्षेत्र का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए प्लेटफार्मों का निर्माण नहीं किया गया है। अत: मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करें। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे के पूरक बजट पर जो मांगें पेश की गई हैं, मैं उन का समर्थन करता हूं और सदन से भी यह आग्रह करता हूं कि इस क्षेत्र में आजादी के बाद हम बड़ी उमंग के साथ यह पहला अवसर देख रहे हैं कि जहां हमको परिणामवादी प्रधानमंत्री मिले हैं और इसी तरह रेल विभाग में जो हमें मंत्री मिले हैं, चाहे बंसीलाल जी हों, चाहे माधव राव जी हों, ये भी परिणामवादी हैं। जहां जहां इन्हें काम सौंपा गया है, इन्होंने अच्छे परिणाम दिये हैं। ऐसे मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत की गई इस मांग को सदन में सादर स्वीकार करना चाहिये, उसका समर्थन करना चाहिये।

मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर, समर्थन करते हुए, रेल मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी रेलों में हम यात्रियों को सुविधाएं ज्यादा दें, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिये। वैसे नया मंत्रालय ध्यान दे रहा है, लेकिन इसको और सघन किया जाना चाहिये। परन्तु एक महत्वपूर्ण सुरक्षा की स्थिति की ओर मैं रेल मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करूंगा।

जब हम रेल में सफर करते हैं तो सुरक्षा के दो तरह के बल हमारे सामने आते हैं, एक होता है जी आर. पी. और दूसरा होता है आर. पी. एफ.। हमें लगता है कि पुलिस वाले शस्त्रों के साथ और वर्दी के साथ रेल में सफर कर रहे हैं, लेकिन जन-जीवन सुरक्षित नहीं है, कई बार वहां पर बखेड़े हो जाते हैं। जब उसकी तह में हम पता लगाते हैं तो मालूम पड़ता है कि जी. आर. पी. और आर. पी. एफ. के बीच कई कार्य-विभाजन बड़े अटपटे हैं। आर. पी. एफ. के लोगों के पास किसी तरह के कोई अधिकार नहीं है, उनके बीच और हमारे बीच केवल वर्दी का फर्क, शस्त्रों का फर्क होता है। अगर किसी के पास लाइसेंस वाली बंदूक है, तो वह भी आर. पी. एफ. की तरह ही व्यवहार कर सकता है और आर. पी. एफ. वाले में और नागरिक में कोई फर्क नहीं होता है। पहला आग्रह यह करूंगा कि क्योंकि आर. पी. एफ. वालों को कोई अधिकार नहीं है, इसलिये उनके सामने अपराध होते रहते हैं और वह निरीह होकर देखते रहते हैं, उनको अधिकार दिये जायें।

दूसरी फोर्स है जी. आर. पी. जो कि होती है प्रांतीय सरकार की और इस पर खर्च भी होता है प्रांतीय सरकारों का। उनके पास जो वैधानिक अधिकार होते हैं, वे आर. पी. एफ. के पास नहीं होते हैं। इस विसंगति को दूर किया जाना चाहिये। मैं रेल मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इसके लिये हमको संविधान में संशोधन भी करना पड़े तो हमें करना चाहिये। जी. आर. पी. स्टेट सबजैक्ट के अंतर्गत काम करती है आर. पी. एफ. काम करती है केन्द्र के अन्तर्गत इस विसंगति को अगर दूर नहीं करेंगे तो रात-दिन अपराध बढ़ते जायेंगे और जिनके पास अधिकार नहीं हैं, उनको लोग गाली देते जायेंगे और जिनके पास अधिकार हैं, वह काम नहीं कर सकेंगे। यह मेरा सुझाव है।

दोनों मंत्रियों से मैं यह भी निवेदन करूंगा कि चेन-पुलिंग की बीमारी हमारे देश में दिनों-दिन बढ़ती जा रही है नागरिक चेन को खींचते हैं लेकिन उसके बदले गाली रेल विभाग को खानी पड़ती है, जब कि रेल विभाग का उसमें कोई कसूर नहीं है क्योंकि चेन रेलवे वाले नहीं खींचते हैं। इसके बारे में कुछ न कुछ व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। हम लोग जो सदन में चुनकर आये हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। यह जो बीमारी देश में बढ़ती जा रही है, बड़ी से बड़ी तेज रेलगाड़ी को हमारे लोग चाहे जहां रोक लेते हैं और चेन-पुलिंग हो जाती है और हमारा स्टाफ खड़ा रहता है और अगले स्टेशन पर इंतजार करते हुए लोग सरकार को गाली देते रहते हैं, इसमें मैं समझता हूं कि सरकार का कोई अपराध नहीं है:

मुझे खुशी है कि सरकार ने आते ही माधव राव जी के कक्ष में मानिटरिंग का सिस्टम शुरू किया है और हम कई गाड़ियां उनके यहां चार्ट पर देख सकते हैं कि किस कारण विलंबित हैं, किस कारण निलंबित हैं और किस कारण से वह चलते हुए भी नहीं पहुंच रही हैं।

यह अच्छी बात है, इसका निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन साथ ही एक निवेदन और करूंगा और खास कर मैं बंसीलाल जी से अपेक्षा करता हूं कि बंसीलाल जी ने हरियाणा की मिट्टी को छुआ, उसका चरित्र बदल दिया है। यह यश की खातिर बात है। मैं चाहूंगा कि जितनी बाय-वीकली चला रहे हैं, इन बाय-वीकली की कोई नीति बनाये कि हफ्ते में 2 या 3 दिन चलने वाली गाड़ियां पूरे हफ्ते चलें क्योंकि हमारे मुसाफिरों की संख्या बढ़ी है। साथ ही हमारी आदत भी हो गई है कि 20-25 किलोमीटर की दूरी पर जाने के लिये भी बस पर जाने की बजाय गाड़ी पर जाना प्रेफर करते हैं।

मैं जानता हूं इस सब के लिये आपको रैक्स की तकलीफ होगी। अगर इसको आप सिद्धांत के आधार पर भी तय करेंगे तो गति मिलेगी। आजादी आने के बाद से अजमेर से खंडवा के बीच एक भी गाड़ी नहीं दी गई। मिनाक्षी हफ्ते में दो दिन चलती है। बाकी दिन हम मीनाक्षी की प्रतीक्षा करते रहते हैं। मैं चाहूंगा कि इसको नियमित करें।

इसके साथ दो छोटे-छोटे बातें और निवेदन करना चाहूंगा। पता नहीं कैसे इन 3-4 सालों में ये हो गया। पहले खंडवा से जो गाड़ी चलती थी तो दिल्ली तक हम को फस्ट क्लास में रिजर्वेशन मिल जाता था, कोच मिल जाता था और आगे जाकर चित्तौड़ में चेतक में लग जाता था। 3-4 साल में सरकार ने कई अद्भुत काम किये। एक काम ये हुआ चेतक एक्सप्रेस जो थी उसकी कमर तोड़ दी। अब हमको चेतक में न मव से स्थान नहीं मिलता है। मैं चाहूंगा कि प्रथम श्रेणी की जो बोगी पहले लगती थी उस बोगी को पुनः आप लगायें ताकि खंडवा से चला आदमी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके।

उपाध्यक्ष महोदय, हम मीटर गेज वाले लोग हैं। हम सरकार का प्रोटेक्शन चाहते हैं। एक तो हमारी स्पीड कम है, दूसरा हमारा गेज मीटर गेज है। उस पर यदि आप हम को प्रोटैक्शन नहीं देंगे तो हम हास्यास्पद स्थिति में आयेंगे। एक तरफ हमारे आदमी चांद पर चले गये, उधर रोहिणी घूमती-फिर रही हैं, राकेश शर्मा अन्तरिक्ष से बात कर रहे हैं। मगर हम लोग मीटर-गेज की गाड़ी पर बैठ जायें तो हम को घंटों लग जाते हैं। 10-20 किलोमीटर चलने में। इस संबंध में मैं यह निवेदन करूंगा कि इस गेज पर हम को कुछ फास्ट गाड़ियां मिल जायें।

मैं आपको ब्राड गेज का उदाहरण देना चाहता हूं। बम्बई से दिल्ली जाने वाली डीलक्स गाड़ी पहले शामगढ में रुकती थी। मगर मालूम नहीं किस कारण से बंद हो गई? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश में यह पहला उदाहरण है कि 40 लाख की पापुलेशन में आपकी गाड़ी कहीं रुकती नहीं। वह चलती है कोटा से सीधे जाकर नागदा रुकती है। 40 लाख लोगों के सर पर से सरसराती और गड़गड़ाती हुई गुजर जाती है। हम लोग कम से कम इतने तो उपेक्षित नहीं रहे कि हमें कोई रेल गाड़ी देखने वाली न मिले। मैं इतना वायदा तो करता हूं कि आपको वहां मुसाफिर मिलेंगे। यह गाड़ी पुनः शामगढ पर रुकनी चाहिये।

एक और महत्वपूर्ण बात मैं माननीय बंसी लाल जी से कहना चाहता हूं। चूंकि बंसी लाल जी किसान हैं और किसानों की समस्याओं को अच्छी तरह से जानते हैं। आशा है वे इसको अवश्य सुलझायेंगे वरना हम अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर न तो सरकार का नाम ले सकेंगे, न रेल विभाग का, और न ही आपका। आपने रेल के फाटक बनाये हैं। समाचार जिन्हें कहते हैं चेन लगा देते हैं क्रासिंग पर। तो खेत उधर रह गई और हमारी बैल जोड़ियां और मकान खलिहान इधर रह गये। क्रासिंग पार करने के लिये 6-7 घंटे तक आपके आदमी को ढूंढना पड़ता है। अगर आपका आदमी किसी ठीक-ठाक तरंग में आकर तरन्नुम में शाम पड़े आ गया तो ठीक है, लेकिन रात भर मिलता नहीं है। हम किसान हैं। आपके उस आदमी ने अगर शाम को एक-आध पौवा लगा दिया तो फिर वह राजा हो जाता है। हमारे खेत उधर हैं, फसल इधर, हमारा खलिहान उधर और हमारा किसान इधर रह जाता है।

मैं 3-4 नाम बताता हूं। एक नाम बोतलगंज, एक स्टेशन है सींघपन। वहां क 75 परसेंट हमारी पापुलेशन हमारे खेत उधर रह गई और आपका चौकीदार हम को आने नहीं देता है। नया गांव नमच के पास भ यह समस्या है। जावरा के पास भैसाना में भ यह समस्या है। माननीय चौधरी साहब मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि आपके राज्य मंत्री बैठे हैं सिंधिया साहब, इनको एक दिन के लिये हमारे पास भेज दें। इन 4-5 सालों में एक स्टेशन ऐसा बना दिया जो क्रासिंग का था। लेकिन उसको आप ने रेगुलर कर दिया। किंतु 50-60 गांव ऐसे हैं, मैं नाम लेता हूं, कचनारा स्टेशन है मीटर गेज पर उस के आस पास के उन 30 गांवों के लोगों को पता नहीं कौन से अपराध की सजा दी है कि वे सब आदमी ट्रेन पर बैठने से महरूम हो गए। इसलिए आप कृपा कर के उस कचनारा स्टेशन को फिर से चालू कीजिए और जो आपने क्रासिंग स्टेशन बनाया है उसे क्रासिंग रहने दीजिए। कचनारा पर फिर से दया कीजिए और ऐसा कीजिए जिस में लोग वहां पर बैठ सकें।

नमच का लोको शेड आप उठा रहे हैं और उस को कहीं बाहर ले जा रहे हैं। आप क यह क्रूरता है। नमच हर तरह से योग्य है और उस के पास इतना पोटेंशियल है कि वह आपक सेवा कर सके। इसलिए आप कृपा कर के उस लोको शेड को उठाइए मत।

मैं एक मिनट और लूंगा। आपने काम शुरु किया, उस के लिए धन्यवाद आपका कि आपने कोटा से नमच ब्राड गेज का काम शुरु किया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और हम एहसान मानते हैं कि सरकार का और इंदिरा जी का विशेष रूप से कोटा से नमच क ब्राडगेज उन्होंने मान ली। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप ने ब्राड गेज का काम कोटा से शुरु करवाया है कृपा करके चौधरी साहब और सिंधिया साहब से मेरा निवेदन है कि इस से नीमच से भी शुरू करवाइए ताकि दोनों तरफ के लोगों को बराबर रोजगार मिल सके। इधर से भी काम शुरु करें ताकि कुछ गति आए।

एक बात और निवेदन कर दूं। आप क पिंक सिटी थी आप ने उस को गरीब निवाज बना कर चित्तौड़ तक चला दिया। अगर उस को रतलाम तक बढा देंगे तो टाइमिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैसेंजर बढ़ जायेंगे और रतलाम ब्राड गेज और मीटर गेज दोनों से एक ही दिन में दिल्ली से जुड़ जायेगा। हम 14 घंटे के भीतर इधर से भी दिल्ली आ सकते हैं और उधर से भी दिल्ली आ सकते हैं।

दूसरा मेरा एक सपना है, मेरे क्षेत्र का सपना हो सकता है लेकिन इस देश की महत्वकांक्षाओं में एक महत्वाकांक्षा यह जुड़नी चाहिए कि अब अजमेर से खंडवा जो भी सेक्शन मीटर गेज का है कृपा कर के उस को ब्राड गेज बनाने का नीतिगत सिद्धांत स्वीकार कर लें अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो अगली सरकार का हम कब तक इंतजार करते रहेंगे। हमें कहा गया है और हम ने यह कहा है कि आप परिणामवादी लोग हैं। लेकिन आप शुरु नहीं करेंगे तो परिणाम कहां से मिलने वाला है।

मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बातों पर विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया और रेल विभाग से उम्मीद करता हूं कि वह हमारे सुझावों पर विचार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित होती है। सभा 2 बजे पुनः समवेत होगी।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे तक के लिए स्थगित हुई

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बजे म. प. पर पुनः समवेत हुई

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

1.02 म०प०

[अनुवाद]

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 1982-83 और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 1984-85—जारी

उपाध्यक्ष महोदय: हम अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) पर चर्चा एवं मतदान जारी रखेंगे।

इसके लिये एक घंटे का समय आवंटित है । हम 35 मिनट पहले ही ले चुके हैं । अतः मैं अब बोलने वाले सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे 5 मिनटों में अपने भाषण समाप्त करें । अब लगभग आधा घंटा बचा है ।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : महोदय, मैं आप से निवेदन करूंगा कि इसका समय बढ़ाया जाये । दोनों पक्षों के सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में कुछ न कुछ कहना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: एक घंटा आवंटित किया गया है । 45 मिनट हो चुके हैं । हम आधा घंटा और ले सकते हैं । पहले ही समय 15 मिनट बढ़ाया जा चुका है । **श्री एस. थंगाराजू**

***श्री एस० थंगाराजू (पेरम्बलूर)**: श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने मुझे अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर अपनी पार्टी अन्ना-द्रमुक की ओर से तमिल में कुछ शब्द कहने का अवसर दिया है ।

शुरू में मैं कहना चाहूंगा कि आर्थिक विकास की अनिवार्य आवश्यकता है , रेलों का विकास । इस बात का खण्डन नहीं किया जा सकता कि रेलों का विकास पूरे देश में एक समान नहीं है । एक क्षेत्र की तुलना में दूसरे क्षेत्र में प्रत्यक्ष असमानता है । किन्हीं क्षेत्रों में सभी बड़ी लाइनें हैं किन्हीं में मीटर गेज लाइनें । उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु में कुल रेल पथ का केवल 20% बड़ी लाइन है शेष छोटी लाइन हैं । स्वतंत्रता के 37 वर्ष पश्चात् भी केवल 20% रेल पथ बड़ी लाइन है । निश्चित ही इससे राज्य के औद्योगिक विकास को नुकसान पहुंचा है । मीटर गेज के डिब्बों के माल को बड़ी लाइन के डिब्बो में बदलने में काफी समय नष्ट होता ह । डिब्बों के माल की अदला-बदली में भारी नुकसान भी उठाना पडता है । इससे तीव्र औद्योगिक विकास में बाधा पड़ती है ।

1981 में रेल मंत्रालय ने करूर-डिन्डीगुल-तूतीकोरिन तिरुनेलवेली लाइन को बड़ी लाइन में बदलने को मंजूरी दी थी । उस समय प्रस्तावित पूंजी 40 करोड़ थी । पिछले 4 वर्षों में इस परियोजना पर केवल 15 करोड़ रुपये खर्च किये गये है । इससे सिद्ध हो जाता है कि तमिलनाडु में रेलवे का विकास कार्य प्रभावी रूप से नहीं चल रहा है । यह परियोजना अत्यन्त धीमी गति से चल रही है । यदि केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु के पिछड़े क्षेत्रों के विकास में रुचि रखती है तो इस अत्यन्त महत्वपूर्ण परियोजना को द्रुत गति से क्रियान्वित किया जाना चाहिये । इसके लिये यह आवश्यक है

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

कि इस परियोजना के लिये अधिक धन आवंटित किया जाये । मैं रेल मंत्री से अपील करता हूं कि करूर-डिन्डिगुल बड़ी लाइन परियोजना को जोकि स्वतन्त्रता के बाद की तमिलनाडु की एक मात्र बड़ी परियोजना है, 5 करोड़ तमिलवासियों की स्वप्नपूर्ति के लिये अवश्य क्रियान्वित किया जाये ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मीटर गेज लाइन के कोच, डिब्बे तथा इंजन बहुत पुराने पड़ गये हैं तथा उनके बदले जाने की आवश्यकता है । मेरा सुझाव है कि तुरन्त योजना बनायी जाये तथा उसे क्रियान्वित किया जाये ।

इसी प्रकार मीटर गेज प्रणाली को कोयले की आवश्यकताएं समय पर पूरी नहीं की जातीं जिसके परिणामस्वरूप यदा-कदा रेलों को रद्द करना पड़ता है । इससे यात्रियों को बहुत असुविधा होती है । मेरा सुझाव है कि मीटर गेज गाड़ियों के लिये कोयले की सप्लाई प्रभावी रूप से सुनिश्चित की जाये । तमिलनाडु के बहुत से स्टेशनों पर पानी का पानी नहीं है । मैं रेल मंत्री से निवेदन करता हूं कि यात्रियों की इस मूलभूत आवश्यकता को अविलंब पूरा किया जाये । चामराजनगर और सत्यमंगलम रेलवे लाइन का सर्वेक्षण ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था । इससे यह प्रकट होता है कि इस क्षेत्र की परिवहन की आवश्यकताएं ब्रिटिश सरकार द्वारा अनुभव की गई थीं । अब यह और भी आवश्यक है कि चामराजनगर और सत्यमंगलम रेलवे लाइन परियोजना को क्रियान्वित को हाथ में लिया जाना चाहिये । इससे तमिलनाडु तथा कर्नाटक के पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी ।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र पेराम्बलूर मुख्यतः पिछड़ा क्षेत्र है । गाड़ियों की सुविधा के अभाव में लोगों को कष्ट हो रहा है । मैं मांग करता हूं कि कुम्बकनम को अयूर के साथ बरास्ता जियंकोडन, अरियालूर, पेराम्बलूर और युरियायूर के साथ रेल द्वारा जोड़ा जाना चाहिये । इससे इस क्षेत्र के गरीब लोगों का भला होगा । इस अवसर पर मैं यह भी मांग करूंगा कि नडामंगल और मन्नारगुडी के बीच चल रही जो रेल गाड़ी रद्द कर दी गई थी, उसे उस क्षेत्र के गरीब लोगों की सहायतार्थ तुरन्त बहाल किया जाना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, इस उच्च पद पर चुने जाने पर मैं आपको बधाई देता हूं ।

मैं रेल मंत्री महोदय को भी बधाई देता हूं । वह अत्यन्त गतिशील व्यक्ति हैं । वह पिछले 7-8 वर्षों से इस संसद के निष्ठावान सदस्य रहे हैं, यद्यपि कुछ कारणों से इस सारी अवधि में उनके द्वारा किये गये गतिशील कार्य को मान्यता नहीं मिल पाई ।

मंत्रालय तथा रेलवे बोर्ड के संबंधों के बारे में कुछ बातें हैं जिन पर मैं ध्यान देना चाहता हूं ।

कृष्णा एक्सप्रैस गाड़ी मूलतः हैदराबाद तथा गुंटूर के बीच चलती थी । बाद में निर्णय हुआ कि उसे तिरुपति तक बढ़ाया जाये । मैंने तुरन्त रेल मंत्री श्री गनी खान चौधरी से जोकि वर्तमान मंत्री के समान दृढ़ एवं गतिशील मंत्री थे अभ्यावेदन किया था कि कृष्णा एक्सप्रैस को तिरुपति तक बढ़ाये जाने पर भी इसे गुंटूर पर रोका जाये । उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि तिरुपति तक बढ़ाये जाने के बावजूद इसे गुंटूर पर रोका जायेगा । इस निर्णय को रेलवे बोर्ड का समर्थन भी मिला । परन्तु दुर्भाग्य से किसी कारणवश वह निर्णय क्रियान्वित नहीं हो पाया ।

परिणामस्वरूप, हाल के चुनाव में मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र में अत्यन्त परेशानी का सामना करना पड़ा । क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के वकीलों, डाक्टरों, किसानों तथा अन्य व्यक्तियों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि मैं उस सुविधा को जारी रखने में असफल रहा हूं जो उन्हें कृष्णा एक्सप्रैस

के आरम्भ होने से मिल रहो थां। क्या मुझे रेल मंत्रालय तथा रेलवे बोर्ड को प्रभावहीनता चुनाव के दौरान व्यक्त करनी थी ? अतः मुझे सभी दोष अपने ऊपर लेना पड़ा। अब मुझे उम्मीद है कि वर्तमान रेल मंत्री इस पर ध्यान देंगे कि रेलवे बोर्ड पहले से अधिक निष्ठा से कार्य करे। मैंने अपनी बात संक्षेप में कह दी है।

दूसरे सरकार ने बेलारी नगर से नाडी कुडे तक रेलवे लाइन के निर्माण का वचन दिया है। यह लाइन मिरियालगुडा तक बननी है। इस पर दस वर्ष से अधिक समय लग चुका है। इस लाइन को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। गुंटूर से गुंटाक्कल के बीच की मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की भी आवश्यकता है। यह काम भी काफी समय से पूरा नहीं हो पाया है। सरकार को इसे शीघ्र आरम्भ करना चाहिए।

जब से एक्सप्रेस गाड़ियां चलने लगी हैं तब से यात्री गाड़ियों की उपेक्षा हो रही है। व्यापक बात यह है कि यात्री गाड़ियों की हर तरह से बुरी स्थिति है — (सीटों की स्थिति खराब है--शौचालयों और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, इत्यादि। इस मामले पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

फिर एक छोटी सी बात और है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में फिरंगीपुरम एक महत्वपूर्ण स्थान है। वहां सड़क पर दो फाटक पड़ते हैं। पर दो गेटमैनों के स्थान पर एक की ही मंजूरी दी गई है, अतः एक फाटक गेटमैन के बिना रहता है। एक गेटमैन की मंजूरी होने से वह गेट को बंद कर देता है तथा कृषि परिवहन के लिए रास्ता रुक जाता है यह अत्यंत छोटी सी बात है, परन्तु इससे जनता को और विशेषकर फिरंगीपुरम के किसानों को बहुत असुविधा होती है।

मैं अपने माननीय मित्र से अनुरोध करना चाहूंगा कि या तो वह वहां पर रखे गए एक व्यक्ति को छोड़ दें अथवा दो कर्मचारियों के लिए मंजूरी दें। कम से कम उन्हें यह रास्ता खुला रखना चाहिए और केवल इसलिए इसे बंद न करें क्योंकि इसके लिए कोई कर्मचारी नहीं है।

बंगाल की खाड़ी से पकड़ी जा रही मछलियों के परिवहन के लिए और उन्हें कलकत्ता तक ले जाने के लिए सरकार ने निजामपटनम और निडुबरोलु के बीच एक रेलवे लाइन के निर्माण का वायदा किया है। इस रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरू किया जाना है और मैं आशा करता हूं कि सरकार आगामी रेल बजट के लिए अपने अनुमानों को तैयार करते समय इस बात को याद रखेगी।

श्री वी.एस. कृष्णा अय्यर (बंगलौर दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्मानित सदन में जो हमारे देश का सर्वोच्च मंच है, यह मेरा पहला भाषण है। कर्नाटक के चार करोड़ लोगों की ओर से मैं आपका तथा आपके माध्यम से इस सदन के माननीय सदस्यों का अभिवादन करता हूं।

मुझे पता है कि मेरे पास बहुत कम समय है। अतः मैं रेलवे प्रशासन के बारे में विस्तृत रूप से नहीं बोलूंगा। मैं स्वयं को कर्नाटक राज्य से संबन्धित कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं तक ही सीमित रखूंगा। हमारे लोगों के मन में ऐसी धारणा है कि उन्हें रेलवे मंत्रालय द्वारा निराश किया जा रहा है। मुझे आशा है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री भी गतिशील हैं। मैं समस्याओं की उल्लेख करना चाहता हूं।

महोदय, आप हमारे पड़ोसी राज्य तमिलनाडु से आये हैं। मद्रास-सेंट्रल-बंगलौर रेलवे लाइन के विद्युतीकरण की योजना काफी समय पूर्व स्वीकृत की गयी थी। अब यह जोलरपेट तक ही पूरी की गयी है। मुझे पता चला है कि योजना आयोग ने जोलरपेट से बंगलौर शहर तक 24 करोड़ रुपये की योजना अनुमोदित की है। मुझे विश्वस्त सूत्र से पता भी चला है कि सरकार इस योजना को समाप्त करना चाहती है। इससे दोनों राज्यों के लोगों के मन में भारी आशंका भय व्याप्त हो गया है। यह अत्यन्त आवश्यक है। जैसा कि आपको पता है दक्षिण में बंगलौर शहर और मद्रास सभी आर्थिक गतिविधियों के दो बड़े केन्द्र हैं और इसलिये यह बहुत जरूरी है। अतः मैं रेल मंत्री से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि इसे समाप्त नहीं किया जायेगा और इसे चालू वर्ष में ही ले लिया जायेगा। मुझे यह भी याद है कि इसके लिये सांकेतिक अनुदान भी प्रदान किया गया है।

एक अन्य परियोजना, जो धीमी गति से चल रही है, बंगलौर और मैसूर के बीच मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की है । यह कार्य 8 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था और जब आधार-शिला रखी गई थी तो हमें रेल मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था कि यह परियोजना 4 वर्ष की अवधि में पूरी हो जायेगी । अब 8 वर्ष हो चुके हैं और हमें निकट भविष्य में इसके तेजी से पूरे हो जाने की कोई आशा नहीं है । इस गति से इसमें कई वर्ष और लगेंगे । अतः मैं रेल मंत्री से आश्वासन चाहता हूं । मैं इसका इसलिये उल्लेख कर रहा हूं कि क्योंकि रेल बजट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और सातवीं योजना को भी अन्तिम रूप दिया जा रहा है और यह जरूरी है कि इसके लिये पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाये ।

एक अन्य बात, जिसकी ओर मैं रेल मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह है कि बंगलौर शहर, जैसा कि आप जानते हैं, दूसरा कलकत्ता बनता जा रहा है । निस्संदेह बंगलौर एक सुन्दर शहर है और मैं इस शहर का इस सदन में प्रतिनिधित्व करता हूं । बंगलौर की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है और दक्षिण-पूर्व एशिया में किसी अन्य शहर की आबादी बंगलौर की तरह नहीं बढ़ रही है .....

प्रो. एन. जी. रंगा : दिल्ली की स्थिति बहुत खराब है।

श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर : मैंने जनगणना के आंकड़े देखे हैं । मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं । गत दशक में बंगलौर की आबादी 76 प्रतिशत बढ़ी है । इस दर से हम 2000 ई० तक 70 लाख की आबादी की परिकल्पना करते हैं । अतः वहां पर परिवहन की समस्या अत्यन्त गंभीर है । कल मैंने अपने कलकत्ता के मित्रों को सुना था । अतः मैं चिंतित हुआ था । जैसी कि स्थिति है, वहां पर और अधिक सड़क परिवहन की व्यवस्था करना संभव नहीं है । अतः कर्नाटक सरकार ने महानगर परिवहन परियोजना, मद्रास, जो रेलवे बोर्ड का एक यूनिट है, से आग्रह किया है कि वह बंगलौर की कुछ विद्यमान लाइनों के लिये उपनगरीय ऊपरी रेलवे तथा विद्युतीकरण के साथ 'मास रेपिड ट्रांसिट सिस्टम' के प्रावधान के लिये सर्वेक्षण करे । मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इसने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और उन्होंने बंगलौर शहर के लिये रिंग सड़क तथा भूमि पर और भूमिगत रेलवे और रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण करने के लिये कहा है जिससे बंगलौर की परिवहन पद्धति सुगम हो जायेगी । यह बहुत आश्वयक है । जैसी कि इस समय स्थिति है, यह असंभव है और सड़कों पर सदैव भारी यातायात रहता है । अतः 650 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना को शीघ्र शुरू किया जाना चाहिये । कर्नाटक सरकार ने योजना आयोग और रेलवे मंत्रालय से आग्रह किया है कि वे सातवीं योजना में इस योजना को शुरू करें । मैं बंगलौर शहर के हित में इसका जोरदार आग्रह करता हूं । यह हमारे देश में पांच बड़े महानगरों में से एक है और सरकार द्वारा 650 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना को शीघ्र शुरू किया जाना चाहिये । यह सिफारिश की गई है कि इसका 25 वर्षों में विस्तार किया जाये और प्रत्येक वर्ष 25 करोड़ रुपये खर्च किये जायें । बंगलौर भी कलकत्ता की तरह महत्वपूर्ण है और मुझे पता चला है कि मद्रास की भी इसी प्रकार की योजना है । इन महानगरों के लिये यह बहुत जरूरी है । वहां पर भी कलकत्ता की भांति भूमिगत रेलवे उपलब्ध कराई जानी चाहिये ।

कर्नाटक राज्य ने अब तक केन्द्रीय सरकार को चार रेल मंत्री दिये हैं । उनमें से तीन जीवित नहीं हैं । केवल एक व्यक्ति ही जीवित है । रेल मंत्री के रूप में श्री दंडवते भी रहे थे और उन्होंने हमारे राज्य के लिये कुछ कार्य किया है । विशेष रूप से उन्होंने 'एक्सल' संयंत्र को मंजूरी दी है । इसी प्रकार श्री जाफर शरीफ ने भी इस राज्य के लिये कुछ कार्य किया है। स्वाधीनता के बाद भी नई रेलवे लाइनों की वृद्धि अत्यन्त कम हुई है । वहां पर दो नई रेलवे लाइनें बिछाई गई हैं--एक रेल

लाइन बंगलौर-सेलम लाइन है जो अत्यन्त अलोकप्रिय और अलाभप्रद है । एक अन्य रेल लाइनें बंगलौर-हसन है जो केवल 6 महीनों से प्रयुक्त की जा रही है । अतः यह बहुत आवश्यक है कि इस राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में, विशेषकर गुलबर्गा और बिदार तथा नोटर और हरिहर के बीच नई रेलवे लाइनें बिछाई जायें । तमिलनाडु से हमारे मित्र ने चामनराजनगर-सत्यमंगलम लाइन के बारे में उल्लेख किया है। मैं उसका समर्थन करता हूं । ये अतिरिक्त रेलवे लाइनें बहुत जरूरी हैं । मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इन रेलवे लाइनों का काम शुरू करें।

आपके घंटा बजाने से पूर्व इन शब्दों के साथ मैं भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : मैं इस अवसर पर दोनों रेल मंत्रियों-कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री को बधाई देता हूं । मैं इस अवसर पर माननीय रेल मंत्री का ध्यान कुछ समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे राज्य को जिस सबसे बड़ी और प्रमुख समस्या का सामना करना पड़ रहा है वह है जम्मू से ऊधमपुर तक रेलवे लाइन का निर्माण। इस रेलवे लाइन को काश्मीर घाटी तक ले जाने का विचार है । लेकिन मुद्दा यह है । जब तक इसे ऊधमपुर तक पूरा नहीं किया जाता है तब तक इसका आगे विस्तार करना संभव नहीं है । अब तक हम यह पाते हैं कि इस परियोजना की प्रगति बहुत धीमी है । मैं यह कहना चाहता हूं कि शायद इसके लिये पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। अब नया बजट बनाया जाना है । अतः मैं रेल मंत्री और उसके सहयोगियों से अनुरोध करता हूं कि वे सुनिश्चित करें कि इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाये । बजट साधनों का अपर्याप्त प्रावधान का मतलब है कम से कम कुछ समय के लिये पूंजी निवेश का न होना । यदि आप कुछ राशि मंजूर कर रहे हैं जो अपर्याप्त है तो आप उचित समय के लिये भीतर परियोजना को पूरा नहीं कर सकते हैं और इसका रेलवे के तथा पूरे देश के सामान्य वित्त पर प्रभाव पड़ेगा । रेल मंत्री से मेरा यह अनुरोध है कि वह निजी तौर पर उसकी जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि यह रेलवे लाइन यथासंभव जल्द पूरी हो सके । मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि यह रेलवे लाइन न केवल देश की रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह लाभप्रद भी है । इससे उन्हें पर्याप्त लाभ मिलेगा जो किये गये पूंजी निवेश पर ब्याज की दर से बहुत अधिक होगा । यह पूरी तरह से लाभप्रद है । मुझे नहीं मालूम कि इसकी अब तक उपेक्षा क्यों की गई थी । मैं यह भी नहीं समझ सका कि मामले के इस पहलू पर योजना आयोग ने विचार क्यों नहीं किया है । मैं कहूंगा कि यह दोहरी परियोजना है, क्योंकि यह देश की रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और साथ ही यह लाभप्रद है ।

जहां तक रेलवे के रखरखाव का संबंध है मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

महोदय, मैं लोक लेखा समिति का सदस्य था । तत्कालीन सभापति ने हमें बताया कि विश्व में केवल भारतीय रेलवे को ही मुनाफा हो रहा है । विश्व में अन्य कोई रेलवे नहीं है जिसे मुनाफा हो रहा है । इससे हमें विचार करना पड़ता है कि ऐसा क्यों हो रहा है । तथा प्रौद्योगिकीय प्रगति और विकास के बावजूद अन्य देशों को मुनाफा नहीं हो रहा है लेकिन हमें हो रहा है । हमने देखा है कि इसका कारण रख-रखाव के व्यय को कम करना था । रेलवे के इस रख-रखाव संबंधी पहलू की पिछले कई वर्षों से उपेक्षा की गई है । मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह सुनिश्चित करें कि रेलवे रख-रखाव की उपेक्षा करके मुनाफा कमाने का प्रयास न करे । निजी तौर पर मेरा विचार है कि किसी को भी रख-रखाव की उपेक्षा करके धनराशि कमाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । इससे रेलवे के डिब्बों और यात्रियों की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि वर्कशाप में इंजनों का रख-रखाव ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है और इस कार्य की बहुत धीमी गति है । ये वर्कशाप उस कुशलता से कार्य नहीं कर रहे हैं जितनी कुशलता से इन्हें करना चाहिये । इन्हें कुशलता से और अच्छा कार्य करना चाहिये । मेरे विचार से मामले के इस पहलू पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिये ।

मैं अनुशासन और रेलों के समय पर चलने के प्रश्न पर आता हूं। ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। ऐसी बहुत थोड़ी गाड़ियां हैं जो समय पर चलती हैं। वे समय सारणी का पालन नहीं करती हैं। प्रायः देर से चलने वाली गाड़ियों में झेलम एक्सप्रैस का नाम प्रमुख है जो 12 घंटे और कभी-कभी 24 घंटे देरी से चलती हैं। इस पर विचार किया जाना चाहिये। हर कीमत पर गाड़ियों का ठीक समय पर चलना और गंतव्य स्थान पर पहुंचना सुनिश्चित किया जाना चाहिये। अन्यथा बहुत सी जनशक्ति बेकार जायेगी।

एक अन्य मुद्दा है जो मैं मंत्री महोदय के विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहता हूं। महोदय, सोनीपत और अम्बाला के बीच तथा जालन्धर और जम्मू के बीच रेलवे लाइन को दोहरा करना अत्यन्त आवश्यक है। यदि यह लाइन दोहरी हो जाती है तो रेल पटरी (मार्ग) पर यातायात का भार बहुत कम हो जायेगा। यदि एकल लाइन का मार्ग रहता है तो इसका ठीक प्रकार से रख-रखाव बहुत कठिन है और इससे गाड़ियों के चलने में भारी बाधा पड़ेगी। रेल मार्ग तथा चल स्टाक के रख-रखाव पर भी एकल मार्ग के यातायात से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः मैं सुझाव देता हूं कि इन दो स्थलों, अर्थात् जम्मू तथा जालंधर और सोनीपत तथा अम्बाला के बीच रेलवे मार्ग दोहरा किया जाना चाहिये।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान जम्मू रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या के बारे में दिलाना चाहता हूं। महोदय, कर्मचारियों की कमी है और यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिये स्टेशन पर पर्याप्त कर्मचारी नियुक्त नहीं किये गये हैं। पूरे भारत से लोग वैष्णों देवी के दर्शन के लिये जाते हैं और रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों की कमी के कारण उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जहां तक यात्री यातायात का संबंध है, मुझे पता चला है कि रेलवे मंत्रालय को कुछ गलत जानकारी दी गई है। यह बताया गया है कि इन रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में यात्री यातायात नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जानकारी निराधार और गलत है और यदि कोई व्यक्ति इन रेलवे स्टेशनों पर जाता है तो उसे पता चलेगा कि इन रेलवे स्टेशनों पर बहुत से यात्री प्रतीक्षा कर रहे हैं और वहां बैठे हुए हैं जिसका कारण इस क्षेत्र में अपर्याप्त और कम गाड़ियों का होना है। वास्तव में यह हो सकता है कि एक विशेष मौसम में अर्थात् अत्यन्त सर्दी के मौसम में वहां पर पर्याप्त संख्या में यात्री यातायात न हो। लेकिन अन्य सभी मौसमों में वैष्णों देवी जाने वाले लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। काश्मीर तथा पुंछ जाने वाले लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से भी अनुरोध करता हूं कि वह दिल्ली और जम्मू के बीच दिन की गाड़ी चलाने पर विचार करें और यह राज्य के लोगों की मांग है। दिल्ली से जम्मू के लिये एक नई दिन की गाड़ी चलाने से भी संबंधित लोगों की प्रमुख समस्या हल हो जायेगी और इससे हमारी रक्षा सेवाओं को भी लाभ पहुंचेगा।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पहला मुद्दा जिस पर मैं बोलना चाहता हूं वह है भारतीय रेल प्रणाली देश में अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रणाली है और इसे भाषण करके बचाया नहीं जा सकता है। कोई अन्य मुद्दा उठाने से पूर्व पहली बात, जिसकी मैं सरकार से मांग करूंगा, रेलवे के लिये पर्याप्त धनराशि देना है। वास्तव में हमारे देश में रेलवे पद्धति के विकास के लिये धनराशि की कमी है। अतः सर्वप्रथम मेरी मांग रेलवे मंत्रालय से नहीं है अपितु सरकार और योजना आयोग से है कि वह रेलवे के विकास के लिये पर्याप्त धनराशि का आवंटन करे। इस सदन में आपके भाषण चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हों, इनसे रेलवे को नहीं बचाया जा सकता है। ब्रिटिश काल के दौरान 94 वर्षों में उन्होंने 52,000 किलोमीटर तक रेलवे मार्ग का निर्माण किया और स्वाधीनता के 38 वर्ष में केवल 6,000 से 8,000 किलोमीटर तक रेलवे मार्ग का निर्माण किया गया। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह रेलवे के लिये अधिक धन राशि आवंटित करे।

मेरा निवेदन है कि ·····(व्यवधान) इन्हें पश्चिम बंगाल से मलेरिया है ·····(व्यवधान)

जैसा कि पहले बताया गया है 20,000 किलोमीटर रेल पटरी का नवीकरण किया जाना है और इसके लिए काफी धन की आवश्यकता है। मुझे आशा है इसकी ओर ध्यान दिया जायेगा।

इसी प्रकार चल स्टाक की स्थिति है। इनके लिए फालतू-पुर्जों और उपकरणों की पूरी तरह से कमी है। आप किसी भी लोकोशेड या वर्कशॉप में चले जाइये, आप देखेंगे कि उपकरण और फालतू-पुर्जे पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। स्वाभाविक है इस ओर अविलम्ब ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

जैसा कि श्री डोगरा ने कहा है हर जगह कर्मचारियों की कमी है। प्रति वर्ष हजारों कर्मचारी सेवा-निवृत्त हो रहे हैं किन्तु मितव्ययिता लाने के लिए नयी भर्ती नहीं की जा रही है। इसके कारण श्रेणी तीन और श्रेणी चार के कर्मचारियों में कमी हो रही है लेकिन अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस पर समुचित रूप से विचार की आवश्यकता है। पहले एक निर्धारित मानदण्ड था जिसके आधार पर किसी कार्य के लिए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या का पता लगाया जा सकता था। उससे यह पता लग जाता था कि इतने कार्य के लिए इतने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। सरकार ने इस मानदण्ड को छोड़ दिया है। मेरा निवेदन है कि बेहतर रख-रखाव के लिए आपको भारतीय रेलों में सभी रिक्तियां भरनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त भारतीय रेलों में 2.5 लाख नैमित्तिक मजदूर 10, 12 या 15 वर्ष से काम कर रहे हैं। सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें विनियमित किया जायेगा। मंत्री महोदय को यह नहीं कहना चाहिए कि चूंकि जिस कार्य के लिए उन्हें रखा गया था वह पूरा हो गया है इसलिए वे अब काम पर नहीं रखे जायेंगे। वे वर्षों से रेल विभाग के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि उनके लिए काफी काम है। आपको उन्हें निश्चय ही विनियमित करना चाहिए।

रेलवे कॉलोनियां बहुत बुरी हालत में हैं। आप देखेंगे कि जिस कॉलोनी में भी आप जायें यही स्थिति है। कभी वे श्रेष्ठ कॉलोनियां थीं लेकिन अब आप कहीं चले जाइये उनकी हालत बहुत खराब है। उनमें या तो सड़कें नहीं हैं और अगर हैं तो टूटी हुई। मकानों आदि में पानी रिसता है। मेरा संबंध भारतीय रेल की सबसे बड़ी कॉलोनी से है। इसकी बहुत बुरी हालत है। मैं मांग करता हूं कि इन कॉलोनियों के रख-रखाव के लिए तथा नये मकान बनाने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। खड़गपुर, गोरखपुर, आसनसोल, कन्चरापारा, बिलासपुर, अलीपुर द्वार आदि में यही स्थिति है।

इसके अलावा एक अन्य अजीब बात देखने में आयी है। यदि अकबर जाता है और जहांगीर आता है तो अकबर के आदेशों की कीमत नहीं; और जब जहांगीर जाता है और शाहजहां आता है तो जहांगीर के आदेशों की कोई कीमत नहीं। श्री गनी खां चौधरी जाते हैं तो उनके आदेशों की भी कोई कीमत नहीं रह जाती है। मैं स्वयं सेवकों की बात नहीं कर रहा हूं। वे 8 रुपये दिहाड़ी पर काम कर रहे थे। यह अच्छी बात है कि आपने उन्हें वापस ले लिया है किन्तु इसके साथ ही उन 2.5 लाख नैमित्तिक मजदूरों की भी सोचिये जो 10-12 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं। उनके मामले पर समुचित रूप से विचार किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त आपको तामलुक-दीघा परियोजना, जो आरम्भ की गई थी, पूरी करनी चाहिए। चुनाव अभियान के दौरान यह कहा गया था कि चूंकि पश्चिम बंगाल सरकार जमीन नहीं दे रही है इसलिए परियोजना पूरी नहीं हो सकी। चुनाव समाप्त हो गए हैं और श्री गनी खां चौधरी भी मंत्री नहीं रहे। श्री बंसीलाल मंत्री बन गए हैं और हमने देखा है कि कन्टाई स्थित परियोजना कार्यालय हटा लिया गया है। दीघा में एक विश्राम गृह था उसे भी हटा लिया गया है·····

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (हावड़ा) : वहां पर यह रेल अधिकारियों का साज़िश थी।

श्री नारायण चौबे : इसे ठीक किया जाए।

मैं मांग करता हूं कि तामलुक दांघा परियोजना को पूरा किया जाना चाहिए। यह दिवंगत श्री बी० सी० राय के नाम से सम्बद्ध है।

इसके अलावा पुलिया-कोटशिला लाइन भी है। स्वर्गीय श्री केदार नाथ ने जो इस सदन में आश्वासन दिया था उसे अब तक लागू नहीं किया गया है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना को भी पूरा किया जाए।

इस समय श्री गनी खां चौधरी यहां नहीं हैं। रानाघाट-लालगोला लाइन को ही ले लिजिये। पश्चिम बंगाल का कोई भी सदस्य, चाहे वह सतारूढ़ दल का हो या विपक्ष का, इस लाइन की अत्यंत खराब स्थिति के बारे में जानता है। पिछले 35 वर्षों से इस लाइन की पटरी का नवीकरण नहीं हुआ है। यदि आप इसे दोहरी लाइन नहीं बना सकते तो कम से कम इसका नवीकरण तो कर लिजिए ताकि गाड़ियां ठीक से चल सकें। श्री गनी खां चौधरी ने वायदा किया था कि वह यह कार्य करेंगे। मुझे आशा है कि उनके रेल मंत्री न रहने से यह आश्वासन भी समाप्त नहीं हो जायेगा।

मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि इन सभी बातों पर तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। यदि रेलवे के लिए पर्याप्त धन आवंटित नहीं किया जाता तो रेलवे बच नहीं पायेंगी। अतः इसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि रेल व्यवस्था ठप्प होती है तो पूरी परिवहन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जायेगी।

बस मुझे इतना ही कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

रेल मंत्री श्री बंसीलाल : महोदय, मैं कृतज्ञ हूं कि ..... (**व्यवधान**)

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : महोदय, अभी कई सदस्य बोलना चाहते हैं ..... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय: हमने पहले ही 45 मिनट बढ़ा दिये हैं कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय किया गया है कि इसे एक घंटे में पूरा कर लिया जाए। इतना ही समय निर्धारित किया गया था। (**व्यवधान**)

श्री अबदुल रशीद काबुली: ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है ..... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय बतायें कि कार्यवाही सूची को कैसे पूरा किया जायेगा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : इस बारे में निर्णय कार्य मंत्रणा समिति ने कल लिया था। समिति ने एक घंटा निर्धारित किया था और उपाध्यक्ष महोदय ने शायद 45 मिनट पहले ही समय बढ़ा दिया है। वह समय भी पूरा हो चुका है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली: हमें केवल पाँच मिनट चाहिए। हमारे दल नेशनल कॉफ्रेंस को समय नहीं मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय: अच्छा, हम समझौता करते हैं। मैं पन्द्रह मिनट और देता हूं। प्रत्येक सदस्य तीन मिनट से अधिक न बोले।

[हिन्दी]

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक (मुरादाबाद) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और हमारे रेलवे मंत्री जी ने इस हाउस में जो रेलवे से संबंधित अनुदान डिमाण्ड्स रखी हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं।]

मेरे मुरादाबाद डिवीजन में रेलवे की बहुत सी कठिनाइयाँ हैं जिस के कारण वहाँ के लोगों को बहुत परेशानी होती है, मैं वे कठिनाइयाँ ही आपके सामने रखना चाहता हूं। मुरादाबाद एक ऐसा सिटी है जो अपने उद्योगों के कारण सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है परन्तु वहाँ पर रेलवे की बहुत कठिनाइयाँ मौजूद हैं, जैसे वहाँ पर प्लेटफार्म नहीं है, उस सैक्शन पर जितनी गाड़ियाँ चलती हैं, वे वहाँ की जरूरत के मुताबिक पूरी नहीं हैं। मुरादाबाद चन्दौसी सैक्शन पर एक क्रासिंग पड़ता है, उसकी वजह से काफी लोगों को दिक्कत पेश आती है। इसके अलावा एक ओवरब्रिज भी है। इन सब कारणों से उस सैक्शन पर रेलगाड़ियाँ समय पर नहीं चलतीं। मैं चाहूंगा कि माननीय रेल मंत्री जी उस ओर ध्यान फरमायें।

आज की नहीं, पिछले 10 साल की बात है, हमारे यहाँ हमारी स्वर्गीया प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी जी ने एक ब्राडगेज लाइन का उद्घाटन किया था, लेकिन उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि हल्द्वानी और रामपुर के बीच में और मुरादाबाद व काठगोदाम के बीच में जो ब्राडगेज की बात तय हुई थी, उस पर काम शुरू हो जाये तो बहुत अच्छा हो।

इसके साथ साथ हमारे यहाँ प्राविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और पेंशन के भुगतान में बहुत ही देरी होती है, मैं चाहूंगा कि रेल मंत्री जी उस पर ध्यान दें और टाइम पर इनका भुगतान हो तो बहुत अच्छा हो।

जहाँ तक हमारी पेसेन्जर ट्रेन का सवाल है, उसमें काफी परेशानी लोगों को होती है। उसमें खिड़कियाँ टूटी रहती हैं और उसके साथ-साथ हमारे यहाँ की ट्रेनों के बाथरूम व लैटरिन्स भी अच्छी हालत में नहीं होते हैं। मैं चाहूंगा कि इन ट्रेनों को देखा जाये और इन समस्याओं का समाधान किया जाये।

हमारे यहाँ बरेली से दिल्ली और बरेली से सहारनपुर तक कोई डबल लाइन नहीं है जिसकी वजह से हमारे यहाँ ट्रेनों के चलने में काफी परेशानी होती है। मैं चाहूंगा कि इसको डबल लाइन कराने में आप पूरी मदद करें जिससे हमारे यहाँ आने-जाने में स्टेशनों पर हमको काफी सुविधा हो जाये।

हमारे यहाँ औद्योगिक केन्द्र होने से कोई भी ट्रेन ऐसी नहीं है जिससे हम आगरा या इलाहाबाद के लिये जा सकें। मैं चाहूंगा कि एक ट्रेन मुरादाबाद से इलाहाबाद और एक ट्रेन मुरादाबाद से आगरा तक चलाई जाये ताकि वहाँ की जनता को सुविधा हो।

इन शब्दों के साथ मैं इन माँगों का समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : आनरेबल डिप्टी स्पीकर, मैं पहली बात आनरेबल मिनिस्टर की खिदमत में यह कहना चाहता हूं कि 37 साल गुजर गये लेकिन अभी तक जम्मू काश्मीर के वादिए काश्मीर में आपकी रेलवे लाइन नहीं आई है। रेलवे लाइन वहां न आने की वजह से रियासत की तरक्की मुमकिन नहीं है।

1947 में एक रास्ता था रावलपिंडी रोड का जो कि हिन्दुस्तान के साथ रियासते जम्मू व काश्मीर को मिलाता था, लेकिन उसके बन्द होने के बाद बनिहाल रोड की मदद से हम हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। बनिहाल रोड भी सर्दियों में बाजआकात बन्द रहता है जिसकी बिनाह पर हमारी सारी तिजारत और हमारा सैयाहता, टूरिज्म का जो ट्रेफिक रहता है, वह सारे का सारा कट कर रह जाता है।

साल-गुजिश्ता में मैंने यह बात यहां पर बारबार उठाई और उस वक्त के मिनिस्टर गनी खां चौधरी ने मेरे चेलेन्ज को कबूल किया था। उनके लफ्ज थे कि मैं आपके चेलेन्ज को कबूल करता हूं और वादी काश्मीर को भी रेलवे लाइन से मिला दिया जायेगा, लेकिन अभी तक 2 साल गुजरने के बाद भी जब से मैं इस पार्लियामेंट में आया हूं, कोई कदम उस तरफ नहीं उठाया गया है।

मैं आपकी बसातत से अर्ज करना चाहूंगा रेलवे मिनिस्टर से कि टूरिस्ट ट्रेड पर हमारी तमाम इक्तसादी जिन्दगी का इन्हसार है; जो सैयास मुल्क के अन्दर से और बाहर से रियासत में आते हैं, उनके लिये आमदोरफत के जराय महदूद हैं क्योंकि हमारे पास कोई रेलवे लाइन नहीं है।

हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट फ्रूट का है जो हम मुल्क के बाकी हिस्सों में बेचते हैं लेकिन बदकिस्मती से हर साल हमारे लिये परेशानी रहती है, अरबों रुपये का फ्रूट सड़ता है लेकिन गाड़ियों और ट्रकों की कमी की वजह से बाकी मुल्क के हिस्सों में नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा दिल्ली की मंडियों में हमें लूटा जाता है और हमारे जो फ्रूट के ग्रोअर्स हैं, उनकी कोई कद्र नहीं होती। वह फ्रूट न सिर्फ सड़ता है बल्कि यहां उसकी एक्सप्लायेटशन होती है और उस सिलसिले की मेन वजह यही है कि हमारे पास रेलवे लाइन नहीं है।

मैं अर्ज करूंगा कि अगर आप वाकई जम्मू-काश्मीर के अवाम को और खास तौर से वादि काश्मीर के लोगों को इन्साफ देना चाहते हैं और वहां की तिजारत को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो फिर वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा मिलना चाहिये, जिससे सारे मुल्क को लाभ होगा। अपनी खूबसूरती की वजह से जम्मू-काश्मीर में सैयाहत के लिये जो कशिश है, उसकी मिसाल नहीं है। जिस कद्र आप टूरिज्म को बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। भविष्य में आप इसके लिये इस किस्म का लवाजिमें, खास तौर पर रेल लाइन का इंतजाम करें।

1957 में रियासत में ख्रुश्चेफ, सेक्रेट्री कम्युनिस्ट पार्टी के और उनके साथ बुलगैनिन आये थे उन्होंने कहा था कि अगर हिन्दुस्तान की सरकार हमें इजाजत देती है तो हम कश्मीर को रेलवे लाईन से सोवियत संघ के साथ मिला सकते हैं।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी टैक्नीलॉजी ने इनसेट वन-बी और ऐप्पल को घुमाकर जो तरक्की है, क्या वह कश्मीर के पहाड़ों को चीर कर रास्ता नहीं बना सकती, वह टनल नहीं बना सकती। मैं चाहता हूं कि वहां के जजबात की अकासी हो। उम्मीद करता हूं नई सरकार जो बनी है, वह इस काम को करेगी।

हमारे मुल्क में एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक रिवायत कायम की थी श्री लालबहादुर शास्त्री ने। उनके वक्त रेल का हादसा हुआ गालिबन हैदराबाद में, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपके माध्यम से मोहतरम बंसी लाल जी से मैं कहना चाहता हूं कि मुल्क में रेलवे के बहुत से हादिसात हो रहे हैं, जिस में बहुत सी जानें जा रही हैं। श्री बंसी लाल इस लिहाज से बड़े काबिल और बड़े जुर्रतमंद मिनिस्टर हैं।

आप जंगलात से स्लीपर लाते हैं, रेलवे लाइन के नीचे बिछाने के लिये। मैं चाहूंगा कि यह जो जंगलात से लकड़ी आ रही है, हिमाचल से जम्मू कश्मीर से और हमारे हिमालयन टेरेन से, हमरे जंगलात तबाह हो रहे हैं। आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। आपको कनक्रीट के स्लीपर बनाने पड़ेंगे हमारे जंगलात को मत काटिए, उसका सबस्टीच्यूट निकालिए अगर जंगलात की रक्षा करना चाहते हैं।

आपके यहां पर करप्शन रेलवे में बहुत बढ़ रहा है। सैकिंड क्लास के रिजर्वेशन के लिये फार्म भी नहीं भरे होते, लेकिन सबसे पहले वह रिजर्वेशन जाहिर करते हैं। इसमें मैल प्रैक्टिसिस हो रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि रेलवे मिनिस्टर इस मामले की तरफ तवज्जुह देंगे, करप्शन को दूर करेंगे। मुसाफिरों के लिये खाने का इंतजाम हो जो वाहियात है, उसको ठीक करेंगे।

شری عبدالرشید کابلی (شری نگر) : آنریبل ڈپٹی اسپیکر میں پہلی بات آنریبل منسٹر کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ ۳۷ سال گذر گئے لیکن ابھی تک وادی کشمیر میں آپکی ریلوے لائین نہیں آئی ہے - ریلوے لائین وہاں تک آنے سے ریاست کی ترقی ممکن نہیں ہے

۱۹۴۷ع میں ایک راستہ تھا راولپنڈی روڈ کا جو کہ ہندوستان کے ساتھ ریاست جموں و کشمیر کو ملاتا تھا لیکن اس کے بند ہونے کے بعد بنی ہال روڈ کی مدد سے ہم ہندوستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں - بنی ہال روڈ بھی سردیوں میں بعض اوقات بند رہتا ہے جسکی بنا پر ہماری ساری تجارت اور ہمارا سیاح ٹورزم کا جو ٹریفک رہتا ہے وہ سارے کا سارا کٹ کر رہ جاتا ہے -

سال گذشتہ میں میں نے یہ بات بار بار اٹھائی اور اس وقت کے منسٹر غنی خاں چودھری نے میرے چیلنج کو قبول کیا تھا - ان کے لفظ تھے کہ میں آپ کے چیانج کو قبول کرتا ہوں اور وادئی کشمیر کو بھی ریلوے لائین سے ملا دیا جائے گا لیکن ابھی تک دو سال گذرنے کے بعد بھی جب سے میں اس پارلیمنٹ میں آیا ہوں کوئی قدم اس طرف نہیں اٹھایا گیا ہے -

میں آپکی وساطت سے عرض کرنا چاہوں گا ریلوے منسٹر سے کہ ٹورسٹ ٹریڈ ہماری تمام اقتصادی زندگی کا انحصار ہے جو سیاح ملک کے اندر سے اور باہر سے ریاست میں آتے ہیں انکے لئے آمد و رفت کے ذرائع محدود ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی ریلوے لائین نہیں ہے -

ہمارا سب سے بڑا پروڈکٹ فروٹ کا ہے - ہم ملک کے باقی حصوں میں بیچتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہر سال ہمارے لئے پریشانی رہتی ہے اربوں روپئے کا فروٹ سڑتا ہے لیکن گاڑیوں اور ٹرکوں کی کمی کی وجہ سے باقی ملک کے حصوں میں نہیں پہونچ پاتا - اسکے علاوہ دلی کی منڈیوں میں ہمیں لوٹا جاتا ہے اور ہمارا فروٹ نہ صرف

سڑتا ھے بلکہ یہاں اسکی ایکسپلائٹیشن ھوتی ھے اور اس سلسلے کی مین وجہ یہی ھے کہ ھمارے پاس ریلوے لائین نہیں ھے۔

میں عرض کروں گا کہ اگر آپ واقعی جموں کشمیر کے عوام کو اور خاص طور سے وادی کشمیر کے لوگوں کو انصاف دینا چاھتے ھیں اور وھاں کی تجارت کو بڑھاوا دینا چاھتے ھیں تو پھر وھاں پر ٹورزم کو بڑھاوا ملنا چاھئے جس سے سارے ملک کو لابھ ھوگا۔ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے جموں کشمیر میں سیاحت کے لئے جو کشش ھے اس کی مثال نہیں ھے۔ جس قدر آپ ٹورزم کو بڑھانا چاھیں بڑھا سکتے ھیں۔ بھوشیہ میں آپ اسکے لئے اس قسم کا لوازم خاص طور پر ریل لائین کا انتظام کریں۔

۱۹۵۷ع میں ریاست میں خروشچیو سیکریٹری کمیونسٹ پارٹی کے اور ان کے ساتھ بلگیئن آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ھندوستان کی سرکار ھمیں اجازت دیتی ھے تو ھم کشمیر کو ریلوے لائین سے سوویت سنگھ کے ساتھ ملا سکتے ھیں۔

میں عرض کرنا چاھتا ھوں کہ ھماری ٹیکنالوجی نے انسیٹ ون میں اور ایپل کو گھما کر جو ترقی کی ھے کیا وہ کشمیر کے پہاڑوں کو چیر کر راستہ نہیں بنا سکتی— میں چاھتا ھوں کہ وھاں کے جذبات کی عکاسی ھو امید کرتا ھوں نئی سرکار جو بنی ھے وہ اس کام کو کرے گی —

ھمارے ملک میں ایکسیڈینٹ ھو رھے ھیں — ایک روایت قائم کی تھی شری لال بھادر شاستری نے — انکے وقت میں ریل کا حادثہ ھوا غالباً حیدرآباد میں تو انھوں نے استعفی دے دیا — آپکے مادھیم سے محترم بنسی لال جی سے میں کہنا چاھتا ھوں کہ ملک میں ریلوے کے بہت سے حادثات ھورھے ھیں جس میں بہت سی جانیں ضایع ھورھی ھیں — شری بنسی لال اس لہاظ سے بڑے قابل اور بڑے جرت مند منسٹر ھیں —

آپ جنگلات سے سلیپر لاتے ھیں ریلوے لائن کے نیچے بچھانے کیلئے میں چاھوں گا کہ یہ جو جنگلات سے لکڑی آرھی ھے ھماچل سے جموں کشمیر سے اور

ہمارے ہمالین ٹیرین سے ہمارے جنگلات تباہ ہو رہے ہیں— آپکو راستہ نکالنا پڑے گا— آپکو کنکریٹ کے سلیپر بنانے پڑیں گے— ہمارے جنگلات کو مت کاٹئے اسکا سبسٹی ٹیوٹ نکالئے اگر جنگلات کی رکشا کرنا چاہتے ہیں —

آپکے یہاں ریلوے میں کرپشن بہت بڑھ رہا ہے — سیکنڈ کلاس کے ریزرویشن کے لئے فارم بھی نہیں بھرے ہوتے لیکن سب سے پہلے وہ ریزرویشن ظاہر کرتے ہیں — اس میں مال پریکٹسز ہو رہی ہے — میں اُمید کرتا ہوں کہ ریلوے منسٹر اس معاملے کی طرف توجہ دیں گے — کرپشن کو دور کریں گے — مسافروں کے لئے کھانے کا انتظام ہے جوواھیات ہے اسکو ٹھیک کریں گے —

[अनुवाद]

*श्री आर. जोवरत्नम (आर्कोनम) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रेलमंत्री द्वारा पेश की गई रेलवे की अनुपूरक मांगों का समर्थन करते हुए मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र, आर्कोनम (तमिलनाडु) की कुछ बुनियादी रेल आवश्यकताओं के बारे में उल्लेख करूंगा। आर्कोनम मद्रास से लगा हुआ है। आर्कोनम के रास्ते से होकर मद्रास और कटपड़ी के बीच विद्युत कर्षण बनाने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया गया है। बिजली के खम्भे और तारें लगा दी गई हैं। इस पर भी मद्रास और काटपाड़ी के बीच बरास्ता अरकोणम कोई विद्युत रेलगाड़ी नहीं चलती है। कटपड़ी से प्रति दिन रेल कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी आदि मद्रास जाते हैं। अतः इस मार्ग पर विद्युत रेल गाड़ी चलाना अत्यंत आवश्यक है।

मुझे खेद है कि आर्कोनम से कटपड़ी को कोई सुबह की गाड़ी नहीं है। इसी प्रकार कटपडी से आर्कोनम को कोई शाम की गाड़ी नहीं है। इससे इन दो स्थानों के बीच यात्रा करने वाले सरकारी कर्मचारियों, रेल कर्मचारियों और अन्य यात्रियों को काफी असुविधा होती है। जब विद्युतीकरण के लिए सब व्यवस्था कर ली गई है तो यह समझ नहीं आता कि दक्षिण रेलवे द्वारा विद्युत रेलगाड़ियां क्यों नहीं चलायी जा रहीं हैं, रेल मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह मद्रास और कटपड़ी के बीच रास्ता आर्कोनम विद्युत रेलगाड़ियां चलाने का आदेश दें।

आर्कोनम में ब्रिटिश राज्य के दौरान बनाया गया एक अत्यंत पुराना उपरि-पुल है। यह शहर के बीचोंबीच है। इसके कारण लारियां., बसें, सार्वजनिक वाहन और ठेले नहीं चलाये जा सकते हैं। रेल प्रशासन ने एक नये पुल की परियोजना तैयार कर ली है और राज्य सरकार को इस सिफारिश के साथ भेजी है कि राज्य सरकार उस पर आने वाले खर्च का 50 प्रतिशत वहन करे। मुझे नहीं पता कि राज्य सरकार ने 50 प्रतिशत खर्च वहन करने की सहमति दी है कि नहीं। इस सदन में सदस्य रेलवे स्कीमों के लिए 50 करोड़, 75 करोड़, 100 करोड़ और 400 करोड़ रुपये की मांग उठाते रहे हैं। मैं तो केवल आर्कोनम में एक नये पुल के लिए 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपये की मांग कर रहा हूं। यह इस क्षेत्र के लोगों की काफी समय से चली आ रही मांग है। इस ऊपरि-पुल के स्थान पर नया पुल बनाने की आवश्यकता के बारे में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में अनेक लेख प्रकाशित होते रहे हैं। मेरा रेल मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें और आर्कोनम के लोगों की एक नये पुल की उचित मांग को पूरा करें। इस जर्जर पुल के स्थान पर तत्काल एक नया पुल बनाया जाए।

*तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

मद्रास एक घनी आबादी वाला शहर है । पर्यावरण प्रदूषण के खतरों के बिना वहां उद्योग स्थापित नहीं किये जा सकते हैं। यदि उद्योगों का विस्तार किया जाना है और पर्यावरण प्रदूषण के खतरे से भी बचना है तो आर्कोनम से कटपडी और कटपडी से जलारपेट्टई के बीच विद्युतीकृत कर्षण की व्यवस्था करनी चाहिए । तभी रेल लाइन के आसपास के क्षेत्रों में शीघ्र उद्योग स्थापित होते जायेंगे। रेल मंत्री महोदय को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए । रेल कर्मचारियों और श्रमिकों को मकानों के मामले में काफी कठिनाई आ रही है मेरा सुझाव है कि रेलवे को अपने श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए बड़े पैमाने पर मकान बनाने का काम शुरू करना चाहिए। अन्यथा, रेलवे को उन्हें अपने मकान बनाने के लिए ऋण देना चाहिए ।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इसके साथ ही मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

***श्री पलास बर्मन** (बलूरघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बंगला में बोलना चाहता हूं । महोदय, मैं रेल मंत्री महोदय का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् बलूरघाट के लोगों की दयनीय दशा की ओर दिलाना चाहता हूं । बलूरघाट एक जिला मुख्यालय है किन्तु दुर्भाग्यवश इसे रेल से नहीं जोड़ा गया है।

आप बिना रेल सम्पर्क के इस क्षेत्र के लाखों लोगों की कठिनाइयों का अंदाजा लगा सकते हैं । स्वतंत्रता के 37 वर्ष बाद भी एक जिला मुख्यालय, बलूरघाट को रेल से न जोड़ा जाना रेल मंत्रालय पर सबसे बड़ा धब्बा है । वहां के लोगों ने उस क्षेत्र में रेलवे लाइन बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष श्री यू.एन. ढेबर, बाबू जगजीवन राम तथा तत्कालीन रेल मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री तथा स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को भी अनेक शिष्ट मंडल भेजे थे । निस्संदेह अनेक आश्वासन दिये गए और आज भी दिये जा रहे हैं । भूतपूर्व रेल मंत्री श्री गनी खां चौधरी ने शायद उन क्षेत्र के लोगों की दयनीय स्थिति और कठिनाइयों को महसूस किया था और एकलाशी से बलूरघाट तक 90 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन बिछाने के लिए दो वर्ष पहले शिलान्यास किया था किन्तु इस परियोजना पर बहुत कम काम हुआ है । यद्यपि पिछले चुनावों में इस परियोजना का बहुत प्रचार किया गया था और यह कहा गया था कि इस पर काफी काम हुआ है किन्तु वास्तविकता यह है कि बहुत कम काम हुआ है । अलबता कुछ नाम पट्ट इधर उधर जरूर लगाये गए हैं ।

मैं माननीय रेल मंत्री श्री बंसी लाल, को आमंत्रित करता हूं कि वह मेरे क्षेत्र में आयें और वहां लोगों की दयनीय स्थिति को स्वयं देखें ।

इसके साथ ही मैं मांग करता हूं कि वह विशेष कार्यवाही करें तथा यह सुनिश्चित करें कि यह रेल परियोजना शीघ्रता से पूरी हो सके ।

मेरा यह भी निवेदन है कि पश्चिम बंगाल के अल्पविकसित और पिछड़े हुए सुंदर बन क्षेत्र के लोगों की यह काफी समय से चली आ रही मांग है कि सियालदाह से कैनिंग तक की रेल लाइन को बढ़ाकर गोलाबाड़ी और धमाखली तक कर दिया जाए। रेल विभाग ने सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है किन्तु विस्तार कार्य आरम्भ नहीं हुआ है ।

इस सेक्शन पर सोनापुर से कैनिंग तक छः शटल गाड़ियां चलती हैं । मेरी मांग है कि उपरोक्त गाड़ियां सियालदाह से कैनिंग के बीच चलायी जाएं ।

अंत में मेरा निवेदन है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का रेल सम्पर्क बहुत कमजोर है । मेरी मांग है कि बारसोई और राधिकापुर के बीच विद्यमान मीटर गेज रेल लाइन को अविलम्ब बड़ी लाइन में बदला जाए। कटिहार से सिलीगुड़ी और अलीपुर दुहार जंक्शन तक बड़ी रेल लाइन भी बनाई जानी चाहिए। इसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ ।

*बंगाल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

[हिन्दी]

श्री डूमर लाल बैठा (अररिया): उपाध्यक्ष महोदय, अधिकतर सदस्यों ने यहां पर कहा है कि रेलवेज घाटे में चल रहा है । मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि रेलवेज कोई व्यापारिक संस्था नहीं है । रेलवेज यूटिलिटी सर्विस है और इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, रेलवेज पर जो सोशल बर्डेन है, उसी को अगर हटा दिया जाये तो रेलवे प्राफिट में हो जायेगी । रेलवेज में पहले 1970-71 में डिप्रिशिएसन रिजर्व फंड में 100 करोड़ दिये जाते थे जोकि 1979-80 में 200 करोड़ हो गये, 1982-83 में में 554 करोड़ हो गये और 1983-84 में बढ़कर 850 करोड़ हो गये । मात्र डिप्रेशिएसन फंड में ही 100 करोड़ से बढ़कर 850 करो हो गये । ऐसी स्थिति में घाटा होना स्वभाविक ही है । इसी प्रकार से आप देखें कि वेज-बिल कितना बढ़ गया है । इसके अलावा फूड ग्रेन्स की ढुलाई पर सब्सेडी दी जा रही है । जो चीजें यातायात के दूसरे साधनों से नहीं ढोयी जाती, वह रेलवेज को पब्लिक की जरूरत के मुताबिक ढोना पड़ता है और इसमें जो घाटा होता है वह रेलवेज को बर्दाशत करना पड़ता है ।

इसी प्रकार से जैसा कि एक मित्र ने बताया है, बाम्बे, कलकत्ता, मद्रास में जो सबर्बन ट्रैफिक है उसमें कितना घाटा होता है और यह सारा बोझ रेलवे पर पड़ता है । इसलिये आज अगर हम यह समझकर बात करें कि रेलवे बिजनेस करने वाली संस्था है तो यह बात गलत होगी । रेलवे पब्लिक की जरूरत की एक चीज बन गई है । रेलवे को ऐसी जगहों पर भी ले जाया जाता है जहां पर उसको ले जाना सामरिक दृष्टि से आवश्यक होता है । जहां पर रेलवे को ले जाना व्यापारिक दृष्टि से ठीक नहीं होता है, वहां पर लोगों की डिमाण्ड पर और आवश्यकता को देखते हुए ले जाया जाता है ।

आज हमारे माननीय सदस्य श्री अब्दुला रशीद काबुली ने यहां पर इस बात को उठाया कि कश्मीर में श्रीनगर तक रेलवे लाइन नहीं ले जाई गई ।

मैं आपके द्वारा उनको बताना चाहता हूं कि हमारी रेलवे कन्वेंशन कमेटी जब वहां गई थी और जम्मू-कश्मीर गवर्नमेन्ट से बात हुई थी तब जब आफर देने की बात आई, चूंकि बहुत से राज्यों ने आफर दिये थे, किसी ने फ्री स्लीपर देने की बात कही थी, किसी ने फ्री जर्मन देने की बात कही थी तो आपकी गवर्नमेन्ट ने कहा कि हमें रेलवे लाइन नहीं चाहिये । उन्होंने बताया कि उससे और भी ज्यादा एटमासफियर पोल्यूशन होगा । इसलिये अच्छा होगा कि पहले आप वहां पर विचार कीजिये । हमारी तो एग्जायटी है कि वहां भी रेलवे लाइन जाये । जम्मू-ऊधमपुर लाइन बन ही रही है ।

घंटी बज रही है । मैं दो तीन प्वाइन्ट पर कहना चाहूंगा । एक तो यह कि अभी बरौनी से कटिहार जो ब्राडगेज लाइन चल रही है वहां 18 गाडियां पहले चलती थीं, अब चार चल रही हैं

3.00 म. प्र.

अभी जो एक्सप्रैस गाड़ी चलती है, वह सिर्फ तीन-चार बोगियां लेकर चलती है । यदि आप चाहें तो उसमें पैसेंजर के लिये डिब्बे जोड़ सकते हैं । इस गाड़ी में इंजन है, ड्राइवर है, गार्ड है, लेकिन पैसेंजर के लिये कोई जगह नहीं है । यदि आप इसमें पैसेंजर के लिये व्यवस्था कर दें तो रेलवे को काफी फायदा हो सकता है । और गाड़ियों के चलने के साथ-साथ आपको डिब्बों को भी बढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिये । लेकिन किया यह जाता है कि डिब्बों को काट काट कर दूसरी गाड़ियां बना दी जाती हैं, जिससे रेलवे को कोई फायदा नहीं होता है । परवेस गंज या अररिया से ठाकुरगंज तक लाइन को जोड़ना बहुत आवश्यक है । अभी जो लाइन है, वह कटिहार से महानंदा को जाने वाली है । महानंदा पर जो ब्रिज बना हुआ है, वह बहुत ही खतरा बन गया है । यदि यहां कभी एक्सीडेंट हो जाये तो नार्थईस्टर्न स्टेट्स बिल्कुल अलग हो जाती हैं । इस पर मंत्री महोदय को विचार करना चाहिये ।

समय कम होने की वजह से मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि रेलवे को इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिये कि वह सिर्फ एक व्यापारिक संस्था है, बल्कि वह पब्लिक यूटिलिटी की संस्था है। वहां जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है, हमें उसकी ओर ध्यान देना चाहिये। प्लानिंग कमीशन से भी पिछले सालों में रेलवे मंत्रालय को पैसा कम ही मिलता रहा है, बराबर घटता गया है।

इन शब्दों के साथ मैं रेलवे की पूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समय और 15 मिनट बढ़ा रहा हूं। परन्तु यदि हम इस प्रकार समय बढ़ाते हैं तो हमें रात 7.30 अथवा 8.00 बजे तक बैठना पड़ेगा और आप लोगों को उपस्थित रहना होगा।

कुछ माननीय सदस्य : हां, हम बैठेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहयोग चाहता हूं। तीन मिनटों में खत्म करने का प्रयास कीजिये। क्योंकि यह बजट अत्यन्त महत्वपूर्ण है और प्रत्येक सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्यायें उठाना चाहता है। परन्तु संक्षेप में कहने का प्रयास कीजिये। आरम्भ में प्रत्येक सदस्य ने 20 अथवा 15 मिनट लिये, इसी कारण हमें अब समय अभाव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

श्री वड्डे सोभानेद्रीसवारा राव (विजयवाड़ा) : महोदय, यह पहला सत्र है और इस बार कई नए सदस्य आये हैं, वे अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। कृपया हमारे उन सदस्यों को अवसर अवश्य दीजिये जिनके नाम आपको दिये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल विषय तक सीमित रहें, बस। बहुत से विषयों पर चर्चा करने की बजाय, आप जो कुछ कहना चाहते हैं संक्षेप में कहें। यह दोनों पक्षों पर लागू होता है। अब श्री अमर राय प्रधान।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री श्री बंसी लाल और राज्य मंत्री श्री सिन्धिया जी को बधाई देना चाहता हूं परन्तु मुझे अत्यन्त खेद है कि मैं उनके विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता, (व्यवधान)

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : हम आपको क्षमा करते हैं।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, मैं यह नहीं जानता कि आप कभी उत्तर-पूर्वी क्षेत्र जो एक मिला-जुला क्षेत्र है, में गए हैं या नहीं। परन्तु मेरे विचार में माननीय मंत्री महोदय और राज्य मंत्री महोदय यह स्वीकार करेंगे कि उत्तर-पूर्वी सीमान्त रेलवे, जो उत्तरी बंगाल और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के यात्रियों के लिये है, रेलवे मानचित्र में सर्वाधिक पिछड़ा हुआ रेलवे जोन है। रेलवे विभाग इस रेलवे विशेष की उपेक्षा कर रहा है और सौतेला व्यवहार कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं इस रेलवे में कहीं भी विद्युतीकरण नहीं हुआ है, इस रेलवे में कहीं भी दोहरी लाइन नहीं है, एक किलोमीटर भी नहीं है। इस रेलवे पर एक भी डीजल इंजन नहीं है। उन्हें पूर्वी रेलवे से इंजन उधार लेने पड़ते हैं और जब हम उनसे इसकी मांग करते हैं तो वे कहते हैं धन की कमी है। आप को जान कर हैरानी होगी कि पश्चिम बंगाल विधान सभा में नया कूच बिहार से लेकर कलकत्ता के निकट सियालदाह तक एक गाड़ी चलाने की मांग करते हुए वर्ष 1980-81 में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया गया था। इस संकल्प का न केवल साम्यवादी फारवर्ड ब्लाक, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादियों) ने समर्थन किया था बल्कि कांग्रेस सहित सभी दलों ने इसका समर्थन किया था। परन्तु रेलवे विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

हम आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रायः सुनते रहते हैं कि नई गाड़ियां चलाई जा रही है परन्तु वह गाड़ी जिस पर पश्चिम बंगाल के लोग, चाहे वे किसी भी दल के थे, सर्वसम्मत थे, अभी तक नहीं चलाई गई है।

हाल ही में एक गाड़ी 'विवेकानन्द एक्सप्रेस' नयाबोंगई गांव से त्रिवेन्द्रम तक चलाई गई है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र 'कूच बिहार' के लोग मांग करते आ रहे हैं कि यह गाड़ी वहां भी रुकनी चाहिये, चाहे पांच मिनट के लिये ही रुके। कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि गाड़ियां चौबीस घंटे देरी से चल रही हैं। जब गाड़ियां कई-कई दिन देरी से चल रही हैं तो मुझे यह समझ नहीं आता कि कूच बिहार में पांच मिनट से भी आधे समय तक गाड़ी रोकने में रेलवे को क्या कठिनाई है? कूच बिहार के लोगों ने इसके लिये प्रदर्शन किया था। उन्होंने 24 घंटे तक गाड़ी नहीं चलने दी। इस संबंध में आश्वासन भी दिया गया था परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है। जब हम गाड़ी की मांग करते हैं तो आप मना कर देते हैं, जब हम वहां थोड़ी देर गाड़ी रोकने की मांग करते हैं तो आप मना कर देते हैं; जब हम दोहरी लाइन की मांग करते हैं तो आप मना कर देते हैं। आप ऐसा इसलिये कर रहे हैं क्योंकि हम आपकी जी हजूरी नहीं करते। इसका अर्थ है यदि हम आपकी जी-हजूरी करेंगे तभी हमारी आशाओं की पूर्ति होगी।

[हिन्दी]

श्री रामध्यारे पनिका (रावर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, जो डिमाण्ड्स रेलवे मंत्री जी ने प्रस्तुत की हैं मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वैसे तो, मान्यवर, एक डिमाण्ड 1982-83 की है, जिसको पब्लिक एकाउन्टस कमेटी के आदेशानुसार पेश किया गया है और दूसरी डिमाण्ड 91 लाख रुपये की है जिसको आवश्यक खर्च होने के कारण खर्च कर दिया गया है और इस वक्त मंजूरी के लिये पेश की गई है। एक तरह से दोनों धनराशियां खर्च हो चुकी हैं, यह तो केवल एप्रूवल मात्र है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं --पिछले चार पांच वर्षों में रेलवे ने जिस तरह से हमारी अर्थ-व्यवस्था को सुधारने में सहयोग दिया है, उसके लिये मैं मंत्री जी और रेलवे विभाग का बड़ा आभारी हूं। आप जानते हैं --हमारी योजना में जो इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्यक्रम है, उसमें रेलवे ट्रांसपोर्टेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें चाहे फूड ग्रेन्ज पहुंचाने का प्रश्न हो, चाहे पावर स्टेशन के लिये कोयला ले जाने का प्रश्न हो या अन्य दूसरे प्रश्न हों, इन्होंने बहुत बुद्धिमानी और सामयिक ढंग से काम किया है।

आज स्थिति यह है कि 14 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स का रिनुअल होना है। इसलिये मैं चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन और फाइनेन्स मंत्रालय निश्चित तौर से इसके लिये धनराशि प्रदान करें। पहले हम को 3 करोड़ 20 लाख रुपये इस काम के लिये मिले थे, जो बिल्कुल काफी नहीं है। एक्सीडेन्टस की संख्या बढ़ रही है, इस दृष्टि से इसमें ज्यादा धनराशि दी जाय ताकि एक्सीडेंट्स की गुंजाइश कम हो सके। मैं इस संबंध में ज्यादा न कह कर, जो अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है, उनके साथ अपने आप को भी जोड़ता हूं और अब कुछ बातें अपने क्षेत्र के संबंध में कहना चाहता हूं।

हमारे यहां एक चण्डीगढ़ एक्सप्रेस चलती है, उसको चार दिन किया गया है, हम चाहते हैं कि उस को डेली किया जाये। उसका स्टापेज दुद्धि में हमारे अब्दुलगनी खां चौधरी ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन अभी तक उसको इम्प्लीमेन्ट नहीं किया है, मैं चाहता हूं कि उसको शीघ्र इम्प्लीमेन्ट किया जाये।

हमारे यहां कई लोकल ट्रेन्स चलती हैं, जैसे सी. सी. एम. गडवा से चुनार तक जाती है, उसको वाया ज्योनाथपुर बनारस तक कर दिया जाये। इसी तरह चौपन एक्सप्रेस लखनऊ से चलती है। यह चौपन तक तो आती है, लेकिन तीन दिन उसको शक्तिनगर सिंगरौली तक कर दिया है, मैं चाहता हूं कि चार दिन उसको वाया रेनुकूट गड़वा तक कर दिया जाये।

टाटा एक्सप्रैस जो अमृतसर से टाटानगर (जमशेदपुर) तक जाती है, उस को हावड़ा तक बढ़ा दीजिये। जमशेदपुर से हावड़ा तक केवल तीन घंटे का समय लगेगा लेकिन इसे जनता को बड़ी सुविधा और राहत मिलेगी ।

एक समस्या मैं और रेल मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं और वह यह है कि कई ट्रेनें हावड़ा और बम्बई के बीच में इलाहाबाद हो कर चलती हैं। इससे उस लाइन पर बहुत भार है। इसलिये मेरा कहना यह है कि जो मेल ट्रेनें हैं उन को चुनार जंक्शन से वाया चौपन कटनी और बम्बई अथवा मद्रास के लिये चला दिया जाये। इससे जो ट्राइबल बेल्ट है और जो पिछड़ा इलाका है वह कवर हो जायेगा और इस लाइन पर जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां के लोगों को तथा दक्षिण भारत के लोगों को इन क्षेत्रों के बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के साथ जुड़ जाने से बड़ी सुविधा होगी। अभी उन को इलाहाबाद जा कर जाना पड़ता है।

मैं एक अनुशासित सदस्य हूं और मैं ने तीन मिनट का ही समय लिया है। आप ने जो मुझे बोलने के लिये समय दिया है, उसके लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री ईरासु अय्युपू रेड्डी (कुरनूल) : उपाध्यक्ष महोदय, जापान में यदि एक्सप्रेस गाड़ी थोड़ी देर से आती है तो वहां यह खबर सुर्खियों में छप जाती है। परन्तु भारत में यदि गाड़ी समय पर आ जाये तो यह एक खबर बन जाती है। वास्तव में जापान 'मोनो-रेल' के बारे में सोच रहा है। वास्तव में में उनके यहां मोनो-रेल है जिसकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। वे चुम्बकीय लाइन के बारे में भी सोच रहे हैं जिसमें गाड़ी पटरी पर उड़ती हुई चलती है। संभवतः भारत में यह परियों की कहानी जैसी लगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें गतिशील और वैज्ञानिक ढंग से 21वीं शताब्दी में ले जाने का वायदा किया है। मैं रेल मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वे हमें केवल 15 वर्ष दूर इक्कीसवीं शताब्दी में किस गाड़ी से ले जाना चाहते हैं।

अब सदस्यों के भाषण सुनने के बाद हमें पता चल रहा है कि हम कितनी उत्सुकता और कितनी उदासीनता से रेलवे का विस्तार कर रहे हैं। महोदय, रेलवे परियोजनाओं के विस्तार से रोजगार के अवसर पैदा नहीं हुए है। अतः हमारे रेलवे परियोजानाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा किये जाने चाहिये। इस दृष्टिकोण से सांतवी योजना में रेलवे विस्तार परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

अब मैं अपने राज्य आन्ध्र प्रदेश की बात उठाता हूं। पिछले 40 वर्षों में केवल एक छोटी सी परियोजना नडी-कुडी-बी. बी. नगर रेलवे परियोजना आरम्भ की गई है। मैं माननीय सदस्य प्रो. रंगा की इस बात से सहमत हूं कि अत्यन्त धीमी गति से चलने वाली इस परियोजना को जल्दी पूरा किया जाये।

महोदय, दक्षिण में दो बड़े औद्योगिक नगर हैदराबाद और बंगलौर हैं, यह दुःख की बात है कि ये अत्यधिक औद्योगिक नगर बड़ी गेज लाइन से भी नहीं जुड़े हुए हैं। वहां मीटर गेज लाइन है, 60 या 70 प्रतिशत मार्ग मीटर गेज लाइन से तय होता है। क्या यह दुःख की बात नहीं है कि दक्षिण के इन दो अत्यधिक उद्योगकृत नगरों में अभी बड़ी लाइन नहीं है। मुझे आशा है कि रेल मंत्री इन दो बड़े शहरों को बड़ी लाइन से जोड़ने की परियोजना को शीघ्र पूरा करने का प्रयास करेंगे।

इसके बाद केन्द्रीय सीमेन्ट निगम है, जिसने रायलसीमा क्षेत्र में बहुत से सीमेन्ट उद्योग स्थापित करने का काम आरम्भ किया है और स्थापित किये भी हैं। इस क्षेत्र को रायलसीमा कहते हैं। अब यातायात

के दृष्टिकोण से सर्वेक्षण किया गया है। परन्तु अब तक कोई लाइन नहीं बिछाया गई है। मैं माननीय रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि नन्दियाल से गुंटाकल तक लाइन बिछाने के काम को शीघ्र पूरा किया जाये।

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान (रोसेरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। में जनता का भी धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे सदन में चुन कर भेजा।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की नीति रेजनल इम्बेलेंस को खत्म करने की रही है, जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहां का विकास करने की रही है। मैं बिहार विशेषकर उत्तर बिहार के बारे में आपसे कहना चाहता हूं। हमारे जो रेलवे मंत्री जी हैं वे बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं और वे जिस काम को भी हाथ में लेते हैं उसमें उनको सफलता मिलती है। मैं समझता हूं कि बिहार के प्रति उनको काफी सहानुभूति है। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि समस्तीपुर–कदरभंगा ब्राडगेज लाइन का काम स्वर्गीय श्री ललितनारायण मिश्र के समय हाथ में लिया गया था। कार्य पूरा कर दिया गया था पर दुर्भाग्य से बीच में जनता पार्टी का शासन आया जिसमें उस काम को रोक दिया गया। फिर श्री केदार पांडे जी आये तो वह काम फिर शुरु हुआ। अब आप आये हैं। आप इस ब्राडगेज लाइन को पूरा करवायें। सकरी–हसनपुर रेलवे लाइन पर सर्वेक्षण कार्य पूरा कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था।

उत्तर बिहार में कोई रेलवे लाइन नहीं है। वहां उत्तर में 40 मील जाने पर, दक्षिण 60 मील जाने पर, पूर्व में कहीं भी जाने पर और पश्चिम में 50 मील जाने पर भी रेलवे लाइन नहीं मिलती। इस एरिया के लिये रेलवे लाइन का उद्घाटन हो गया था लेकिन जनता पार्टी के टाइम पर उस काम को भी स्थगित कर दिया गया। हम आप से आग्रह करेंगे कि आप इस लाइन को अगले बजट में ध्यान रख कर शुरु करें।

उपाध्यक्ष महोदय, जो महात्मा गांधी सेतु बना है उससे रेलवे को 35 लाख रुपये का घाटा हो रहा है, क्योंकि अब बहुत से लोग बसों से यात्रा करने लगे हैं। बसों से यात्रा जल्दी पूरी हो जाती है और रेल गाड़ियों की रफतार सुस्त होती है। पहले जो चार गाड़ियां उस एरिया में चलती थी उनको कैन्सल कर दिया गया है। उन गाड़ियों को रेस्टोर किया जाये। इस सेतु के बनने के बाद से रेलवे को 35 लाख रुपये का घाटा हुआ है। राज्य सभा में दिये गये एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने इस बात को बताया है। आप ने गाड़ियां रद्द कर दी है और आपकी गाड़ियां बसों से धीमी चलती हैं इस कारण से यह घाटा हो रहा है। आप रद्द की गई गाड़ियों को रेस्टोर कीजिये और गाड़ियों की रफतार को तेज कीजिये जिससे कि रेलवे को घाटा न हो।

उत्तर बिहार में दरभंगा से पटना होते हुए जयन्ती जनता एक गाड़ी दिल्ली आती थी। उसका आपने रूट बदल दिया है। अब दिल्ली आने के लिये वहां के लोगों को दूसरे रुट से आना पड़ता है। दूसरे एक गाड़ी 78 डाऊन पटना आती थी उसको भी आपने कैंसिल कर दिया है। मान्यवर, मैं आग्रह करुंगा कि जितनी गाड़ियों को कैंसिल कर दिया गया है उनको चलाया जाए जिससे कि रेलवे को जो घाटा हो रहा है वह कम हो। और जनता की रेल यात्रा सुविधाजनक बनायी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने जो रकम मान्य की है वह पर्याप्त नहीं है। आपके 18 हजार किलोमीटर ट्रेक पर जो रेल चलती है वह खराब हालत में हैं। 35 हजार आपके रेलवे बेगन बिल्कुल खराब हालत में हैं। आपको इनमें आधुनिकता लानी चाहिये।

जहां तक रिजर्वेशन का प्रश्न है, बड़े बड़े स्टेशनों जैसे कलकत्ता, पटना, बम्बई आदि पर काफी घांधली हो रही है। वहां पर आप कम्प्यूटर प्रणाली लागू कीजिये ताकि सभी लोगों को आसानी से सस्ता रिजर्वेशन मिल जाये।

मैं बिहार यात्रियों की सुरक्षा के बारे में कहना चाहता हूं कि आप इनको सुरक्षा के लिये आर. पी. एफ. नियुक्त करते हैं। लेकिन ये लोग फर्स्ट क्लास के डिब्बे में जा कर सो जाते हैं और पब्लिक को परेशान करते हैं। आपके जितने भी कांस्टेबल हैं उनमें से कोई भी सैकिंड क्लास में यात्रा नहीं करते हैं। वे सब फर्स्ट क्लास में बैठ कर चलते हैं और जो फर्स्ट क्लास के जेन्यून पैसेन्जर होते हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं। आप इस चीज को ठीक करने के लिये कदम उठाइये ताकि जेन्यून पैसेंजर के स्थान पर फर्स्ट क्लास में कांस्टेबल न बैठे रहें।

उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे में 22 लाख कर्मचारी हैं जिनमें से सात लाख कर्मचारी अभी भी अस्थायी हैं और बहुत से तो 15 से 20 सालों से अस्थाय रूप में काम कर रहे हैं।

ऐसे ऐसे कैजुअल लेबरर हैं जिनको 10–12 साल हो गए हैं काम करते हुए और उनको रेगुलर नहीं किया गया है और दो–दो साल की सर्विस के लोगों को रेगूलर कर दिया गया है। इस ओर ध्यान देकर उनको रेगुलर करने की कृपा करें।

जहां तक शेडयूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के रिजर्वेशन का प्रश्न है, 14–15 परसेंट कोटा उनके लिये सुरक्षित है। लेकिन आप कहीं भी देख लीजिये, चाहे मुज्जफरपुर रेलवे सर्विस कमीशन हो या दानापुर रेलवे सर्विस कमीशन हो या अन्य जोन्स हों, कहीं भी आरक्षण को पूरा नहीं किया जा रहा है। इसलिये इन कमीशनज में शेडयूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिप्रजेंटेटिव रखने की आवश्यकता है, ताकि वे इस कार्य को देख सकें।

अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुशेश्वर स्थान से लहरिया सराय तक रेलवे लाइन प्रस्तावित है, इसको भी शुरु करने की कृपा करें। इतना कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली (मद्रास दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नीलगिरि एक्सप्रेस के बारे में संक्षेप में कुछ कहना चाहती हूं। यह मद्रास से पर्वतीय स्थलों की रानी ऊटाकमांड के बीच चलती है ऊटाकमांड में केवल एक समस्या है। वहां कोई उचित बुकिंग आफिस नहीं है अथवा रेल टिकट खरीदने के लिये कोई बुकिंग व्यवस्था नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ऊटाकमांड के आम यात्रियों और ऊटाकमांड आने वाले पर्यटकों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। वे ऊटाकमांड में टिकट नहीं खरीद सकते हैं। उन्हें या तो मेट्टूपलायम, जो कि ऊटाकमांड से 60 किलोमीटर दूर है, जाने के लिये कहा जाता है अथवा उन्हें कोयम्बटूर जाने के लिये कहा जाता है। कोयम्बटूर जाने-आने में 8 घंटे लगते हैं जिसका अर्थ होगा रेल टिकट प्राप्त करने में ही सारा समय बर्बाद करना। मैं आपको बता दूं टिकट प्राप्त करना निर्विवाद रूप से अत्यन्त कठिन है। इस बड़ी समस्या को हल किया जाना चाहिये।

अतः रेल अधिकारियों को ऊटाकमांड के आम यात्रियों को ऊटाकमांड में ही टिकट खरीदने की सुविधा देनी चाहिये।

दूसरी बात जो मैं यहां कहना चाहती हूं वह यह है कि ऊटाकमांड के आम यात्रियों को केवल सप्ताह में दो बार बैठने के लिये वातानूकूलित डिब्बे मिलते हैं। यद्यपि ऊटाकमांड पर्वतीय स्थल है, वहां न केवल मौसम में ही लोग ऊटाकमांड जाते हैं बल्कि वर्ष भर लोगों का आना-जाना लगा रहता है। परन्तु वातानूकूलित डिब्बे केवल सप्ताह में दो बार उपलब्ध होते हैं। अतः मैं यह सुझाव देती हूं कि वातानुकूलित डिब्बे वर्ष भर उपलब्ध कराये जाने चाहिये। इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि उनकी मांग नहीं होगी। एक बार सप्लाई करने के बाद मांग बनी रहेगी।

इन दो मामलों की जांच की जानी होगी। मैं सुझाव देती हूं कि ये सुविधायें अति शीघ्र उपलब्ध कराई जायें

श्री बोल्ला बल्ली रमैया (ऐलुरु): महोदय, इस आधुनिक युग में भाप का इंजन मितव्ययी नहीं समझा जाता, हम अपने राज्य में भाप के इंजन चला रहे हैं। विशेषरूप से विजयवाड़ा-काजीपेट लाइन के विद्युतिकरण को बहुत समय पहले स्वीकृति दी गई थी। परन्तु आज तक इसे पूरा नहीं किया गया है यद्यपि राज्य में पर्याप्त बिजली उपलब्ध है।

विशाखापत्तनम-विजयवाड़ा लाइन पर अत्यधिक यातायात रहता है। काजीपेट-हैदराबाद की भी यही बात है। अतः इन रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया की जाना चाहिये जहां अधिक यातायात होता है वहां विद्युतीकरण बेहतर रहता है। वह मितव्ययी रहता है।

एक कोच फैक्ट्री काजीपेट, आंध्र प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई थी । परन्तु हमें पता चला है कि इसे कहीं और लगाने का विचार किया जा रहा है। आंध्रप्रदेश राज्य सरकार ने सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। मैं आप से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि यह फैक्ट्री शीघ्रातिशीघ्र काजीपेट में लगाई जाए।

कोठागुडम आंध्रप्रदेश में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केन्द्र है। इसके लिए विशाखापत्तनम-कोठागुडम से एक और रेल लाइन होनी चाहिए और यह सब से छोटा मार्ग होगा।

काकीनाडा-कोटीपाली रेल लाइन बन्द कर दी गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस लाइन को पुनः प्रारंभ करें और 20 लाख लोगों को सुविधा प्रदान करें। आंध्रप्रदेश भारत का अन्नभंडार है। इसके तटीय क्षेत्र में रेल सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हमें इस समय रेल वैगनों की कमी का सामना कर रहे हैं।

सड़क यातायात से परिवहन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। वैगन सुविधाएं और रेल यात्री सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए। यहां तक कि आंध्रप्रदेश में पर्याप्त रेल यात्री सुविधाएं भी नहीं हैं। बढ़ते हुए रेल यात्री यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आंध्रप्रदेश को और अधिक यात्री गाड़ियां उपलब्ध कराई जानी चाहिएं ।

विजयवाड़ा स्टेशन देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है परन्तु विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को उपलब्ध सुविधाएं संतोषजनक नहीं है। विजयवाड़ा रेलवे स्टशन पर यात्रियो को सुविधाओं के अभाव का सामना करना पड़ता है।

यहां तक कि हावड़ा-मद्रास मेल गाड़ी में, जो कि सबसे पुरानी गाड़ी समझी जाती है, हर रोज प्रथम श्रेणी वातानुकूलित डिब्बे नहीं हैं और प्रथम श्रेणी में इसके सारे डिब्बे बहुत पुराने हैं।

एक बात और है। रेलवे द्वारा नरसापुर से हैदराबाद तक एक गाड़ी चलाई जा रही है। इसे काकीनाडा तक बढ़ाया जाना चाहिए। पहले ऐसा प्रस्ताव था परन्तु बाद में इसे छोड़ दिया गया। इस गाड़ी को काकीनाडा तक बढ़ाया जाना आवश्यक है। इससे यहां के बहुत से लोगों को सुविधा हो जाएगी और रेलवे के लिये भी किफायती है। छेबरोल में कस्बे के निकट फाटक (गेट-क्रासिंग) हुआ करता था परन्तु अब इसे मुख्य कस्बे से बदल दिया गया है जिससे यात्रियों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसे कस्बे के निकट पुराने स्थान पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

एलुरू में, जो कि बहुत बड़ा नगर है, एक ओर उपरि पुल की तुरन्त ही आवश्यकता है।

इन सभी मुद्दों पर कृपया विचार किया जाये। महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

***श्री सी. के. कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर):** उपाध्यक्ष महोदय, अपने चुनाव क्षेत्र कोयम्बटूर की मुख्य रेल आवश्यकताओं के संबंध में कुछ शब्द बोलने के लिए आपने हमें जो यह अवसर प्रदान किया है उसके

* तामिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। कोयम्बटूर को भारत का मेनचेस्टर जाना जाता है जिसमें 103 टैक्सटाइल मिल और 200 से अधिक ढलाई शालायें (फाउंडरियां) हैं। यह वास्तव में बड़ी चिंता की बात है कि यहां का रेलवे यार्ड इतना छोटा और पुराना है। इसके तुरन्त विस्तार की आवश्यकता है। इस नगर की जनता को बिना किसी प्रकार की असुविधा पैदा किए रेलवे यार्ड का सिंगानल्लूर में विस्तार किया जा सकता है, जहां पर पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि भावी आवश्यकता भी पूरी हो सके। मेरा सुझाव है कि रेल मंत्री महोदय यह ध्यान अवश्य दें कि कोयम्बटूर के रेलवे यार्ड का सिंगानल्लूर क्षेत्र में विस्तार किया जाए।

तिरुपुर एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का नगर बन गया है, क्योंकि यहां निर्मित होजरी उत्पादों को विश्व के विभिन्न भागों में भेजा जा रहा है। यहां पर एक उपरि पुल है जो कि आज से 60 वर्ष पूर्व तब बनाया गया था जब इसकी जनसंख्या केवल 20,000 थी और अब जनसंख्या बढ़कर एक लाख हो गई है। पिछले 25 वर्षों से तिरूपुर के लोग यह मांग करते आ रहे है कि इस पुराने उपरिपुल के बदले एक आधुनिक उपरिपुल बना दिया जाए। जनता की यह मांग बिना किसी विलम्ब के पूरी की जानी चाहिये। इसी प्रकार उत्तरी कोयम्बटूर का उपरिपुल भी बदलने लायक हो गया है, इसके लिए एक सर्वेक्षण कराया गया था। मेरा सुझाव है कि उत्तरी कोयम्बटूर के इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट को शीघ्र लागू किया जाए और उत्तरी कोयम्बटूर में एक नया उपरिपुल बनाया जाए। मैं यह उल्लेख भी करना चाहूंगा कि तिरुचिरापल्ली--कोयम्बटूर राजमार्ग पर ओंडीपुडूर में एक अन्य उपरिपुल को भी बदलने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में एक नया उपरिपुल बनाना बहुत जरूरी है।

मैं यह फिर से कहना चाहूंगा कि तिरूपुर के कामगारों और उद्योगों की सहायतार्थ पुराने उपरिपुल के बदले नया उपरिपुल बिना विलम्ब के बनाया जाना चाहिये।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यह सुझाव दूंगा कि औद्योगिक नगर कोयम्बटूर और विश्व-प्रसिद्ध तीर्थ नगर मदुरै के बीच एक सुपर-फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन अवश्य चलाई जाए। इस प्रकार की सुपर-फास्ट रेलगाड़ी की आवश्यकता है, क्योंकि कोयम्बटूर के लोग लगातार इस सुपर-फास्ट रेलगाड़ी की मांग करते रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

3.28 म.प (श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, रेलवे की पूरक मांग, जो यहां पर पेश की गई हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं। हमारी सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है और सीमावर्ती क्षेत्र भी है उसकी ओर ध्यान देकर कई रेलवे लाईन के बारे में सैक्सन करने का निर्णय लिया है उसी प्रकार हमारा क्षेत्र भी, जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र है, नगर क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उस क्षेत्र की अभी तक अवहेलना की जा रही है। मैंने पहले भी सदन में इस बात को रखा था कि पठानकोट से लेकर कांडला तक रेलवे लाईन होनी चाहिए। पठानकोट से सूरतगढ़ और बीकानेर तक लाईन बन जायगी। मैं चाहता हूं कि बीकानेर से जैसलमेर, बाड़मेर सांचौर और आबू तक होनी चाहिए। आबू से अहमदाबाद तक तो ब्राडगेज लाईन है। इसलिए, इस लाईन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि राजस्थान नहर जैसलमेर में पहुंच चुकी है और बाड़मेर जिले में भी पहुंच रही है। इसके पहुंचने से जनसंख्या भी बढ़ेगी। इसके साथ-साथ वहां पर गैस और पैट्रोल की प्राप्ति के प्रयास भी चल रहे हैं—जैसलमैर, बाडमेर और बीकानेर -- इन तीनों स्थानों पर ये प्रयास चल रहे है गैस और पैट्रोल की उपलब्धि पर हमें बहुत लाभ हो सकेगा, ऐसी आशा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सातवीं पंच-वर्षीय योजना में इन क्षेत्रों के विकास के लिए पठानकोट से कांडला तक रेलवें लाईन सम्मिलत की जाये। ताकि यहां की जनता को भी रेलवे का लाभ मिले सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा मैंने अभी लोक सभा में भी यह विषय उठाया था, रेलवे की वजह से वहां के किसानों को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि रेलवे क्रासिंग पर उचित व्यवस्था नहीं है और इस कारण किसानों को रेलवे लाइन पार करते वक्त हानि उठानी पड़ती है। यहां कुछ बातें इस प्रकार की देखने को मिली हैं उन क्रासिंग की विजिबिलिटी के लिए वहां की ग्राम पंचायतों को व्यवस्था करनी चाहिए। परन्तु ग्राम पंचायत के पास इतने फण्ड्स नहीं होते और वे इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाती। नार्थन रेलवे में तो इस प्रकार की व्यवस्था है कि रेलवे रिस्क सिक्योरिटी फण्ड के जरिए यह व्यवस्था हो जाती है, जहां मैं यह चाहता हूं कि इस फंड को और ज्यादा बढ़ाया जाए, वहां मैं यह भी मांग करता हूं कि इस फंड के जरिए से हमारे यहां भी क्रासिंग्स पर यह व्यवस्था प्राप्त हो। उदाहरण के लिए बाड़मेर जिले में भाचबर ग्राम पंचायत ने इसके लिए पर्याप्त राशि भी जमा करवा दी है, परन्तु एक साल बीत जाने पर भी वहां कोई व्यवस्था नहीं की गई है। गागरिया में भी इसी प्रकार का रेलवे क्रासिंग पर संकट पेश आता है, यही हालत बायतु और आटी में भी हैं और इसके साथ-साथ राजस्थान और हिन्दुस्तान के कई हिस्सों में ऐसी समस्या है। मैं चाहता हूं कि इस संबंध में कोई नीति निर्धारण करके कदम उठाने चाहिए जिससे किसानों के कष्ट का निवारण हो सके।

इसके बाद विशेष तौर पर मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि बाड़मेर से आगरा फोर्ट के लिए आपने जो नई ट्रेन सेवा शुरू की है, उसका हम स्वागत करते हैं परन्तु इसके संबंध में एक कठिनाई हमें यह आ रही है कि आगरा फोर्ट से लेकर जोधपुर तक इसका डीजलाइजेशन हो चुका है परन्तु जोधपुर से बाड़मेर तक इसका डीजलाइजेशन नहीं हो पाया है, जिसका नतीजा यह होता है कि यह गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ पाती। मेरी मांग है कि जोधपुर से आगे इस गाड़ी का डीजलाइजेशन होना अति आवश्यक है और इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। यदि एक पोर्शन का डीजलाइजेशन न हो तो वह उस क्षेत्र की उपेक्षा है और उस क्षेत्र के लोगों के हित में नहीं है इसलिए मैं चाहता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर डीजलाइजेशन किया जाए।

इसके बाद एक निवेदन मैं रेल मंत्री जी से यह करना चाहता हूं कि दिल्ली से उदयपुर के बीच चलने वाली चेतक एक्सप्रेस का अभी तक डीजलाइजेशन नहीं किया गया है जिसके बारे में हमने बार-बार आवाज उठायी है परन्तु आज तक उस विषय में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूं कि उस गाड़ी का अविलम्ब डीजालाइजेशन होना चाहिए।

इन सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान में जितनी रेलवे लाइन हैं, वे सब नैरोगेज लाइन है और कोई भी ब्रोड गेज लाइन नहीं है, यहां तक कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी ब्रौडगेज लाइन नहीं है। दिल्ली से अहमदाबाद तक जाने वाली रेलवे लाइन को ब्रौडगेज में परिवर्तित करने के लिए 1977-78 में निर्णय लिया जा चुका है परन्तु प्लानिंग कमीशन ने अभी तक उस विषय को क्लिअरेंस नहीं दी है और फण्ड्स का प्रावधान नहीं किया है। मेरी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी फण्ड्स का प्रावधान करवा कर उस लाइन को ब्रौडगेज में परिवर्तित कराया जाए ताकि हमारे क्षेत्र को उसका लाभ मिल सके।

अंत में मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि हमने काफी समय से राजस्थान की मीटरगेज लाइन के लिए एक अलग से जोन स्थापित करने की मांग की है और उस जोन का हैडक्वार्टर जोधपुर में बनाया जाए ताकि हमारे इलाके के लोगों को सभी आवश्यक सुख-सुविधाएं प्राप्त हो सकें। इन शब्दों के साथ मैं हाउस में प्रस्तुत अनुदान डिमांड्स का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री आर. अन्नानाम्बी (पोल्लाची) : सभापति महोदय, अपने दल अखिल भारतीय अन्ना द्रविण मुनेत्र कषगम की ओर से रेलवे की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर कुछ शब्द बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करते हुए रेल मंत्री महोदय द्वारा इनके पक्ष में विचार करने हेतु कुछेक मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहूंगा।

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

ब्रिटिश शासन के दौरान चामराजनगरम और सत्यमंगलम के बीच रेल संपर्क हेतु एक सर्वेक्षण कराया गया था। उन दिनों भी यह अनुभव किया गया था कि कर्नाटक और तमिलनाडु के पिछड़े क्षेत्रों के लाभार्थ इस लाइन पर काम होना चाहिये। कुछ भी हो स्वतंत्रता के 37 वर्षों के बाद भी इस सर्वेक्षण रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि सत्यमंगलम, दादापुरम और तिरुप्पूर से होकर चामराजनगरम और पलानी के बीच रेल संपर्क होना चाहिये। इससे इस क्षेत्र के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी। यह वास्तव में ही तिरुप्पुर की बढ़ती हुई औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है जोकि भारत का मानचेस्टर कहा जाता है जहां से हौजरी का सामान बहुत से देशों को निर्यात किया जाता है। इससे पलानी के पिछड़े क्षेत्र का विकास हो जायेगा। भगवान मुरुगा के भक्तों के लिए पलानी महान श्रद्धा का एक धार्मिक केन्द्र है। वास्तव में देश भर-उत्तर, पूर्व और पश्चिम से मुरुगा के भक्त पिलानी आकर भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें इस पूजा स्थान का रेल से संपर्क न होने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता है । अतः मैं मांग करता हूं कि चामराजनगरम और पलानी के बीच रेलवे लाइन पर कार्य आरंभ किया जाना चाहिये।

मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि डिन्डिगल--डलवाकोड मीटर गेज लाइन बड़ी लाइन में बदल दी जानी चाहिये । मुझ से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने छोटी लाइन से बड़ी लाइन पर माल उतारने-चढ़ाने की समस्याओं का उल्लेख किया है । अतः मैं मांग करता हूं कि देश भर में बड़ी लाइन का एकसा विकास हो । एकमात्र इससे ही त्वरित और दीर्घकालीन औद्योगिक विकास सुनिश्चित होगा ।

महोदय, मैं कोयम्बटूर नगर की जनता की एक और अन्य उचित मांग का उल्लेख करना चाहूंगा जो कि मद्रास के बाद तमिलनाडु राज्य में दूसरा सबसे बड़ा नगर है । कोयम्बेतूर के निकट ही मरुदमलाई में भगवान मुरुगा का वासस्थान है, जो कि भगवान मुरुगा के भक्तों के लिये एक पवित्र स्थल है जिन्हें देश के उत्तरी भागों में कार्तिक के रूप में पूजा जाता है । देश के सभी भागों के भक्तगण इस धार्मिक स्थल के दर्शनार्थ आते हैं । वे सभ सर्वसम्मति से यह अनुभव करते हैं कि मरुदमलाई में एक रेलवे 'विंच' होना चाहिये जैसा कि पलानी में उपलब्ध है । रेल मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिये और देश भर से आने वाले भगवान मुरुगा के लाखों भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करनी चाहियें ।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा):- मैं रेल मंत्री महोदय का ध्यान एक बहुत ही गम्भीर मामले की ओर खींचना चाहता हूं केवल आज ही मेरा एक तारांकित प्रश्न था और उसके उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि पूर्वी और पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे ने 1984 की अन्तिम तिमाही में कुछ नैमित्तिक मजदूरों और स्वयंसेवकों को भर्ती किया था और उनकी जनवरी 1985 में छंटनी कर दी गई । सारे भारत भर में ऐसे लगभग 3 लाख नैमित्तिक मजदूर हैं जिन्हें अभी नियमित किया जाना बाकी है । इसके बावजूद इन नैमित्तिक मजदूरों को रखा गया था । उन्हें किस काम के लिये रखा गया था ? हमें उनकी भर्ती के समय को देखना होगा । वह समय उनके चुनाव अभियान का समय था । सारे पश्चिम-बंगाल में इस आशय का प्रचार किया गया था कि यदि युवक एक दल-विशेष के सदस्य बनते हैं तो उन्हें रोजगार दिया जायेगा । इन नौकरियों को इस उद्देश्यार्थ उपयोग में लाया गया (एक माननीय सदस्य : क्या आपके पास कोई सबूत है ?) मेरे पास सभी सबूत हैं । मैं आपको बताता हूं कि उन दिनों पश्चिम-बंगाल में क्या किया गया था । काम करने की अपेक्षा बातें अधिक बनाई गई थीं । एक वातावरण उत्पन्न किया गया था कि हर काम पश्चिम-बंगाल के पक्ष में किया जाता है । परन्तु

बात ऐसी थी नहीं । बाद में वर्तमान रेल मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया था कि रेलवे में क्षेत्रवाद की अनुमति नहीं दी जायेगी । अब उनको ऐसा वक्तव्य देने की क्या जल्दी थी ? पश्चिम-बंगाल में कुछ भी अच्छा काम नहीं किया गया । मैट्रो और परिक्रमा रेलवे का काम बहुत पहले किया जाना था । परन्तु एक ऐसा वातावरण उत्पन्न किया गया था कि पर्याप्त काम हो चुका है । इससे तो उस राज्य विशेष के हित को ही और युवकों के हित को भी हानि पहुंचेगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि युवकों को इस प्रकार क्यों अपमानित किया गया था । पहले तो उन्हें रोजगार दिया गया और फिर उनकी छंटनी की गई और एक बार फिर उन्हें एक केन्द्रीय मंत्री के आगे माथा टेकने के बाद नौकरी पर ले लिया गया ।

महोदय, पश्चिम-बंगाल में रेलवे की विभिन्न कर्मशालाओं में रोजगार के बारे में बरते जा रहे भाई-भतीजावाद भ्रष्टाचार और कदाचार के अनेक आरोप हैं । रेलों में इस प्रकार के भ्रष्टाचार और भर्ती में बरती गई अनियमितताओं को लेकर वहां पर एक आन्दोलन चलाया गया था । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है और क्या माननीय सदस्य यह पता करने और देखने के लिये जांच करवायेंगे कि यदि कुछ गलत काम हो जाता है तो उसे हटा दिया जाना चाहिये । मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं क्या रिक्त स्थानों को शीघ्र भरा जायेगा और इस क्षेत्र में रेलवे का विस्तार किया जायेगा जिससे कि चालू परियोजनाएं पूरी की जा सकें तथा रोजगार के अधिक अवसर पैदा किये जा सकें । मुझे मंत्री महोदय से एक स्पष्ट आश्वासन चाहिये कि युवकों के हितों की रक्षा की जायेगी और रेलवे का अच्छा कार्य सुनिश्चित किया जायेगा ।

डा. टी. कल्पना देवी (वारंगल):- सभापति महोदय, पेरम्बूर में देश का एकमात्र कोच फैक्टरी है । जिसमें प्रति वर्ष लगभग 720 सवारी डिब्बों का निर्माण किया जाता है । परन्तु देश की सवारी डिब्बों की प्रति वर्ष की आवश्यकता लगभग 1200 से 1500 सवारी डिब्बों की है । अतः एक अन्य कोच फैक्टरी स्थापित करने की आवश्यकता है । इससे पहले यह विचार व्यक्त किया गया था कि दूसरी कोच फैक्टरी आन्ध्र प्रदेश में स्थापित की जाये । आन्ध्रप्रदेश सरकार ने भी दक्षिण-मध्य रेलवे क्षेत्र में वारंगल जिले के काजीपेट में कोच फैक्टरी स्थापित करने का प्रस्ताव किया था । इस सम्बन्ध में, मैं सरकार को सूचित करना चाहूंगा कि आन्ध्रप्रदेश में दूसरी कोच फैक्टरी स्थापित करने के प्रकाश में, 12 वर्ष पहले स्थल के चुनाव के लिये सर्वेक्षण किया गया था । परन्तु दुर्भाग्य से अभी तक उसको लागू नहीं किया गया है । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 12 वर्ष के पश्चात् भी संघ सरकार इसमें कोई निर्णय नहीं ले सकी है । वारंगल आन्ध्रप्रदेश के बड़े जिलों में से एक है और व्यावहारिक रूप में वहां कोई उद्योग है ही नहीं, यद्यपि यह आन्ध्रप्रदेश के बड़े जिलों में से एक है, परन्तु सबसे बड़े दुःख की बात यह है कि वहां एक भी उद्योग ऐसा नहीं है जिस पर कि उस क्षेत्र के लोग गर्व कर सकें । यदि मैं यह कहूं कि उस क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिये सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं तो यह असंगत नहीं होगा । उस जिले में बेरोजगारी की समस्या एक ज्वलन्त समस्या है । अतः, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह इस मामले पर गौर करें और वारंगल जिले तथा उसकी जनता के साथ न्याय करें । मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि परियोजना को स्थापित करने पर विचार करें, जो कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने और सारे राष्ट्र के विकास में योगदान देने में सहायक होगी । मेरा प्रधान मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह वारंगल जिले के बेरोजगार युवकों और कमजोर वर्ग को आशीर्वाद दें ।

[हिन्दी]

श्री राम आश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय द्वारा जो पूरक मांगें रखी हैं, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं ।

पहली बात यह है कि भारतवर्ष जो कि एक संघीय देश है, इसमें हर राज्य का विकास होना चाहिये, तभी भारतवर्ष का विकास हो सकता है । हर राज्य को राष्ट्रीय बचत का हिस्सा मिलना चाहिये । तभी राज्य का सर्वांगीण विकास हो सकता है । हमारा बिहार राज्य हर मामले में पिछड़ा हुआ है । यहां तक कि गूंगा, बहरा और अंधा भी प्रथम स्थान लिये हुए हैं । रेलवे लाईन में भी बहुत पिछड़ा हुआ है । बिहार से केन्द्र को राजस्व भी ज्यादा मिलता है, इसलिये केन्द्र को ध्यान रखना चाहिये अगर किसी राज्य का सही ढंग से आर्थिक विकास नहीं होता है तो उन समाज विरोधी-तत्वों को मौका मिलता है जो राज्य में अस्थिरता पैदा करते हैं । जिसके हाथ में सत्ता है, जिस पार्टी के हाथ में सत्ता है उसके ऊपर यह सारी जिम्मेदारी आ जाती है कि हरेक राज्य का सही ढंग से आर्थिक विकास किया जाये ।

बिहार में गया जिला है । यह एक अन्तर्राष्ट्रीय स्थान है । देश-विदेश से पर्यटक यहां आते हैं। लेकिन वहां डबल लाइन न होने के कारण यात्रियों को काफी कठिनाई उठानी पड़ रही है । वहां सड़क का रास्ता न होने की वजह से लोग बस से भी सफर नहीं कर सकते । स्वर्गीय रेल मंत्री श्री केदार पाण्डे से मैं इस सम्बन्ध में मिला था । उन्होंने कहा था कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मैं इस पर अवश्य विचार करूंगा, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

रेल मंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि गया पटना सिंगल लाइन को डबल लाइन में बदल दिया जाये जिससे यात्रियों को आने-जाने में फायदा हो और बिहार का विकास हो सके।

[अनुवाद]

श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी (चित्तूर) : मैं महोदय, रेल मन्त्री महोदय से कटपाडी से तिरूपति बड़ी लाइन पर, जो कि एक पिछड़ा क्षेत्र है, निर्माण कार्य आरंभ कराने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने के लिए निवेदन करती हूं । इससे ग्रामीणों को रोजगार मिलने में सहायता मिलेगी ।

इसके अलावा, मैं रानी गुन्टा में मालडिब्बा कर्मशाला के कार्य को गति प्रदान करने के लिए धन का पर्याप्त आवंटन चाहती हूं और उसमें 75 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय लोगों को दी जानी चाहिये।

कुप्पम से होकर जाने वाली सभी एक्सप्रेस गाड़ियां 10 मिनट के लिए कुप्पम में ठहरनी चाहिये ।

मैं यह भी चाहती हूं कि मन्त्री महोदय 15 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों को शैक्षिक पर्यटन हेतु निःशुल्क पास दें ।

अन्त में, मैं कहूंगी कि गुड़ की ढुलाई के लिए चित्तूर को अधिकाधिक मालडिब्बे आबंटित किए जाने चाहिये ।

महोदय आपने मुझे जो यह अवसर प्रदान किया है उसके लिए, मैं आपकी आभारी हूं ।

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : सभापति महोदय मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया है अपने मुद्दे उठाए हैं और महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं । मैंने उन्हें ध्यानपूर्वक सुना है और मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि माल और यात्री दोनों प्रकार के यातायात के मामले में की जा रही रेल सेवाओं में सुधार लाने का प्रयास करूंगा। रेलवे के कार्यक्रम के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि प्राप्त अनंतिम आंकड़ों के आधार पर दिसम्बर, 1984 तक सारे वर्ष के दौरान ढोए गए माल में गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई है । चूंकि रेलवे की क्षमता थी, इसलिए

यातायात और अधिक हो सकता था यदि मुख्य क्षेत्र से यातायात निर्यात के लिए लौह अयस्क तथा इस्पात संयन्त्रों से और इस्पात संयंत्रों तक कोयला और अन्य यातायात योजना के अनुमानों के अनुसार होता। इस वर्ष आय भी अधिक हुई है ।

आय में सुधार के परिणामस्वरूप माल भाड़ा सेवाओं में और सुधार करने के लिए कुछ कदम उठाए गये है अर्थात् कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास जैसे महानगरों के बीच कुछ निर्दिष्ट दिनों को 'स्पीड लिंक्स नामक फास्टफ्रेट लाइनर्स' की व्यवस्था शुरु की गयी है । ये रेल गाड़ियां व्यावहारिक रूप में चलती है और प्रायः लम्बी दूरी की एक्स्प्रेस गाड़ियों जैसी ही है । इनके द्वारा ढोयें गये सामान निर्धारित समय पर पहुंचाने की गारन्टी होती है , ऐसा न करने पर वसूल किए गये भाड़े का एक भाग वापिस लौटा दिया जाता है ।

हमारे प्रयत्नों के परिणामस्वरूप माल-भाड़ा संबंधी सेवाओं और 'कन्टेनर' सेवायें बढ़ायी जा रहीं हैं। कोयम्बटूर, बंगलौर, दिल्ली, गुंतूर और अनपरा में अन्तर्देशीय 'कन्टेनर' डिपो स्थापित हो चुके हैं । चाय की ढुलाई में लिये गोहाटी में एक डिपो स्थापित किया जा रहा है ।

इस उद्देश्य से कि अधिक-दर वाली वस्तुयें रेल से भेजी जा सकें, स्टेशन से स्टेशन तक की दरों में विशेष छूट दी जा रही है तथा गाड़ी भार में भी छूट दी जा रही है ।

यात्रियों की आवश्यकताओं पर भी पूरा-पूरा ध्यान दिया गया है। संसाधनों की कमी के कारण हम जो यात्री डिब्बे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं करा सके है, उसी के परिणामस्वरूप और अधिक बेहतर सेवायं उपलब्ध कराने में रुकावट आ रही है । यात्री डिब्बों की कमी के बावजूद, यात्री डिब्बों का बेहतर उपयोग करके यात्री सेवायें लगातार बढ़ाई जा रही है । उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत ही यात्री-सेवा में सुधार का प्रयत्न किया जाता रहेगा ।

गाड़ियों को ठीक समय पर चलाने के बारे में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे बोर्ड और क्षेत्रीय रेलों के महा प्रबन्धकों के स्तर पर प्रमुख मेल और एक्सप्रैस गाड़ियों की निगरानी करने पर और अधिक बल दिया गया है। हमारे रेल राज्य मंत्री भी शीघ्र ही रेलों को समय पर चलाने की निगरानी करेंगे। तथापि, इस क्षेत्र में किये गये हमारे प्रयत्नों में, उन समाज-विरोधी तत्वों की गतिविधियों के कारण सारी रुकावट आ रही है, जो किसी वैध कारण के बिना ही न केवल जंजीर खींचते हैं बल्कि होज-पाइप भी अलग कर देते हैं । जंजीर खींचना एक बीमारी है और यह बीमारी बिहार और पश्चिम बंगाल में बहुत समय से चली आ रही है और इस संबंध में हमें उन राज्य सरकारों के सहयोग की आवश्यकता है ।

संसाधनों की कमी के कारण, सामान के बदलने का काम बहुत पिछड़ गया है । उसके परिणाम-स्वरूप हमारे चल स्टाक की हालत इतनी संतोषजनक नहीं है जैसी कि हम चाहते हैं और जिसके कारण यात्रियों को असुविधा और देरी आदि होती है । उसी प्रकार रेलपथ (ट्रैक) नवीकरण का काम भी पिछड़ गया है जिसके परिणामस्वरूप गति रोधक भी लगाने पड़ते हैं जिससे समय-पालन पर बुरा प्रभाव पड़ता है । उसी प्रकार संसाधन की कमी के कारण रेलवे की विस्तार संबंधी योजना पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है । छठी योजना के दौरान रेलवे की 11,800 करोड़ रुपये की अनुमानित आवश्कता की तुलना में मार्च, 1985 के अंत तक का परिव्यय लगभग 6,500 करोड़ रुपये का है । मुझे आशा है कि यदि अगले वर्ष अधिक संसाधन उपलब्ध हुए तो रेलवे प्रमुख परियोजनायें शीघ्र पूरा कर सकेगा और नवीकरण और सामान बदलने के काम को व्यापक रूप से कर सकेगा ।

कुछ अत्यावश्यक कार्य आरम्भ करने के लिये, जिन्हें चालू कार्य मौसम में ही तत्काल किया जाना था, आकस्मिकता निधि से 91 लाख रुपये निकाले गये है । ये कार्य लाइन क्षमता बढ़ाने से संबंधित है

जिससे कि कुछ प्रमुख क्षेत्रों में अबैध आवा-गमन सुनिश्चित हो, रेल और रेल-यातायात के कुछ स्थान को सुरक्षित रखने के लिये तापीय बिजलीघरों को अबाध रूप से कोयले की सप्लाई हो सके और कुछ स्थानों में रेल तथा सड़क यातयात में सुरक्षा व्यवस्था हो सके । और रेलवे के दिन को सेवायें बढाया जा सकें । जिन अनुपूरक मांगों के संबंध में मैं अब इस सभा की स्वीकृति चाहता हूं के भारत को आकस्मिकता निधि से निकाली गई राशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में हैं ।

1982-83 में दी गई अनुदान से जो अधिक राशि व्यय की गयी है उसको नियमित किये जाने की मैं स्वीकृति भी मांग रहा हूं । लोक लेखा समिति ने उनकी संवीक्षा कर ली है और उन्हें नियमित किये जाने की सिफारिश की है । उसके साथ ही, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अधिक व्यय पर और अधिक प्रभावी नियन्त्रण रखने के उपाय निरंतर किये जा रहे हैं । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि रेलवे की अतिरिक्त अनुदान की राशि, जो 1980-81 में 247.29 करोड़ रुपये की थी अब 1981-82 में घटकर 88.62 करोड़ रुपये और 1982-83 में पुनः घटकर 65.05 करोड़ रुपये रह गई ।

महोदय, श्री रेड्डी को रेलवे से कुछ शिकायत है कि आंध्र प्रदेश में कोई राशि व्यय नहीं की गई है । संसाधनों की अत्याधिक कमी के बावजूद जो चालू वर्ष में भी यथावत है, हमने पुनर्विनियोग करके आंध्र प्रदेश में बी बी नगर से नाडीकुडे तक नई लाइन बिछाने के लिये अतिरिक्त राशि प्रदान की है ।

श्री पाणिग्रही ने बिना टिकट यात्रा का जिक्र किया है । मैं उस बात से सहमत हूं कि लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं । किन्तु राज्य सरकारों की सहायता से हम लोग बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं । श्री पाणिग्रही ने लोचल एक्सप्रैस में सफाई रखे जाने के बारे में भी चिंचिंतित हैं । मेरे विचार से अनेक माननीय सदस्यों ने सफाई का यह मुद्दा उठाया है । माननीय सदस्यों की उस बात से मैं सहमत हूं कि सफाई के काम में सुधार होना चाहिए । और हम लोग उसमें सुधार करेंगे ।

श्री साहा ने नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने के बारे में कहा है । महोदय व्यवहारिक रूप से नैमित्तिक श्रमिक किस विशेष प्रयोजन के लिए नियुक्त किये जाते है । जब वह विशेष प्रयोजन पूरा हो जाता है तब उन्हें हटाया जाना होता है । किन्तु उसके बावजूद हमने 1981-82 में 23,500 नैमित्तिक श्रमिकों को, 1982-83 में 20,200 नैमित्तिक श्रमिकों को, और 1983-84 में 21,400 नैमित्तिक श्रमिकों को रेल सेवा में ले लिया । उसके पश्चात् श्री साहा ने तामलूक या दीघा रेलवे लाइन का उल्लेख किया है । महोदय, उसकी स्वीकृति योजना आयोग से अभी तक नहीं मिली है । योजना आयोग से स्वीकृति मिलने के बाद ही हम आगे कोई कार्यवाही कर सकते हैं । अन्यथा, हम लोगों के लिये उस लाइन का निर्माण करना कठिन है ।

मध्य प्रदेश से निर्वाचित माननीय सदस्य श्री वैरागी ने यात्रियों को सुख-सुविधायें देने के बारे में कहा है । मैं इस बात से सहमत हूं कि यात्रियों को इतनी सुख-सुविधा उपलब्ध नहीं है जितनी उन्हें मिलनी चाहिये हम लोग रेल यात्रियों को यात्रा संभव अधिक से अधिक सुख-सुविधायें दिये जाने का भरसक प्रयत्न करेंगे । उसके अलावा उन्होंने रेलवे में बढते हुए अपराधों का उल्लेख किया है और उनका कहना है कि रेलवे सुरक्षा बल को कोई अधिकार नहीं दिया गया है और उसे अपराधियों को पकड़ने का भी कोई अधिकार नहीं है । मैं इससे सहमत हूं । जी. आर. पी. का संबंध राज्यों से है । इस लिये राज्य सरकारों की सहायता से, रेलवे में होने वाले अपराधों को भी रोकने की चेष्टा करेंगे । जंजीर खींचने के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं । इसके बाद उन्होंने कुछ रेल फाटकों के बारे में कहा है । उन्होंने विशेष रूप से भैंसाना का उल्लेख किया है । हम लोग उन पहलुओं पर ध्यान देंगे और मैं उन मामलों की जांच कराऊंगा ।

प्रो. रंगा ने यात्रियों की सुख-सुविधाओं के बारे में कहा है जिसका मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। उन्होंने कृष्णा एक्सप्रेस के एक स्टेशन पर रोके जाने के बारे में कहा है। उसके बारे में भी ध्यान दिया जायेगा। उन्होने बीबी नगर-नाडकुडा रेल लाइन का उल्लेख किया है, जिस का उत्तर मैं अभी दे चुका हूं।

श्री कृष्ण अय्यर ने नई रेल लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। जहां संभव है अथवा जहां उचित और व्यवहार्य है, वहां हम लोग, निधि की उपलब्धता के अनुरूप नई रेल लाइनें बिछा रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल डोगरा ने रेलवे के रख-रखाव के बारे में भी कहा है। रेलवे का रखरखाव एक उचित सीमा तक नहीं है, मैं इससे सहमत हूं। हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। श्री डोगरा ने सोनीपत-अम्बाला और जालंधर-जम्मू के बीच दोहरी लाइन बिछाये जाने का उल्लेख किया है। हम लोग उसके बारे में भी विचार करेंगे।

श्री काबुली ने धाटी की रेल लाइन से जोड़ने के बारे में जोर दिया है और उन्होंने रेल विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में कहा था। श्री बैठा ने ठीक ही कहा था कि श्री काबुली की सरकार ने कहा था कि उन्हें रेल की आवश्यकता नहीं है किन्तु उसके बावजूद भी हम 'मना' नहीं करते। हम लोग उस मामले की जांच करायेंगे।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) :—इस समय, आपके दल द्वारा समर्थन प्राप्त श्री शाह की सरकार ऐसा चाहती है.....

श्री बंसीलाल:- श्री अमर राय प्रधान का यह कहना है कि हम पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की उपेक्षा कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। हमने वहां अनेक परियोजनायें आरम्भ की है जिन्हें हम पूरा कर रहे हैं।

श्री राम भगत पासवान ने दरभंगा-समस्तीपुर लाइन का और गाड़ियो के ठीक समय से चलने के बारे में कहा है। गाड़ियों के समय पालन के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं और माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए अन्य छोटे-छोटे मामलों के बारे में हम लोग जांच करवायेंगे।

श्री अमर रायप्रधान (कूचबिहार): सभापति महोदय, क्या आपकी अनुमति से मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

सभापति महोदय:—प्रत्येक माननीय सदस्य को पर्याप्त समय दिया जा चुका है। आपने अपना मुद्दा उठाया था और माननीय मंत्री जी उस पर विचार करेंगे (**व्यवधान**)

श्री बंसी लाल : इन शब्दों के साथ ही, सभा से मेरा अनुरोध है कि 1982-83 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) और 1984-85 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगें (रेलवे) के संबंध में मतदान किया जाए।

सभापति महोदय : अब मैं 1982-83 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है कि :—

"निम्नलिखित मांगो के संदंध में, जो कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दर्शायी गई है, 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान हुए अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई संबंधित अतिरिक्त राशियों सें अनधिक राशियां संचित निधि से राष्ट्रपति को दी जायें :

मांग संख्या 4,5,6,10,13 और 15"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय:—अब हम 1984-85 की अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) लेता हूं। अनुपूरक मांग के संबंध में श्री सैफुद्दीन चौधरी और श्री अजीत कुमार साहा ने तीन कटौती प्रस्ताव पेश किए हैं। मैं इन्हें एक साथ सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव संख्या 2,3 तथा 4 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय:— अब मैं 1984-85 के लिए अनुदानो की अनुपूरक मांगें (रेलवे) सभा में मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है :—

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांग के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को दी जायें।"

मांग संख्या 16''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.00 म. प्र.

विनियोग (रेल) विधेयक,* 1985

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल):—मैं प्रस्ताव करता हूं कि मार्च 1983 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन रकमों को पूरा करने के लिए, जो उस वर्ष के लिए और उन सेवाओ के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से उन राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय:—प्रश्न यह है कि मार्च, 1983 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों को प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन रकमो को पूरा करने के लिए, जो उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से उन राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बंसी लाल—मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं :—

मैं प्रस्ताव करता हूं.. :—**

कि मार्च 1983 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन रकमों को पूरा करने के लिए, जो उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं के

---

*दिनांक 24-1-85 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित किया गया /प्रस्ताव किया गया।

लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से उन राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"।

सभापति महोदय:— प्रश्न यह है "कि मार्च 1983 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन रकमों को पूरा करने के लिए, जो उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं भारत की संचित निधि में से उन राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय—सभा अब विधेयक पर खंड वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय:—प्रश्न यह है :—

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री बंसी लाल :—मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय :— प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.02-1/3 म. प्र.

विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1985

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) —मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय:—प्रश्न यह है :—

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बंसी लाल : मैं विधेयक को पुरः स्थापित* करता हूं ।

मैं प्रस्ताव** करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओ के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 तथा 3 व अनुसूची विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 तथा 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए ।

सभापति महोदय :—प्रश्न यह है :—

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री बंसी लाल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय—प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

*दिनांक 24-1-1985 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुनः स्थापित किया गया/प्रस्ताव किया गया ।

4.05 म.प.

अनुदानों की अनुपूरक मांगें, (सामान्य) 1984-85
तथा
अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (सामान्य) 1982-83

[अनुवाद]

सभापति महोदय :--मद संख्या 21 और 22 पर एक साथ विचार होगा । इसमद के लिये दो घंटे का समय नियत किया गया है ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियां से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं ।

मांग संख्या :--2, 3, 9, 11, 25, 43, 46, 49, 54, 56, 79, 82, 89, 91, 94 तथा 96"

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान सम्बन्धित अनुदानो से अतिरिक्त राशि को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक सम्बन्धित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं :--

मांग संख्या :--12, 18, 20, 22, 28, 32, 35, 56, 57, 64, 94 तथा 98"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की अनुपूरक मांगें, 1984-85 (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
कृषि मंत्रालय			
2.	कृषि		699,63,00,000
3	मीन उद्योग		36,00,000
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
9.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	150,04,08,000	7,66,90,000
वाणिज्य मंत्रालय			
11.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	1.000	
शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय			
25.	शिक्षा	17,15,20,000	

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व	पूंजी
वित्त मंत्रालय		रुपए	रुपए
43.	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय	6,01,000	..
खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय			
46.	नागरिक पूर्ति विभाग	..	2,00
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय			
49.	परिवार कल्याण	..	2,25,00,000
गृह मंत्रालय			
54.	अन्य प्रशासनिक तथा सामान्य सेवाएं	9,00,000	..
56.	दिल्ली	..	15,00,00,000
नौवहन और परिवहन मंत्रालय			
79.	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	..	3,00,00,000
इस्पात और खान मंत्रालय			
82.	इस्पात विभाग		160,00,00,000
निर्माण और आवास मंत्रालय			
89.	लोक निर्माण		2,000
91.	आवास और नगर विकास	1,000	42,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग			
94.	परमाणु उर्जा अनुसंधान, विकास और औद्योगिक परियोजनायें		43,34,00,000
इलेक्ट्रानिकी विभाग			
96.	इलेक्ट्रानिकी विभाग		16,00,00,000

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत 1982-83 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत मांग की राशि
1	2	3
		रुपए
I.	**राजस्व खाते से पूरा किया जाने वाला व्यय**	
20.	रक्षा सेवाएं-थल सेना	115,88,13,416
22.	रक्षा सेवाएं– वायु सेना	1,48,28,226
28.	पुरातत्व	3,97,476

1	2	3
32.	वित्त मंत्रालय	65,78,429
35.	आय पर कर, संपदा शुल्क, धन कर और दान कर	1,44,091
56.	दादरा और नगर हवेली	1,68,214
64.	सिंचाई मंत्रालय	52,97,716
94.	लेखन सामग्री और मुद्रण	55,99,399
II.	**पूंजी खाते से पूरा किया जाने वाला व्यय**	
12.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	88,62,55,673
18.	डाक-तार पर पूंजी परिव्यय	91,30,48,798
57.	लक्षद्वीप	60,564
98.	इलेक्ट्रानिकी विभाग	40,39,002

श्री वड्डे सोभानेद्रीसवारा राव (विजयवाड़ा) : मंत्री महोदय द्वारा रखे गए प्रस्ताव के साथ असहमति प्रकट करते हुए मैं सभा के विचारार्थ उर्वरकों की आपूर्ति के सम्बन्ध में कुछ मुद्दे रखना चाहता हूं। यह बहुत ही अपर्याप्त है।

4.06 म. प.

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

वास्तव में, उर्वरकों की खपत के मामले में हमारा देश काफी पीछे है। विकसित देशों की तो बात दूर रहें, हमारे एशिया महाद्वीप के अनेक देशों में तथा एशिया की प्रतिव्यक्ति खपत 11.9 किलो है। हमारे देश में यह केवल 8.2 किलोग्राम है, जबकि हमारे पड़ोसी देश चीन में प्रति व्यक्ति उर्वरकों की खपत 15 किलो है। परिणाम यह है कि उदाहरण के लिए यदि हम अपने देश में धान के उत्पादन को लें तो प्रति हेक्टयर उपज 2,050 किलो है, लेकिन चीन में यह 4,237 किलो है। वस्तुस्थिति यह है कि एशिया का औसत 2,913 किलो है जबकि 5,629 किलो की उपज के साथ जापान सबसे ऊपर है। इसलिए, किसानों को उर्वरकों की खपत बढ़ाने तथा उर्वरकों को रियायती मूल्यों पर उपलब्ध कराने की बहुत आवश्यकता है, ताकि छोटे तथा सीमान्त किसान भी उर्वरकों की आवश्यक मात्रा का प्रयोग करके अपनी छोटी भूमि जोतों से अधिकतम उपज प्राप्त कर सकें।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमारी सरकार ने खाद्य जिन्सों के सकल उत्पादन में वृद्धि की डींग मारी है। लेकिन, जब हम जन-संख्या में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हैं तो प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए, देश के प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए हम उर्वरकों की उपलब्धता को बढ़ाने के सभी प्रयास करने चाहिएं, और इस सम्बन्ध में मुझे यह कहते हुए बहुत अफसोस है कि सरकार ने काकीनाडा में एक उर्वरक संयंत्र लगाने की सहमति बहुत पहले दे दी थी लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं और परियोजना में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि काकीनाडा के उर्वरक कारखाने में अच्छी प्रगति हो।

जिस अन्य मुद्दे पर मैं बल देना चाहता हूं, वह शिक्षा के बारे में है। आज सुबह हमने प्राथमिक शिक्षा पर थोड़ी सी चर्चा की थी। यद्यपि यह निर्देशक सिद्धान्तों के मदों में से एक है, आज भी प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों का प्रतिशत काफी अधिक है। अतएव, साक्षरता को बढ़ाने तथा प्राथमिक स्तर पर बीच में छोड़ कर जाने वाले छात्रों के प्रतिशत को घटाने के

उद्देश्य से श्री एन. टी. रामा राव के नेतृत्व में हमारी राज्य सरकार लगभग 56 करोड़ रुपए खर्च करके प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है। इससे प्राथमिक स्तर के लगभग 1.2 करोड़ स्कूली बच्चों को लाभ हो रहा है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की प्रतिशतता में काफी वृद्धि हो, जिससे निरक्षरता में कमी आए। अनेक कल्याणकारी कदमों के साथ साथ इस प्रकार की योजनाओं के लिए धन जुटाने में कठिनाई पेश आ रही है। चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आन्ध्र प्रदेश सरकार तथा तमिलनाडु जैसी अन्य किसी सरकार को वित्तीय सहायता दे, जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों की प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कदम उठाती है। मैं केन्द्र सरकार से, विशेषकर हमारी आन्ध्र प्रदेश सरकार को सहायता देने का अनुरोध करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, इस वाद-विवाद में मुझे भाग लेने का समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मदत्त (टिहरी गढ़वाल) : सभापति महोदय, मैं एक यह निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने 1984-85 का बजट प्रस्तुत करते समय उन्होंने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि उन प्रदेशों या राज्यों को जिन्होंने वित्तीय अनुशासन का पालन किया है वे विशेष तौर से ध्यान में रखेंगें और उन्हें विशेष सहायता दिलायेंगे।

वित्तीय अनुशासन का यह आशय था कि जिन्होंने ओवर ड्राफ्ट न लिया हो और जिन्होंने योजना पर पूरा व्यय किया हो। इस प्रत्याशा में कुछ राज्यों में नई योजनाएं कार्यान्वित की गईं और कुछ राज्यों ने निश्चित रूप से योजना पर पूरा व्यय किया। अगर इस घोषणा को जो कि इसी वित्तीय वर्ष में प्रभावी हैं, पूरा नहीं किया जाता है तो अगले वर्ष में इसकी वित्तीय व्यवस्था नहीं हो सकेगी। अगर ऐसे राज्यों को इस घोषणा का लाभ इस वित्तीय वर्ष में नहीं मिलता है तो अगले वर्ष वे राज्य अनुशासनहीन प्रदेशों में गिने जाएंगे। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि वित्त मंत्री जी इस घोषणा और आश्वासन को पूरा करने की कृपा करें।

वित्तीय अनुशासन से यही तात्पर्य है कि जिन राज्यों ने सीमा से बाहर जा कर ओवर ड्राफ्ट न लिया हो, योजना पर पूरा वित्तीय व्यय किया हो। इस श्रेणी में हमारा उत्तर प्रदेश भी आता है। हमने विगत चार वर्षों में अपनी सीमा से ज्यादा ओवर ड्राफ्ट नहीं लिया है, वित्तीय अनुशासन का पूरा पालन किया है। हमने अपनी योजना के लिए जो प्रावधान किया था उस पर पूरा व्यय किया। इसलिए हमें आशा है कि हमें इस घोषणा के अनुसार विशेष सहायता दी जाएगी हमने इसी प्रत्याशा में जो प्रदेश के हित में बहुत जरूरी चीजें थीं उन पर व्यय किया इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस घोषणा को क्रियान्वित करते हुए हमें विशेष सहायता दी जाए।

दूसरे, मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो केन्द्रीय सहायता का प्रावधान होता है इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जिन पर प्रदेश पहले व्यय कर लेते हैं और बाद में केन्द्र उसको पूरा करता है, अपने हिस्से को देता है। राष्ट्रीय बचत के एवज में जो हमें ऋण राशि मिलती है उसको देने में भी कुछ समय लग जाता है उस समय तक प्रदेश को अपने बजट में घाटा दिखाई देता है इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां केन्द्रीय सहायता का प्रावधान किया गया है, किसी प्रदेश को केन्द्रीय योजना में केन्द्र सरकार को जो अंशदान करना है और राष्ट्रीय बचत योजनाओं के एवज में धन देना है उसे समय पर दे दिया जाए। ताकि वे प्रदेश और वे राज्य जो अनुशासनहीन नहीं हैं, अनुशासनहीनता नहीं करना चाहते, वे घाटे में न रहें, वे दिक्कत में न पड़ें। यही दो नम्र निवेदन मैं करना चाहता हूं और इसलिए करना चाहता हूं कि यह जनवरी का महीना है और इस समय ठीक मौका है उस आश्वासन को क्रियान्वित करने का। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री जी इसके संबंध में हमें कुछ अवगत कराने की कृपा करेंगे।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) :—सभापति महोदय, नई सरकार ने यह अनुपूरक मांगें रखी हैं और यह दूसरा अवसर है कि सरकार पिछले वर्ष के बजट के बाद अनुपूरक मांगें लेकर आई है। इसलिए, मैं इस मौके पर सरकार के कार्य-कलापों पर कुछ टिप्पणियां करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं इस सरकार के घाटे के बजट के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। 1984-85 के बजट में 1762 करोड़ रुपए के घाटे का प्रावधान किया गया था, यद्यपि अब ऐसा अनुमान है कि घाटा इससे कहीं अधिक होगा। पिछले वर्ष अप्रैल-अक्तूबर की अवधि में, उससे पिछले वर्ष की इसी अवधि के 2,686 करोड़ रुपए से बढ़कर यह घाटा 3,746 करोड़ रुपए हो गया। इसलिए, सरकार ने विशाल धनराशि खर्च की है।

जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वह रिजर्व बैंक के अध्ययन के सम्बन्ध में है। उस अध्ययन से पता चलता है कि सरकार ने अप्रैल-अक्तूबर की अवधि में रिजर्व बैंक से 1969 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। सभी राज्यों को मिलाकर देखा जाए तो उन्होंने केवल 85 करोड़ रुपये का ऋण लिया है, जिसका अर्थ यह हुआ कि केन्द्र सरकार ने रिज़र्व बैंक से जो ऋण लिया वह बीस गुणा से भी अधिक है। भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने कहा था कि यह 1700 करोड़ रुपए घाटे की अर्थ-व्यवस्था सामान्य बात है, अच्छी बात है। लेकिन यह दुगुनी हो गई है और केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय अनुशासन का पालन करने के लिए कह रही है। केन्द्रीय सरकार के साथ वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का क्या यह तरीका है? अगर यह अनुशासन है तो क्या अव्यवस्था शब्द का कोई अर्थ है? अतः क्या केन्द्र सरकार को कोई नैतिक अधिकार है कि वह राज्य सरकारों को वित्तीय अनुशासन का पालन करने के लिए कहे, जब वह स्वंय इसका उदाहरण स्थापित नहीं कर रही है? उनका अपना घाटा प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। वर्ष के आरम्भ में लगाए गये घाटे का अनुमोदन साल के अन्त तक पहुंचते पहुंचते दुगुना या तिगुना हो जाता है। इसलिए, यह एक गम्भीर प्रश्न है। यदि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय अनुशासन का परामर्श देना चाहती है तो उसे पहले स्वयं इसका उदाहरण स्थापित करना चाहिए।

आप जानते हैं कि बहुत सी राज्य सरकारों के पास अनेक विकास परियोजनाएं हैं, निर्धन वर्गों, शोषित लोगों के प्रति कई प्रतिबद्धताएं हैं, और उन्हें इन परियोजनाओं के लिए कुछ धन खर्च करना पड़ता है, लेकिन उन सभी का घाटा कुल मिलाकर केन्द्र सरकार के घाटे से अधिक नहीं है। इस पहलू की ओर भी मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

दूसरा पहलू, जिस पर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यह है कि विदेश व्यापार के क्षेत्र में उनका कार्य निष्पादन ऐसा नहीं है जिसका वह दावा कर रहे हैं। सरकार यह दावा कर रही है कि निर्यात में सुधार होने तथा आयात में कमी होने के परिणामस्वरूप देश का विदेशी घाटा कम हो गया है। लेकिन यह सच नहीं है। व्यापार घाटे में अधिक कमी नहीं आई है। इसमें सुधार इसलिए प्रक्षेपित किया गया है, क्योंकि इस वर्ष खाद्यान्नों का आयात बहुत कम हुआ है। ऐसा मुख्य रूप से अच्छे मौसम के फलस्वरूप ही हुआ है, और इसलिए भी कि सरकार ने कृषि उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नहीं दिए। लेकिन हमें यह बात नजर अन्दाज नहीं करनी चाहिए कि हमारा आयात बिल इसलिए बढ़ रहा है कि हमारी आयात नीति बहुराष्ट्रिकों तथा बड़े व्यापारियों के पक्ष में उदार बना दी गई है, जिन्हें कि सरकार की ओर से पूरी छूट मिल रही है। हमारे व्यापार संतुलन पर बढ़ते हुए दबाव का एक कारण यह भी है।

एक और बात जो ध्यान में रखनी होगी वह यह है कि अगले वर्ष से हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों पर ब्याज की अदायगी भी आरम्भ करनी पड़ेगी। इससे हमारे व्यापार घाटे तथा हमारी अर्थ-व्यवस्था पर और दबाव पड़ेगा। अगले वर्ष के बजट में यह पहलू भी ध्यान में रखना होगा।

तीसरी बात, जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अवमूल्यन का प्रश्न है। हमारे आर्थिक क्षेत्र में यह एक सतत् प्रक्रिया बन गई है। सरकार बराबर यह कहती आ रही है कि हम रुपए का अवमूल्यन नहीं कर रहे हैं और विपक्ष के हम लोग कहते रहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों तथा अन्य दबावों के कारण आप इसका अवमूल्यन कर रहे हैं।

ऐसे समाचार मिले हैं कि रुपए का मूल्य घटकर 12 पैसे रह गया है। मैं माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं कि भारतीय रुपये का मूल्य इससे कहीं अधिक गिरा है। यह स्पष्ट है कि जुलाई, 1984 से लेकर पिछले छह मास के दौरान रुपए का विदेशी मूल्य 4 प्रतिशत गिरा है, और पिछले दस महीनों में यह गिरावट 11 प्रतिशत रही है। इतनी कम अवधि में इतनी गति से गिरावट का अर्थ अवमूल्यन होना है और इससे व्यापार घाटे की स्थिति और बदतर हो गई है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि अपने उत्तर में वह इस पहलू को स्पष्ट करें। क्या सरकार इससे इन्कार कर सकती है कि यह नहीं हो रहा है और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आर्थिक समायोजनों के पैकेज में यह कैसे ठीक बैठता है?

चौथे, मैं मूल्य स्थिति के बारे में कुछ शब्द कहूगां। जनता को मूल्य स्थिति के बारे में गुमराह करने के लिए सरकार ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी दुरूपयोग किया है। इसमें जनता को यह बताने का प्रयास किया गया है कि मूल्य वृद्धि पर काबू पा लिया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है:

"मूल्य स्थिति में काफी सुधार हुआ है।"

लेकिन मैं पूछता हूं कि वस्तु स्थिति क्या है। सरकारी थोक मूल्य सूचकांक जिसका आधार वर्ष 1970-71 है, 1983 में 306.56 से बढ़कर 1984 में 333.12 हो गया है।

जनवरी 1984 तथा दिसम्बर, 1984 के बीच की अवधि में सूचकांक 320 से बढ़कर 337 हो गया। इन आंकड़ों से पता चलता है कि मूल्य वृद्धि दर में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। और इस प्रकार ये उन आंकड़ों से अधिक है जिनका उल्लेख राष्ट्रपति ने किया है। यह काफी महत्वपूर्ण है कि जो 360 वस्तुयें थोक मूल्य सूचकांक में शामिल की गयी हैं उनमें से केवल 40 कृषि सम्बन्धी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके मूल्यों में कुछ कमी आयी है। लेकिन 206 वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है। उनमें से 85 ऐसी हैं जिनका उत्पादन बड़े उद्योगपतियों द्वारा किया जाता है। उनके मूल्यों में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। कपड़े का मूल्य 15 प्रतिशत तक बढ़ा है और इसी प्रकार से 360 वस्तुओं में से 206 वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है। इसलिए इस बयान को कि मूल्यों पर नियन्त्रण कर लिया गया है, सदन द्वारा उचित छान बीन की जानी चाहिए।

मैं सभा का ध्यान एक और महत्वपूर्ण बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हुं। जैसा कि कहा गया है कि इन सभी परिणामों के लिए बहुत से राज्यों की अपनी जिम्मेदारियां तथा अपने ऐतिहासिक कारण हैं। आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों के सदस्यों ने भी ऐसा कहा है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस बात पर विचार करें। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि कम से कम वह इस विषय पर विचार करें ताकि वे आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह कार्यान्वित कर सकें। महोदय, जैसा कि आपको मालूम है कि इन राज्यों को लगभग 1500 करोड़ रुपये की राशि से वंचित रखा गया है जो कि काफी बड़ी राशि है और इन राज्यों के सामने पहले ही बहुत सी समस्यायें हैं। मैं मंत्री महोदय से इस बात पर विचार करने का निवेदन करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, 'ओवर ड्राफ्ट' का प्रश्न भी सभा के सामने आया था। बहुत से राज्यों के 'ओवर ड्राफ्ट' की राशि, यदि मेरे आंकड़े ठीक न हों तो मंत्री महोदय उनको ठीक कर सकते हैं, फिलहाल लगभग 1900 करोड़ रुपये हैं। उत्तर प्रदेश ओवर ड्राफ्ट सूची में है। अतः यदि सरकार इस मुद्दे पर विचार करके उनको पैसा दे दे तथा आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करे और राज्यों को 1500 करोड़ रुपया दे दिया जाता है तो वे इस संकट से मुक्त

हो सकते हैं। वे नये सिरे से शुरुआत कर सकते हैं और समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस 'ओवर ड्राफ्ट' के प्रश्न पर पुनर्विचार करें, ताकि जिन राज्यों के सामने कठिनाई है वे इस का समाधान कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्रीमती ममता बनर्जी (जादवपुर)**. माननीय सभापति यह मेरा प्रथम भाषण है। मैं पश्चिमी बंगाल से चुन कर आयी हूं। अनेकता में एकता एक भारतीय दर्शन है। इसलिये कृपया मुझे बंगला में बोलने की अनुमति दें।

मैं एक दोहे से शुरू करती हूं----

"नोमो नोमो सुन्दरी मो मो
जानानी बंगोभूमि; गंगार तीर
स्निग्ध समीर, जीवन जुड़ाले तूमी"

मैं लोक सभा में बंगाल के प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आयी हूं, बंगाल जो गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर का बंगाल है, क्रान्तिकारी कवि नजरुल इस्लाम का बंगाल है, जो सुकान्तों का बंगाल है, जो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का बंगाल है और देश बन्धु चितरंजन दास का बंगाल है।

मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं।

महोदया, इस सम्मानित सदन में अपना प्रथम भाषण शुरू करने से पहले मैं इस सभा के पुराने तथा अनुभवी सदस्यों का आशीर्वाद तथा युवापीढी के सदस्यों की शुभ कामनायें चाहती हूं।

सबसे पहले मैं कहना चाहती हूं कि मैं कलकत्ता के एक बहुत ही उपेक्षित क्षेत्र, यानि जादवपुर से चुनकर आयी हूं जहां पर शरणार्थियों की समस्या एक मुख्य समस्या है। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करती हूं कि वह राज्य सरकार को अधिक निधि आवंटित करें ताकि भारी संख्या में विस्थापित व्यक्तियों का आर्थिक पुनर्वास किया जा सके। वाम पंथी सरकार ने उनको जो 99 वर्ष का पट्टा दिया है उसमें कई शर्तें हैं जिनको मेरे विस्थापित भाई एवं बहनें स्वीकार नहीं कर सकतीं। उनमें से बहुत से लोग छोटा व्यापार या कोई छोटा उद्योग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन इस 99 वर्ष के पट्टे द्वारा उनके अधिकारों को दबाया गया है।

मेरे शरणार्थी भाईयों तथा बहनों को भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि मुझे। उनको भी उतना ही अधिकार है कि वे भी आर्थिक तथा राजनैतिक दोनों ही दृष्टि से अपना सिर ऊँचा रख सकें। इसलिए मैं पुनः मांग करती हूं कि उनके समुचित एवं तुरन्त आर्थिक पुनर्वास के लिए वित्त मंत्रालय अधिक धन आबंटित करें ताकि वे भी सम्मान के साथ जी सकें।

महोदया, पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार लगातार ऐसा प्रचार कर रही है कि केन्द्रीय सरकार उनको पर्याप्त मात्रा में धन प्रदान नहीं कर रही है। वे लोगों को धोखा दे रहे हैं तथा उनको गुमराह कर रहे हैं हमें मालूम है कि केन्द्र सरकार तथा वित्त मंत्रालय उनको पर्याप्त मात्रा में धन दे रही है परन्तु राज्य सरकार द्वारा जनता के फायदे के लिए कोई विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। धन अपने दल तथा राजनैतिक कार्यकलापों पर खर्च किया जाता है। आप जनता को सच्चाई जानने का एक अवसर दीजिए। आप जनता को यह जानकारी दीजिए कि पश्चिम बंगाल की प्रत्येक आर्थिक परियोजना तथा आर्थिक विकास के लिए केन्द्र सरकार कितना धन देती है और उसको पश्चिम बंगाल की सरकार किस प्रकार खर्च करती है। क्या धन को जनता की भलाई के लिए खर्च किया जा रहा है या उसका उनके अपने राजनैतिक उद्देश्यों के लिए दुरूपयोग किया जा रहा है।

*बंगला में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

मेरा तीसरा मुद्दा यह है कि हम सभी जानते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान दिये जाते हैं। अब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये अनुदानों को उचित तरीके से खर्च नहीं किया गया है। इस बात की वजह से, कि वामपंथी सरकार द्वारा नामित व्यक्ति को कलकत्ता विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त नहीं किया गया और श्री सन्तोष भट्टाचार्य को कुलपति नियुक्त किया गया वामपंथी सरकार कदम-कदम पर उनके कार्यकलापों में बाधा डाल रही है और उनको उन अनुदानों को उचित तरीके से खर्च नहीं करने दिया जा रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो धन राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम (एन. आर. ई. पी.) तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.) के अन्तर्गत पंचायतों को दिये जाने के लिए आवंटित किया जाता है उसका भी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपने दल के खर्चों को पूरा करने तथा दल को मजबूत बनाने के लिए दुरूपयोग किया गया है। मैं मांग करता हूं कि वित्त मंत्री इस गंभीर मामले की जांच करायें।

मेरा पांचवां मुद्दा महिला कल्याण के बारे में है विशेषरूप से दहेज विरोधी उपायों के बारे में। हमें मालूम है कि सरकार ने दहेज की बुराई के विरुद्ध बहुत से विधायी उपाय शुरू किये है। परन्तु बहुत सी महिलायें, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब वर्गों की महिलायों को अशिक्षित होने की वजह से इनकी जानकारी नहीं है। उन्हें इन कानूनी उपायों तथा सहायता की जानकारी नहीं है और किस प्रकार यह सहायता प्राप्त की जाये यह भी उन्हें मालूम नहीं है। उन्हें कानूनी उपायों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। इसलिए मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह उनकी शिक्षा के लिए तथा अन्य सहायता के लिए, जिसकी उन्हें संकट की घड़ी में जरूरत पड़ सकती है, अधिक धन का आबंटन करें। कृप्या इस पर ध्यान दिया जाये।

महोदया, छठी बात यह है कि यह अंतराष्ट्रीय युवा वर्ष है। हमारे प्रधानमंत्री स्वयं युवा हैं। हम उनके बहुत आभारी है और हमें गर्व है कि हम अपने देश को और विश्व में युवा तथा शक्तिशाली प्रधानमंत्री दे सके हैं। मेरी उनसे यह अपील है कि बैंक ऋणों तथा अन्य स्व-रोजगार परियोजनाओं के लिए जो कठोर नियम तथा शर्तें हैं, उनमें हमारे बेरोजगार युवकों तथा छात्रों की सहायता के लिए कुछ ढील दी जानी चाहिए। ऐसे बहुत से गरीब युवा छात्र हैं जो उचित शिक्षा नहीं जुटा पाते तथा अपने बुजुर्ग तथा वृद्ध कमजोर माताओं के लिए चिकित्सा सुविधा नहीं जुटा पाते और परिवार के खर्चों का भार भी नहीं उठा सकते। इन युवकों की सहायता के लिए, ताकि वे समाज में अपना सिर उँचा करके रह सकें, और उनको स्व-रोजगार की परियोजनाओं में मदद करने के लिए, मैं एक बार फिर अपील करता हूं कि बैंकों द्वारा उनको दिए जाने वाले ऋण की शर्तों में ढील दी जाये।

मेरा सातवां मुद्दा ग्रामीण विकास के बारे में है जो कि हमारे सामने सब से महत्वपूर्ण विषय है। हमारी दिवंगत प्रिय प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था लेकिन हमारे विपक्षी दलों ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि गरीबी हटाओ। उन्होंने कहा कि उनका तात्पर्य गरीबी हटाने से नहीं बल्कि गरीबों को हटाने से है। उनकी यह बात कितनी भ्रामक थी। मैं उनकी आवाज के साथ आवाज मिलाकर कहना चाहता हूं कि "गरीबी हटाओ"। ग्रामीण बैंक काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। जहां कहीं ग्रामीण बैंक नहीं है वहां पर ये खोले जाने चाहिए और गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए ग्रामीण बैंकों को भारी संख्या में ऋणों की व्यवस्था करानी चाहिए, ताकि हम उनकी भलाई के लिए काम कर सके।

मैं निवेदन करता हूं कि अधिक मात्रा में ऋणों की व्यवस्था की जाये । हमारी सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि पश्चिमी बंगाल में हम बहुत सी योजनाओं के बारे में जान नहीं सकते, हमें किसी बात के बारे में सूचना नहीं दी जाती । हमें, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, राज्य की किसी गतिविधि में शामिल नहीं किया जाता । मैं, अपने चुनाव क्षेत्र के जन प्रतिनिधि की हैसियत से मांग करता हूं कि यदि मेरे चुनाव क्षेत्र में कोई ग्रामीण बैंक खोला जाये और ऋणों की व्यवस्था की जाये तो इसकी सूचना मुझे मिलनी चाहिए। यह हमारी जानकारी में लाया जाना चाहिए, ताकि हम ठीक प्रकार से काम कर सकें । इस निवेदन के साथ मैं अपना संक्षिप्त प्रथम भाषण समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदय, इस प्रकार के विधेयक पर मैं पहली बार बोल रहा हूं । ऐसे विधेयक के साथ यह परम्परा है कि राज्य सरकारें अनुपूरक मांगे प्रस्तुत करें । इसलिए मैं कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा ।

हमारे देश की संघीय प्रणाली है । केन्द्र सरकार माता की तरह होती है और राज्य बच्चों की तरह । माता का यह कर्तव्य होता है कि अपने सभी बच्चों की देखभाल बराबर करे और उन्हें समान रूप से प्यार करे ।

इसलिए मुझे विश्वास है कि श्री राजीव गांधी की नयी सरकार सभी राज्यों की देखभाल समान रूप से करेगी चाहे वहां सत्ताधारी दल की सरकार हो चाहे किसी अन्य दल की ।

यह भी केन्द्र सरकार का कर्तव्य होता है कि पहले यह पता लगाये कि उसका कौन सा बच्चा कमजोर तथा अस्वस्थ्य है तथा पोषण की कमी है और जैसे माता ऐसे बच्चे का विशेष ध्यान रखती है उसी प्रकार से केन्द्र सरकार को अल्पविकसित राज्य की सहायता करनी चाहिए ।

यदि सभी राज्य समृद्ध होंगे तो भारत भी समृद्ध होगा । मुझे पूरा विश्वास है कि नयी सरकार अपने का करण के तरीके में सुधार करेगी ।

मुझे इस बात पर गर्व है कि वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री मेरे प्रदेश के हैं। वह कर्नाटक के लोगों की भावनाओं से परिचित हैं । उन्हें कर्नाटक राज्य की कमियों की जानकारी है, हालांकि यह एक प्रगतिशील तथा सुप्रशासित राज्य है ।

इस राज्य की मुख्य कमी यह है वहां बिजली की अत्यधिक कमी तथा अकाल के हालात हैं ।

जैसी कि सभा को जानकारी है, केन्द्र सरकार ने कर्नाटक राज्य की किसी भी विद्युत् संयंत्र को लगाने के लिए कोई सहायता नहीं की । इसके पड़ोसी राज्यों—आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में केन्द्र सरकार ने विद्युत् उत्पादन के लिए परमाणु संयंत्र स्थापित किये हैं। ऐसी ही मांग पिछले कई वर्षों से कर्नाटक सरकार द्वारा भी की जा रही है परन्तु केन्द्र सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की। अब बजट बनाया जा रहा है और योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है इसलिए अब मेरी माँग यह है कि कर्नाटक में एक परमाणु संयंत्र लगाया जाना चाहिए ।

कर्नाटक राज्य के आर्थिक विकास के लिए एक दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है, विजय नगर इस्पात संयंत्र की स्थापना । वह केवल एक सपना ही रह गया है । इस मामले पर इस सभा में कई बार चर्चा की गयी है। कर्नाटक के सभी संसद सदस्यों ने एक मत होकर यह माँग की है कि केन्द्र सरकार को विजयनगर इस्पात संयंत्र अति शीघ्र शुरू करना चाहिए । हाल ही में सातवीं लोक सभा के एक माननीय सदस्य ने अनिश्चित काल को लिए हड़ताल करने की धमकी दी थी । उस समय ऐसा इंगित हुआ और यह आशा हुई थी कि इस्पात संयंत्र शीघ्र ही शुरू किया जायेगा ।

लेकिन दुर्भाग्य से यह केवल कागजों में ही है । हजारों एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। लेकिन इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है । इसलिए मैं जोरदार अपील करता हूं कि कम से कम 1985-86 में केन्द्रीय सरकार विजयनगर में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराये ।

मैं जानता हूं कि यह एक आम बहस नहीं है । फिर भी, मैं दो या तीन महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहता हूं ।

जहाँ तक नागरिक पूर्ति का संबंध है हालाँकि जन वितरण प्रणाली राज्य सरकार के अधीन है, लेकिन जब तक केन्द्र सरकार देगी नहीं तब तक जनता खायेगी कहाँ से ? जब तक केन्द्रीय सरकार, पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री, मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं करायेगी, राज्य सरकार के लिए समान वितरण कर पाना मुश्किल होगा । हालाँकि यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि वे न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करे । लेकिन जब केन्द्र से ही बिल्कुल कोई सप्लाई ही न हो तो राज्य सरकार क्या कर सकती है ? विशेषकर मिट्टी के तेल की अपर्याप्त मात्रा में सप्लाई में कारण कर्नाटक राज्य को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, हमें इच्छित मात्रा में कोटा नहीं मिल पा रहा है। मैं केन्द्रीय सरकार से जोरदार अपील करूंगा कि वे इसको सप्लाई सुनिश्चित करें । राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया है कि इस वर्ष भरपूर फसल होगी और केन्द्रीय सरकार के पास काफी मात्रा में बफर स्टॉक है। इसलिए मैं माँग करता हूं कि कम से कम आज के बाद खाद्य सामग्री, मिट्टी के तेल और अन्य आवश्यक सामग्रियों को उचित समय पर राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया जाये । ताकि इनका वितरण किया जा सके।

पश्चिम बंगाल से आये मेरे मित्र ने ओवरड्राफ्ट का जिक्र किया है। मैं जानता हूं कि हमारे राज्य के मामले में भी काफी बड़ा ओवरड्राफ्ट है । राज्य इतना अधिक ओवरड्राफ्ट क्यों लेते हैं ? मुझे विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार, विशेषकर वित्त मंत्रालय को पता है कि प्राकृतिक विपदाओं के कारण राज्यों को चाहे वह आन्ध्र प्रदेश हो या पं. बंगाल, ओवरड्राफ्ट लेना पड़ता है। पिछले तीन वर्षों से कर्नाटक राज्य में भी राज्य का 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र सूखाग्रस्त रहा है । जब तक केन्द्र सरकार राज्य की सहायता नहीं करती तब तक राज्य सरकार के लिए ओवरड्राफ्ट लेने के अलावा कोई चारा नहीं है । और जब हम 100 करोड़ की माँग करते हैं तो हमें मात्र 5 या 10 करोड़ रु. की सहायता दी जाती है, इसके अलावा राज्य सरकार क्या कर सकती है ? इसलिए मैं पुरजोर निवेदन करता हूं कि भविष्य में जब कभी भी किसी राज्य में प्राकृतिक विपदा आती है, तो उस राज्य को इससे निपटने के लिए पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए ।

अन्त में मैं एक बात करना चाहता हूं । केन्द्र को बंगलौर जैसे बड़े नगरों पर विशेष ध्यान देना चाहिए । कलकत्ता, बम्बई, और मद्रास जैसे महानगरों की अपनी समस्याएं हैं । बंगलौर शहर जिसका कि मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, की भी कई समस्याएं हैं । लेकिन मैं यहाँ पर एक मुख्य समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह है इस शहर में पानी की भारी कमी । नगर की 35 लाख जनसंख्या को सबसे कम पानी मिलता है । भारत में अगर सबसे कम पानी मिलता है तो वे है बंगलौर की जनता । जैसा कि आप जानते हैं बंगलौर शहर के प्रति केन्द्रीय सरकार की विशेष जिम्मेदारी है। बंगलौर शहर का 25% से अधिक क्षेत्र रक्षा मंत्रालय के अधीन है, वहा सेना की भूमि है। वहाँ कई एक केन्द्रीय उद्योग हैं, वहाँ कई एक केन्द्रीय कार्यालय हैं । लेकिन केन्द्र सरकार इस महानगर के लिए कोई अनुदान या एक पैसा भी नहीं देती । रेलवे पर बोलते हुए भी मैंने इसका जिक्र किया था। पानी के लिए कर्नाटक सरकार ने पहले ही इसकी माँग की है । उसने पहले ही लोगों की आवश्यकता को कुछ हद तक पूरा करने के लिए कावेरी परियोजना का तीसरा चरण आरम्भ कर दिया है। इस पर 250 करोड़

रु. खर्च होंगे। मैं जोरदार अपील करता हूं और केन्द्रीय सरकार से अपील करता हूं कि इस परियोजना को सातवीं योजना में शामिल किया जाए और इसके लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाए।

बजट पर आम बहस के समय मैं अन्य मुद्दों पर बोलूंगा। मुझे विश्वास है कि यहाँ उपस्थित मेरे मित्र और वित्त मंत्री हमारे राज्य, कर्नाटक की आवश्यकतायों को जानते हैं। जब मैंने कर्नाटक राज्य के बारे में कहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य राज्यों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा कि केन्द्र सरकार को सभी राज्यों की आवश्यकताओं की तरफ ध्यान देना चाहिए।

श्रीमन्, इन कुछ शब्दों के साथ मैं आपको मुझे बोलने के लिए अवसर देने के लिए पुनः धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री योगेश्वर प्रसाद (चतरा) : सभापति महोदय, मानन य वित्त मंत्र ज ने सदन के समक्ष जो अनुदानों क अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की हैं उनका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यद्यपि मैं जानता हूं, इस अवसर पर बहुत अधिक कहने क गुंजाइश नहीं है लेकिन फिर भ मैं कुछ समस्याओं क ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

हमारे देश के प्रधान मंत्र, श्र राज व गांध ज ने अनेक समस्याओं के संबन्ध में बोलते हुए, देश में जो विशेष महत्वपूर्ण समस्यायें उभर रह हैं उनक ओर देश का ध्यान आकर्षित किया है और अपने हाथ में सार जिम्मेदारियों को लेकर उनके निराकरण का अभिनव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने गंगा जल के प्रदूषण के संबन्ध में भी कहा है और इस संबन्ध में जो उनक योजना है उसको सारे देश में सराहा है। मैं भ इस प्रदूषण से संबन्धित एक समस्या क ओर सदन के माध्यम से मानन य प्रधान मंत्र तथा मानन य वित्त मंत्र का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि छोटा नागपुर के अंचल में वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण बड़ा भंयकर स्थान ले रहा है और यदि इस पर शीघ्रातिशीघ्र रोक नहीं लगाई गई तो मैं समझता हूं वहां के लोगों के ज वन क लांगिविटि कम होत जायेग तथा उनमें तरह तरह क ब मारियां पैदा होत जायेंग। आपको पता होगा कि वहां पर दामोदर नद है और दुगदा वाशर से कोयले क जो ढुलाई होती है उसके कारण कोयले का बहुत अधिक नुकसान तो होता ह है, सबसे उत्कृष्टतम कोयले क हानि तो होत ह है, साथ ह दामोदर का पान इतना दूषित हो गया है कि जहां जहां उसका प न प ने के काम में आ रहा है वहां लोगों के ज वन के लिए खतरा बढता जा रहा है। इसके साथ साथ मैं यह भ कह देना चाहता हूं कि न केवल दामोदर नद का पान बल्कि उसक जो बालू है वह भ काल काल नजर आत है। इस प्रकार न केवल देश का उत्कृष्टतम कोयला ही उस नद में समाहित हो रहा है उसके साथ साथ उस नद का सौंदर्य भ नष्ट हो रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है कि दामोदर नद के लिए भ कोई बड़ योजना बनाई जान चाहिए।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि छोटा नागपुर के कोयलांचल, विशेषकर धनबाद से जो कोयले क लदाई होत है रेल वैगनों में वहां उससे जो डस्ट बाहर आती है या जो वहां पर कोयले की पिसाई होत है उससे जो डस्ट बाहर आता है या फिर वहां पर चारों तरफ जो भट्ठे, हार्ड कोक आवेन्स लगे हुए हैं, उनकी वजह से बहुत अधिक वायु प्रदूषण हो रहा है। कोयला खदानों में हार्ड कोक आवेन्स के जो काम हैं जोकि सरकार स्तर पर होने चाहिए थे वह सारे के सारे बन्द हैं और प्राइवेट सेक्टर में ही सारे के सारे काम चल रहे हैं बल्कि धुवाधार चल रहे हैं जिसके कारण इतना अधिक वायु प्रदूषण हो रहा है। अभ इस सदन का ध्यान इस बात क ओर आकर्षित किया भ गया है कि वहां पर प्रति सैकड़ा व्यक्ति साल में सात टन कोल डस्ट इनहेल करते हैं। वहां

चारों तरफ कोयला खदानों में प्राइवेट सेक्टर में जो होड़ चल रही है, हार्ड कोक ओवेन्स में खुली चिमनी होने के कारण पूरा क्षेत्र कोयले का धूल और धूयें से भर गया है और मैं समझता हूं यदि इस ओर शीघ्र भारत सरकार का ध्यान नहीं गया तो वहां पर बहुत बड़े खतरे की स्थिति पैदा हो जायेगी।

इस वायु प्रदूषण के साथ-साथ अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर भी ले जाना चाहता हूं। चतरा एक ऐसा क्षेत्र है जो कि गया, हजारीबाग और पलामू इन तीन जिलों के टेलएंड पर बसा हुआ है। इन इलाकों में सिर्फ नदियां और पहाड़ ही दिखाई देते हैं, रोड की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां विकास का मार्ग अवरुद्ध है, जबकि वहां की धरती में हर तरह के मिनरल्स उपलब्ध हैं, जैसे कोयला, ताम्बा, अभ्रक, बाक्साइट, ग्रेफाइट इत्यादि। खनिज पदार्थों के मामले में इतना अमीर होने के बावजूद भी वहां के इंसान भूखे और नंगे हैं। वहां के रहने वाले लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं। भारतवर्ष में इतना लम्बा चौड़ा स्थान और सबसे पिछड़े हुए क्षेत्रों में इसका स्थान दूसरा है। इस क्षेत्र के विकास के बारे में मैं पहले भी कोशिश कर चुका हूं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया।

आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे कि उस क्षेत्र के 40 प्रतिशत ऐसे लोग होंगे, जिन्होंने रेल की शक्ल तक नहीं देखी है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि हजारीबाग से चतरा और चतरा से गया के लिए रेल की सुविधा होनी चाहिए। इस बारे में हमारे कुछ मित्रों ने भी सरकार का ध्यान पहले ही आकर्षित किया है।

चतरा के संबंध में मैं दो-तीन और बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस क्षेत्र में वन सम्पदा की कोई कमी नहीं है, इसलिए भारत सरकार को वहां के लिए फॉरेस्ट-बेस्ड-इन्डस्ट्री की ओर ध्यान देना चाहिए और इसके साथ-साथ मिनरल्स बेस्ड इन्डस्ट्री की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

एक बात मैं प्रदूषण के संबंध में और कहना चाहता हूं, जो मैं पहले कहने से भूल गया था। वहां फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर एक अजीब सी बीमारी से ग्रसित हैं, जो टी.बी. की तरह लगती है, लेकिन वास्तव में वह टी.बी. नहीं है। इस बीमारी का नाम "सिलोकोसिस" है। इस बीमारी के हो जाने पर लोग मर भी जाते हैं, लेकिन उनके लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसी प्रकार धन्धे में लगे हुए मजदूरों के वेतन का सवाल है। मैं मंत्री जी का ध्यान, जो हमारे कुशल वित्त मंत्री है, इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उनके लिए एक इफैक्टिव वेज-बोर्ड लागू होना चाहिए, ताकि उनकी हालत में सुधार हो सके। हिन्दुस्तान में काम करने वाले जितने मजदूर हैं, उनका जीवन-स्तर ऊंचा उठाने के लिए सरकार को जल्दी से जल्दी कदम उठाने चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं सभापति महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और जो मसले मैंने यहां पर उठाए हैं, मुझे उम्मीद है माननीय वित्त मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : श्रीमान्, हाल ही में सम्पन्न हुए चुनावों में बहुमत प्राप्त करना मुश्किल था, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करना और भी मुश्किल है। जब से देश में नई सरकार सत्ता में आई है, लम्बे-लम्बे दावे कर रही है। हमारे विचार से अर्थव्यवस्था की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जितना कि दावा किया जा रहा है।

मैं सरकार का ध्यान कुछ मूल तथ्यों की ओर दिलाना चाहता हूं। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि नई सरकार के सत्ता में आने के पश्चात् एकाधिकार घराने काफी खुश हैं और नई सरकार इन घरानों को और फैलाव के लिए अनुमति दे रही है। सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में आपकी नीति क्या है। यह कैसे हो रहा है। सरकार के कई उच्च अधिकारी सार्वजनिक उपक्रमों की हर समय आलोचना ही करते रहते हैं। श्रीमन्, मैं भारत सरकार, श्री राजीव गांधी की सरकार, उस सरकार से जोकि दावा करती है कि वह काम करने वाली सरकार है, से पूछना चाहता हूं कि उनका इस देश में सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में क्या रवैया है? क्या आप संसद को बतायेंगे कि आपकी नई औद्योगिक नीति क्या होगी? क्या यह उस औद्योगिक नीति से हटकर होगी जोकि जवाहर लाल नेहरू ने अपनाई थी और जैसे कि नेहरू जी ने माना था कि औद्योगिक विकास के लिए वह एक नया युग था।

श्रीमन्, यह हम सबके लिए चिन्ता का विषय है कि घाटे की वित्त व्यवस्था में वृद्धि की जा रही है। हमें बताया गया है कि यह करीब 1700 करोड़ रु. के लगभग है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह पहले ही 4,000 करोड़ रु. से ऊपर पहुंच गई है और मैं नहीं समझता कि यह कोई अच्छी स्थिति है। अगले वर्ष से, ऋण की वसूली भी आरम्भ हो जायेगी। आजकल हम 1,000 करोड़ रु. अदा कर रहे हैं और फिर शायद यह 1,500 या 2,000 करोड़ रु. हो जायेगा। मैं सरकार से यूरो-डालर ऋण के बारे में भी जानना चाहता हूं। इस ऋण की क्या स्थिति है? आप इस वर्तमान ऋण को कैसे वापस करेंगे?

श्रीमन्, एक अन्य मुद्दा मैं विभिन्न राज्यों द्वारा लिए गये ओवरड्राफ्ट के संबंध में उठाना चाहता हूं। यह मामला बार-बार उठाया गया है। बंगला भाषा में एक मुहावरा है कि गलियों से हर प्रकार के पक्षी कुछ न कुछ चुग लेते हैं लेकिन दोष कौवे को ही दिया जाता है। कई राज्यों ने ओवरड्राफ्ट लिये हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और अन्य कई राज्यों ने लिये हैं। ओवरड्राफ्ट के प्रश्न को हमेशा के लिए हल करना चाहिए। उन्हें इस वर्ष अपना बकाया शून्य दिखाना चाहिए। वित्त आयोग ने इस वर्ष के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के लिए 235 करोड़ रु. दिये जाने का सुझाव दिया है। मेरा इस पर कोई झगड़ा नहीं है। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि उन्हें भी इस वर्ष अपना बकाया चुकाना होगा जिससे कि यह मुद्दा बार-बार न उठाना पड़े।

श्रीमन, भारत एक समृद्ध देश है। लेकिन देश की प्रचुर दौलत कुछ एक लोगों के हाथों में केन्द्रित है। लेकिन हमारे देश के अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि काले धन पर नियंत्रण रखने के लिए क्या उपाय करने का विचार है। प्रो. रंगा मुझे माफ करेंगे अगर मैं यह कहूं कि कुछ लोगों के हाथों में काफी बड़ी मात्रा में धनराशि केन्द्रित है और टाटा, बिड़ला और सिंघानिया समूह के हाथों में केन्द्रित होती जा रही है। इसके अतिरिक्त आपने बिड़ला ग्रुप के सदस्य को राज्य सभा में अपने दल का सदस्य नियुक्त किया है। क्या आप देश में समाजवाद ला रहे हैं? हमारे संविधान में हमें देश में समाजवाद लाने के लिए निदेश दिये हैं। लेकिन करोड़पतियों के हाथों काले धन में दिन दुगनी-रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। मैं समझता हूं कि वित्त राज्य मंत्री, श्री पुजारा जी हमें बतायेंगे कि देश में समाजवाद कैसे लाया जा रहा है।

श्रीमन्, गरीबी-रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में दिन-प्रति-दिन वृद्धि हो रही है। हो सकता है कि प्रतिशत आकड़ों से उस वृद्धि के बारे में पता नहीं चलता हो। लेकिन वास्तविक अर्थों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

5.00 म.प.

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर): नहीं।

श्री नारायण चौबे: मैं वास्तविक संख्या के बारे में कह रहा हूं। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 1947 में क्या थी और 1985 में क्या है?

प्रो. एन. जी. रंगा: कुल जनसंख्या कितनी है?

श्री नारायण चौबे: इसलिए मैंने कहा है कि उनकी वास्तविक संख्या में वृद्धि हो रही है। मैंने प्रतिशत में वृद्धि नहीं कही है। आप और हम वातानुकूलित चैम्बरों में बैठ कर उल्लासित होते हैं, लेकिन आपको उन लोगों की स्थिति के बारे में पता है जिनके बीच आप सारी आयु कार्य करते रहे हैं।

अब मैं सातवीं योजना के बारे में बोलूंगा, जोकि शीघ्र ही आरम्भ होने जा रही है। स्रोतों में क्या अन्तर होगा? कुछ कहते हैं 40,000 करोड़ रु., कुछ इससे भी अधिक बताते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि योजना में आप इस अन्तर को कैसे पूरा करेंगे। क्या आप इस योजना में काट-छांट करने जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप ऐसा किस प्रकार करने जा रहे हैं।

आपने चौथे वेतन आयोग की स्थापना की है। हम समझते थे कि पिछले अक्तूबर में ही कोई अन्तरिम रिपोर्ट दे दी जायेगी। ऐसा कहा गया था कि वेतन आयोग अपने निदेश पदों के अनुसार अपनी अन्तरिम रिपोर्ट पेश करेगा। और विचाराधीन विषयों को भी बदलेगा जैसा कि आप जानते हैं कुछ भी नहीं किया गया है, कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि आपने काफी देर से मंहगाई भत्ते की कुछ किस्तें दी हैं और अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी फैडरेशन ने उच्चतम न्यायालय से आदेश प्राप्त किया है कि आपको फरवरी माह के भीतर ही मंहगाई भत्ते की किस्तें अदा करनी होंगी। और तभी आपने इन किस्तों की अदायगी के आदेश किए फिर भी, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। जैसा कि मैंने कहा, वेतन आयोग के बारे में क्या रिपोर्ट है? सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक उपक्रमों के मुकाबले काफी कम वेतन मिलता है। वे सारे एक ही मार्किट से खरीद करते हैं। कीमतों में वृद्धि हो रही है। आप हमेशा कहते हैं कि उन्हें अनुशासन में रहना चाहिए, मैं भी इस बात से सहमत हूं, अनुशासन का होना महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या आप अपने पर अनुशासन रख पा रहे हैं? आपको वेतन आयोग की सिफारिशें कब तक प्राप्त हो रही हैं।

आपकी यहां संयुक्त सलाहकार मशीनरी है, लेकिन पिछले तीन माह से आपने इसकी बैठकें नहीं बुलाई हैं। पिछले इतने समय से इसकी बैठक नहीं हुई है, मैं नहीं जानता कि फिर भी आप कर्मचारियों की दिक्कतों को कैसे जान पाते हैं, आपको बताने वाले स्रोत कौन-कौन से हैं।

एक स्थानीय मुद्दा है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस पर ध्यान देंगे। मैं खड़गपुर से निर्वाचित हुआ हूं। इस शहर की जनसंख्या तीन लाख से अधिक है। प्रति वर्ष पानी की काफी कमी रहती है। रेलवे, रक्षा विभाग और नगरपालिका इसका कार्य देखते हैं। जब श्री ज्ञानी जैल सिंह रेल मंत्री थे, तो हमने एक कार्यक्रम बनाया था, जिसके अन्तर्गत तीनों संगठन मिलकर अपने स्रोतों का प्रयोग करते हुए स्वर्णरेखा नदी से पानी लाने का कार्य करेंगे ताकि इस समस्या को हमेशा के लिए हल किया जा सके।

अन्त में, मुश्किल यह नहीं है कि आप बुरे हैं, आप काफी अच्छे व्यक्ति हैं, मुश्किल यह है कि आप पूंजीवाद का मार्ग अपना रहे हैं। 1947 से हमने इस कल्याणकारी राज्य को देखा है। 1947 से कुछ समय तक यह कार्य हुआ। उसके बाद हमारे यहां समाजवादी देश की स्थापना की बात कही गई और फिर 20 सूत्री कार्यक्रम और उसके पश्चात् काम करने वाली सरकार हमने देखी है। इसने

कैसे कार्य किया ? इसने खूबसूरत से कार्य किया । सभ राज्य पैसा इकट्ठा करके केन्द्र को देते हैं और केन्द्र उस धन को सारे राष्ट्र के विकास के लिए खर्च कर रहा है । मैं यह नहीं कह रहा कि आप राज्यों को धन नहीं दे रहे हैं । कुछ राज्य इससे संतुष्ट नहीं भ हो सकते । कुछ राज्यों के दावे बेहतर हो सकते हैं । लेकिन मैं पूछता हूं कि उस धन का कैसे प्रयोग हो रहा है ? यहां तक कि वे हमार प्रधान मंत्र का ज वन उनके अपने ह घर में भ नहीं बचाया जा सका । कल्याणकार राज्य से लेकर काम करने वाल सरकार तक आते आते चरित्र कहां गया ? 500 रु० के लिए थोड़े से प्रलोभन के लिए हम विदेशियों के हाथ बिक जाते हैं । हम अपने गुप्त दस्तावेज बेच रहे हैं जब कभ हम किस विदेश शक्ति का नाम लेते हैं, जैसे स आई ए के ऐजेन्ट आदि, हमें कहा जाता कि आप इनका अथवा अमेरिका का नाम न ल जिए ।

मैं आशा करता हूं कि यह देश विकास क ओर अग्रसर होगा । मैं प्रधान मंत्र के कार्य करने वाल सरकार के कथन का समर्थक हूं । हम भ आधुनिक जानकार, आधुनिक प्रौद्योगिक के समर्थक हैं । लेकिन अपने लोगों क क मत पर नहीं । अन्यथा क्या होगा ? भारत भ, लेटिन अमर की देशों जैसे मैक्सिको आदि क तरह बन जायेगा जोकि विदेश ऋणों से दबा रहेगा । हमार 70 करोड़ जनसंख्या में से केवल 2 करोड़ या मात्र 2.5 करोड़ लोग ह अच्छ वस्तुओं का उपभोग कर पायेंगे । हम यहां पर अच्छे भाषण देते रहेंगे और देश के गर ब लोग कष्ट झेलते रहेंगे । मुझे आशा है कि सरकार इस पक्ष पर ध्यान देग और पूंज वाद विकास पथ से छुटकारा पाएग । मैं चाहता हूं कि वे सह अर्थों में विकास क समाजवाद व्यवस्था का अनुसरण करें ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : सभापति महोदय, मैं केवल सभा के समक्ष प्रस्तुत की गई अनुदान मांगों पर ह बोलूंगा और मैं माननीय मंत्र महोदय द्वारा सभा में पेश क गई अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं ।

महोदय, मैं माननीय मंत्र ज का ध्यान उड़ सा में पड़ रहे भयंकर सूखे क ओर दिलाना चाहता हूं । वहां इस सूखे से 130 विकास खण्डो में लगभग 27.56 लाख हैक्टेयर भूमि पर फसल का नुकसान हुआ है । इसमें मेरा चुनाव क्षेत्र खुर्द भुवनेश्वर और नयागढ सब-डिव जन शामिल है और इससे 56 लाख लोग प्रभावित हुए हैं । राज्य सरकार चाहते हैं कि उसे केन्द्र से पर्याप्त धनराशि मिले ताकि ज्यादा लोगों को काम मिले और सूखे क स्थिति से बचने के लिये सिंचाई कार्य शुरु क जा सके और अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जा सके । महोदय, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने इस बारे में एक ज्ञापन दिया है और माननीय मंत्र ज इस ज्ञापन से जानकार लेकर हमार सहायता कर सकते हैं । हमने 200 करोड़ रु० क रकम तत्काल तुरन्त मांग है ताकि वहां क जनता तथा सरकार इन कार्यक्रमों को अमल में ला सके । मैं माननीय मंत्र ज से प्रार्थना करता हूं कि वे उड़ सा में सूखे क स्थिति के मामले पर विचार करें और इसके लिये तत्काल धनराशि स्वीकार करें जिससे कि वहां के सूखा-पड़ित लोगों क कठिनाइयां दूर हो सके । महोदय, इस संबन्ध में मैं माननीय मंत्र ज का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा क्योंकि आपने इन भागों में सिंचाई परियोजनाओं के लिये भ व्यवस्था क है । बहुत समय पहले राज्य सरकार ने बुटांग सिंचाई परियोजना यहां भेज थ और वह केन्द्र सरकार क स्वीकृति के लिये यहां पड़ हुई है । इस परियोजना से मेरे चुनाव क्षेत्र में सूखा प्रवण क्षेत्र क लगभग 40 हजार एकड़ भूमि क सिंचाई हो सकेग । महोदय, मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्र ज इस ओर ध्यान देंगे ।

5.07 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

महोदय, मैं उड़ सा क राजधान भुवनेश्वर का ह रहने वाला हूं। अब जोधपुर जैसे शहरों को 'ख' श्रेण का शहर घोषित कर दिया गया है लेकिन उड़ सा क राजधान को 'ख' श्रेण घोषित नहीं किया गया है। इसके लिये मैं पिछले चार सालों से वित्त मंत्र जा को लिख रहा हूं। इस राजधान क जनसंख्या चार लाख से अधिक है और यह तीर्थ स्थल भ है और हजारों लोग यहां आते जाते रहते हैं और 1985 के प्रारम्भ में ही, मैं फिर से माननीय मंत्र जा से निवेदन करूंगा कि वे भुवनेश्वर को तत्काल 'ख' श्रेण शहर घोषित करें जिसका वह पात्र है।

अब सभा के समक्ष रख गई इस मांग में अनुपूरक तथा अतिरिक्त अनुदानों के रूप में लगभग 1200 करोड़ रु० क व्यवस्था क गई है। लेकिन महोदय, इसमें कमजोर वर्गों के लिये कुछ नहीं है। मैं यहां माननीय मंत्र से निवेदन करूंगा क्योंकि वे बैंकों के कार्यचालन के बारे में चिंतित हैं। और हमारे प्रधान मंत्र जा कई बार कह चुके है कि बैंक के कार्यचालन में सुधार किया जाना चाहिये। 20-सूत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत एक कृत ग्राम ण विकास कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रमों के लाभार्थियों को दी जाने वाल सरकार सहायता गरीबों का जीवन स्तर सुधारने के लिये द जात है। क्या माननीय मंत्र जा बतायेंगे कि यह सरकार सहायता का हिस्सा पहले जिला ग्राम ण विकास एजेंसियों के पास और बाद में बैंकों के पास क्यों आता है? उन्होंने ऐस व्यवस्था क्यों क है जिसके कारण लाभार्थियों को बहुत अधिक परेशान उठान पड़ रह है। क्या इस बारे में जांच क जायेग कि लाभार्थियों को अपने हिस्से क सरकार सहायता, जो कभ नहीं मिलती, प्राप्त करने के लिये जिला ग्राम ण विकास एजेंस तथा बैंकों के पास कितन बार जाना पड़ता है? कभ-कभ ऐसा होता है कि ऋण राज सहायता घटाकर दिया जाता है। राज सहायता हजम कर ल जात है और लाभार्थी को केवल ऋण ह मिलता है। मेरे विचार से माननीय मंत्र जा इसे भलीभांति जानते हैं क्योंकि जब भ वे सामूहिक ऋण वितरण करने जाते हैं तो उनके समक्ष बहुत स शिकायतें भी आत हैं।

माननीय मंत्री जा के लिये मेरा यह सुझाव है कि राज सहायता को लाभार्थी की पास बुक में दर्ज करा दिया जाये ताकि उसे कम से कम यह पता चल जाये कि उसको दिये गये ऋण पर उसे कितन राज सहायता मिल है? हम ऐस व्यवस्था कर सकते हैं, यह बेहतर भ है। इससे मदद मिल सकत है।

माननीय मंत्री महोदय गांव में शाखा डाक घर खोलने में होने वाले विलम्ब के बारे में जानते हैं। लोगों को इन शाखा डाकघरों की बहुत जरूरत है। केवल केन्द्र सरकार ही डाकघर खोल सकती है। केवल संसद सदस्य ही गांव वालों को यह बता सकता है कि उनके लिये एक डाकघर खोलने की मंजूरी मिल गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में नये डाकघर खोलने पर रोक लगी हुई है और इस रोक की अवधि मार्च, 1985 तक बढ़ा दी गई है। यह बहुत छोटी बात है। नये डाकघर खोलना विकासात्मक कार्य है। इससे वहां संचार सुविधा मिलने लगती है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि उपेक्षित क्षेत्र में डाकघर खोलना भी 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस पर लगी रोक को जनवरी से हटा दें ताकि हम लोगों के पास जाकर उन्हें यह बता सकें कि उनके जनादेश के कारण ही हमें यह स्वीकृति मिली है अर्थात् गांवों में नये डाकघर खोलने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है।

मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इन अनुदान मांगों में विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिये 405 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इससे मुझे बहुत खुशी हुई है। उस इलाके की जनता भी बहुत खुश होगी और वह सरकार की आभारी होगी कि ऐसा किया गया है। मैं इसका भरपूर

समर्थन करता हूं । मैं मंत्री महोदय का पुन: इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उड़ीसा मे दूसरे इस्पात संयंत्र के लिये 1984 में केवल 1 करोड़ रु. स्वीकृत किये गये थे । इस दूसरे इस्पात संयंत्र अर्थात् नीलाचल इस्पात निगम के लिये 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वह कार्य भी शुरु किया जा सके ।

मुझे खुशी हुई है कि केन्द्र से राज्यों को स्रोतो की सुपुर्दगी के रूप में 150 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जा रही हैं । हम इन 150 करोड़ रुपए की एक रकम का ब्यौरा जानना चाहेंगे ताकि हमें पता लग सके कि इस राशि में से किस राज्य को कितनी धन राशि मिल रही है ।

इस सभा में भी एक विचित्र प्रकार का रवैया अपनाया जा रहा है। आप पश्चिम बंगाल को ही ले लें । उनका कैसा रवैया है ? उनका रवैया यह है कि केन्द्र अपने सारे साधन, जो उसके पास हैं पश्चिम बंगाल को दे दे, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की अपने साधन जुटाने और अपनी साधनों का पता लगाने या अपना अधिशेष सुनिश्चित करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है । राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है । यह एक अजीब तरह का दृष्टिकोण है अर्थात् केन्द्र अपने सारे स्रोत राज्यों को दे दे और राज्यों की कोई जिम्मेदारी न हो । यह एक अजीब रवैया है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा। (व्यवधान) मैं आशा करता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार अपनी स्थिति में सुधार करना चाहेगी । (**व्यवधान**) यह रवैया मेरी समझ में नहीं आता । पश्चिम बंगाल सरकार कहती है कि उनके यहां अधिक घाटा है । लेकिन ऐसा क्यों है ? ठीक है, आपने 2000 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट ले लिया और फिर भी आप केन्द्र से कहें कि यह ओवर ड्राफ्ट क्यों है । (**व्यवधान**) मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि कुल ओवर ड्राफ्ट इतना है केवल आपका नहीं । (**व्यवधान**) काश की मैं भी श्री दास मंशी होता ताकि मैं आपको मुंहतोड़ जवाब दे सकता । उनको इसका अनुभव है ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हालड़ा) :- उनके पास बहुत अच्छे वित्त मंत्री ह, जो हैं**

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इसलिये, मैं कहना चाहूंगा कि इस रवैया में परिवर्तन आना चाहिये । केंद्र इस बात का प्रयास कर रहा है कि राज्यों को धन जाये और राज्यों की भी हालत सुधरे । लेकिन राज्यों को भी चाहिये कि वे केन्द्र द्वारा दिये गये धन को वापस करें ताकि केन्द्र और राज्य मिलकर काम कर सकें ।

मेरा अंतिम मुद्दा यह है कि पारादीप पत्तन उड़ीसा का एक प्रमुख पत्तन है । इसकी स्थिति बड़ी खराब है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे पारादीप पत्तन की समस्याओं पर विचार करें ताकि पूर्वी क्षेत्र में इस प्रमुख पत्तन का निर्माण हो सके । आपने परमाणु ऊर्जा, विद्युत संयंत्रों और भारी पानी के संयंत्रों के लिये भी धन की व्यवस्था की है । पिछले बहुत से वर्षों से, मैं यह कहता आया हूं कि हमें भारत के पूर्वी क्षेत्र में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि आप इस पर भी विचार करेंगे । छतरपुर में रेयर अर्थ वर्क ठीक से प्रगति नहीं कर रहा है । आपने इसके प्राक्कलनों को 12 करोड़ रु. से संशोधित कर के 21 करोड़ रु. कर दिया है । उस पर विचार किया जाना चाहिये ।

मैं अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं ।

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला) :- लोक लेखा समिति द्वारा अतिरिक्त मांगों को नियमित करने की पहले ही सिफारिश की जा चुकी है । सभा में इन अनुदान मांगों पर चर्चा करना औपचारिकता मात्र है । इसलिए मैं इस पर कोई आपत्ति नहीं करता । यदि मेरे पास समय होता तो मैं नीति निर्धारण के बारे में कुछ मुद्दे उठाता हूं । उदाहरणार्थ, मैं महसूस करता हूं कि हमारे यहां देश में थोड़ा-थोड़ा

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत में से निकाल दिया गया ।

विकास करने की नीति है । हम हर क्षेत्र में कुछ न कुछ विकास करना चाहते हैं। मेरे विचार से हम अर्थव्यवस्था को विकसित करने की बजाये अपना धन इधर उधर गंवा देते है । हमें व्यापक विकास हेतु कुछ मूल क्षेत्रों को चुनना चाहिये ताकि हम आगे बढ़ सकें, हम खुशहाल और समृद्ध भारत बना सकें ।

हमारे यहां घाटे की वित्त व्यवस्था है । श्री पाणिग्रही जी ने राज्यों द्वारा ज्यादा धनराशि लिए जाने पर आपत्ति की है । मैं नहीं समझता कि यह कोई आपत्तिजनक बात है । लेकिन जब आप इसकी तुलना घाटे की वित्त व्यवस्था से अर्थव्यवस्था में उत्पन्न मुद्रा स्फीति से करते हैं जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है—और मुद्रास्फिति भी है तो यह पता चलेगा कि संतुलित विकास नहीं हो रहा है। मेरे विचार से केवल श्री गनी खान चौधरी ही केवल ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्होने अपने चुनाव क्षेत्र की अच्छी सेवा की है बहुत से मंत्रियों ने अपने तरीके से ऐसा किया है जिसका परिणाम यह हुआ है कि वे अपने चुनाव क्षेत्रों को लाभ पहुंचाते रहे हैं और उन्होने देश के पिछड़े इलाकों की परवाह नहीं की । इसलिये, हमारे देश में संतुलित विकास नहीं हुआ । लेकिन जब हम नीति की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि वित्त राज्य मंत्री श्री जनार्दन पुजारी जी नीति निर्धारण संबंधी इन समस्याओं पर विचार करेंगे ताकि ये सब बातें हमें पूरी तरह स्पष्ट हो सकें ।

तत्कालीन प्रधान मंत्री जी ने जम्मू तथा काश्मीर में एक इलैक्ट्रानिक उद्योग लगाने का मुझसे वायदा किया था । श्री प्रणव मुखर्जी जी ने मुझसे कृषि क्षेत्र के बारे में वायदा किया था । दुर्भाग्यवश, ये दोनों व्यक्ति सभा में नहीं है । इसलिये मैं श्री पुजारी जी का ध्यान जम्मू तथा काश्मीर राज्य के कृषि क्षेत्र की ओर दिलाऊंगा । यह एक बहुत निर्धन बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है । प्राकृतिक विपदाओं के कारण कृषि की स्थिति डांवाडोल है । जबकि सभी अन्य राज्य केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं, जम्मू तथा काश्मीर ही केवल ऐसा अभागा राज्य है जिसकी उपेक्षा की गई है हो सकता है इसका राजनीतिक कारण हो । मुझे इसका पता नहीं क्योंकि इसके कारणों के बारे में जानने के लिये हमें इस पर गहराई से विचार करना होगा । औद्योगिक विकास के लिये कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला गया है । 1982 में, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर के समूचे क्षेत्र में ओले पड़े बहुत अधिक वर्षा हुई तथा समय से पहले हिमपात हुआ था । हमने 3 करोड़ रु. की राशि का अनुमान भेजा था । लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा तीन पैसे भी स्वीकृत नहीं किये गये । और 1982 की इस अवधि के लिये, आप अपने रिकार्ड देखिये, मैंने ये आंकड़े श्री प्रणव मुखर्जी जी को दिये थे और उन्होंने अपने रिकार्ड देखे थे और एक तारांकित प्रश्न के लिये उनका यह उत्तर था । 1982 की इसी अवधि में उन लोगों के लिए 5.69 करोड़ रु. की सहायता दी गई जो की प्राकृतिक विपदा से प्रभावित हुए। दुर्भाग्यवश, 1984 के सितम्बर तथा अक्तूबर मास में जम्मू तथा काश्मीर के उत्तरी क्षेत्र के उन्हीं इलाकों के खासकर मेरे चुनाव क्षेत्र बारामूला को ओलावृष्टि का दुबारा सामना करना पड़ा और हमने इससे हुये नुकसान की सूची तैयार की और केन्द्रीय कृषि मंत्री को एक तार दो तार भी दिये । मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी के ही आधार पर ही बल्कि अन्य स्रोतों से इस बारे में जानकारी प्राप्त करके मुझे बताया गया कि केन्द्र सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य में एक दल भेजा था । लेकिन हमें उस दल से मिलने नहीं दिया गया क्योंकि यह दल गुलाम मोहम्मद शाह, अवैध रूप से सत्ता हथियाने वाले तथा कठपुतली सरकार के समय में भेजा गया था । मैं उस समय संसद सदस्य था लेकिन मैं उस दल से नहीं मिल सका । आज तक न तो राज्य सरकार ने और न ही केन्द्र सरकार ने पीड़ितों को कोई राहत दी है ।

हाल ही में, दिल्ली में हुये दंगों में दिल्ली में फलों से भरे हुये
राज्य सरकार को दावे पेश किये गये थे । राज्य सरकार ने कहा है कि केन्द्र सरकार से पैसा मिलेगा। इन पीड़ितों को अब तक नया पैसा भी नहीं मिला है और न ही केन्द्र सरकार ने उनकी समस्याओं

को हल करने की परवाह की । मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह उन सभी समस्याओं पर विचार करें ।

दूसरे, जहां तक औद्योगिक क्षेत्र का प्रश्न है मैं आप को बताना चाहता हूं कि जम्मू-काश्मीर राज्य में कोई औद्योगिक विकास नहीं हुआ । पिछले 25 वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने सरकारी प्रतिष्ठानों पर 25550 करोड़ रुपये लगाये हैं तथा भूतपूर्व वित्त मंत्री द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार उसमें जम्मू काश्मीर का हिस्सा 0.06 प्रतिशत है । मैंने उन बातों पर प्रधान मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया था तथा संक्षिप्त चर्चा के दौरान उन्हें बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में वहां भी इलैक्ट्रानिकी उद्योग हो सकते हैं वह प्रदूषण के बारे में अत्यन्त चिन्तित हैं । उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-काश्मीर के राज्यों में हमें प्रदूषण रहित उद्योग ही स्थापित करने चाहिए । मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र बारामूला के बारे में प्रश्न उठाया था क्योंकि 1947 के दंगों में उसका विनाश हो गया था । मेरे निर्वाचन क्षेत्र बारामूला ने बहुत कष्ट उठाया था । तथा मैंने कहा था कि जम्मू-काश्मीर राज्य में विशेषतः बारामूला में कोई एलेक्ट्रानिक उद्योग अवश्य ही स्थापित किया जाये । परन्तु हमारी सुनवाई नहीं हुई ।

जहां तक बिजली का प्रश्न है श्रीनगर तथा काश्मीर के अन्य नगरों को बिजली केवल 3 घंटे प्रतिदिन मिलती है । आप दिल्ली में बैठे उस जीवन की कल्पना नहीं कर सकते । और यह ऐसे राज्य में होता है जिस की बिजली उत्पादन की क्षमता सर्वाधिक है । हमारा फालतू पानी पाकिस्तान को बह जाता है तथा उसके उपयोग पर किसी ने ध्यान नही दिया । हमारे जल स्रोत 15000 मैगावाट हैं तथा हम केवल 2000 मैगावाट ही पैदा कर पाते हैं । हम जम्मू तथा काश्मीर के लोगों के दुःख पर आवश्य ध्यान देना चाहिए जिन्हें केवल 2-1/2 घंटे ही बिजली उपलब्ध होती है ।

यही कुछ तथ्य है जिन पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि वह विपक्ष के सदस्यों के भाषणों को मात्र सुनकर मांगों को पारित नहीं कर देंगे । हमने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में जो कुछ कहा है उस पर एक नागरिक के नाते उन्हें ध्यान देना चाहिए और उन क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए निरन्तर उपाय करने चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री बी. तुलसीराम (नागरकुरनूल): उपाध्यक्ष महोदय, सब नेता लोग जानते हैं और बोलते हैं कि जो गरीब किसान लोग हैं, उनका उद्धार होना चाहिय। आखिर में देखते हैं, जैसे अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि बड़े-बड़े विरला जैसे जो भी आगे आते हैं, वहीं कमाते हैं, वहीं मजा करते हैं और लास्ट में किसान दुःखी हो जाता है ।

गांव के गरीब दुःखी होते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है । हमारे मंत्री श्री जनार्दन पुजारी यहां बैठे हैं, हमारे आन्ध्र प्रदेश में तो उन्होने कई करोड़ रुपया बैंकों से दिलाया है, लेकिन मैं उनका ध्यान बैंक अधिकारियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो गांव के पढे-लिखे लडकों को 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कीम तो मंजूर करते हैं, लेकिन उनको कहते हैं कि बैंक से लोन लीजिए । जब वह लोग अधिकारियों के कागज लेकर बैंकों से लोन लेने के लिये जाते हैं तो बैंक वाले कोई सुनते ही नहीं है । यह आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक की ही बात नहीं है, सारे हिन्दुस्तान की बात है । इसमें आप कैसे सुधार ला सकते हैं ?

आप 20 सूत्री कार्यक्रम में सैन्शन कर देंगे कल 25-सूत्री 30-सूत्री कार्यक्रम हो जायगा, लेकिन आज जो आदमी वहां ऋण लेने के लिये जाता है उसको मिलता ही नहीं है, तो आप चाहे कितने ही सूत्री कार्यक्रम बन इये, उससे क्या होने वाला है ? उसमें आप क्या सुधार कर सकते हैं ?

हमारे नौजवान मंत्री है नौजवान नेता श्री राजीव गांधी आज हमारे प्रधान मंत्री बने हैं, हम सब आशा करते हैं कि जितने गरीब लोगो के काम हैं, उन पर वह जरूर ध्यान देंगे और उनके नेतृत्व में

सारे हिन्दुस्तान के गरीब अच्छे होंगे। हम भले ही तेलगुदेशम के हैं, हमारे उदेश्य अलग होंगे, भले ही हमारी पार्टी अलग होगी, लेकिन जब आप अच्छा काम करेंगे तो हम तेलगुदेशम वाले हों या कोई भी दूसरी पार्टी के हों, वह सब साथ देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आज हम पार्लियामैंट में आ जाने के बाद तेलुगुदेशम के ही नहीं हैं, भारतदेशम के हमारे नेता रामाराव जी का कहना है कि आप तेलुगुदेशम को भूल जाओ, आप पार्लियामैंट में भारतदेशम की बात करो।

इसी ढंग से हम लोगों को कार्य करना है और उस ढंग से हम चलेंगे, अगर राजीव गांधी जी हम अपोजीशन वालों को छोटी नजर से न देखें। 99 आपके पास हो सकते हैं, लेकिन 100 के लिए एक जरूरी है, इसलिए उसमें हम लोगों का भी ध्यान रखना चाहिये, यह मैं उनसे प्रार्थना करुंगा।

स्लम क्लीरेंस के लिये आन्ध्र प्रदेश से जो डिमांड किया गया, उसके लिये कुछ फंड हमें नहीं मिल रहे हैं। उसके लिये भारत सरकार को ध्यान देना चाहिये। हमारे नेता रामाराव जी ने लाखों गरीब लोगों के लिये 20-सूत्री कार्यक्रम के तहत जो गरीबों को लाभ मिलना चाहिये, उसकी तरफ कदम बढ़ाया हैं। लकिन उसके लिये कई करोड़ रुपयों की जरुरत पड़ती है, इसके लिये मैं अपने युवा नेता प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी से प्रार्थना करुंगा कि वह रामाराव जी और आन्ध्र प्रदश की जनता को, जितना वे मांगते हैं, उसके हिसाब से धनराशि प्रदान करें। यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भी नीक काम करेंगे, उसके लिये हम सब उनका साथ देंगे।

प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी से एक बार फिर अदब से प्रार्थना करुंगा कि ऐसे काम से वह पीछे न हटें, जिससे गरीबों का भला होता हो क्योंकि उनका काम गरीबों का भला करना है। ऐसी उम्मीद करते हुए उनको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

***श्री सी. एच. श्रीहरि राव** (राजामुन्द्र) : उपाध्यक्ष महोदय, इस महान सभा में यह मेरा पहला भाषण है। हमारा देश एक महान देश है। यह हमारा सौभाग्य है कि प्राकृतिक सम्पदाओं से परिपूर्ण इस महान देश में हमने जन्म लिया है। प्रकृति ने हमारे साथ उदारता बरती है। हमारे इस पुण्य भूमि पर हिमालय से कन्याकुमारी तक बहुत सी नदियां बहती हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम इन नदियों के जल का किस सीमा तक उपयोग कर पाते हैं। हम अपनी नदियों में प्रवाहित जल का केवल 10% का ही प्रयोग कर पाते हैं। (व्यवधान) प्रो. रंगा यहां विराजमान हैं। वह जानते हैं कि किसान ही इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं परन्तु अभी तक उनसे न्याय नहीं किया गया है। हमारी अर्थ-व्यवस्था का आधार कृषि ही है। समय समय पर बहुत सी बातें कही गई तथा बहुत से नारे किसानों के विकास के बारे में दिये गये। परन्तु क्या किसानों को लाभ पहुंचा है? नहीं। हमारे पास कृषि योग्य तरह तरह की भूमि है। हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि इन विविध तरह की भूमियों को सिंचाई सुविधा देने के लिए इन नदियों पर परियोजनाएं निर्मित करें। तभी हमारे किसानों को पर्याप्त जल मिल सकेगा तथा देश का उत्पादन बढ़ सकेगा। इससे देश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। स्वभावतः हमारे किसान भी उन्नति करेंगे। अब प्रश्न पैदा होता है कि इतने वर्षों से देश के नदी जल के उपयोग के लिए कार्य क्यों नहीं किया गया। इस मोर्चे पर अभी तक जो उपलब्धि हुई है वह नगण्य है। जहां तक आंध्र प्रदेश का संबंध है वहां पोलावरम नाम की एक परियोजना है जिसकी आधार शिला वर्षों पूर्व रख गई थी। यह समूची परियोजना अभी तक भी कागजों तक सीमित है। आधारशिला भी अब लुप्त हो गई है। इस परियोजना का भाग्य यह है। यह कोई लघु योजना नहीं है। इसके लाभ केवल हमारे राज्य तक सीमित नहीं रहेंगे। इसका राष्ट्रीय महत्व है। इससे हमारी अर्थ व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। अतः मैं निवेदन करता हूं कि केन्द्र

*तेलुगू में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आवश्यक धन की मंजूरी देकर इस परियोजना के निर्माण को महत्व दे । यह परियोजना अत्यावश्यक है तथा इससे विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का भी पानी उपलब्ध होगा । विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का कार्यकरण बहुत कुछ इस परियोजना पर निर्भर करता है। अतः यह दोनों परियोजनाएं परस्पर संबद्ध है। इतना ही नहीं पूरा होने पर इस परियोजना से लाखों एकड़ भूमि सिंचित हो सकेगी । राज्य में तथा देश में खाद्य उत्पादन में बहुत अधिक उन्नति होगी । कहने की आवश्यकता नहीं कि इससे किसानों की हालत सुधरेगी । अतः मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि इस परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रता देते हुए हाथ में लें ।

एक और प्रतिष्ठित परियोजना तेलुगु गंगा पर भी केन्द्र ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। खेद है कि स्वतंत्रता के 37 वर्ष पश्चात् भी हमारे देश के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। कहा गया है कि हमारे देश ने स्वतंत्रता के बाद काफी प्रगति की है। इस सभा में बैठ कर देश की प्रगति का मूल्यांकन करने के स्थान पर हमें गांव में जा कर विकास कार्य को देखना चाहिए। आप को पता चलेगा कि उनकी स्थिति कितनी भयंकर है। लोग आपको बताएंगे कि भोजन की बात तो दूर रही, उनके पास पीने का पानी भी नहीं है। आदरणीय रंगा जी, यह सब भली भांति जानते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का भाग्य भी ऐसा ही है। तेलुगू देशम की सरकार ने हमारे प्रिय 'अन्ना' जी के नेतृत्व में हमारे गांव में पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था की है। इसमें बहुत अधिक व्यय हुआ है। लेकिन वह इससे विचलित नहीं हुए तथा उन्होंने राज्य के लगभग सभी गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने का प्रयास किया । यही कारण है कि लोग 'अन्ना' के साथ है और उनके प्रति आभार है । मैं नहीं जानता कि एक के बाद दूसरी कांग्रेस सरकारें, जिन्होंने राज्य पर शासन किया था, हमारे गांवों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने में असफल क्यों रहीं । जो कार्य पिछली सरकारें न कर सकीं, उसे श्री एन. टी. रामाराव ने कर दिखाया ।

तेलुगू गंगा परियोजना जो कि लाखों लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करती है और इसके अतिरिक्त सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करती है, उसे केन्द्र ने केवल इस तर्क पर मंजूरी नहीं दी कि यह नदी कुछ वन्य प्रदेशों से गुजरती है । मैं इस तर्क को समझने में समर्थ नहीं हूं । मुझे आशा है कि कम से कम अब, केन्द्रीय सरकार इस परियोजना को मंजूरी देगी । इससे हमारे राज्य के न केवल तेलंगाना और रायलसीमा के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को हरा-भरा करने में सहायता मिलेगी बल्कि तमिलनाडु के मद्रास नगर के प्यासे भाइयों को जरूरी पीने का पानी भी उपलब्ध होगा । यह एक अन्तर-राज्यीय परियोजना है और इसलिए मैं फिर उम्मीद करता हूं कि केन्द्र इस पर उचित ध्यान देगा। मुझे अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति बहुत आभार हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है। मैं इस सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं । लेकिन प्रारम्भ में मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने व्यक्त किए गए विचारों और दिए गए सुझावों को नोट कर लिया है।

हमारी सरकार की आलोचना की गई है और यह कहा गया है कि सरकार का कार्य संतोष जनक नहीं है और हमने राज्यों की उपेक्षा की है और राज्यों के साथ माता जैसा व्यवहार नहीं हो रहा है, बल्कि सौतेली माता जैसा व्यवहार हो रहा है।

अब, पहले राज्यों को लें । यह कहा गया है कि राज्यों के लिए हमें पर्याप्त निधि नहीं दी गई है। मैं वास्तविक स्थिति का वर्णन करूंगा । कुल आयकर राजस्व में से हमें राज्यों को 85% देना होता है और छोटी बचतों की कुल आवतियों में से हमें दो तिहाई राज्यों को देना होता है।

चालू वर्ष का बजट अनुमान 2,400 करोड़ रुपये है। इसमें से दो तिहाई राज्यों को मिलेगा। अब किस दर पर हम इन निधियों को प्राप्त कर रहे हैं ? इन छोटे बचतों का ब्याज का दर क्या है ! मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि हम बचत करने वालों को 12 प्रतिशत की दर पर ब्याज देते हैं, लेकिन हम राज्यों से केवल दस प्रतिशत ले रहे हैं। इससे भी बढ़कर अदायगी की अवधि पच्चीस वर्ष है और उसमें पांच वर्ष का विलम्बन-काल है।

अब, मैं उन राज सहायताओं को लेता हूं जो हम जनता और राज्यों को दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर उर्वरकों को लें। चालू वर्ष में हम देशीय और विदेश उर्वरकों पर 1732 करोड़ रुपये सहायता के रूप में दे रहे हैं। औसतन, किसानों के कार्य के लिए दी गई सहायता 95 रुपये प्रति टन हैं।

अब, मैं अनाज पर दी गई सहायता को लेता हूं। हम इस देश के गरीबतर वर्गों की सहायता कर रहे हैं। केवल खाद्य-पदार्थों पर ही हमें 1,400 करोड़ रुपये सहायता के रूप में देना होता है। हम गेहूं और चावल पर सहायता दे रहे हैं। गेहूं पर यह 53 रुपये प्रति क्विंटल अर्थात् 53 पैसा प्रति किलोग्राम और चावल पर 60 रुपये प्रति क्विंटल।

दूसरी वस्तु को लें जैसे कि मिल में बना कपड़ा। इस पर हम 50 करोड़ रुपये सहायता दे रहे हैं हथकरघा पर हम 55 करोड़ रुपया दे रहे हैं। इस प्रकार कपड़े पर कुल सहायता 105 करोड़ रुपये है।

विदेश मुद्रा कमाने के लिए निर्यात मद पर हमने लगभग 530 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी है।

अब, डाक विभाग के व्ययों को लें, पोस्ट कार्ड की लागत 55 पैसे है, जबकि हम केवल 15 पैसे ले रहे हैं इस तरह डाक विभाग में बहुत सी वस्तुओं पर सहायता दी जा रही है। कुल मिलाकर केवल इस खाते में हम 130 करोड़ रुपये व्यय कर रहे हैं।

जहां तक कि रेलवे का सम्बन्ध है वहां पर भी हम कम ले रहे है और खर्च अधिक कर रहे हैं।

अब, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लिया जाता है। उसके लिए केन्द्रीय बजट से मिलने वाली सहायता लगभग 230 करोड़ रुपये हैं। अब, ग्रामीण भूमिविहीन रोजगार गारण्टी योजना को लें। उसके लिए बजट में आबंटन शत प्रतिशत है। राज्यों के लिए, यह लगभग 400 करोड़ रुपये हो गया है। श्रीमान, अब शिक्षित बेरोजगार योजना को लें, प्रधान मंत्री के शिक्षित बेरोजगार योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत, शिक्षित बेरोजगार लोगों के लिए हमने लगभग 401 करोड़ रुपये दिए हैं। यह एक सहायता है जो बैंकों से मिल है। वहां भी सहायता 25 प्रतिशत है। तब, श्रीमान, यदि 25,000 रुपये ऋण दिया जाता है तो लगभग 6,250 रुपये सहायता दी जायेगी। वहां भी हमें सहायता देनी होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत भी हमें सहायता देनी होगी। यह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 230 करोड़ रुपये है और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 216 करोड़ रुपये हैं। मैं इन आंकड़ों को सह कर रहा हूं।

ग्रामीण क्षेत्र की पानी सप्लाई योजना के बारे में कुछ राज्य लोगों को नलकूप देने का दावा भी करते हैं और उन राज्यों का कहना है कि यह कार्य उनके कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है, वहां भी हम लोग 243 करोड़ रुपये दे रहे हैं।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के संबन्ध में हम लोग 438 करोड़ रुपये दे रहे हैं।

पुनः विकास कार्यों पर व्यय क जाने वाल राशि के बारे में हम लोगों को यह देखना है कि राज्यों में क्या हो रहा है, क्या हमने किस भ राज्य क नितान्त उपेक्षा क है । हम लोगों को चाहिये कि हम राज्यों का कार्य निष्पादन देखें । दिये गये 100 रुपयों में से उत्तर प्रदेश लगभग 31 रुपये, राजस्थान लगभग 22 रुपये, महाराष्ट्र लगभग 28 रुपये व्यय करता है । पश्चिम बंगाल का कार्य निष्पादन क्या है ? पश्चिम बंगाल लगभग 17 रुपये व्यय करता है । और फिर भ उनका कहना है कि हम लोग पश्चिम बंगाल क उपेक्षा कर रहे हैं । इसके लिये कौन उत्तरदाय है ? क्या यह सौतेला व्यवहार है ? जहां तक छठी योजना का संबन्ध है, योजना के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य को 3500 करोड़ प्रदान किये थे। प्रथम चार वर्षों के दौरान कितन राशि व्यय क गई है ? 1900 करोड़ रुपये से अधिक राशि व्यय नहीं क गई है । इसके लिये कौन उत्तरदाय है ? क्या इसमें संविधान असफल रहा है, अथवा प्रशासन असफल रहा है अथवा इसमें राजनैतिक इच्छा असफल रह है ?

जम्मू और काश्म र के बारे में हम लोग यह देखें कि विकास कार्यों के लिये जम्मू और काश्म र को हम लोग कितन राशि दे रहे हैं । गत वर्ष द गई राशि के संबन्ध में भूतपूर्व मुख्य मंत्र के शासन काल में, विकास कार्यों के लिये यदि 100 रुपये मांगे गये थे , तो हमने जम्मू-काश्म र को 112 रुपये दिये थे....

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला): किन्तु आपने मेरे मुद्दे का उत्तर नहीं दिया है ।

श्री जनार्दन पुजारी : हर बात का उत्तर दूंगा । मैं उस पर आ रहा हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या आप आधा मिनट देंगे ?

श्री जर्नादन पुजारी : नहीं, मैं नहीं दे रहा हूं।

श्री सैफुद्दीन सोज : सरकार क्षेत्र में निवेश क गई 25,500 करोड़ रुपये क राशि में जम्मू और काश्म र का कितना हिस्सा है ? क्या मंत्र ज से प्रश्न पूछने का मेरा अधिकार नहीं है ?

श्रीमती ममता बनर्जी : ज नहीं । यह प्रश्नकाल नहीं है ।
(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, आपको पता है कि किन स मात्रों के अन्तर्गत मैं वाद-विवाद का उत्तर दे रहा हूं। मैं माननय सदस्य का ध्यान नियम 216 क ओर आकर्षित कर रहा हूं। इस नियम के अनुसार, मैं अनुदानों के बारे में उत्तर देने को बाध्य हूं जिनका उल्लेख अनुपूरक मांगों के अन्तर्गत किया गया है ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हमने कुछ मामले उठाये हैं जिनका उत्तर वह नहीं दे रहे हैं। मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार है ।

श्रीमती ममता बनर्जी : वह आपको उत्तर देने को तैयार नहीं हैं। यह प्रश्नकाल नहीं है।
(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : आप चेख क्यों रह हैं? मंत्र ज अपने आंकड़े दे रहे हैं । मेरे आंकड़े के बारे में क्या है ? **(व्यवधान)**

श्री जनार्दन पुजारी : भारत य साम्यवाद दल के माननय सदस्य ने बहुत ह युक्तिसंगत मुद्दा रखा है । उन्होंने पूछा है कि क्या हम लोग सरकार क्षेत्र क न ति से विमुख हो रहे हैं ? मैं नीति के बारे में नहीं कह रहा हूं। किन्तु इतने पर भ मुझे कहना यह है कि हमारे पिछले कार्य निष्पादन क ओर ध्यान दिया जाया कि क्या हम लोग सरकार क्षेत्र क अपन नीति से विमुख हो रहे हैं। मैं

स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद के समय की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब 1950 या 1951 में पहला बजट पेश किया गया था, उस समय देश के सरकारी क्षेत्र का क्या हिस्सा था। उस समय सरकारी क्षेत्र में केवल 5 उपक्रम थे और उनमें 29 करोड़ रु० की राशि लगी हुई थी। उस समय क्या हिस्सा था? उस समय सरकारी क्षेत्र का हिस्सा 93 प्रतिशत था। अब आपके सरकारी क्षेत्र में क्या हिस्सा है? हिस्सा 7 प्रतिशत है।

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : ये आंकड़े बिल्कुल ही गलत है।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि कुल निवेश लगभग.....

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : इस समय सरकारी क्षेत्र में 30,039 करोड़ रुपये की राशि लगी हुई है। 29 करोड़ रुपये की राशि कहां थी। 31-3-83 को यह राशि 30,009 करोड़ रुपये थी।

गैर सरकारी क्षेत्र में कुल 93 प्रतिशत की राशि लगी हुई थी। सरकारी क्षेत्र का हिस्सा केवल 7 प्रतिशत था।

गैर सरकारी क्षेत्र के हिस्से की प्रतिशतता अब घटकर 28 रह गई है। क्या कोई यह कह सकता है कि हम लोग सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध हैं।

यह हमारी पहली उपलब्धि है।

(व्यवधान)

सरकारी नीति क्या है? नीति की घोषणा होते ही माननीय मित्र को सूचित कर दिया जाएगा।

मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विगत इतिहास बताना चाहता हूं। हमारी नीति कभी भी सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध नहीं रही है। इसके विपरीत, हम लोग 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतिम मुद्दे के प्रति वचनबद्ध हैं। हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने भी यह बात अपने भाषण में भी कही है। हम लोग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यक्षमता में सुधार करने वाले हैं। राष्ट्र के प्रति हमारी यह वचन बद्धता है। हम लोग उसे पूरा करेंगे।

(व्यवधान)

जहां तक समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता देने का प्रश्न है, कमजोर वर्ग के लोगों की परिभाषा अब बदल चुकी है। कमजोर वर्ग की नवीनतम परिभाषा के अनुसार हम देश में कमजोर वर्गों को बैंकों से राष्ट्र को दी जा रही कुल अग्रिम राशि का 10% देने को वचनबद्ध हैं। यह ऋण सरकारी क्षेत्र बैंक प्राथमिकता क्षेत्र को दी गयी 40 प्रतिशत अग्रिम राशि के 25 प्रतिशत के बराबर होगी।

अब 1982-83 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में किये गये अपने कार्य-निष्पादन की चर्चा करते हुए मैं कहूंगा कि हम लोग कमजोर वर्ग के उन लोगों को, जो गरीबी रेखा से निम्न स्तर पर जीवन-यापन कर रहे हैं, 713 98 करोड़ रुपया दे सके हैं। 1983-84 में बैंकों तथा सहकारी बैंकों के माध्यम से 774 करोड़ रुपया दिया गया है। इसे कार्यान्वित करने का अधिकार किसके पास है? यह अधिकार केवल बैंकों के पास ही नहीं, अपितु राज्य सरकारों के पास भी है। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या कार्यक्रम को ठीक ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है, अथवा नहीं, और यदि कोई भ्रष्टाचार है, यदि वह राशि कमजोर वर्ग के लोगों को नहीं दी जा रही है, यदि बीच में कोई दलाल है, तो यह केवल केन्द्रीय सरकार का ही नहीं बल्कि राज्य सरकार का भी कर्तव्य हो जाता

है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाय कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को बेहतर सेवा प्रदान की जाये । जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबन्ध है, मैं इस बात की स्वयं निगरानी करता हूं । मैं इस बात को निश्चित करने के लिये विभिन्न स्थानों पर जाता हूं कि यह राशि देश के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को मिले । हम लोग केवल यहीं निगरानी नहीं रख रहे हैं अपितु हम लोग प्रशासकों से तथा कार्यान्वयन करने वालों को भी यह कह रहे है कि वे लोग कमजोर वर्ग के लोगों को न सतायें, उनसे एक भी पैसा न मांगें, यहां तक कि कमजोर वर्ग में लोगों से एक गिलास पानी तक न मांगें । मैं जगह-जगह जाकर कमजोर वर्ग को लोगों को यह भी बताता हूं कि उनका रुपया उन्हें दिया जा रहा है । यहां तक कि राज सहायता के बारे में, जिसका उल्लेख श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ने किया है, हम लोगों को बता रहे हैं कि यह कार्यक्रम है, यह राज सहायता की राशि है, जो उन्हें मिलनी चाहिये और जिसकी उन्हें मांग करनी चाहिये । जहां तक श्री चिन्तामणि के सुझाव का संबन्ध है, हम लोग उस पर विचार करने वाले हैं ।

जैसा कि मैं आरम्भ में ही कह चुका हूं, मैं अपने टिप्पण अनुपूरक पर हूं दे बजट रहा हूं । जहां तक विभाग संयंत्र का संबन्ध है, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि अनुपूरक बजट में ही लगभग 160 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं । वाद विवाद में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों को मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं ।

प्रो० सफुद्दीन सोज : मैं मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सभा में 1984-85 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें मतदान के लिये रखूंगा ....

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ..

उपाध्यक्ष महोदय : अब कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा मंत्री ने उत्तर दे दिया है । आप भी बोल चुके हैं ।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । यह मेरा अधिकार है ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप किस नियम के अन्तर्गत स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। आपको स्पष्टीकरण मांगने का कोई अधिकार नहीं है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. सोज, कृपया बैठ जाइये । कृपया मुझे काम समाप्त करने दीजिए । ऐसे अनेक अवसर आयेंगे जब आप इस बात को उठा सकते हैं । आप बोल चुके हैं ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उन्होंने कुछ आंकडे दिये हैं । केवल इतना ही किया है अपने निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में हम लोगों ने अनेक मामले उठाये थे। वह इतना ही कह सकते थे कि वह उन मामलों को देखेंगे या उनकी जांच करेंगे । उन्होंने उन सभी मुद्दों को छोड दिया है । उन्होंने उनके बारे में कोई उत्तर नहीं दिया है । हम लोगों ने जो मामले उठाये हैं उनके बारे में उन्हें कुछ न कुछ अवश्य कहना चाहिये ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से शांत रहने का अनुरोध करता हूं । सभा का समय बरबाद हो रहा है ।

प्रो. सैफुद्दीन सोज: मंत्री होने के नाते उन्हें कहना पड़ेगा कि वह इन मुद्दों पर विचार करेंगे। वह अपने वरिष्ठ साथियों से उन पर विचार विमर्श करेंगे, वह इन मामलों को मंत्रिमंडल के समक्ष रखेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय:— कृपया बैठ जाइये। ऐसे अनेक अवसर आयेंगे, जब आप इन्हें उठा सकते हैं।

6.00 म०प०

उपाध्यक्ष महोदय: अब, प्रश्न यह है :

कि कार्य सूच के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये कार्य सूच के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंज लेखा संबंध राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत क संचित निधि में से राष्ट्रपति को द जायें :—

मांग संख्या —2, 3, 9, 11, 25, 43, 46, 49, 54, 56, 79, 82, 89, 91, 94 और 96"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय:— अब मैं अनुदानों क अतिरिक्त मांगें प्रस्तुत करूंगा। प्रश्न यह है :

कि कार्य सूच के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगो के संबंध में 31 मार्च 1983 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि को पूरा करने के लिये कार्य सूच के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत क संचित निधि में से राष्ट्रपति को द जाये :—

मांग संख्या — 12, 18, 20, 22, 28, 32, 35, 56, 57, 64, 94 और 98"'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.0 म० प०

विनियोग विधेयक, 1985*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्त य वर्ष 1984-85 क सेवाओं के लिये भारत क संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने क अनुमति द जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि वित्त य वष 1984-85 क सेवाओं के लिये भारत क संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने क अनुमति द जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

*दिनांक 24-1-1985 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

श्री जनार्दन पुजारी: मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं :

मैं प्रस्ताव* करता हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, 3 और अनुसूची विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2, 3 और अनुसूची विधेयक में जोड दिए गए ।

खंड 1, अधिनियम और सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड दिए गए ।

श्री जनार्दन पुजारी: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

6.04 म.प.

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1985**

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मार्च, 1983 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन रकमों को पूरा करने के लिये, जो उस वर्ष के लिये और उन सेवाओं के लिये, अनुदत्त रकमों से अधिक है, भारत की संचित निधि में से उन राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि मार्च, 1983 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन रकमों को पूरा करने के लिये, जो उस वर्ष के लिये और उन सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक है, भारत की संचित निधि में से उन राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित किया गया/प्रस्ताव किया गया ।

**दिनांक 24-1-1985 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 2 में प्रकाशित ।

श्री जनार्दन पुजारी:- मैं विधेयक पुरः स्थापित* करता हूं ।

मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि मार्च, 1983 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन रकमों को पूरा करने के लिये, जो उस वर्ष के लिये और उन सेवाओं के लिये अनुदत्त रकमों से अधिक है, भारत की संचित निधि में से उन राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि मार्च, 1983 के 31वें दिन को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन रकमों को पूरा करने के लिये, जो उस वर्ष के लिये और उन सेवाओं के लिये अनुदत्त रकमों से अधिक है, भारत की संचित निधि में से उन राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1 अधिनियम, सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जनार्दन पुजारी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए"

उपाध्यक्ष महोदय:- प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए;"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

6.08 म.प.

**अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पंजाब) 1984-85

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब मद संख्या 27 पर विचार करेगी।

पंजाब राज्य के 1984-85 के बजट के अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां पंजाब राज्य को संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें:

मांग संख्या: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 34, 37, 39 और 40

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित/प्रस्ताव किया गया।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पंजाब)

मांग की संख्या	मांग का शीर्षक	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान संबंधी मांग की राशि	
1	2	3	4
		राजस्व रु०	पूंजीगत रु.
10	जिला प्रशासन	2,00,00,000	..
11	पुलिस	2,80,21,000	..
12	जेलें	1,18,25,000	..
14	फुटकर सेवाएं	2,55,12,000	..
16	शिक्षा	1,77,54,000	..
18	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य	50,00,000	..
19	आवास तथा नगर विकास	..	4,44,45,000
20	सूचना तथा प्रचार	18,00,000	..
24	आयोजना तथा सांख्यिकी	14,00,000	..
25	सहकारिता	1,72,81,000	29,24,000
26	कृषि	3,38,60,000	67,00,000
29	पशु-पालन	..	8,00,000
31	मछली पालन	2,00,000	..
33	सामुदायिक विकास	18,02,000	..
34	उद्योग	64,40,000	1,70,00,000
37	सड़क परिवहन	..	3,00,00,000
39	सिंचाई, जल-निकास तथा बाढ़ नियंत्रण	..	78,50,000
40	भवन	2,00,00,000	5,01,05,000

प्रो. सैफुद्दीन सोज; (बारामूला) : महोदय, क्या हम इस पर कल विचार नहीं कर सकते?

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर हमनें पहले ही निर्णय ले लिया है । अब आप अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं । आपने पहले ही कटौती प्रस्ताव की सूचना दे रखी है। कृपया आप इसे प्रस्तुत कीजिए ।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पुलिस के सम्बन्ध में 2,80,21,000 रुपये से अनधिक राशि के अनुदान की अनुपूरक मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[बातचीत के द्वारा राज्य में सामान्य स्थिति कायम करने की आवश्यकता] (1)

"कि जेल के सम्बन्ध में 1,18,25,000 रुपये से अनधिक राशि के अनुदान की अनुपूरक मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[शांतिपूर्ण बातचीत की नीति अपनाने की आवश्यकता।] (2)

उपाध्यक्ष महोदय : पंजाब राज्य के 1984-85 बजट की अनुपूरक मांगें और कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष है ।

अब, श्री सत्यगोपाल मिश्र ।

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : मैं बंगला में बोलूंगा ।

प्रो. एन. जी. रंगा. (गुंटूर) : महोदय, सभा कब तक बैठ रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय: 7 बजे तक । हम पहले ही निर्णय ले चुके हैं ।

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं, यद्यपि अनिच्छा से····

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अनुवाद स्पष्टतया नहीं सुनाई दे रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया इन्तजार कीजिये। मैं इसकी छानबीन कर रहा हूं अब श्री सुल्तान पुरी ।

[हिन्दी]

श्री के. डी. सुल्तानपुरी (शिमला): उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब के संबंध में जो अनुपूरक मांगे यहां पर पेश की गई हैं, उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पंजाब में इस तरह के हालात हुए जिससे कि जो सांसद यहां पर आने थे, वे नहीं आ पाए। जहां तक पंजाब की आर्थिक स्थिति का सवाल है, हमारा जितना भी धन है उसका बहुत सा हिस्सा हमारी सरकार ने पंजाब में लगाया है ताकि वहां पर अच्छी तरह से विकास हो सके। यही कारण है कि पंजाब कृषि और उद्योग के क्षेत्र में सबसे अग्रणी प्रदेश माना जाता है। जिस तरह की साजिश वहां पर पैदा की गई, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार को सेना की सहायता लेनी पड़ी । यहां तक हुआ कि हमारी प्रधान मंत्री जी की हत्या भी इस संबंध में कर दी गई। हमारे नेता श्री राजीव गांधी जी ने कहा है कि जो हिंसा का सहारा लेकर चलेंगे उनके साथ सख्ती से निपटा जायेगा। मैं समझता हूं जब तक हम इस तरह का कदम नहीं उठायेंगे तब तक यह देश संगठित नहीं रह सकता। जो संसद सदस्य यहां पर चुनकर आए हैं, उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा है कि भारत को अखण्ड और एकता के रूप में रखना है पंजाब में जितने भी उद्योग हैं, वे सब घाटे की स्थिति में जा रहे हैं। वहां के लोग यह महसूस करते हैं कि उनका प्रोडक्शन का मार्किट खत्म होता जा रहा है। भाखड़ा डैम के थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल प्रदेश ने काफी कुर्बानी दी है ताकि वहां का विकास हो सके। इसी तरह काश्मीर ने भी वहां का विकास करने के लिए काफी कुर्बानी की है। हमारे यहां जितने भी नदी-नाले हैं, उनका पानी पंजाब के खेतों को पहुंचता है। आज जिस तरह से ला एंड आर्डर पर कंट्रोल हुआ है, अगर वह पहले हो जाता तो ऐसी नौबत नहीं आती । पहले जो विरोधी पक्ष के लोग थे, वे कहा करते थे कि कांग्रेस की साजिश की वजह से ही लोग पंजाब में हथियार लेकर चलते हैं। जब विरोधी पक्ष से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उस गुरुद्वारे में कोई भी हथियार नहीं है इसलिए कोई खतरा भी वहां पर नहीं है। जब यह बात सामने आई कि वहां पर उग्रवादी हैं और बड़ी भारी संख्या में हथियार जमा किए जा रहे हैं तो उन्होंने हिन्दुओं और सिक्खों को लड़ाने का काम शुरू किया। आप जानते हैं, यह किसकी साजिश थी । साजिश कराने वाले सब अपने घर को चले गए हैं। पंजाब, हमारे हिमाचल

**बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

का पड़ौसी प्रदेश है। पंजाब में कुछ होता है तो उसका असर हिमाचल प्रदेश पर भी पड़ता है। चण्डीगढ़ का जो हिस्सा हमें लेना था, वह न तो हिमाचल को और न ही हरियाणा को प्राप्त हुआ। हमने कहा कि वह भी उनको दे दें। अगर पंजाब में अमन रहता है तो सारा भारत ही ठीक रहता है। पंजाब और हमारा उत्तरी भारत का क्षेत्र ठीक रहता है तो हमें आज इस तरफ सोचना है कि जितना पैसा हमने पंजाब में ला एण्ड आर्डर मेन्टेन करने पर खर्च किया, यदि वही पैसा हम अमन के लिए खर्च करते, अमन के लिए काम होता तो वहां की स्थिति कुछ दूसरी ही होती। फिर इस समय वहां भी चुनाव होते और वहां के प्रतिनिधि इस हाउस में आपके साथ और हमारे साथ आते। वहां 1980 में भी जो चुनाव हुए थे, उनमें भी सिर्फ एक अकाली दल के सदस्य यहां चुन कर आये थे, बाकी तो सबकी छुट्टी थी।

जहां तक आनन्दपुर साहब प्रस्ताव का सम्बन्ध है, वह ऐसा प्रस्ताव है जो हमारे देश को इकट्ठा नहीं रख सकता। हमारे नेता ने कह दिया है कि यह प्रस्ताव नहीं माना जाएगा क्यों कि हम देश को एक रखना चाहते हैं, हमारी कांग्रेस सरकार देश को एक रखना चाहती है। अगर अकाली कोई बात करना चाहते हैं, एक राष्ट्र रखने के लिए बात करना चाहते हैं तो उनके साथ खुले दिल से बात की जा सकती है। साथ ही राष्ट्र को एक रखने के लिए उनको प्रयत्न करना पड़ेगा।

यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जहां पंजाब में उद्योगों का विकास हुआ है, फैलाव हुआ है, पंजाब में उद्योग बहुत भारी पनपा है, सारे भारत में वहां सबसे अधिक उद्योगों का प्रसार हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ सड़कों और पुलों की ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रोपड़ के पास आनन्दपुर साहब से हमारे क्षेत्र नालागढ़ को एक रिवर जाता है जो बहुत बड़ा रिवर है और उसके कारण पंजाब को भी हर साल काफी नुकसान होता है और हिमाचल प्रदेश को भी काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए पंजाब सरकार को चाहिए कि वहां उचित व्यवस्था के लिए ज्यादा पैसा दिया जाए ताकि आनन्दपुर से दो-भोटे के लिए एक पुल बनाया जा सके। इसके साथ साथ भारत सरकार को एक कोशिश यह करनी चाहिए कि हमारी नालागढ़ रियासत, जो कि पंजाब की नेबरिंग रियासत है और मेरे चुनाव क्षेत्र के साथ लगती है, वह पहले सरहिन्द से नालागढ़ तक एक रेलवे ट्रैक बिछा हुआ था और उसका उपयोग सिर्फ पंजाब से पत्थर लाने के लिए होता था, वह ट्रैक अभी तक बना हुआ है, लेकिन अंग्रेजों ने उसको उखाड़ दिया। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार उस को फिर से रेलवे लाइन बिछाकर चालू करवाये।

इन शब्दों के साथ जो डिमांडस रखी गई हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं और साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि आप नये-नये आये हैं, हम आपको भी मुबारकबाद देते हैं क्योंकि आप जल्दी जल्दी घण्टी बजाते हैं, अब भी आपने घण्टी बजा दी, इसलिए मैं इन मांगों का पुरजोर समर्थन करते हुये आपका भी धन्यवाद करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भैलवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में जो पंजाब की सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स फार ग्रान्टस् प्रस्तुत हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी ने आज ये जो डिमाण्ड्स रखी हैं, उसमें ज्यादातर पैसा ऐसी डिमाण्ड्स के ऊपर रखा गया है, जिनका ताल्लुक लॉ एण्ड आर्डर से है। जो संस्थाएं वहां पर लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन करने के लिए व्यापक रूप से काम कर रही हैं, उनको मजबूत बनाने के लिए रखा गया है। यह निहायत जरूरी भी है क्योंकि वहां पंजाब के अड़ोस-पड़ोस में जहां पर भी आतंकावाद या अलगाववाद शक्तियां काम कर रही हैं, उनको काबू में लाने लिए सरकार ने जो प्रयत्न अभी तक किया है, उस का नतीजा है कि आज पंजाब में शान्ति है और वहां पर दूसरी व्यवस्थाएं ठीक से चल रही हैं। यदि वहां पर ऐसी व्यवस्था न की जाती तो निश्चित तरीके से विदेशी शक्तियां और हमारे जो लोग उन शक्तियों का सहयोग करते रहे हैं, प्रोत्साहन देते रहे हैं,

वे हमारे देश से उस प्रान्त को अलग करने में सफल हो सकते थे। मगर हमें अपने नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के सूझ-बूझ के दाद देनी चाहिए जिन्होंने इस देश की एकता, अखण्डता को कायम रखने के लिए अपनी कुर्बानी दी और मज़बूती के साथ इस देश को एक बनाए रखा और सब प्रकार की व्यवस्थाएं कीं। हम आज उनके बड़े आभारी हैं, उन्होंने जो काम किए, उसकी सराहना की जानी चाहिए। उसके बाद, आज भी हमारे नेता राजीव गांधी जी, जो कि हमारे युवा प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने खास तौर पर इस बात को पहले भी कहा था, जब कि वे प्रधानमंत्री नहीं बने थे, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि हिन्दुस्तान में रहते हुए उनको सब प्रकार के अधिकार हैं, यदि वे बराबरी के अधिकार को मांगने की बात करना चाहते हैं तो हम उनकी समस्याओं पर बातचीत के लिए तैयार हैं मगर हम किसी भी तरीके से अलगाववादी प्रवृत्तियों को नहीं बढ़ने देंगे, हम उन को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिये आज हमारे नेता श्री राजीव गांधी ने, जो देश के प्रधान मंत्री हैं, उन्होंने निश्चित तरीके से ऐसी व्यवस्था की है कि पंजाब हिन्दुस्तान का अभिन्न अंग है, दुनिया की कोई शक्ति इसको हमसे अलग नहीं कर सकती। वहां की समस्याओं को सुलझाने के लिये, कठिनाइयों को दूर करने के लिये हम लोगों से बातचीत कर के समाधान निकालेंगे, इसमें दो राय नहीं हैं।

अभी श्री सुल्तानपुरी जी ने कहा कि पिछली बार यहां के विरोधी दल के लोगों में अकाली दल के लोगों की पैरवी की और कहा था कि सरकार को उनकी मांगों को स्वीकार करना चाहिये, मगर उसमें ऐसी मांगें भी थीं जिनको हम स्वीकार नहीं कर सकते थे। हमने उनकी धार्मिक मांगों को स्वीकार कर लिया और दूसरी उनकी मांगों के लिये कहा कि चण्डीगढ़ के लिये हम उसे किसी ट्रिब्यूनल के सुपुर्द कर देंगे जिसमें कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज टैरेटरी के सम्बन्ध में फैसला करेगा। मगर ऐसी मांगें जो पंजाब को हिन्दुस्तान से अलग करने वाली हैं, उनके सम्बन्ध में हम कभी बात करना पसन्द नहीं करेंगे और कभी ऐसी बातों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा कि इस प्रकार की मांगें यहां रखी जायें।

मैंने कल भी कहा था कि बहुत से भाईयों ने अकाली दल की मांगों को मानने के लिये गवर्नमेंट को कई बार कहा, जब-जब पंजाब की बातों पर बहस हुई है, उन्होंने कहा है कि अकाली दल के लोगों की मांगें मानली जायें और वहां शांति स्थापित कर ली जाये। पंजाब को हिन्दुस्तान से अलग करने की मांग को मान लिया जाये, यह कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार की मांग के लिये जो भी विरोधी दल के लोग कहते हैं, उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये लोग बराबर उनको उकसाते और भड़काते रहे हैं। इन्होंने निरन्तर इस बात का प्रयास किया है कि इस देश में शांति स्थापित न हो और हम एक होकर न रह सकें। बराबर हमें टुकड़ों में बांटने का बहुत प्रयत्न किया। इसलिये जो मांगें इन्होंने रखी हैं वह ठीक नहीं हैं।

भारत सरकार की तरफ से वहां ला एण्ड आर्डर को मेन्टेन करने के लिये, वहां पर जिस प्रकार की शिकायतें पुलिस के सम्बन्ध में थीं या अन्य प्रकार की बातें थीं, उनके बारे में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे वहां पर ला एंड आर्डर मेन्टेन हो।

आपने देखा होगा कि जिस जमाने में इनका एजीटेशन चल रहा था अकाली दल का, तो पुलिस पर किस तरह के आरोप लगाये गये थे। वहां के ऐसे लोगों के खिलाफ वहां की पुलिस कार्यवाही नहीं कर सकी जो आतंक फैलाते रहे, रात-दिन हत्यायें करते रहे, गोली मारते रहे, निरपराधियों को मार डालते थे। इसलिये पुलिस को रिआर्गेनाइज करना चाहिये, और ऐसी शक्ति कायम करनी चाहिये जिससे आइन्दा ऐसे लोगों को हिम्मत न हो कि वह पंजाब को हिन्दुस्तान से अलग करने की मांग कर सकें। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस उचित कार्यवाह कर सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये।

मैं वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आप जितना पैसा खर्च करना हो करें लेकिन पुलिस को रिआर्गेनाइज करें। ऐसी व्यवस्था करें जिससे ला एवं आर्डर को खत्म करने वाले, निरपराधियों की

हत्या करने वाले और ऐसे साजिश करने वाले लोगों, जो कि पंजाब को हमसे अलग करना चाहते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो सके ।

हमने करोड़ों रुपया खर्च कर के इस प्रान्त को विकसित किया है, यह दुनिया में सबसे ज्यादा विकसित प्रान्त है, यहां सबसे ज्यादा पर-कैपिटा इनकम है, सबसे ज्यादा छोटे-बड़े उद्योग हैं, इस प्रकार की आर्थिक समृद्धि भारत सरकार ने पैसा खर्च कर के वहां पर की है, बड़े-बड़े बांध बनाकर, बिजली के कारखाने लगाकर, बड़े-बड़े कल-कारखाने लगाकर उस प्रान्त को विकसित किया है ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : (व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल व्यास : प्रोफेसर आपने आग में घी डालने का काम किया था । आपने काश्मीर में उनके कैम्प लगवाये थे और उनको भड़काने की कोशिश की थी । वह तत्व काश्मीर में भी फैले हैं। इन काश्मीरियों में भी ऐसे तत्वों के खिलाफ जो काश्मीर को हम से अलग करना चाहते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही करनी चाहिये । पंजाब में ही नहीं, बल्कि कश्मीर में भी की जानी चाहिये । उन प्रान्तों में भी की जानी जानी चाहिये जो लोग इन प्रान्तों को हम से अलग करना चाहते हैं । (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : कल मैंने कहा था कि उस भाषण की कार्यवाह वृतान्त में से निकाल दिया जाए। इसे स्वीकार नहीं किया गया यह असत्य के सिवाय कुछ नहीं है ।

[हिन्दी]

आपकी सरकार ने, फारूख अब्दुल्ला की सरकार ने, जिस तरीके से वहां पर उन दिनों में आतंकवादियों को प्रोत्साहन दिया, उनके खिलाफ कार्यवाही करनी है ।

मैं माननीय वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि यह जो मांगें हैं कि वहां पर पुलिस को रिआर्गेनाइज करें, लॉ एंड आर्डर मेन्टेन हो, उन को पूरा करें। इसके लिये जितना पैसा चाहिये, डिपार्टमेंट स्वीकार करेगा । एक ऐसा पंजाब बनायें जो इस देश को आगे बढ़ा सकें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

***श्री सत्यगोपाल मिश्र** (तामलुक) : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब से सम्बद्ध अनुदान की मांगों पर इस सभा में चर्चा चल रही है । मैं इनका समर्थन करने के लिये उठा हूं, यद्यपि यह मेरी इच्छा के विरुद्ध है । मेरी अनिच्छा के दो कारण हैं । पहला यह है कि इन मांगों पर पंजाब विधान सभा में चर्चा होनी चाहिये थी । लेकिन वहां पर विधान सभा कार्य नहीं कर रही है, अतः यहां पर लोक सभा में इसकी चर्चा की जा रही है । दूसरा कारण यह है कि लोक सभा में भी पंजाब का कोई चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है । पिछली बार पंजाब से जीत कर आए केवल दो सदस्यों को इस बार राजस्थान से पुनः निर्वाचित करके भेजा गया है । अतः, पंजाब की अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा करते समय, स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न खड़ा होता है और सभी मिलकर यह आशा और प्रार्थना करते हैं कि पंजाब में सुख-शान्ति फिर से लौटे तथा शान्तिपूर्ण चुनावों द्वारा उनके प्रतिनिधि भी हमसे आ मिलें और पंजाब में भी एक लोकतंत्रात्मक ढंग से चुनी हुई लोकप्रिय सरकार कार्य करने लगे । पंजाब की घटनाओं पर यहां विस्तार से चर्चा हुई है । भारत सरकार ने भी इस सम्बन्ध में एक श्वेत-पत्र जारी किया है । परन्तु महोदय, खेद की बात है कि आज कितने भी सदस्य इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, उन्होंने उस श्वेत-पत्र को नहीं पढ़ा है । वे बिना औचित्य या कारण के विभिन्न विपक्षी दलों की निरन्तर आलोचना कर रहे हैं ।

मूल तथ्य यह है कि कोई विदेशी साम्राज्यवादी शक्ति कुछ युवकों की सहायता कर रही हैं और उन्हें धन देकर उग्रवादी बनने के लिए गुमराह कर रही है । इस प्रकार वे हमारे देश की एकता

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

और अखंडता को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं । परन्तु कांग्रेस(इ) दल और केन्द्र में उनकी सरकार में, उस विदेशी साम्राज्यवादी शक्ति का नाम लेने तथा उन्हें हमारे देश में गड़बड़ फैलाने के लिए दोषी ठहराने का नैतिक साहस नहीं है । इसलिए वे निरन्तर विपक्षी दलों पर प्रहार कर रहे हैं ।

एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि स्वर्ण-मन्दिर में इतने हथियार और गोला-बारूद कैसे एकत्र किए गये ? इन्हें कौन लाया और यह कैसे लाया गया ? आपके आसूचना अभिकरण क्या कर रहे थे ? आसूचना विभाग की निष्क्रियता और असफलता बार-बार सिद्ध हो चुकी है । यह पंजाब में सिद्ध हो गई है । यह हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री महोदया की हत्या के मामले में और हत्या के बाद की घटनाओं में सिद्ध हो चुकी है । अतः, आपको भी कुछ उत्तरदायित्व उठाना पड़ेगा । पंजाब की समस्या 1980 से पूर्व अस्तित्व में नहीं थी । यह समस्या तो केवल 1980 के बाद पनपी है । इस समस्या को पैदा करने के लिए कौन जिम्मेवार है ? क्या यह जिम्मेवारी पिछली सरकार की नहीं थी ? आज जबकि नये प्रधान मंत्री महोदय विपक्ष का सहयोग मांग रहे हैं तो हम विपक्षी दल उन्हें सहयोग प्रदान करने के लिए पूर्णतया तैयार हैं । हममें से कोई भी यह नहीं चाहता कि देश की एकता और अखण्डता खण्डित हो । हम सभी यह चाहते हैं कि हमारे सिख भाई अलग-थलग न पड़ जाएं और यह कि वे देश की मुख्यधारा में वापिस आ जाएं । पंजाब की समस्या का कोई स्वस्थ हल ढूंढ निकालने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा । वह हल निकालने के लिए उन सबको जो जिम्मेवार पदों पर हैं, जिम्मेदाराना बात करनी चाहिये और गैर-जिम्मेदाराना बात करना उन्हें शोभा नहीं देता है। गत आम चुनावों के दौरान जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने यह बात बार-बार कही है कि विपक्षी दल विदेशी ताकतों के एजेन्ट और जासूस हैं । ये आरोप लगाए गये हैं कि विपक्ष ने 'आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव' का समर्थन किया था । बातचीत द्वारा पंजाब समस्या का हल ढूंढ निकालने में आप ईमानदार हो सकते हैं । हम विपक्षी दलों ने तो पहले भी इस समस्या को हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार के साथ सहयोग किया था और हम तो आज भी सरकार के साथ सहयोग करने को पूर्णतया तैयार है ।

महोदय, जहां तक पंजाब की अनुपूरक मांगों की बात है, पिछले वक्ता कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर होने वाले व्यय पर विस्तार से बोले थे । परन्तु समग्र पुस्तिका में मुझे कोई भी कानून और व्यवस्था मद नहीं मिली । विभिन्न स्थानों पर कुछ कल्याणकारी योजनाओं के लिए यहां-वहां कुछ मांगें की गई है । इसमें चर्चा करने की कोई बात ही नहीं है और इस सम्बन्ध में, मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहूंगा । अब से कुछ समय पहले कुछ राज्यों के ओवर-ड्राफ्ट के बारे में चर्चा चल रही थी । इस मास की 18 तारीख को, लोक सभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि 11-1-85 को पंजाब द्वारा लिए गये ओवर-ड्राफ्ट की राशि 92.31 करोड़ रुपये थी । अब आप स्वयं ही पंजाब में सरकार चला रहे हैं । ओवर-ड्राफ्ट की इस समस्या को कैसे हल किया जाए ? आप सदैव ही वित्तीय अनुशासन की बात करते रहते हैं । वह अनुशासन पंजाब में भी लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि हम भी वित्तीय अनुशासन के बारे में कुछ सीख सकें । योजनागत व्यय और गैर-योजनागत व्यय के बारे में स्थिति अत्यन्त अस्पष्ट है । आपको इसे स्पष्ट करना चाहिये और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि योजनागत मदें क्या हैं और खर्च की गैर-योजनागत मदें कौनसी हैं । मैं स्पष्टतया यह समझना चाहता हूं कि क्या 'शिक्षा' को योजनागत मद माना जायेगा या इसे गैर-योजनागत व्यय में सम्मिलित कर लिया जायेगा ? क्योंकि पश्चिम-बंगाल के बारे में, गैर योजना-गत व्यय का हौवा प्रायः खड़ा किया जाता है । पश्चिम बंगाल के जिस गैर-योजनागत व्यय का उल्लेख किया जाता है उसमें से अधिकांश शिक्षा पर किया जाता है। अतः इस योजनागत और गैर-योजनागत मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिये और इसे उचित प्रकार से स्पष्ट किया जाना चाहिये ।

केन्द्रीय सरकार जो आजकल पंजाब के वित्तीय मामलों पर नियन्त्रण रख रही है, वह पंजाब की ओवर-ड्राफ्ट की समस्याओं को कैसे हल करेगी, यह बात मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से स्पष्टरूप में जानना चाहता हूं ।

मैं इस आशा के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि पंजाब में शीघ्र ही शान्ति स्थापित हो जायेगी जिससे कि देश की एकता और अखण्डता को आंच न आए । हम सबको मिलकर उस उद्देश्य प्राप्ति के लिए काम करना चाहिये । पंजाब में स्वच्छ और शान्तिमय वातावरण फिर से बनना चाहिये जिससे कि वहां चुनाव शान्तिपूर्ण ढंग से हो सकें और वहां के लोग शान्तिपूर्ण और तनावविहीन रोजमर्रा का जीवन जी सकें । पंजाब के सिख भाईयों को देश की मुख्यधारा से जुड़ना चाहिये । केन्द्रीय सरकार को दो विलम्बित पड़े मामलों पर अर्थात् चण्डीगढ़ और नदियों के जल के बटवारे पर अपने निर्णय की शीघ्र घोषणा करनी चाहिये । यह बिना और विलम्ब के होना चाहिये ।

धन्यवाद महोदय ।

श्रीमती कृष्णा साही (बैगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय जो पंजाब विनियोग विधेयक, 1985 माननीय मंत्री जी ने सदन में उपस्थित किया है उसका मैं समर्थन करती हूं । अभी माननीय सदस्य जो अपना भाषण दे रहे थे वह तो ऐसा लग रहा था कि इस विनियोग विधेयक से उसका कोई संबंध नहीं था । अभी कुछ दिन पहले माननीय अध्यक्ष महोदय ने कुछ क्लासेज लगाये थीं, कुछ एमपीज जो नये आए हैं उनको कुछ शिक्षा देने के लिए कि सदन में कौन सी बातों को किस समय लेना चाहिए । लगता है कि माननीय सदस्य ने उन क्लासेज को अटेंड करने की जरूरत नहीं समझी और उन्होंने उस से शिक्षा ग्रहण नहीं की । कल भी मैंने कहा था और पहले भी कहा था कि जनता ने इतना बड़ा सबक इनको दिया फिर भी ये लोग नहीं समझे ।

1984 का वर्ष हमारे देश के लिए संकट और चुनौतियों का वर्ष था हमारी कांग्रेस की सरकार को बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा । उस अग्नि परीक्षा में हमारी सरकार बिल्कुल खरी उतरी इस बात को जनता ने मुक्त हृदय से इतना विशाल बहुमत उसे देकर साबित कर दिया । देश की जनता ने इस बात को लोगों को दिखाया कि हमारी सरकार की नीति बिल्कुल सही थी । और पंजाब की समस्याओं के सम्बन्ध में जो कार्यवाहियां हुईं वह बिल्कुल दुरुस्त थीं । इसलिए अभी भी इनको कुछ पता नहीं चल रहा है । विपक्ष के जो बड़े-बड़े नेता थे चाहे वह चंद्रशेखर जी हों, हेमवतीनन्दन बहुगुणा हों, देवीलाल हों या अटल बिहारी वाजपेयी हों--वे सभी हार गए हैं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज : जो यहां उपस्थित नहीं है उन सदस्यों के नाम का उल्लेख आप क्यों करती हैं । यह असंसदीय है । वे अपना बचाव करने के लिए यहां उपस्थित नहीं हैं । प्रो. रंगा आपको उनकी गलती सुधारनी चाहिये ।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : माननीय प्रधान मंत्री जी ने बार-बार दोहराया है; बहुत दृढ़ता और संकल्प के साथ, कि आनन्दपुर साहब का जो रेजोल्यूशन है उसको कंसीडर नहीं करेंगे--मैं इसका स्वागत करती हूं और पुरजोर शब्दों में इसका समर्थन भी करती हूं । जब इससे देश के लिए, उसकी एकता और अखण्डता के लिए खतरा है और यह संविधान के भी विपरीत है, तब इसको कदापि नहीं मानना चाहिए । दूसरी बात यह है कि जो पानी का झगड़ा है या दूसरी बातें हैं उनको सरकारिया कमीशन के पास रेफर किया है, उसके सामने इन बातों को रखा गया है । इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि अकेले धार्मिक मांगों को

मानकर समस्या का निराकरण नहीं हो सकता है--इसको भी हमने देख लिया है। हमारे साथ जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, हमारी इन्दिरा जी की निर्मम हत्या कर दी गई, वह विश्व में मानवता की हत्या हुई है। उनकी कुर्बानी सभ के सामने है। देश की एकता और अखण्डता के लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। लेकिन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो भूमिका इस मामले में रही, उसको सराहनीय कहना तो बहुत दूर की बात होगी, वह हमारे लिए बहुत दुःखद बात है। कम से कम आतंकवाद और गुरुद्वारे में अस्त्र-शस्त्रों का जो जमाव हुआ, उसकी भर्त्सना तो उनकी ओर से होनी ही चाहिए थी, लेकिन वह भी नहीं हुई। ऐसी हालत में क्या गारन्टी होगी कि टेरिटोरियल वाटर्स या दूसरे डिसप्यूट्स को अलग-अलग करके मान लिया जाए, तो आगे देश के लिए कोई खतरा उपस्थित नहीं होगा ? इसलिए हमारी गुजारिश है कि जो भी वहां की समस्यायें हैं, उनका निराकरण अलग-अलग करके नहीं ढूंढना है, बल्कि सारी बातों को एक साथ ही देखना है और हमारी सरकार पूरी तरह से सक्षम है, आगे भी देश की एकता और अखण्डता को बरकरार रखा जायेगा। इस दृष्टि से सरकार निर्णय लेगी और जो सही कदम होगा उसको उठाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इसमें पूरी तरह से सफल होगी।

अभी-अभी एक विपक्ष के माननीय सदस्य कह रहे थे कि बूटा सिंह जी को राजस्थान से टिकट दिया गया। हम लोग हमेशा ही सभी धर्मों का आदर करते हैं और हमारी नजर में सारा देश एक है, सारे लोग एक हैं, हम सभी इस भारत के नागरिक हैं। लेकिन जरा इस बात को भी देखा जाए कि इनकी ओर से किसको टिकट दिए गए--कितनी महिलाओं को या जैसा ये कह रहे हैं, कितने सरदारों को टिकट दिए ? जनता ने हमारी नीतियों को पूरी तरह से एन्डोर्स किया है और भारत के सारे नागरिक मिलकर एक साथ ही रहेंगे। हम लोग जात-पात, प्रान्तवाद और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर काम करना चाहते हैं इनको जनता ने सबक सिखा दिया है लेकिन फिर भी ये सीखना नहीं चाहते हैं, इसके लिए हम दोषी नहीं है।

इन शब्दों के साथ में पंजाब विनियोग विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एन. टोम्बी सिंह (आन्तरिक मणिपुर) : महोदय, मैं पंजाब राज्य को अनुदान की अनुपूरक मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

पंजाब एक सामरिक महत्व का राज्य है। कृषि और बहुत से अन्य क्षेत्रों में, जैसा कि मेरे पूर्व के वक्ताओं ने ठीक ही कहा है, यह देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों में से एक है। परन्तु दुर्भाग्य से यह अराजकता, राजद्रोह के चंगुल में फंसा हुआ है जबकि अन्य राज्य इससे दूर हैं। जैसा कि अन्य माननीय वक्ताओं ने बताया है, अधिकांश मांगे राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में करने से सम्बद्ध हैं। मैं मणिपुर क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं जहां पर गत साढे तीन दशकों से बगावत चली आ रही है। जब हमें देशद्रोह का सामना करना पड़ता है और राष्ट्रीय नेता हमारे लोगों से राजद्रोह को समाप्त करने की बात करते हैं। सम्भवतः वहां का युवा-वर्ग बहुत आक्रोश में है, क्योंकि हमारे क्षेत्र से अन्य राज्यों में अच्छी प्रगति हुई है। जब मैं पंजाब से अपने क्षेत्र की तुलना करता हूं तो पाता हूं कि केवल एक बात दोनों में समान है, वह यह कि मेरा क्षेत्र उत्तर-पूर्व में है और पंजाब उत्तर-पश्चिम में परन्तु यह भी एक सच्चाई है कि हमारी बहुत से बातें समान नहीं है। पंजाब का युवा-वर्ग आक्रोश में नहीं है और वहां पर व्याप्त स्थिति बड़ी ही विषम है। समग्र सिख समुदाय के ऊपर आरोप मढ़े गये हैं और वे भी खुले आरोप। सम्भवतया यह सही नहीं है। इतना होते हुए भी समय-समय पर लोगों को प्रोत्साहित करने का रवैया अपनाया जाता रहा है। पंजाब में अराजकता के आलोचक कहते हैं कि जैसे कि सारा समुदाय, समस्त राज्य और वहां के सभी लोग क्रोधित हैं। हमें यह आशा करनी चाहिये कि यह सही न हो और यह सही है भी नहीं, क्योंकि स्वयं हमारे अपने क्षेत्र में, वह क्षेत्र जहां पर 3

दशक से बगावत चले आ रहे हैं, हमारे अपने समस्याएं हैं—यथा उद्योग, गरीबी, सड़कों और पुलों का अभाव, विकास के लिए सुविधाओं का अभाव। व्यावहारिक रूप से सामान्य जीवनयापन के लिए आधारभूत ढांचा नहीं है। असम और अन्य स्थानों सहित, समस्त उत्तर-पूर्व को आर्थिक दृष्टिकोण से सक्षम नहीं माना जाता है। जब इस क्षेत्र का युवा-वर्ग आक्रोश में है और वे बगावत का मार्ग अपनाते हैं तो इसका कोई अर्थ है। मुझे याद है कि जब स्वर्गीय प्रधान मंत्री महोदया श्रीमती इन्दिरा गांधी जी दिल्ली में हो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद् की अध्यक्षता कर रही थीं तो उन्होंने कहा था कि वह समझ सकती हैं कि क्यों उत्तर-पूर्व का युवावर्ग, विशेषकर मणिपुर, नागालैण्ड, मिजोरम आक्रोश में हैं। क्योंकि अन्य क्षेत्रों ने सभी तरह से अधिक प्रगति की है, विशेषकर उद्योग के क्षेत्र में और यह समय है कि बहुत सावधानी और गति से उस क्षेत्र में विकास कार्यों को आरंभ किया जाना चाहिये।

जब हम पंजाब की बात करते हैं और बगावत आन्दोलन का हल ढूंढने के लिए वहां लगाई गई सेना और अन्य सुरक्षा बलों का उल्लेख करते हैं तो यह बिल्कुल ठीक ही कहा गया है कि सेना तरीकों से इन समस्याओं का हल नहीं कर सकते हैं। ये तो केवल अस्थायी हल है। जब कभी बगावत होती है तो हमें उन विशेष समस्याओं को पहचान करना होता है कि अशान्ति कैसे फैली है। हम इसे सामान्य नहीं बना सकते हैं। मिजोरम और मणिपुर की भी कुछ विशेष बातें हैं। मणीपुर के भीतर भी—घाटी और पहाड़ियों में—समस्याएं भिन्न हैं। नागालैण्ड को ही देखिये। असम भी भिन्न स्वरूप में, इसके शिकंजे में है। अतः जब हम पंजाब की बात करते हैं तो हमें यह समस्या कुछ भिन्न ढंग से हल करना चाहिये यह ठीक ही कहा गया है कि चूंकि समृद्धि में पंजाब विकसित राज्यों में से एक है तथा आशा और गतिशीलता से भरपूर है तो, पंजाब में बगावत और उग्रवाद को समाप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीके भी भिन्न होने चाहिये। पंजाब के एक सीमावर्ती राज्य होने के नाते, उसकी समस्या का हल सर्वोच्च राजनीति स्तर पर होना चाहिये। हम सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हैं, विशेषकर विपक्षी दलों से कि वह समय अब आ गया है, जब उन्हें पंजाब में उग्रवाद को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करने वाले समारोहों, विचारों, सम्मेलनों अन्यथा संकल्पों का लाभ नहीं उठाना चाहिये। इस समय राष्ट्रीय विचाराधारा अपनानी चाहिये और सत्तारूढ़ पार्टी के साथ अपने राजनीतिक मतभेदों और अपनी राजनीतिक सीमाओं को भुलाकर मिलाकर काम करना चाहिये। इन शब्दों के साथ, मैं पंजाब के इस आघात से शीघ्र उभरने की कामना करता हूं जो कि बगावत के दौर में उसको पहुंचा है। इसे समृद्धिशाली बनाना चाहिये। एक ऐसा समाधान ढूंढा जाना चाहिये जोकि सुविचारित हो, सुनियोजित हो जिससे कि समस्या के उद्भवन का कोई अवसर न रहे। अब शान्ति तो वहां दिखाई देती है परन्तु इस शान्ति को स्थायी शान्ति नहीं समझना चाहिये। हमें वहां स्थायी शान्ति स्थापित करनी चाहिये और किसी भी उग्रवादी वर्ग को अब कोई अवसर प्रदान नहीं करना चाहिए, जो इस राज्य में या देश के किसी अन्य राज्य में फिर से पनप सके।

श्री बड्डे सोमानेद्रीसवारा राव (विजय वाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में ही बड़ी दुःखद बात है कि अनुदान की अनुपूरक मांगों पर इस सदन में चर्चा चल रही है। वास्तव में, यह चर्चा कार्य तो पंजाब विधान सभा के लिए चुने गये लोगों को सम्पन्न करना चाहिये, परन्तु चूंकि विधान सभा निलम्बित पड़ी है, यह मामला इस सभा के समक्ष लाया गया है। परन्तु मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि उस राज्य की अर्थव्यवस्था, जोकि भारत को विश्व के कृषि मानचित्र पर ले जाने वाला है, जो कि हरित-क्रान्ति प्राप्त करने में अगुआ रहा है और गेहूं उत्पादन के मामले में जिसने एशिया और पश्चिम के अनेक देशों को पीछे धकेल दिया है, पंगु हो गई है। जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वोच्च हो, और जहां गांधीवादी विचारधारा अर्थात् लघु और कुटीर उद्योग क्षेत्र ने विपुल प्रगति की हो, वही राज्य अब दयनीय स्थिति को पहुंच गया है, जहां पर हर चीज बेकार हो गई है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस सबके अतिरिक्त पंजाबी लोग, सिख वे लोग हैं जो कि हमारी

सीमाओं के प्रहरी के रूप में जाने जाते हैं। वास्तव में हमारी सेना में दस प्रतिशत से अधिक लोग पंजाब से आते हैं और लगभग प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति सेना में सेवारत होगा। रात-दिन, सर्दी-गर्मी में वे हमारे देश की सीमाओं की चौकसी रखते हैं। दुर्भाग्य से अब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां पर जनसंख्या के विशाल वर्गों में कुछ गलत फहमी पैदा हो गई है।

मुझे विश्वास है कि मुद्दे अधिक जटिल नहीं हैं।

यदि चंडीगढ़ के बारे में मुझे ठीक से याद है तो सम्बद्ध पार्टियां लगभग इस बात पर सहमत हो गई थी कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए किन्तु हरियाणा को राजधानी बनाने के लिये आवश्यक वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। भारत सरकार ने एशियाई खेलों के आयोजन पर करोड़ों रुपये खर्च कर दिये हैं, उसे हरियाणा को वित्तीय सहायता देने में कोई अधिक कठिनाई नहीं होनी चाहिये, यदि यह महसूस किया जाता है कि पंजाब समस्या का हल करने के लिये हरियाणा के लिये राजधानी का निर्माण आवश्यक है।

(व्यवधान)

अब मैं पंजाब और हरियाणा के बीच जल के बंटवारे के मामले पर आता हूं। भूतकाल में कृष्णा नदी के जल के बंटवारे के बारे में आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में विवाद था इसके लिए बचावत आयोग की स्थापना की गई थी। इसने तीनों राज्य सरकारों की दलीलें सुनी थीं। सभी पहलुओं पर तथा इन्जीनियरिंग तथा कानून-सम्बन्धी पहलुओं पर विचार करने के बाद इसने एक पंचाट दिया था कि जल की अमुक मात्रा महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक को दी जानी चाहिये। सभी राज्यों ने इस पंचाट को स्वीकार कर लिया था। अब हम उसी के अनुसार जल का बंटवारा कर रहे हैं। इसी प्रकार हरियाणा और पंजाब में जल बंटवारे के लिये उसी प्रकार का एक आयोग गठित किया जा सकता है जिससे एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जा सकता है।

अब, मैं क्षेत्रीय विवाद के बारे में कहना चाहता हूं कि ऐसे विवादों के बारे में आन्ध्र प्रदेश के लोग भी भली-भांति परिचित हैं। हम पहले संयुक्त मद्रास राज्य के अन्तर्गत थे। तब आन्ध्र राज्य की स्थापना हुई। तत्पश्चात् निजाम राज्य तीन भागों में बांटा गया। कुछ भाग महाराष्ट्र, कुछ कर्नाटक और कुछ आन्ध्र में मिला दिये गये। इस मामले पर भी एक समिति ने विचार कर अपना निर्णय दिया था। अतः इस सम्बन्ध में भी एक उच्च-शक्ति प्राप्त समिति अथवा निकाय की स्थापना की जा सकती है जो फाजिलका एवं अबोहर विवाद सहित क्षेत्रीय विवाद का समाधान कर सकती है।

पिछले कुछ दिनों में मैंने अनेक माननीय सदस्यों से अनेक बार आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव का उल्लेख सुना है। मैं यहां सादर निवेदन करना चाहता हूं कि एक झूठ को सौ बार दोहराने से वह सत्य न हीं हो जाता है। मैं इस बात को पुनः कहना चाहता हूं कि यहां पर किसी भी राजनीतिक दल ने कभी भी आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है। वास्तव में कुछ राजनीतिक दलों ने तो केन्द्र सरकार से उग्रवादियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कहा था जो स्वर्ण मन्दिर का प्रयोग ऐसी घृणास्पद गतिविधियों के लिए कर रहे थे जो देश के हित एवं सुरक्षा के विरुद्ध थीं। किन्तु इस सरकार ने कार्यवाही करने में बड़ा विलम्ब किया था। क्या समय पर कार्यवाही न करना सरकार की असफलता नहीं थी ?

पंजाब विधान सभा को लम्बित कर दिया गया, राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया गया और श्री बी. डी. पांडे जैसे उच्च कोटि के तथा योग्य अधिकारियों को राज्य का संचालन करने का कार्य सौंपा गया। दूसरे शब्दों में राज्य को केन्द्र सरकार के सीधे नियन्त्रण में लाया गया। इसने राज्य में शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली है और उस अवधि में इसने स्वर्ण मन्दिर में विमान भेदी प्रक्षेपास्त्रों सहित

अत्यधिक मात्रा में हथियार और गोला-बारूद जाने दिया । यह बात समझ में नहीं आती कि केन्द्र सरकार की जानकारी के बिना स्वर्ण मन्दिर में यह सब कैसे चला गया । आपकी सीमा सुरक्षा पुलिस क्या कर रही थी ? आपकी खुफिया एजेन्सियां क्या कर रही थीं ? हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था क्या है ? देश की सुरक्षा क्या हुई ? अतः मैं सादर निवेदन करता हूं कि जो हो गया, सो हो गया । हाल में प्रधान मन्त्री ने कहा है कि हम अतीत को भुला दें । हम पंजाब की समस्या का समाधान करने का प्रयास करें । उपाध्यक्ष महोदय, मैं अकाली दल तथा भारत सरकार तथा देश की खुशहाली के इच्छुक सभी शान्ति प्रिय नागरिकों से यह अपील करना चाहता हूं कि वे पंजाब समस्या का समाधान करने तथा पुनः सामान्य स्थिति स्थापित करने में सहायता दें ।

आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका धन्यावाद करता हूं ।

प्रो. नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, मैं वित्त मन्त्री महोदय द्वारा इस सदन में प्रस्तुत की गई अनुदानों की पूरक मांगों का समर्थन करता हूं । इन अनुदानों की राशि 35.57 करोड़ रुपये है ।

मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि पंजाब के मामले को इस कारण उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये कि इस सभा में उस राज्य का कोई प्रतिनिधि नहीं है और वहां लोकप्रिय सरकार नहीं है । महोदय, पंजाब प्रगति की ओर बढ़ रहा था और यह तथ्य सर्वविदित है कि समूचे देश के लिये 63 प्रतिशत गेहूं की खरीद पंजाब से की गई थी । मैं 1983-84 के आंकड़े बता रहा हूं । उस वर्ष सारे देश के लिए 45 प्रतिशत चावल भी पंजाब से ही आया है । अतः इन दो आंकड़ों को ध्यान में रख कर हमें पंजाब के किसानों के प्रति नतमस्तक होना होगा और उस राज्य में हुई प्रगति को भी ध्यान में रखना होगा ।

किन्तु महोदय, मैं वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण बातों की ओर भी दिलाना चाहता हूं । पंजाब को उतना धन नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिये था । हम भी पंजाब के ही एक हिस्से थे किन्तु सौभाग्य से हमारे नेता डा. वाई. एस. परमार ने हिमाचल प्रदेश की जनता के लिये एक सुन्दर राज्य का निर्माण किया जो एक मजबूत राज्य है और इन्दिरा जी ने 25 जनवरी, 1971 को हिमाचल प्रदेश का भारतीय संघ के एक राज्य के रूप में उद्घाटन किया था हम अपनी तथा पंजाब की प्रगति से बहुत प्रसन्न हैं । पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश के बीच अनेक संयुक्त परियोजनाएं है यद्यपि हमने अपनी पृथक पहचान रख हुई है और हिमाचल को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रहे है, हम साथ ही यह भी चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में पंजाब पिछड़ा न रहे और अतः मैं सातवीं पंच-वर्षीय योजना के लिये पंजाब का मामला रखना चाहता हूं । पंजाब की वार्षिक योजना 440 करोड़ तक ही रुक हुई है । 1983-84 और 1984-85 में भी यही स्थिति है किन्तु अन्य राज्यों की स्थिति ऐसी नहीं है । जबकि पंजाब सुरक्षा बलों पर कम से कम धन खर्च करता है और विकास पर अधिक खर्च करता है, यह दुर्भाग्य की बात है कि यह राज्य भेदभाव का शिकार हुआ है । अतिरिक्त संसाधन जुटाने के मामलों में भी तत्कालीन वित मन्त्री महोदय श्री प्रणव मुखर्जी की यह बात रिकार्ड में है, "जब वहां लोकप्रिय सरकार बनेगी, जिसके बनने की शीघ्र ही सम्भावना है तो इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।" अतः लोकप्रिय सरकार न होने के कारण अतिरिक्त संसाधन नहीं जुटाये जा सके जिसका परिणाम यह हुआ है कि वहां की अर्थव्यवस्था अवरुद्ध हो गई है और उसके योजना आंकड़े स्थिर हो गये हैं । मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अन्य राज्यों के मामले में 1983-84 के योजना आंकड़ों की तुलना में 1984-85 के योजना आंकड़ों में वृद्धि हुई है । किन्तु पंजाब के मामले में ऐसा नहीं हुआ है । योजना के आंकड़े वहीं रखे गये है । अर्थव्यवस्था अवरुद्ध होने से मेरा यही अभिप्राय है ।

दूसरी बात यह है कि छठी पंचवर्षीय योजना 1957 करोड़ रुपये के लगभग थी। मैं वित्त मन्त्री महोदय तथा योजना आयोग से आग्रह करता हूं कि सातवीं पंच-वर्षीय योजना में पंजाब को उसका देय मिलना चाहिये और 4500 करोड़ रुपये के प्रस्तुत आंकड़े ही रखे जाने चाहियें। महोदय, कुछ रेल परियोजनाएं ऐसी हैं जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों के लिये हैं, इनके लिये दोनों ही राज्यों ने निवेदन किया था और इन्हें शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। एक नंगल-तलवाड़ा नाम की रेल लाइन है जो पहले पंजाब के कुछ क्षेत्रों से गुजरती है तथा बाद में हिमाचल प्रदेश से तथा पुनः पंजाब के क्षेत्रों से गुजरती है और उस लाईन से जोड़ने वाली एक मोरींदा-चंडीगढ़ रेल लाइन का भी सुझाव दिया गया था ताकि चंडीगढ़ को भी इस लाइन से जोड़ा जाए। इसे भी स्वीकृति दी जानी चाहिये क्योंकि हिमाचल की ओर से पठानकोट तक चंडीगढ़ को एक वैकल्पिक रूट, जोकि अपेक्षाकृत छोटा होगा, दे दिया जाये तो पंजाब बड़ी तेज गति से प्रगति कर सकता है।

7.00 म. प.

थीन बांध परियोजना बड़े लम्बे अरसे से चल रही है। पिछले 20 वर्षों से किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया है। इसके जलग्रहण क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू और काश्मीर तीन राज्य एक त्रिकोण की तरह आते हैं। पंजाब और हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब और जम्मू और काश्मीर में द्विपक्षीय समझौता हुआ है। फिर भी योजना आयोग ने इस परियोजना को सशर्त स्वीकृति दी है। हम यह चाहते हैं कि इसे जल एवं बिजली के बंटवारे के अध्याधीन नहीं होना चाहिए। यह एक बड़ी परियोजना है और बटवारा भारतीय संघ के राज्यों के बीच होना है। जबकि पानी पाकिस्तान में जा रहा है, हम अपनी समस्या का समाधान करने में हिचक रहे हैं; हम इस परियोजना को स्वीकृति नहीं दे रहे है और इसका कार्यान्वयन नहीं कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था को हानि हो रही है। मैं योजना आयोग से अनुरोध करता हूं कि वे इसे सम्पूर्ण स्वीकृति दें। वित्त मन्त्रालय को भी इसे पर्याप्त धन देना चाहिए ताकि इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जा सके।

इसी तरह मैं पंजाब को और अधिक धनराशि देने की भी वकालत करूंगा। रोपर में तापीय बिजली संयन्त्र का निर्माण करने में जो समय लगा है वह अपने आप में एक कीर्तिमान है। इन्दिरा जी ने इसकी आधार शिला रखी थी और तीन वर्ष की अवधि में इसका निर्माण पूरा हो गया। पंजाब की जनता ने यह दिखा दिया है कि उनके पास ऐसा कार्य करने की क्षमता, योग्यता और शक्ति है जो वे करना चाहते हैं। हमें उन्हें आवश्यक धनराशि देनी चाहिए। इस संसद को पंजाब को धनराशि देनी चाहिये। यदि पंजाब में विधान सभा नहीं है तो इस संसद को इस लोक सभा को पंजाब की जनता के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। हम वर्तमान हिमाचल प्रदेश का निर्माण पहाड़ भाषा और संस्कृति के आधार पर चाहते थे और अच्छे पड़ोसी की तरह आधुनिक पंजाब की खुशहाली चाहते थे। कुछ लोगों के इस विलय के प्रस्ताव का हम विरोध करते हैं। हम उन्हें ऐसा ही चाहते हैं जैसा कि वर्तमान में हैं।

हम चाहते हैं कि पंजाब की समस्या का शीघ्र ही समाधान हो ताकि वहां एक लोकप्रिय सरकार स्थापित हो सके और जब तक लोकप्रिय सरकार का गठन हो तब तक मैं वित्त मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे पंजाब की जनता का ऐसा प्रतिनिधित्व करें जिन्हें पंजाब राज्य से चुना गया हो और वे जो भी करें, इस प्रकार से करें। पंजाब राज्य की समस्याओं के समाधान के लिये वित्त मन्त्री महोदय का इस प्रकार का रवैया होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ में पंजाब की अनुदान की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस स्तर पर पूरे ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूं। किन्तु मैं पंजाब की जनता, विशेष रूप से हमारे सिख मित्रों से यह अपील करना चाहता हूं कि वे

इटल में चर्च राज्य के अनुभव से शिक्षा लें और इस बात को समझें कि उच्च ग्रन्थ कितने भी सम्मानित क्यों न हों सिख जनता उनसे यह अपील करे कि वे स्वयं को धर्म तक सीमित रखें, धार्मिक दृष्टि से समस्याओं के समाधान को न देखें तथा जैसाकि वे अब तक करते रहे हैं, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप न करें।

मुझे अत्यन्त खेद है कि उच्च ग्रन्थियों ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि उन्होंने जो दुःखद घटनाएं हुई हैं उनक भर्त्सना करने का प्रयास नहीं किया यहां तक कि उनके तीन सह-कर्मियों द्वारा इन्दिरा गांधी क क्रूर हत्या क भी सक्रिय रूप से भर्त्सना नहीं क है। मैं भारत सरकार तथा भारतीय जनता के प्रति उनके जिद्दी रुख क और उनके इस कथन क जोरदार शब्दों में भर्त्सना करता हूं कि वे अपने लोगों को आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव से एक इंच भी हटने नहीं देंगे। यह बात स्पष्ट तौर पर समझ ली जान चाहिए कि आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव क मूल भावना एक पृथक राज्य क स्थापना करना है, जो भारतीय संघ के प्रति पूर तरह से एक निष्ठ नहीं होग ।

जिन क्षेत्रों में चुनाव नहीं हुए, उन्हें छोड़ कर समूचे देश ने यह फैसला किया है कि हम भारतीय संघ के अन्दर एक ऐसे स्वतंत्र राज्य के निर्माण क अनुमति नहीं दे सकते जो भारत का ह विरोध हो। उन दिनों पाकिस्तान के पूर्वी भाग में जो कुछ हुआ हम उसको दोहराना नहीं चाहते। हम यह भ नहीं चाहते कि अन्य देशों को पंजाब के लोगों क इस मांग और इस दृष्टिकोण का भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान संबधों को और बिगाड़ने के लिए लाभ उठाने दिया जाये। जहां तक हमारे देश के 60 करोड़ लोगों के जनादेश का संबंध है, अगर वे पाठ नहीं सखते हैं, अगर वे स्पष्ट भाव संकेतों को नहीं पढ़ते हैं, तो वे भार गलत पर हैं और हमार सद्भावनाओं के बावजूद भ उन्हें कोई लाभ नहीं होने वाला है विभिन्न दल ठीक ढंग से नहीं सोच रहे हैं। हमें 60 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा चुनावों में व्यक्त क गई इच्छाओं, भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने अपन भावनाओं को विपक्ष को मत देते हुए अथवा सरकार को मत देते हुए बिल्कुल स्पष्ट कर दिया।

मैं पंजाब के लोगों से अपील करता हूं कि वे याद करें कि वे अपने शहीदों के, भारत क स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के कितने ऋण हैं। वे केवल पंजाब अथवा सिखों क स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़े। भगत सिंह सहित सभ लोग सम्पूर्ण भारत के लिए लड़े। यदि वे अपने भारत विरोधी दृष्टिकोण पर अड़े रहे तो यह उन महान शहीदों के प्रति अन्याय होगा।

मैं ग्रंथियों के साथ-साथ उनके नेताओं से अपील करता हूं कि वे जवहारलाल नेहरू के नेतृत्व में 1929 में राव नद के तट पर पास किए गए संकल्प के प्रति राष्ट्रीय नेताओं द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सबक सखें। इसके बाद हमने भारत क पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करने का निश्चय किया था। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ-साथ ह हम राष्ट्रमण्डल और संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य भ बन गए। इसी प्रकार उन्हें देशभक्ति का परिचय देना चाहिए और अपने प्रस्ताव में संशोधन करना चाहिए और खुशी-खुश इस देश के नागरिक बन कर रहना चाहिए।

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला) :- मैंने अभ प्रो० एन. ज. रंगा., प्रो. नारायण चन्द पराशर और श्र तोम्य सिंह के तन प्रतिभापूर्ण भाषण सुने हैं। पंजाब के बारे में इन लोगों द्वारा व्यक्त किए गये विचारों से असहमत होना कठिन है। परन्तु इन से पहले श्र गिरधार लाल व्यास ....

(व्यवधान)

मैंने कहा कि मैं तीन भाषणों क प्रशंसा करता हूं। इन तन भाषणों के प्रत्येक शब्द से मैं सहमत हूं।

इनसे पहले श्र गिरधार लाल व्यास ने भाषण दिया। वह वयोवृद्ध हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं परन्तु कभ-कभ वह यह प्रभाव छोड़ते हैं कि उन्हें गम्भ रता से सुना जाए।

आज मैं एक बार फिर उपाध्यक्ष महोदय और संसद य कार्य मंत्री से यह अनुरोध कर रहा हूं कि वे अवश्य ह: सभा का रिकार्ड देखें।

(व्यवधान)

यह शब्द वह उत्साह में कह गए हैं। अपने एक वाक्य में उन्होंने कहा है कि सारा काश्मीरी समुदाय राष्ट्र विरोधी है।

कई माननीय सदस्य : कभी नहीं कहा।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं कहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और उपाध्यक्ष महोदय को कार्यवाही वृतांत पढ़ना चाहिए। श्री गिरधारी लाल व्यास को अपने शब्द वापस लेने चाहिए।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री को कार्यवाही देखनी चाहिए और उन टिप्पणियों को कार्यवाही वृतान्त से निकालना चाहिए। अथवा उन्हें माफी मांगनी चाहिए अन्यथा मैं विशेषाधिकार का मामला उठाऊंगा।

(व्यवधान)

खैर वह अपमानजनक टिप्पणी को वापिस ले लें। उन्हें इस सीमा तक नहीं जाना चाहिए था। मेरा मुद्दा यह है।

श्री बेराभाई के. गढ़वी (बनासकांठा) : वह अब भी कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा।

(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज: प्रो. एन. जी. रंगा, प्रो. नारायण चन्द पराशर और श्री तोम्बी सिंह ने जो कुछ कहा है, मैं उससे सहमत हूं। वे पंजाब समस्या को हल करना चाहते हैं। मैं भी पंजाब समस्या को हल करना चाहता हूं। परन्तु जब मैंने इन आंकड़ों को देखा तो मैं एक क्षण के लिए रुका और इनके बारे में सोचा। यह सारी धनराशि जेल और पुलिस प्रशासन के लिए है। जब देश में हिंसा का वातावरण होगा तो अधिक जेलों की, पुलिस अधिकारियों के लिए अधिक जीपों की, अधिक वायरलैस सेटों की तथा अधिक जेल प्रशासन की आवश्यकता होगी। मैं महसूस करता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की कुर्बानी के बाद इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि उन्होंने कुर्बानी दी क्योंकि वह चाहती थीं कि देश एक रहे, वह देश की एकता की समर्थक थीं——मैं और हम सब देश की एकता के समर्थक हैं, परन्तु मैं समझता हूं कि पंजाब में पुनः हिंसा का वातावरण पैदा न करें। निस्सन्देह, अनुदानों की इन मांगों को स्वीकार कर लिया जाएगा। ये अभी पारित हो जाएंगी। परन्तु आप कृपया सोचें । आप हिंसा के वातावरण में पंजाब समस्या हल नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इन कटौती प्रस्तावों को रखा है। इन का संबंध मांग संख्या 11 और 12 से है। मैं चाहता हूं कि सामान्य स्थिति में बातचीत के द्वारा पंजाब समस्या हल की जाए। मैं पंजाब में शान्ति चाहता हूं और कुछ नहीं।

(व्यवधान)

श्री व्यास जी कृपया एक मिनट के लिए गम्भीर हो जाइये। आप बार-बार आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव को बीच में ला रहे हैं। आपको प्रोफेसर रंगा द्वारा कही गई बात का ध्यान रखना चाहिए। वह भी आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव के बारे में बोले हैं परन्तु उन्होंने हम में से किसी पर भी यह आरोप नहीं लगाया कि हमने आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव का समर्थन किया है। हर बार आप खड़े होकर यह कह देते हैं कि विपक्ष ने आनन्द पुर साहिब प्रस्ताव का समर्थन किया था ············ (व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) आपके दल ने अकाली दल की आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव का समर्थन देने के लिए निन्दा नहीं की।

(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज़: हमने आतंकवाद की निन्दा की है, हमने पंजाब में हिंसा की निन्दा की है और हमने आनन्द पुर साहिब प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है। हमने पंजाब के एक छोटे वर्ग बिल्कुल छोटे वर्ग की राष्ट्र की मांग को स्वीकार नहीं किया है चाहे वह खालिस्तान अथवा स्वयं सिखों द्वारा कहा जाने वाला "सिख राष्ट्र" अथवा "आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव" हो। इन तीनों का एक ही अर्थ है--पृथकतावाद—एक राष्ट्र के अन्दर दूसरा राष्ट्र और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

श्री भेरावदन के. गधावी: क्या विपक्ष का यह दृष्टिकोण नहीं था कि आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव पर बैठकर चर्चा की जाए, जैसे यह चर्चा योग्य विषय हो?

(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज़: मैं यह कह रहा हूं कि हमने आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया।

आप जब अकालियों का जिक्र करते हैं तो क्या इससे आपका अर्थ श्री लोंगोवाल अथवा श्री टोहरा अथवा श्री बलवंत सिंह से है। मेरी श्री बलवंत सिंह से पिछले वर्ष कलकत्ता में लम्बी बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि अकाली दल और सारा सिख समुदाय पृथकतावाद का समर्थन नहीं करता है। वे भारत के अंग हैं, वे भारत में जिएंगे और भारत में मरेंगे। जो कुछ हरी किशन सिंह सुरजीत ने अपने दल के व्यक्ति से कहा आपने (कांग्रेसियों ने) मुझे उस पर बोलने की अनुमति नहीं दी। लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा ने राष्ट्रीय सिख मंच की ओर से बोलते हुए सभी संसद सदस्यों को स्मरण कराया था और अनुरोध किया था कि सिखों को पृथक न समझें। सिख भारत की एकता और अखंडता का समर्थन करते हैं। आपको उन पर विश्वास करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आतंकवाद की निन्दा करते हैं, हम हिंसा की निन्दा करते हैं और हम आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते हैं। हम भारत की एकता और अखंडता का समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं कि आप वार्ता करें, शान्ति पूर्ण वार्ता। हम चाहते हैं कि आप पंजाब समस्या को गांधीवाद तरीके से हल करें। आप पंजाब में जिस प्रकार की शक्ति लगा रहे हैं उससे संकट हल नहीं होगा और हिन्दुओं और सिखों में मनमुटाव बना रहेगा। हम वहां इस प्रकार की स्थिति नहीं चाहते। विशेष रूप से हमारा राज्य सर्वाधिक प्रभावित राज्य है क्योंकि पंजाब हमारा प्राणधार है। मैं आप को बता चुका हूं हमारा पर्यटन---वास्तव में सारी अर्थ व्यवस्था पंजाब के कारण छिन्न-भिन्न हो गई है। इसीलिए मैं अपने कटौती प्रस्तावों पर जोर देता हूं क्योंकि दृष्टिकोण में अन्तर है. यद्यपि शासक पक्ष द्वारा दिए गए भाषणों के पीछे जो धारणा है उसको मैं स्वीकार करता हूं।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर नीखरा (होशंगाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब विनियोग विधेयक, 1985 का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस सम्बन्ध में जो बातें यहां कही गई हैं, उनको मैं नहीं दोहराऊंगा लेकिन हमारे सोज साहब ने जो बातें अभी कही हैं, अगर वास्तव में उन्होंने ऐसी बात पहले कही होती तो इस समस्या को हल करने के लिये बड़ा भारी बल मिला होता। ऐसे मामलों में विरोधी दलों की जो भूमिका रही है, मैं आपके माध्यम से सोज साहब को बतलाना चाहता हूं कि आप सब की भूमिका बड़ी विवादास्पद रही। आज भले ही आपने हिन्दुस्तान के जनमत को देखकर, जनता की इच्छाओं को देख कर अपना रुख बदला है।

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज : रिकार्ड देखिए। मेरी हमेशा यही राय रही है।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर नीखरा : परन्तु इसके पहले जब आपने जम्मू में विरोधी दलों की बैठक बुलाई थी, उस समय आपने अकाली दल को भी बुलाया था और उस समय अकाली दल ने आनन्दपुर प्रस्ताव भी रखा था। उस समय आपने इसकी आलोचना नहीं की, कभी इसका विरोध नहीं किया। आन दी कान्ट्रेरी, फारुक अब्दुल्ला साहब अकाली दल के लिये समर्थन देते रहे।

हमारी पार्टी और हम, हमारी नेता, जिन्होंने इस देश के लिये अपना कुर्बानी दे दी, वह हमेशा सिखों की बहादुरी की तारीफ करती रहीं वह हमेशा सिखों के सम्बन्ध में अच्छी विचार-धारा रखती रहीं, वह हमेशा इस बात को कहती रहीं कि सिख हमारे हिन्दुस्तान के अभिन्न अंग हैं। जब उनसे इस बात के लिए कहा भी गया था कि बेअन्त सिंह और सतवंत सिंह को यहां से हटा दिया जाये तो उन्होंने मैडम इन्दिरा गांधी ने कहा था कि अगर सिखों को मेरे घर से हटा दिया गया तो देश में उनको कहीं जगह नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी जगह उनके दिल में थी। इस कारण से आपका यह कहना कि हम दिल में या हमारी पार्टी या हमारे नेता के दिल में है, सब सिखों को अकाली दल का समर्थन समझने की भावना है, ऐसी बात नहीं है। अकाली दल कुछ लोगों को रिप्रैजेन्ट करता है, सारे सिखों को रिप्रैजेन्ट नहीं करता है। यह बात 1984 के चुनाव में पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है।

मैं इन तमाम बातों में नहीं जाना चाहता। हमारे नेता आदरणीय श्री राजीव गांधी ने कितने खुले मन से सारे विरोधी दल को इन्वाइट किया है कि आओ, हम सब मिलकर, बैठकर पंजाब की समस्या का हल करें, पर आप सब की भूमिका कभी भी इस मामले में स्पष्ट नहीं रही।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमें खुले मन से राष्ट्रीय विचारधारा को सामने रखकर आनन्दपुर साहिब के प्रस्ताव का विरोध करना चाहिए, आम सिखों की मांगों का समर्थन करना चाहिये, वहां की समस्याओं को हल करने की बात करनी चाहिये। अगर ऐसा करें तो शायद इस समस्या का हल अतिशीघ्र निकल सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, आपने जो कट-मोशन रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं। इसमें केवल 5 करोड़ रुपये की मांग प्रशासन, जेल और पुलिस पर खर्च करने के लिये की गई है जो कि अनिवार्य है। इतने बड़े पंजाब के लिये जहां कि ला एंड आर्डर की सबसे बड़ी प्राबलम थी, इस राशि की मांग के लिये मैं पंजाब के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। जरूर एक साल पहले वहां के प्रशासन में डिमारला-इज़ेशन था, लेकिन आज वह डिमारेलाइजशन खत्म हो गया है· वहां के अधिकारी और छोटे-से-छोटे कर्मचारी भी इस समस्या को हल करने के लिये कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय जब कि पुलिस, प्रशासन और सारे लोग इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी मांगों के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य ने कट-मोशन रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं और जो पंजाब का बजट रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदस्यों में वाद-विवाद में भाग लेने के लिये आभारी हूं। मैं उनके विचारों की कद्र करता हूं और मैंने उनके द्वारा दिए गए सुझावों और विचारों को नोट कर लिया है।

महोदय, प्रारम्भ में जब यह वादविवाद शुरू हुआ था तो मैंने सोचा था कि मैं इस मामले के राजनीतिक पहलू पर नहीं बोलूंगा और केवल आर्थिक पहलू पर ही बोलूंगा। मेरा अब भी यही

विचार है और स्वयं को यहीं तक सीमित रखूंगा। परन्तु महोदय, जब मैंने अपने वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी और पुराने गांधीवादी के भाषण को सुना तो मैं उनके भाषण के बारे में कुछ कहने के लिए विवश हो गया हूं। महोदय इस व्यक्ति ने पंजाब के लोगों से अपील की है। मैं जम्मू और काश्मीर से आए सदस्य के विचारों के विरुद्ध कुछ नहीं कहने जा रहा हूं। उनके भाषण के प्रथम भाग का जहां तक संबंध है, जिसमें उन्होंने इस सभा के तीन सम्मानित सदस्यों के विचारों से सहमति व्यक्त की है, मैं उनसे सहमत हूं।

मैं यहां पंजाब की इस समय की स्थिति के बारे में केवल एक बात कहना चाहता हूं। क्या जून 1984 के बाद हमारे प्रशासन ने और पंजाब के लोगों ने समय के अनुरूप काम किया। प्रश्न यह है कि क्या उनके द्वारा जिस कठिनाई अशांति और गड़बड़ी की स्थिति का सामना किया जा रहा है वह दूर हो गयी है। उन्होंने इनका अत्यंत बहादुरी से सामना किया था। मैं यहां आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यद्यपि वहां बंगे हुए यद्यपि वे सारी बातें विकास कार्यों में और पंजाब की आर्थिक गतिविधियों में बाधक हो सकती थी परन्तु नहीं हुई।

इसका श्रेय पंजाब के लोगों को जाता है। मैं यहां तथ्य देकर स्थिति और भी स्पष्ट करना चाहता हूं।

1983–84 में पंजाब में गेहूं की 94 लाख टन और चावल की 45.36 लाख टन रिकार्ड पैदावार हुई जो केन्द्रीय पूल में क्रमशः 62.3 प्रतिशत और 45.1 प्रतिशत का योगदान करते हैं। वर्ष 1984–85 में भी 31 दिसम्बर 1984 तक 50.3 लाख टन गेहूं और 68.33 लाख टन धान की पैदावार हुई है।

खरीफ के दौरान सरकारी अभिकरण द्वारा खरीदे जाने वाले धान पर किसानों को तीन रुपये प्रति क्विंटल की दर से लाभांश दिया गया। यह लाभांश किसानों को सीधा धान की कीमत के साथ दे दिया गया। इस प्रकार 20 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब का अपनी बिजली उत्पादन क्षमता में 659 मेगावाट की रिकार्ड वृद्धि करने का लक्ष्य है। अब उनका कार्य निष्पादन कैसा है? जहां तक विद्युत उत्पादन का संबंध है मैं आपको कुछ तथ्यों की जानकारी दे दूं। पंजाब राज्य बिजली बोर्ड को भटिंडा के गुरू नानक देव तापीय संयंत्र के कार्य निष्पादन के लिए 3.16 करोड़ रुपये का पुरस्कार मिला है। संयंत्र भार अनुपात 1981–82 के 41.3 प्रतिशत से बढ़कर 1983–84 में 57 प्रतिशत हो गया है। 1983–84 के दौरान भटिंडा के गुरू नानक देव तापीय संयंत्र का कार्यनिष्पादन सबसे अधिक था। यह संयंत्र भार अनुपात 57 प्रतिशत था और यह कार्य निष्पादन देश की इतनी ही क्षमता वाली सभी तापीय इकाइयों में से दर्ज किया गया है।

जहां तक नसबंदी का संबंध है परिवार नियोजन में तीसरी श्रेणी में सर्वोत्तम राज्य होने के लिये पंजाब को 2.5 करोड़ रुपये नकद का इनाम दिया गया है।

महोदय, परिवार नियोजन में 1,28,000 नसबंदी आपरेशनों के लक्ष्य की तुलना में 1,40,246 नसबंदी आपरेशनों 109.6 प्रतिशत करवाकर तीसरी श्रेणी में 'सर्वोत्तम राज्य' होने के लिए पंजाब को 2.5 करोड़ रूपये का नकद इनाम मिला।

जहां तक प्राथमिक शिक्षा तथा प्रौढ़ साक्षरता का संबंध है, पंजाब ने 6–14 वर्ष के आयु वर्ग की बालिकाओं के पंजीकरण तथा महिला साक्षरता में कार्य निष्पादन के लिए पंजाब ने 1.12 करोड़ रुपये का पुरस्कार जीता है। वर्ष 1983–84 के दौरान 12.02 लाख बालिकाओं के लक्ष्य की तुलना में 12.83 लाख छात्राओं का पंजीकरण किया गया। 1,00,000 (पुरुष तथा महिलायें) के लक्ष्य की तुलना में कुल 1,13,113 (पुरुष तथा महिलाएं) में से 74,703 महिलाओं का प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकरण किया गया।

श्रीमन् गंदी बस्तियों के निवासियों को बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में लक्ष्य को पार कर जाने के लिए पंजाब को 1.86 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन बोनस दिया गया है। 1,65,000 गंदी बस्ती निवासियों के लक्ष्य की तुलना में राज्य ने 1,90,616 निवासियों को ये सुविधायें दी हैं। जिससे उपलब्धि की प्रतिशतता 115.53 बैठती है।

श्री चन्दु जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) :--श्रीमन् हमें ये सारी चीजें मालूम है। हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार जनता की कैसे सेवा करने जा रही है।

श्री जनार्दन पुजारी: महोदय, हम राज्य की मौजूदा आर्थिक स्थिति के बारे में बता रहे है। आलोचना इस बात को है कि उस राज्य में यह स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए थी, और हमें पंजाब के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा करने की मौजूदा स्थिति पैदा ही नहीं करनी चाहिए थी। मैं उनके विचारो से सहमत हूं। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि वहां पहले क्या स्थिति थी और राष्ट्रपति शासन के दौरान केन्द्र सरकार का कार्य-निष्पादन कैसा रहा है।

जहां तक कृषि क्षेत्र में राहत सम्बन्धी उपायों का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार तथा 'नाबार्ड' की सहायता से पंजाब के किसानों को चालू खरीफ मौसम के लिए कुल 160 करोड़ रुपए के अल्पावधि ऋण तथा 56 करोड़ रुपए के लम्बी अवधि के लिए सहकारी ऋण देने का विशाल सहकारी ऋण सहायता कार्यक्रम बनाया है। अशांत परिस्थितियों के कारण ऋण मिलने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार ने 30 जून, 1984 को समाप्त होने वाले अल्पावधि ऋणों तथा लम्बी अवधि के ऋणों की अदायगी की अवधि 30 सितम्बर, 1984 तथा 31 दिसम्बर, 1984 तक बढ़ाने का भी निर्णय किया है।

श्रीमन्, इन तथ्यो के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि पंजाब में आर्थिक विकास और आर्थिक गतिविधियां ठप्प हो गई हैं। लेकिन इस सम्मानित सदन में मैं जो स्पष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि पंजाब के बहादुर किसान, कारखानों में काम कर रहे मजदूर तथा राज्य प्रशासन चलाने वाले लोग अनुकरणीय ढंग से अपना कर्त्तव्य निभा रहे हैं और देश के अन्य लोगों की तरह अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, और इन सभी क्षेत्रों में उनकी सफलता के लिए हमें उन्हें बधाई देनी चाहिए। यद्यपि राज्य मे अशांति और गड़बड़ी थी, राज्य की जनता आर्थिक गतिविधियों में लगी रही।

यहां मैं माननीय सदस्यों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में भाग लेते हुए माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि हम निकट भविष्य में इन सभी समस्याओं को हल कर लेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि वह विपक्षी दलों से इस सदन में तथा सदन से बाहर सहयोग चाहेंगे। इसलिए, जैसा कि जम्मू और कश्मीर के एक माननीय सदस्य ने कहा, विपक्षी दलों का यह कर्त्तव्य है कि वे इस सम्बन्ध में पूरा सहयोग दें। यह किसी एक दल का मुद्दा नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री यह स्पष्ट कर चुके है कि यह राष्ट्रीय प्रश्न है यह देश के हित में है, और देश की एकता के हित में है कि हम सब साथ मिलकर बैठें और इस समस्या को हल करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करें।

महोदय, यद्यपि मुझे यह बात दोहरानी पड़ रही है, तथापि मैं फिर कहूंगा कि वह एक वयोवृद्ध सांसद हैं, 84 वर्ष के स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने राष्ट्रहित, राष्ट्रीय अखंडता की बात कही है जिसका विपक्षी सदस्यों ने भी समर्थन किया है। यह राष्ट्र की आवाज है, यह इस देश की जनता की आवाज है जिसने भारी जनादेश देकर देश की एकता तथा अखंडता का समर्थन किया है।

राष्ट्रहित में मैं माननीय सदस्यो से अपील करता हूं कि आओ साथ मिलकर बैठें, इस समस्या को हल करें, बातचीत द्वारा हल ढूंढें। मैं केवल यही अनुरोध कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रो. सैफुद्दीन सोज द्वारा रखे गए कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव संख्या 1 और 2 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं 1984-85 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (पंजाब) सभा में मतदान के लिए रखता हूं :—

प्रश्न यह है :—

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगो के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां पंजाब राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं:

मांग संख्या 10,11,12,14,16,18,19,20,24,25,26,29,31,33,34,37,39 तथा 40 "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

7.33 म. प.

पंजाब विनियोग विधेयक,* 1985

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं प्रस्ताव रता हूं कि वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं ।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव** करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

*दिनांक 24-1-1985 के भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित/प्रस्ताव किया गया ।

"कि वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 तथा 3 और अनुसूची विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 तथा 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय :—प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7.35 म. प.

राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महासचिव : श्रीमन्, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 24 जनवरी, 1985 को हुई अपनी बैठक में पारित चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन विधेयक, 1985 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है ।"

चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित

[अनुवाद]

महासचिव : श्रीमन्, मैं चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन विधेयक, 1985, राज्य सभा द्वारा यथापारित, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

7.36 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा 25 जनवरी, 1985 / 5 माघ, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्र०मा०स०मु०रि०रो०—1 एलएसएस/85—सं० वि० छ:—15-10-85—250.